लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Fourth-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 18, गुरुवार, 11 दिसम्बर, 1980/20 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 357, 362 से 364 और 366 से 369	1—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 358, 361, 365 और 370 से 376	30—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3360 से 3531	37—176
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	177—178
सभा पटल पर रखे गये पत्र	179—181
लोक लेखा समिति के विवरण	—182
राज्य सभा से सन्देश	182—183
नियम 377 के अधीन मामले	184—188
(एक) राजस्थान में रानी सती मन्दिर	
श्री भीमसिंह	—184
(दो) केरल के किसानों द्वारा धान की खेती जारी रखना ।	
श्री बी० के० नायर	—185
(तीन) वेश्यावृत्ति की बुराई को दूर करना ।	
श्री जनार्दन पुजारी	—186
(चार) अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महा संघ द्वारा हड़ताल	
श्री राम विलास पासवान	—186
(पांच) देश के कुछ भागों में यात्री और तटीय सेवाएं मुगलै लाइन्स लिमिटेड को सौंपना ।	
श्री सोमनाथ चटर्जी	—187
(छः) अभ्रक उद्योग में संकट ।	
श्री रामावतार शास्त्री	—187

*जिस नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।...

विषय		पृष्ठ
(सात) शाहजहांपुर और मेलानी के बीच रेल लाइन		
श्री हरीश कुमार गंगवार	...	—188
नियम 377 के अधीन मामले के बारे में ।	...	189—190
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक		
विचार किए जाने के प्रस्ताव	...	191—198
श्री चिरंजी लाल शर्मा	...	191—196
श्री सी० एम० स्टीफन	...	197—198
कृषि उत्पादों के लिए किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के बारे में प्रस्ताव		
श्री चित्त बसु	...	199—207
श्री के० लकप्पा	...	207—211
श्री रणवीर सिंह	...	212—216
श्री धनिक लाल मंडल	...	217—220
श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर	...	221—223
श्री बाला साहेब विखे पाटिल	...	224—227
प्रो० रूप चन्द पाल	...	228—231
श्री गिरधारी लाल डोगरा	...	232—237
श्री आर० एस० स्पैरो	...	238—239
श्री थाझाई एम० करुणानिधि	...	240—243
श्री उत्तम राठौर	...	244—245
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	...	246—248
श्री जैनुल बशर	...	249—251
श्री बाबू राम निर्षा	...	252—254
श्री सुन्दर सिंह	...	255—256
श्री मोती भाई आर० चौधरी	...	257—260
श्री भेराबदन डे० गवाली	...	261—262
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	263—256

विषय		पृष्ठ
श्री दिलीप सिंह भूरिया	...	266—267
श्री ए० टी० पाटिल	...	268—270
श्री हरिकेश बहादुर	...	272—273
श्री मूल चन्द डागा	...	274—275
श्री पीयूष तिरकी	...	276—277
श्री राम सिंह यादव	...	278—280
चौधरी मुल्तान सिंह	...	281—283
श्री एन० सुन्दर राजन	....	284—285
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	...	285—307

लोक सभा

गुरुवार, 11 दिसम्बर, 1980/20 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दवाओं का निर्धारण

*357. श्री बी० वी० देसाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों की गलत दवायें निर्धारित करने की आदतों और औषध निर्माताओं द्वारा स्वार्थ-पूर्ण प्रचार के फलस्वरूप पहले ही बहुत क्षति पहुंच चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विचार स्वास्थ्य के लिए वैकल्पिक नीति विषयक अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में व्यक्त किए हैं ;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद के विशेषज्ञ दल ने, जिसने सरकार को अपनी सिफारिशें पेश की थीं, कहा है कि यहां तक कि एक अशिक्षित ग्रामीण के दिमाग में भी ऐसी बात बिठाई गई है कि वह ऐसी स्थिति में भी इंजेक्शन लगाए जाने की मांग करता है जबकि एक सामान्य टिकिया अधिक प्रभावी होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) (ख), (ग) और (घ) भारतीय समाज बिज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से गठित किए गए अध्ययन दल ने "सभी के लिए स्वास्थ्य : एक वैकल्पिक नीति" नामक एक रिपोंट अगस्त, 1980 में प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोंट में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य परिचर्चा के अर्न्तगत इलाज की मिली जुली सुविधायें देने, स्वास्थ्य में सुधार करने तथा रोगों की रोकथाम करने और उपचारात्मक पद्धति वाले इस नये माडल में डाक्टर और औषधियों की स्थिति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई मत प्रकट करने से पहले इस रिपोंट का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है।

कुछ हद तक यह सही हो सकता है कि कुछ डाक्टर सीमित क्षमता वाली दवाइयां लिखते हैं लेकिन इसमें सम्पूर्ण चिकित्सा व्यवसाय को लपेटना सही नहीं होगा। प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे डाक्टरों की दवाइयां लिखने की आदतों के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नही है। तथापि, अर्हताप्राप्त डाक्टरों से ऐसी आशा की जाती है कि वे जो रोगियों के हित में अच्छा समझते हैं, वैसी ही दवाइयां लिखते हैं।

श्री बी० वी० देसाई : 'सभी के लिए स्वास्थ्य ; एक वैकल्पिक नीति' शीर्षक के अन्तर्गत नियुक्त अध्ययन-ग्रुप द्वारा प्रस्तुत समेकित रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह तकनीकी विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह एक समेकित रोग-निवारक एवं उपचारात्मक दृष्टिकोण है। रिपोर्ट को सरकार के पास पहुंचे लगभग छः महीने हो चुके हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि इस रिपोर्ट को पढ़ने तथा उसके कार्यान्वयन की व्यावहारिक व उपयोगी योजना को तैयार करने में सरकार को अभी कितने महीने और लगेंगे ?

श्री निहार रंजन लास्कर : हम भी इस रिपोर्ट को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। रिपोर्ट बहुत बड़ी है। यह अभी-अभी हमें प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट पर निश्चित निर्णय लेने के लिए अभी कुछ समय और लगेगा।

श्री बी० वी० देसाई : उन लोगों ने अगस्त मास में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मंत्री महोदय कहते हैं कि यह अभी आई है। इसको अब तक लगभग छः मास हो चुके है।

दूसरे, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा यह ग्रामीणों के मूल्यवान जीवन से सम्बद्ध है। वास्तव में उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत उन्होंने बहुत से मूल्यवान सुझाव दिए हैं जैसे कि प्रत्येक गांव में अस्पतालों का खोला जाना, एक गांव के लिए कम से कम एक डाक्टर का होना, कमजोर वर्गों के लिए सहायक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना आदि-आदि। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस दिशा में सक्रिय रूप से विचार कर रही है अथवा रिपोर्ट की ओर अभी कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हम निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ रहे है। हमने स्वास्थ्य-रक्षा के सम्बन्ध में उपचार के बजाय रोग-निवारण के पक्ष पर अधिक बल देना प्रारम्भ कर दिया है।

श्री अर्जुन सेठी : उत्तर में माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि कुछ मामलों में डाक्टर ऐसी दवाइयां निर्दिष्ट करते हैं जो सीमित चिकित्सकीय क्षमता वाली होती है। इसलिए यह सच है कि कुछ मामलों में ऐसा होता है तथा ये मामले सामान्यतया ग्रामीण इलाकों व ग्रामों से सम्बद्ध होते हैं जहां पर आम आदमी के लिए चिकित्सा सुविधाएं बहुत सीमित होती हैं।

इस विषय के महत्व को मद्दे नजर रखते हुए क्या माननीय मंत्री उन डाक्टरों, जो अपराधी पाये जाएं, को खोजने व दंडित करने का प्रयास करेंगे ताकि ग्रामीण इलाकों में, जहां पर स्वास्थ्य रक्षा की परम आवश्यकता है, ग्रामीण लोगों को सस्ती दवाइयां तथा विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की जा सकें ?

श्री निहार रंजन लास्कर : श्रीमान् मैंने अपने मुख्य उत्तर में यह भी कहा है कि प्रारम्भ में अथवा कुछ मामलों मे यह सही हो सकता है परन्तु समस्त चिकित्सा व्यवसाय को इसमें लपेटना कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बात नहीं है। हालांकि मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि चिकित्सकों को दवाइयां निर्दिष्ट करने की आदतों के बारे अधिक सावधान किया जाये तो इस मामले में प्रगति हो सकती है।

श्री जी० बी० गोहिल : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। श्रीमान्, वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों ने इस बारे में सिफारिश की है कि देश में उपचारात्मक तथा रोग-निवारक उपाय किस प्रकार प्रारम्भ किए जा सकते हैं। सिफारिशों का ब्यौरा अभी नहीं मिला है। किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों तथा डाक्टरों द्वारा किये गये शोध तथा विकास कार्य पर निर्णय कौन लेगा ? उस रिपोर्ट पर विचार तकनीकी तन्त्रवादियों द्वारा किया जायेगा। अथवा नौकरशाहों द्वारा ? दूसरे उन्होंने अपनी सिफारिशों में एम० बी० बी० एस० तथा एम० डी० अर्हता वाले डाक्टरों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जन-स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में पर्याप्त रिसर्च-सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीमान, गावों में बहुत से नीम हकीम हैं जो अनधिकार चेष्टा करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में घुसे हुए हैं। क्या सरकार सभा में ऐसा निर्णय लेगी जिससे अनर्ह चिकित्सकों को समाज से हटाया जा सके ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं समझता कि उन्होंने मुख्य प्रश्न पर आधृत कोई प्रश्न पूछा है।

औद्योगिक वस्तुओं की ढुलाई के लिए माल-डिब्बे

*362. **श्री के०ए० राजन** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान औद्योगिक वस्तुओं और आदानों की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के विभिन्न जोनों में माल डिब्बों की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) माल डिब्बों की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक महीने के अंत में प्रारम्भिक लदान और बकाया मांगों का रेलवे-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) माल डिब्बों की समग्र उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से माल डिब्बों के संचलन पर क्षेत्रीय रेलवे तथा बोर्ड दोनों ही स्तरों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है । यार्डों तथा मरम्मत लाइनों में माल डिब्बों के रुके रहने का समय कम करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं । माल डिब्बों के लदान, फेरे बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक, कोयला जैसी थोक वस्तुओं की ढुलाई के लिए एक प्रारम्भिक स्थान से एक ही गंतव्य स्थान तक लदान के लिए जम्बो रेकों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें विशेष प्रकार के बंद माल डिब्बे होंगे । इसके अलावा, माल डिब्बों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है ।

अनुबंध

रेलवे	कुछ प्रारम्भिक लदान (चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से)						माल डिब्बों की बकाया मांगें (चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से)					
	सितम्बर, 80		अक्तूबर, 80		नवम्बर, 80*		सितम्बर, 80		अक्तूबर, 80		नवम्बर, 80**	
	ब० ला०	मी० ला०	ब० ला०	मी० ला०	ब० ला०	मी० ला०	ब० ला०	मी० ला०	ब० ला०	मी० ला०	ब० ला०	मी० ला०
मध्य	2186	15	2246	15	2275	11	21811	—	39665	306	44855	222
पूर्व	5318	—	5560	—	5590	—	65803	—	48813	—	49110	—
उत्तर	2158	518	2061	556	2189	564	22576	30539	12144	15888	13482	18192
पूर्वोत्तर	6	639	6	932	5	1204	—	12381	—	14974	—	16205
पूर्वोत्तर सीमा	147	500	127	508	48	443	9281	36744	4002	15286	उ०न०	उ०न०
दक्षिण	918	673	871	739	843	721	4204	10140	2652	4015	3778	3574
दक्षिण मध्य	1649	554	1554	568	1757	590	24056	6586	18631	8710	19345	8425
दक्षिण पूर्व	7862	—	8071	—	8482	—	74006	—	25206	—	35923	—
पश्चिम	1908	1596	1837	1659	1932	1613	6839	5000	12047	13573	15128	16987
जोड़ (दैनिक औसत)	22150	4495	22333	4977	23191	5146	228576	101390	163160	72752	181621	61685

*अनन्तिम

** अनन्तिम और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आंकड़ों कोड़कर ।

श्री ए० के० राजन : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् सभा-पटल पर रखे गए विवरण को मैं पढ़ चुका हूं। इससे ऐसा नहीं लगता कि माल डिब्बों की उपलब्धता में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है। माल प्राप्त करने वाले कुछ लोग वैगनों को समय पर खाली नहीं करते। अतः वैगनों की वापसी ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। इस प्रकार के बहुत से उधाहरण हैं। यहां तक कि भारतीय खाद्य निगम वैगनों को समय पर खाली नहीं कर पाया, इससे वैगनों की वापसी में अड़चन पैदा हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वैगनों की उपलब्धि तथा वापसी की स्थिति को सुधारने के लिए क्या सुधार किए जा रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक बैगनों की उपलब्धि के सम्बन्ध में यह बात सही है। जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा बैगनों का खाली किया जाना भी एक मुद्दा है। परन्तु इसके साथ ही हमने वैगनों की वापसी तथा खाली वैगनों को गन्तव्य स्थल पर शीघ्रता-पूर्वक पहुंचाने के कार्य में वृद्धि के लिए सफल कदम उठाए हैं। नवम्बर में हमने बी० जी० तथा एम० जी० लाइनों पर लगभग 28,337 चार पहियों वाले वैगन लदवाए है। पिछले दो मास के मुकावले में यह प्रगतिसूचक है। अब हमने उद्गम स्टेशन से गन्तव्य स्टेशन तक सीधे उचित दरों पर माल का लदान शुरू कर दिया है तथा बीच में भी बिना किसी रुकावट के लदान किया जा सकेगा। हम वैगनों की बापसी में सुधार का प्रयास कर रहे हैं ताकि खाली बैगन लदान स्थल पर शीघ्र पहुंच सकें।

श्री के० ए० राजन : द्वितीय पूरक प्रश्न मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मैंने जो कहा है वह सही है या नहीं एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2500 यूनिट उनके पहियों, टायरों तथा धुरो की दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से चोरी चले जाने के कारण रुके हुए हैं। अन्य 160 सी० आर० टी० वैगनों को लाइट-वेट कप्लरों की आवश्यकता है तथा 600 अन्य को लेमिनेटेड-वियरिंग स्प्रिंगस की आवश्यकता है। एस० जी० सी० आई० तथा बैक्यूम- ब्रेक- सिलिंडर भी व्यापारियों से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर चोरियां हो रही हैं। क्या यह सच है या नही ? मैं मंत्री महोदय से इन समस्त मुद्दों पर समुचित उत्तर चाहता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : वैगन उद्योग, जिसे एक निश्चय लक्ष्य प्राप्त करने की आशा की जाती है। एक दो रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया कि रेलवे का यह दायित्व है कि वह माल-वाहक डिब्बों के निर्माताओं को पहियों के सेट तथा (लैमिनेटेड बियरिंग) भेजे। ये इस समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हम इस प्रकार के 17,000 (ह्वीलसैट) तथा कुछ अन्य सैट माल-वाहन-डिब्बा उद्योग को भेजना चाहते थे जो हम नहीं भेज पाए। केवल जून मास में हमें यह ज्ञात हुआ कि हम उन्हें ये चीजें देने में असमर्थ हैं तथा हम इन चीजों के आयात के विषय में भी सोच रहे हैं ताकि हम उन्हें ये बस्तुयें सप्लाई कर सकें तथा माल-वाहक डिब्बों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

श्री जेवियर अराकल : कुछ जहाज बनाने वाले कारखाने माल-वाहक डिब्बे बनाने वाले आधुनिक साज-सामन से सुसज्जित हैं। उदाहरणार्थ, मैं जानता हूं कोचीन जहाज निर्माण के

कारखाने में रेलवे माल-वाहक-डिब्बे बनाने वाले अत्याधुनिक माज-सामान हैं। हम इस साज-सामान तथा माल-वाहक- डिब्बे निर्माण संबंधी विद्यमान सुविधाओं का सदुपयोग नहीं करते। क्या सरकार माल.वाहक डिब्बों की अल्प पूर्ति में सुधार करने के लिए इनको कुछ फर्मों द्वारा बनाए जाने की वर्तमान सुविधाओं का अन्यत्र प्रयोग किए जाने के मेरे विचार पर ध्यान देगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : उन्नत किस्म की वस्तुएं आदि बनाने वाले जहाज के ऐसे कारखाने इस समय हमारी सूची में नहीं हैं परन्तु यदि कोई जहाजी कारखाना माल-वाहक डिब्बे बनाने तथा सप्लाई करने के लिए तैयार हो तो रेलवे उनको ग्रहण करके बहुत प्रसन्न होगी।

श्रीलंका में अमरीका के लिए पत्तन सुविधायें

*363. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, तटवर्ती देशों में अपनी पश्चिमी हिन्द महासागर स्थित सेनाओं के लिए, जिन्हें अमरीका ने हिन्द महासागर में अपनी स्थायी उपस्थिति के रूप से रखने का निर्णय किया है, शीघ्र ही विश्राम तथा मनोरन्जन की सुविधायें प्राप्त करने का इच्छुक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्रीलंका ने तथा संभवतः मालदीव ने, जिन्हें अमरीका द्वारा बड़ी मात्रा में औद्योगिक निवेश करने की पेशकश की गई है, दिएगो गार्शिया और अन्यत्र, अमरीकी सैनिकों को मनोरंजन तथा विश्राम की सुविधायें प्रदान करना मान लिया है ; और

(ग) यदि हां तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) इस बात के संकेत हैं कि अमरीका हिन्द महासागर में इस प्रकार के नौ सैनिक यूनिटों की सुविधायें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

(ख) इस विषय पर अखबारों में अनुमानों पर आधारित खबरें आती रही हैं। लेकिन 26 नवम्बर को श्रीलंका के संसद में वहां के विदेश मंत्री ने एक वक्तव्य में यह कहा है कि इस सवाल पर श्री लंका की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पहले भी वे संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के नौसैनिक जहाजों को पत्तन की सुविधायें देते रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे बशर्ते कि इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले देश युद्ध में न उलझें हों और उनमें नाभिकाय अस्त्र न लिए जाए जा रहे हों। श्री लंका की सरकार ने अखबारों की खबरों का स्पष्ट खंडन किया है कि उसने अमरीका को एक नौसैनिक अड्डा देने की पेशकश की है। मालदीव के बारे में भी, हमारे पास इस आशय की कोई खबर नहीं है कि उन्होंने अमरीका को कोई एकांतिक सुविधायें देने की इच्छा व्यक्त की है।

(ग) इस विषय पर भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रश्न अभी नहीं उठता । जहां तक अमरीकी नौसैनिक गतिविधियों के विस्तार का सामान्य प्रश्न है, भारत ने हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति का हमेशा विरोध किया है क्योंकि इससे हमारे पड़ोस में नये तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं और यह शांति और स्थायित्व के लिए खतरनाक होता है बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति में वृद्धि के प्रति अपने सख्त विरोध को हम द्विपक्षीय बातचीत में और संयुक्त राष्ट्र के तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी व्यक्त कर चुके हैं । संयुक्त राष्ट्र के 1971 के संकल्प में निहित अवधारणा की रक्षा के लिए भारत अन्य गुट-निरपेक्ष तटवर्ती तथा पश्च राज्योंके साथ मिलकर काम कर रहा है जिसमें हिन्द महासागर से बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : श्रीमान, मेरा प्रश्न भिन्न है । माननीय मंत्री हमें यह बता रहे हैं कि श्रीलंका ने इसप्रेसरिपोर्ट को कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को नौ-सेना का अड्डा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है, स्पष्टतः नकारा है । मेरा प्रश्न श्रीलंका अथवा मालादीव द्वीप द्वारा नौसैनिक अड्डे का प्रस्ताव के विषय में नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि संयुक्य राज्य अमेरिका के दिएगो गार्सिया में 12000 लोग हैं कृतिक बल के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के 37 लड़ाकू जलपोत हिंद महासागर में घूम रहे हैं । दिएगो गार्सिया में ठहरे हुए सैनिक दस्ते स्वदेश लौटते हुए इन क्षेत्रों में प्रदत्त मनोरंजन की सुविधाओं का लाभ उठायेंगे । मैं माननीय मंत्री से पहले इस मुद्दे को स्पष्ट कराना चाहूंगा तथा फिर मैं अपना दूसरा प्रश्न रखूंगा ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : श्रीलंका से जो सूचना हमको प्राप्त हुई थी वह हमने सदन के सम्मुख रख दी है जहाँ तक आराम तथा मनोरंजन की सुविधाओं का सम्बन्ध है, श्रीलंका के विदेश मंत्री के कथन से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने इस प्रकार की किसी भी बात के विषय में इनकार किया है । परन्तु उन्होंने स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया है । यदि सदस्य महोदय चाहें तो हम और अधिक पूछताछ कर सकते हैं और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारी प्रतिक्रिया, विशेषतः इस प्रश्न पर, इस समय कुछ नहीं है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मेरा प्रश्न यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दिएगो-गार्सिया में परिमाणु अस्त्रों का बहुत बड़ा अस्त्रागार है तथा हम भारतीय इससे बहुत चिन्तत हैं। अब वे अन्य समुतटीय देशोंद्र से और अधिक सुविधाओं के विषय में कह रहे हैं । क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का उनकी सतत रूप से बढ़ती नौसेना की उपस्थिति तथा हिन्द महासागर में बढ़ती हुई फौजी टुकड़ियों के विषय में कभी विरोध प्रकट किया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं ।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई के अमेरिका तथा चीन द्वारा पाकिस्तान को अधिक अस्त्र-शस्त्र दिए जाने

जाल प्रोत्साहित करने के कथन के संबन्ध में क्या हमारी सरकार हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डों की उपस्थिति के विरोध को प्राथमिकता दे रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस संदर्भ में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ?

डा० सुब्रह्मण्य स्वामी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इस विषय पर कार्रवाही करने अथवा प्रतिक्रिया करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता। सरकार इस विषय को बड़ी लापरवाही से ले रही है। यदि अमेरिकी सैनिक टुकड़ियों को आराम तथा मनोरंजन की अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो हमको इस बात से पाठ सीखना चाहिए कि अमेरिका ने थाइलैण्ड के साथ क्या व्यवहार किया है। यह श्रीलंका के लिए सांस्कृतिक दुष्प्रभाव होगा जो भारत को भी प्रभावित करेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार, श्रीलंका में होने वाले नैतिक-पतन तथा नैतिक-ह्रास तथा भारत पर उसके कुप्रभाव के मामले पर कार्रवाही करेगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इससे पूर्व कि भारत पर इसका प्रभाव पड़े, हमको यह देखना है कि श्रीलंका पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है तथा उसी संदर्भ में, क्योंकि मैं प्रश्न में निर्दिष्ट सुविधाओं के विषय में स्पष्टतः कुछ नहीं जानता, मैंने कहा कि इस बारे में इस समय कोई विशेष हवाला देने अथवा प्रतिक्रिया जाहिर करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा मैंने बताया श्रीलंका के विदेश मंत्री का कथन इसके विषय में नकारात्मक प्रतीत होता है परन्तु हमें इसके बारे और अधिक विचार करना पड़ेगा।

आचार्य भगवान देव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि हिंद महासागर के अंदर अमरीका के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए, अभी जब मैं संसदीय राजभाषा के दौरे पर मारीशस गया तो वहां देखा कि वहां पर अमरीका, चीन और ब्रिटिश की तरफ से कुछ गतिविधियां, भारत के विरुद्ध और वहां पर कब्जा करने संबंधी चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : किसके ऊपर कब्जा ?

आचार्य भगवान देव : मारीशस के ऊपर प्रभाव डालकर वहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : मारीशस तो अभी दिएगो-गार्शिया को वापिस मांग रहा है।

श्री निरेन घोष : राष्ट्रपति वृझनेव ने कल हमारे समक्ष किये गए भाषण में भारत के साथ यह सहमति प्रकट की कि हिन्द महासागर को शांति क्षेप घोषित किया जाये। इसका बास्तव में क्या तात्पर्य है कि समस्त अड्डे समाप्त कर दिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्वयं व्यापक परक है, शांति-क्षेत्र का मतलब है, शांति-क्षेत्र।

बिहार और पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनें

*364 **श्री कमला मित्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ऐसे नये क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां नई रेल लाइनें बिछाने के लिये सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या इन राज्य सरकारों ने कुछ क्षेत्रों में, जहां उचित संचार व्यवस्था न होने के कारण विकास संबन्धी गतिविधियां रुक रही हैं, नई रेल लाइनें बिछाने के लिये अपनी विभिन्न मांगें और प्रस्ताव भेजे हैं ; और

यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसे क्षेत्रों को रेल व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जिन लाइनों के लिए हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है ।

(1) रांची-रोड-हजारी बाग टाउन-कोडर्मा- गिरिडीह (194 कि०मी०) (बिहार) अनुमानित लागत 55·26 करोड़ रुपये ।

(2) बजबज-नामखाना (104.1 कि. मी.) (पश्चिमी बंगाल) अनुमानित लागत 15.76 करोड़ रुपये ।

चालू सर्वेक्षण

(1) मन्दोर हिल-वैद्यनाथधाम (55 किमी) (बिहार) ।

(2) आरा-सासाराम (105 कि.मी.) (बिहार)

(3) अमझोर और बंजारा के रास्ते डेहरी-आन-सोन और पिपराडीह के बीच अन्तिम मार्ग- निर्धारण और यातायात सर्वेक्षण (66 कि.मी.) (बिहार) ।

(4) गया और राजगीर के बीच बड़ी लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण (43) कि.मी.) (बिहार) ।

(5) बरवाडीह-करौंजी के बीच रेल संपर्क के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण (154 कि.मी.) (कुछ हिस्सा बिहार में और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में) ।

(9) खड़गपुर-दीघा (पश्चिमी बंगाल) ।

(ख) बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव ।

(1) कोडर्मा के रास्ते रांची रोड से गिरिडीह तक नयी लाइन ।

(2) बजबज से नामखाना तक और लक्ष्मीकान्तपुर तथा कुलपी के बीच नयी बड़ी लाइन ।

(ग) रांची रोड-गिरीडीह और बजवज-नामखाना, जिसमें लक्ष्मीकान्तपुर कुलपी नयी रेलवे लाइन शामिल है, की सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई हैं और इन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । सर्वेक्षण रिपोर्टों का मूल्याँकन हो जाने के वाद ही उस संबंध में कोई विनिश्चय किया जा सकेगा ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय का जो बयान है वह बहुत ही गोल-मटोल है । जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि—रांची-गिरीडोह और बजबज-नामखाना, जिसमें लक्ष्मीकांतपुर-कुलपी नई रेलवे लाइन शामिल है, की सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । सर्वेक्षण रिपोर्टों का मूल्यांकन हो जाने के बाद ही इस संबंध में कोई विनिचश्य किया जा सकेगा ।'' मैं पूछना चाहता हूं कि यह विचार कब तक होगा और कब तक इसको कार्यरूप दिया जाएगा । इसके लिए क्या आपने कोई टाईम लिमिट बनाई है कि कब तक कार्यवाही करेंगे और इस ओर आप क्या कदम बढ़ा रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : यहां गोल-मटोल तो कोई चीज है नहीं । सरकार जो कुछ भी करती है सत्य को दृष्टि में रखते हुए करती है और सत्य को ही सदन के सामने लाती है । माननीय सदस्य ने पूछा कि बजबजखाना नीमखाना लाइन का जो सर्वेक्षण कार्य चल रहा है इसका कब तक अन्त होगा । रांची हजारीबाग कोडर्मा और बजदज नीमखाना का सर्वे हो चुका है और सर्वे रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हैं । जब इन पर विचार कर लिया जाएगा तब प्लानिंग कमिशन के पास क्लीयरेंस के लिए भेजा जाएगा और क्लीयरेंस मिल जाने के बाद इन लाइनों को टेक अप किया जाएगा ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : बिहार और पश्चिम वंगाल रेलों के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं । क्या सरकार बता सकती है कि मुजफ्फरपुर से नहरकटियागंज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सरकार का विचार है और है तो उस सिलसिले में सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है ?

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : मुजफ्फरपुर से बहगा लाइन के कनवर्शन की बात मैंने मान ली है और इसी सदन में आश्वासन दिया है कि उसका सर्वे हम कराने जा रहे हैं । सर्वे के बाद की कोई कार्रवाई उस पर होगी ।

श्री शिव प्रसाद साहू ; रांची से लोहदरगा और लोहरदगा से टोरी तक की लाइनों का जहां तक मुझे जानकारी है कुछ महीने पहले सर्वे हो चुका है और उस पर तेरह करोड़ और कुछ लाख रुपये लागत आने का अनुमान है । हिन्दुस्तान में आदिवासियों के सबसे ज्यादा बड़े और पिछड़े हुए रांची और पलामऊ जिले हैं । हजारों नहीं लाखों लोग बेकारी और बेरोजगारी की वजह से वहां से भाग-भाग कर अन्यत्र जा रहे हैं । इन पिछड़े हुए जिलों का खयाल रखते

हुए और आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्गों की तरक्की को ध्यान में रखते हुए क्या आप इसी बजट में इन लाइनों के लिए कुछ प्रावधान कर रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य रांची से लोहरदगा तक की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रश्न में रांची रोड़ से हजारीबाग वाया कोडर्मा को गया है जिसका सर्वे किया जा चुका है।

श्री रामविलास पासवान : रेलवे लाइनों का विकास इसको देख कर किया जाता है कि कोई कितना पिछड़ा हुआ इलाका है और साथ ही साथ ऐतिहासिक स्थानों का ध्यान भी रखा जाता है। इसको देखते हुए हाजीपुर-सुगौली-बेतिया लाइन इस कैटेगरी में पड़ती है और मंत्री जी का भी उसमें निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है . ।

अध्यक्ष महोदय : फेवरिटिज्म कराना चाहते हैं ?

श्री रामविलास पासवान : जी नहीं। वैशाली एक ऐतिहासिक स्थल है और परम्परा से चला आ रहा है। आप सब उससे परिचित है। वह भी अभी तक अछूता पड़ा है। मंत्री जी के पास, पहले भी जो मंत्री जी थे, उनके पास वहां के लोगों ने बार बार आग्रह किया है और हम लोगों ने भी लिख कर दिया है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस रेलवे लाइन को निकालने का विचार कर रहे हैं ?

दरभंगा से लेकर बशेश्वरस्थान होते हुए सहरसा तक का इलाका बिल्कुल अछूता इलाका है जहां किसी तरह की न तो सड़कें हैं और न ही रेलवे लाइनें। क्या उस तरफ भी रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास किया जाएगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : पिछड़े हुए स्थानों के विकास की जहां तक बात है—

श्री रामविलास पासवान : सुगोली का इनको मालूम ही नहीं है तो ये जवाब क्या देंगे ? वैशाली कहां है इनको पता ही नहीं है—

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य प्रश्न को समझे नहीं हैं। वह तो जनरल बात करना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि बिहार और वैस्ट बंगाल में रेलवे लाइनों के सर्वे की क्या पौजीशन है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बिहार और बंगाल में दो लाइनों का सर्वे हो चुका है और वह विषय हमारे एग्जामिनेशन में है और 6 और लाइनों का सर्वे बिहार और बंगाल में प्रोग्रेस में है। आप जिस स्थान की बात कर रहे हैं कि पिछड़ा हुआ स्थान है उन एरियाज में रेलवे लाइनों के विकास के बारे में नेशनल ट्रांसपोर्ट पौलिसी कमेटी की रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को दी गई है और पिछड़े हुए इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए जो पालिसी मिलती है उसको दृष्टि में रख कर भविष्य में सरकार काम करेगी और सरकार चाहती है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में रेलवे लाइन स्थापित करे। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों की वजह से सारा काम एक

साथ नहीं हो पाता । जो कमेटी बनायी गयी है और जिसकी सिफारिशें प्लानिंग कमीशन में हैं उनसे क्लीयरेंस आने के बाद कार्यवाही की जाएगी ।

डा० बी० एन० सिंह : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि रांची रोड़ से हजारीबाग और हजारीबाग से कोडरमा रेल लाइन का सर्वे कमप्लीट हो चुका है इसके बारे में आप कब तक देखभाल करेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में उसको शामिल करके काम होने जा रहा है कि नहीं ? छोटा नागपुर का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहां के लोगों ने अभी रेल नहीं देखी है । क्या आप छठी योजना में इसको शुरू कर रहे हैं कि नहीं ।

श्री केदार पांडे : माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है कि वह पिछड़ा हुआ इलाका है यह बात सही है । वह ट्राइबल एरिया है और उस पर विशेष ध्यान है । सर्वे कमप्लीट हो चुका है और छठी पंचवर्षीय योजना में इनक्लूड करने का विचार हो रहा है । प्लानिंग कमीशन की सहमति की आवश्यकता होगी ।

श्री धनिक लाल मंडल : मान्यवर, एक रेल लाइन है जो छितौनी, बगहा से चम्पारन और देवरिया को जाती है । छितौनी ब्रिज अभी नहीं है, और वह रेलवे लाइन चली आती है दरभंगा और दरभंगा से यह लाइन जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि एक प्रश्न पर अगर 20 सदस्य सवाल करेंगे तो और सवाल कैसे लिये जायेंगे ।

श्री धनिक लाल मंडल : मान्यवर, हमारे यहाँ न सड़क है और न रेल है । बरेली से अमीनगांव के लिए जो सेक्शन हुई थी वह दरभंगा में जाकर रुक गई है और•••

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल आप लिखकर पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दिलवा दूंगा ।

श्री धनिक लाल मंडल : यह रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में जो मंत्री जी का जिला है, दरभंगा, निकले, सहरसा होते हुए दार्जिलिंग जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ने और बिहार को बंगाल से जोड़ने का काम करेगी••• ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह लिखकर दें । इस प्रश्न का उत्तर जबानी नहीं दिया जा सकता । आप इसे देवें तथा मैं इसे प्रश्न का उत्तर अतारांकित प्रश्न की भांति दूंगा ।

अब प्रश्न 365 को लिया जाये । श्रीमान गोमित सदस्यों को इस बारे में सहयोग देना चाहिए । यदि आप किसी प्रश्न अथवा पूरक बातों को 5 से 7 मिनट तक खींचना चाहते हैं, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं ? मैं एक पूरक में दस प्रश्नों की आज्ञा नहीं दे सकता ।

हां, श्रीमान ए० के० राय प्रश्न संख्या 366 ।

धनबाद-सिंदरी रेल लाइन

*366. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल यातायात के लिए धनबाद और सिंदरी तथा धनबाद और भोजूडीह के बीच रेल लाइनें हैं जबकि धनबाद से पाथेरडीह तक पटरी को माल गाड़ियों तथा यात्री गाड़ियों दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है ;

(ख) पाथेरडीह से चार मील की दूरी पर स्थित सिंदरी और भोजूडीह तक यात्री सेवा भी उपलब्ध करने के लिए बारम्बार मांग की गई थी ;

(ग) क्या सिंदरी में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने के बंद हो जाने से उस क्षेत्र में कोयले की ढुलाई कम हो जाएगी जिससे यह रेल लाइन यात्री यातायात के लिए उपलब्ध हो जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस समय पाथरडीह यात्री स्टेशन पर प्लेटफार्म लाइन धक्का रोध पर समाप्त हो जाती है । धनबाद और पाथरडीह के बीच चलने वाली मौजूदा गाड़ियों को भोजूडीह अथवा सिंदरी से/तक चलाना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए मौजूदा यात्री लाइन को भोजूडीह तक बढ़ाना होगा जो कि उस क्षेत्र में बसावट, दामोदर नदी कोयलाखानों और चट्टानी भूमि के कारण संभव नहीं है । यदि वर्तमान गुड्स लाइन पर सवारी गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया जाता है, तो इससे कोयले के लदान और माल की ढुलाई पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ऐसा करना वांछनीय नहीं है ।

श्री ए० के० राय : सदन की यह पद्धति रही है कि जब नकारात्मक उत्तर देना होता है तो उपमंत्री को इसके लिए कहा जाता है । परन्तु यहां मेरा उद्देश्य कोई उत्तर, और निश्चित रूप से नकारात्मक उत्तर प्राप्त करने का नहीं था—परन्तु कुछ रेलों, जो कि पहले से ही विद्यमान हैं, को चालू कराने के विषय में था । रेल मंत्री महोदय यह जानते हैं कि धनबाद तथा सिंदरी को जोड़ने वाली दो रेलवे-लाइनें हैं : एक लाइन प्रधानकांडा से होकर तथा दूसरी पैथरदी के मार्ग से । रेलें इन्हीं मार्गों से होकर चलती हैं । हम केवल यही चाहते हैं कि इनमें से एक मार्ग पर सवारी गाड़ियां चलें । श्रीमान आप जानते हैं कि कोयले पर आधारित सिंदरी खाद का कारखाना बन्द कर दिया गया हैं । इसके फलस्वरूप, कोयले के परिवहन में निश्चित रूप से कमी आयेगी । इसलिए इससे धनबाद से सिंदरी तथा धनबाद से भोजुदीह, दो लाइनों पर चलाए जाने वाली कुछ सवारी गाड़ियों को निर्गम-मार्ग निश्चित रूप से मिलता है । धनबाद जिले से होकर

एक सवारी गाड़ी पहले से ही चालू है। दामोदर नदी पर एक रेल पुल पहले से है ही। इसी कारण मैं यह उत्तर प्राप्त कर आश्चर्य चकित हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि वैगन परिवहन के सन्दर्भ में लाइन की क्षमता से क्या तात्पर्य है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है अथवा भाषण ?

श्री ए० के० राय : श्रीमन्, कृपया दिये गये उत्तर को पढ़ें। उनके द्वारा दिया हुआ यह एक अद्भुत उत्तर है। रेलवे मंत्री महोदय यह जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पूछना चाहते हैं तो सीधे निर्दिष्ट प्रश्न कीजिए।

श्री ए० के० राय : मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है : धनबाद तथा सिंदरी और धनबाद व भोजुदीह को जोड़ने वाली दो लाइनें विद्यमान हैं। रखते हुए कि धनबाद जिले में इस बात को ध्यान में पहले से ही सवारी गाड़िया चालू हैं, क्या मंत्री महोदय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करेंगे तथा अपने नकारात्मक उत्तर के स्थान पर नई बात प्रस्तुत करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : जैसा सदस्य महोदय ने कहा कि धनबाद से पाथरदीह के लिए दो सवारी गाड़ियां चल रही हैं। इसके बावजूद सिर्फ इस कारण कि वहां पर कोयले की खानें हैं और वहां पर कोयला निकाला जा रहा है, रेलगाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है। हमको कोयले की ढुलाई का कार्य बढ़ाना है। हमारे पास पाथरदीह है तथा भोजुदीह दो धोवन-शालाएं हैं धोवन-शालाएं कोयला उत्पादन के क्षेत्र में इतनी विस्तृत हैं, कि धोवन-शालाओं के बाद कोक-कर कोयला इस्पात कारखानों को भेजा जाएगा। इसके सन्दर्भ में मैं यह आशा करता हूं कि सदस्य महोदय को यह नही सोचना चाहिए कि हम कोई नकारात्मक उत्तर देने जा रहे हैं परन्तु उनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि जहां व्यवहार्य होता है, हम सकारात्मक उत्तर ही देते हैं। यदि यह व्यवहार्य नहीं है, तो पाथरदीह से आगे रेल-सेवा को बढ़ाना सम्भव नहीं है।

श्री ए० के० राय : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि धनबाद तथा सिंदरी के बीच, पाथरदीह से बचकर, प्रधान-कांडा से होती हुई एक अन्य रेल लाइन है, तथा उस लाइन पर भी गाड़ियां चलती है ? सिंदरी कोयले द्वारा चालित उद्योगों के बन्द होने के कारण प्रधानकांडा तथा सिंदरी के बीच, सवारी गाड़ियों के चलने के लिए पर्याप्त स्थान होगा। क्या मंत्री महोदय इस सुझाव पर ध्यान देंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : हम इसका परीक्षण कर चुके हैं। वहां पर कोई रिक्त स्थान नहीं है। यह देखते हुए, मैंने महान सदन के सामने वर्तमान स्थिति रखी है ; तथा अन्य गाड़ियाँ चलाना सम्भव नहीं है। धनबाद जाने वाले यात्रियों के लिए बस-सेवा काफी अच्छी है। यह वहां से कुछ ही मील है। यदि हम इस लाइन पर सवारी-गाड़ियां चलायें तो कोयले के परिवहन में बाधा उत्पन्न हो जायेगी।

मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव ।

*367. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या नौहवन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संशोधन के प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अभी भी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है ।

श्री राम प्यारे पनिका : सूचना कहीं गायब हो जाने के कारण मुझे प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । इसलिए मैं तैयार होकर नही आया हूं । मैं इस प्रश्न को अगले दिन पूछे जाने का अनुरोध करता हूं ।

श्री आर० के० महालगी : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि उस अधिनियम में संशोधन के कौन से सुझाव विचाराधीन हैं ?

श्री बूटा सिंह : अनेक राज्यों से बहुत से सुझाव आये हैं तथा परिवहन विकास परिषद की पिछली बैठक में इन पर विचार-विमर्श भी हो चुका है । इस समय समस्त सुझावों को पढ़कर सुनाना उचित नहीं लेकिन ज्यों ही वे प्रक्रिया में लाए जायेंगे तथा उनकी परीक्षा की जायेगी, ये सदन के सम्मुख लाये जायेंगे तथा तब उन पर बिचार विमर्श किया जाएगा ।

श्री आर० के० महालगी : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि सरकार के अधीन कुछ सुझाव विचाराधीन हैं । सदन यह जानना चाहता है कि सरकार के आधीन वे कौन-कौन से सुझाव विचाराधीन हैं । उत्तर देने में क्या बुराई है ?

अध्यक्ष महोदय : विचार-विमर्श से पूर्व यह कैसे सम्भव है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नहीं समझता कि सुझावों पर विचार के दौरान यह मामला मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत आयेगा । परन्तु मैं भारतीय रेल पर विद्यमान दबाब के विषय में जानना चाहूंगा, क्योंकि प्राइवेट मोटर वाले बड़ी संख्या में राष्ट्रीय परमिट की मांग कर रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप रेलवे जो कम दर वाले वाहनों को चला रही है ने अधिक दर वाले वाहनों को पहले ही मोटर वालों को सौंप दिया है । यदि वे अधिक रांष्ट्रीय परमिटों की मांग करते हैं, तो इसमें रेलवे के राजस्व पर कुप्रभाव पड़ेगा । इस सन्दर्भ में, क्या रेलवे के हितों की रक्षा का ध्यान रखा जायेगा तथा मोटर परिवहन लाबी को रेलवे के सम्बन्ध में हस्तक्षेप न करने दिया जायेगा ।

श्री बूटा सिंह : प्रथमतः यह एक सुझाव है दूसरे, परिवहन विकास परिषद की पिछली मीटिंग में जब यह निर्णय लिया गया था, रेलवे-बोर्ड का एक सदस्य (परिवहन) वहां पर मौजूद था। खैर, हमें मामले की जानकारी है। राष्ट्रीय परमिटों के मामले को सुलझाते समय रेलवे के हितों के साथ-साथ राष्ट्र के बड़े हितों का भी ध्यान रखा जाता है। परिवहन विकास परिषद् द्वारा रेलवे के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में, इस पर निर्णय लिया जा चुका है। परन्तु माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

रलगाड़ी लूटे जाने की घटनाएं

*368. **श्री अशोक गेहलोत : क्या रेल मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले चार महीनों में चलती गाड़ियों में लूटमार तथा डकैतियों की अनेक घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां तो ये घटनाएं किन गाड़ियों में हुई तथा कहां हुई और कितने यात्रियों को लूटा गया ;

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों को उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति दी है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

वितरण

(क) जी हां।

(ख) अगस्त से नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान जिन गाड़ियों में और जिन स्थानों पर लूट-पाट और डकैती की घटनाएं हुई उनके नाम और इन घटनाओं के शिकार यात्रियों की संख्या का रेलवेवार विवरण नीचे दिया गया है :—

रेलवे	क्र०सं०	गाड़ी का नाम	घटना का स्थान (रेलवे खंड में)	शिकार हुए यात्रियों की संख्या
1	2	3	4	5
मध्य	लूटपाट			
	1.	1 डा० बम्बई-कलकत्ता मेल	वाथली-कजगांव स्टेशन	1
	2.	548 अप कोंच आयत शटल	कोंच-आयत जं०स्टेशन	4
	3.	स्थानीय गाड़ी	परेल-कर्वी रोड स्टेशन	1
	4.	101 डा० मीनार एक्सप्रेस	कुर्दीवाडी-वाडसिंह स्टेशन	11
	5.	111 डा० वांदा कानपुर पैसेंजर	जमुना-साउथ बैंक स्टेशन	1
	6.	663 डा० ग्वालियर-श्वौपुरकलां-पैसेंजर	केलारस-सुमौली स्टेशन	1
	7.	389 डा० इटारसी इलाहाबाद पैसेंजर	लागरगावन-सतना स्टेशन	1
	8.	336 अप हैदराबाद-नागपुर पैसें०	वाथली स्टेशन के निकट	1
	9.	स्थानीय गाड़ी	विद्या विहार घाटकीपर स्टेशन	1
				22
	डकैती			
	1.	4 डा० बम्बई-हावड़ा मेल	दादर-मुलुंड स्टेशन	19
	2.	165 डा० साबरमती एक्सप्रेस	सुखीसिवानिया स्टेशन	2
				21
दक्षिण पूर्व	लूटपाट			
	1.	ए-11 डा० हावड़ा-खड़गपुर स्थानीय	पांशकुडा-हावड़ा स्टेशन	6

1	2	3	4	5
	2.	पी-64 डा० पांशकुडा-हावड़ा स्थानीय	दासनगर-टिकियावाड़ा स्टेशन	1
	3.	30 अप हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस	गामहरिया-सिनी स्टेशन	1
	4.	217 अप खुरदा रोड-पलासा मिली-जुली गाड़ी	गंगाधरपुर-कुहरी स्टेशन	2
	5.	303 अप खड़गपुर-गोमी पैसेंजर	कारकेंड-लयाबाद स्टेशन	1
	6.	398 अप आसनसोल-पुरी पैसें०	नेरगुंडी केन्द्रपाड़ा स्टेशन	1
				12
	डकैती			
	1.	पी एच-2 पांशकुड़ा-हल्दिया स्थानीय	महीशादल-बार्दा स्टेशन	5
	2.	133 डा० अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस	आंदुल-संतरागाछी स्टेशन	8
	3.	89 अश बोकारो-मद्रास एक्सप्रेस	कांद्रा-बिरनाजपुर स्टेशन	4
	4.	321 अप टाटा-नागपुर पैसेंजर	राजगंजपुर-सोनाखान स्टेशन	7
	5.	331 अप राऊरकेला-टिटलागढ़ पैसेंजर	सम्बलपुर स्टेशन के निकट	1
	6.	10 डा० श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस	रेतांग-बारंग स्टेशन	3
				28
दक्षिण मध्य लूटपाट				
	1.	318 मिरजपैसेंजर	रहिमतपुर-कोरेगांव स्टेशन	1
	2.	442 एक्सप्रेस	हुबली-नावलगंडा स्टेशन	1

1	2	3	4	5
		3. 95 एलोरा एक्सप्रेस	पुर्णा-परतूर स्टेशन	1
		4. 224 हुबली-बेंगालुरू पैसेंजर	गडग-कांगोंहाल स्टेशन	1
				4
		डकैती		
		कोई नहीं।		
पूर्वोत्तर सीमा		लूटपाट		
		1. 4 डा० असम मेल	चंगसारी-रंगिया स्टेशन	1
		डकैती		
		1. 101 अप पैसेंजर	कटिहार-मानसी स्टेशन	3
		2. 35 डा० पैसेंजर	कस्बा-पुर्णिया जं०स्टेशन	3
		3. 1 डा० ए टी मेल	कामाख्या-चंगसारी स्टेशन	1
				7
दक्षिण		लूटपाट		
		1. 844 तंजाउर-तिरुवारूर पैसेंजर	निडामंगलम-कोर्डाचेरी स्टेशन	7
		2. 747 मद्रास-कांजिवरम् एक्सप्रेस	ताम्बरम्-चिंगलपेट्टे स्टेशन	1
		3. 41 मद्रास-कोच्चिन एक्सप्रेस	तिरुपपुर-पोत्तनूर स्टेशन	2
				10
		डकैती		
		कांई नहीं।		
उत्तर		लूटपाट		
		1. आई एफ पैसेंजर ट्रेन	मोगा-अजीतवाल स्टेशन	2

1	2	3	4	5
	2.	6 एल जे एच पैसेंजर,	अहमदगढ़ स्टेशन के निकट	2
	3.	3 सी एम पैसेंजर ट्रेन	कुन्दरखी-माचर्या स्टेशन	10
	4.	2 एस एफ पैसेंजर ट्रेन	इक्करहाल्ट-ज्वालापुर स्टेशन	2
	5.	एल एस पैसेंजर ट्रेन	जैतीपुर-कुसुम्भी स्टेशन	3
	6.	29 अप पैसेंजर ट्रेन	कोड़ा स्टेशन के निकट	4
	7.	2 बी एस पेसेंजर ट्रेन	अटवामुथिया स्टेशन के निकट	1
	8.	12 डा० एक्सप्रेस ट्रेन	शिकोहाबाद-इटावा स्टेशन	1
	9.	11 अप एक्सप्रेस ट्रेन	शिकोहाबाद इटावा स्टेशन	1
	10.	शंटिंग माल गाड़ी	मैनपुरी स्टेशन के निकट	1
				27
	डकैती			
	1.	104 डा० डीलक्स एक्सप्रेस	कचंना स्टेशन के निकट	12
	2.	2 एच एम पैसेन्जर ट्रेन	गजरौला-कफूरपुर स्टेशन	1
	3.	बी सी पैसेन्जर ट्रेन	गंज मुरादाबाद-मल्लावां स्टेशन	8
				21
पश्चिम रेलवे लूटपाट				
	1.	स्थानीय गाड़ी	बोरियली-कांडिवली स्टेशन (बम्बई उपनगरीय खंड में)	1
	2.	स्थानीय गाड़ी	,,	1

1	2	3	4	5
	3.	17 अप एक्सप्रेस	डूंडलोड मुकन्दगढ़-नूआ स्टेशन	2
	4.	गुगलार डा० स्पेशल	कालीसिंघ स्टेशन पर	1
				5
	डकैती			
	1.	56 अप सवारी गाड़ी	खरसालिया-बहेरिया रोड स्टेशन	1
	2.	स्थानीय गाड़ी	शांताक्रुज-विल्लेपारले स्टेशन (बम्बई उपनगरीय खंड में)	1
	3.	55 डा० सवारी गाड़ी	बोर्डी-अनास स्टेशन	8
	4.	551 अप सवारी गाड़ी	गौतमपुरा-फतेहबाद-चन्द्रवतीगंज	7
				17
पूर्व	लूटपाट			
	1.	आर 203 अप राना घाट स्थानीय	पलटा-टहलपुर स्टेशन	2
	2.	के 150 डा ०कल्याणी स्थानीय	उल्टाडांगा-सियालदह स्टेशन	2
	3.	एस 240 डा० शांतिपुर-सियालदह स्थानीय	कंचरापाड़ा-श्यामनगर स्टेशन	1
	4.	बी 140 डा० व्यांडेय स्थानीय	हुगली-चिंसुरा स्टेशन	4
	5.	14 डा० अपर इन्डिया एक्सप्रेस	हजारीबाग-ओवरा स्टेशन	2
	6.	पी 390 डा० गेडे स्थानीय	बरकापुर-सियालदह स्टेशन	5

1	2	3	4	5
	7.	एस एल 261 अप लक्ष्मीकांतपुर स्थानीय	जयनगर-वहारु स्टेशन	4
	8.	312 डा० मुजफ्फरपुर-सियालदह फास्ट पैसेन्जर	बर्दवान-बंडेल जंक्शन स्टेशन	3
	9.	आर 205 अप रानाघाट स्थानीय	पलटा-इच्छापुर स्टेशन	3
	10.	एम 232 डा० बर्दवान स्थानीय	लिलुआ-बामनगाछी यार्ड	2
	11.	7पी जी पटना-गया पैसेन्जर	तारेगना-नदोल स्टेशन	10
	12.	14 डा० अपर इन्डिया एक्सप्रेस	जनाय रोड-दक्षिणेश्वर स्टेशन	4
	13.	68 डा० बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस	बर्दवान-देवीपुर स्टेशन	3
	14.	एम 230 डा० बर्दवान-हावड़ा पैसेन्जर	लिलुआ-हावड़ा कार शेड	2
	15.	328 डा० दानापुर फास्ट पैसेन्जर	धोधा-कहलगांव स्टेशन	1
	16.	129 अप आसानसोल-वाराणसी पैसेन्जर	चन्दौली-मझवार स्टेशन पर	3
				51
	डकैती			
	1.	151 अप कल्याणी स्थानी	कल्याणी-घोसपाड़ा स्टेशन	5
	2.	बी बी 538 डा० बोंगांव स्थानीय	बीराटी-दुर्गानगर स्टेशन	3
	3.	एस ओ एल 129 अप डायमंड-हार्बर स्थानीय	मगराहट-डायमंड हर्बर स्टेशन	2
	4.	पी 390 गेडे-सियालदह स्थानीय	बेरकपुर-सियालदह स्टेशन	5
	5.	सी 32 डा० बर्दवान-हावड़ा पैसें०	लिलुआ-हावड़ा स्टेशन	3
	6.	2 एम जे अप कामगार गाड़ी स्थानीय	कल्याण स्टेशन पर	2

1	2	3	4	5
	7.	176 डा० नीलाचल एक्सप्रेस	तेलो स्टेशन	6
	8.	50 डा० जम्मुतवी एक्सप्रेस	मोकामा-बड़हिया स्टेशन	3
	9.	40 डा० जनता हावड़ा एक्सप्रेस	खुसरोपुर-बख्तियारपुर स्टेशन	1
	10.	327 अप दानापुर-हावड़ा फास्ट पैसेन्जर	मानकाठा-बड़िया स्टेशन	7
	11.	328 डा० दानापुर-हावड़ा फास्ट पैसेन्जर	बड़हरवा-पाकूर स्टेशन	8
				45
पूर्वोत्तर	लूटपाट			
	1.	406 डा० सहरसा-फारबीसगंज पैसेन्जर	नरायनपुर-राघवपुर स्टेशन	2
	2.	71 अप सोनपुर-इलाहाबाद फास्ट पैसेन्जर	तेजपुर-देहमा-चिल्बरगांव स्टेशन	1
	3.	41 अप समस्तीपुर-सहरसा पैसेन्जर	समस्तीपुर के बाहरी सिगनल पर	1
	4.	257 अप इलाहाबाद-वाराणसी फास्ट पैसेन्जर	किरिहरापुर-इन्दारा स्टेशन	9
	5.	311 अप सियालदह-समस्तीपुर	दुवहा-धोली स्टेशन	4
	6.	72 डा० इलाहाबाद-सोनपुर फास्ट पैसेन्जर	वाराणसी सिटी-सारनाथ स्टेशन	2
	7.	238 डा० छिपरा-सिवान पैसेंजर	खेरा-पटेरही स्टेशन	1
	8.	जी एल 9 अप गुवाहाटी-लखनऊ माल गाड़ी	वाराणसी के पश्चिम केबिन के निकट	1
	9.	104 डा० काठगोदाम-कासगंज पैसेन्जर	सोरों-कासगंज स्टेशन	3

1	2	3	4	5
	10.	31 अप कानपुर-बरौनी पैसेन्जर	खोराबाद के डा० होम सिगनल पर	1
	11.	601 अप पार्सल पैसेन्जर	जगतबेला के पश्चिम केबिन के निकट	1
	12.	5 अप त्रिवेणी एक्सप्रेस	बेलथरा रोड-इन्दारा स्टेशन	3
	13.	178 डा० पैसेन्जर पार्सल	विशेश्वरगंज स्टेशन पर	3
	14.	126 डा० कासगंज अछनेरा पैसेन्जर	अगसौली-समहरा स्टेशन	4
	15.	262 डा० इलाहाबाद-वाराणसी पैसेन्जर	कछुवा रोड-मडुवाडीह स्टेशन	4
	16.	जी एल 20 डा० लखनऊ-गुवाहाटी माल एक्सप्रेस गाड़ी	बबनन-गोड़ स्टेशन	1
	17.	102 डा० काठगोदाम-कासगंज पैसेन्जर	रामगंगा-बमियाना स्टेशन	4
	18.	311 अप सियालदह-समस्तीपुर फास्ट पैसेन्जर	दलसिंगसराय-नजीरगंज स्टेशन	3
	19.	248 डा० गोरखपुर-इलाहाबाद सिटी पैसेन्जर	महपुर-सादात स्टेशन	7
	20.	105 अप टनकपुर-कासगंज पैसेंजर	स्याही स्टेशन पर	6
	21.	170 डा० मैलानी-गोंटा पैसें०	रेहता-बेलरायां	1
	22.	122 डा० कासगंज-फर्रुखाबाद स्टेशन	कयामगंज-बटासा हाल्ट	6
	23.	12 डा० मालगाड़ी	बरौनी के बाहरी सिगनल के निकट	1

1	2	3	4	5
	24.	107 डा० कानपुर-कासगंज पैसेंजर	नरतहार-पाटियाली स्टेशन	7
				76
	डकैती			
	1.	211 अप सियालदह-समस्तीपुर पैसेन्जर	नजीरगंज-उजियारपुर स्टेशन	2
	2.	237 अप सिवान-छपरा पैसेंजर	खैरा-पतेरही स्टेशन	3
	3.	72 डा० सोनपुर-इलाहाबाद पैसेन्जर	तरोन-नन्दगंज स्टेशन	4
	4.	236 डा० इलाहाबाद-भटनी पैसेन्जर	इंदारा स्टेशन पर	1
	5.	420 डा० बगहा-दरभंगा पैसें०	बैरागनिया-थांग स्टेशन	2
	6.	228 डा० गोरखपुर-छितौनी पैसेंजर	पिपराइच-बोदरदार स्टेशन	3
				15
			कुल	362

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान कानून के अनुसार, ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अशोक गहलौत : मैं यह जानना चाहता हूं कि आजकल जो ट्रेनों में लूटमार और डकैतियां हो रही हैं उसमें कितनी संख्या में एफ० आइ० आर० दर्ज हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह जो डकैतियां ट्रेनों में बढ़ गई हैं उस में कितनों को अरेस्ट किया गया है जो कि माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, उसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं हैं। कितने

लोग अरैस्ट हुए और कितनों की एफ० आइ० आर० दर्ज हुई यह जानकारी मैं उनको बाद में दे दूंगा।

श्री अशोक गहलौत : क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों

श्री मल्लिकार्जुन : कदम तो हम यह उठाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है उसको और अधिक किया जाय और सारी स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों को मंत्री महोदय ने पत्र लिखा है कि ला-लेसनेस जो है और ला ऐंड आर्डर की जो समस्या है उसको दृष्टि में रखते हुए फोर्स को और अधिक बढ़ाएं। इस तरीके से इस चीज को कम करने का यत्न हम कर रहे हैं और मुख्य मंत्रियों से भी इसके बारे में बात कर रहे हैं।

श्री अशोक गहलौत : मेरा दूसरा प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जो ट्रेनों में इस प्रकार की डकैतियां और चोरियां हो रही हैं उस के लिए देश में कुछ ऐसे गिरोह बन गए हैं और इन गिरोहों ने इसमें ऐसी दक्षता हासिल कर ली है कि वह एक से एक तरीके अपना कर अलग अलग ट्रेनों में डकैतियां करवा रहे हैं, तो क्या सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रोपोजल है कि ट्रेन्स में जो हमारी कोचेज चलती हैं उसमें कोई ऐसा यंत्र लगाएं जिससे कि मालूम पड़ सके कि कोई डकैती या इस तरह की घटना हो रही है? जब कभी इस प्रकार की घटना हो तो इम्मीडिएटली गार्ड को या रेलवे की जो फोर्स ट्रेन में चलती है उसको उसके जरिए इन्फार्म कर सकें, उसके लिए कोई योजना हैं?

श्री मल्लिकार्जुन : अभी तो ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे कि यह पता लगे लेकिन जो सुझाव दिया गया है इसकी हम परीक्षा करेंगे कि यह संभव है या नहीं। फिर उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

श्री रतनसिंह राजदा : क्या माननीय मंत्री इस बात से भिज्ञ हैं कि रेलों में होने वाली लूट तथा डकैती की अनेक वारदातों में रेलवे स्टाफ तथा पुलिस का भी हाथ होता है? कितने ऐसे मामले जिनमें रेलवे स्टाफ का हाथ था, जिनमें उनकी मिली-भगत थी, उनके नोटिस में आये हैं, ऐसे कितने मामलों की छानबीन हुई है, तथा रेलवे स्टाप के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये है?

श्री मल्लिकार्जुन : जहाँ तक रेलवे स्टाफ का लूट-पाट तथा डकैती की वारदातों में हाथ होने का सम्बन्ध है, यह बहुत चिन्ताजनक है तथा रेलवे अधिकारियों के सामने ऐसे लोगों के जितने मामले आये हैं, उनमें कठोर कार्रवाही की गई है। किन्तु मैं नहीं जानता कि कितने ऐसे मामलों में हमने कार्यवाई की हैं। कुछ ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि रेलवे- स्टाफ की 20 डाकुओं के साथ साठ- गाँठ है और ऐसे मामलों में, जो कि हमारे नोटिस में आयेंगे, हम कार्रवाई करेंगे।

श्री दिलीपसिंह भूरिया : मैं यह पूछना चाहता हूं। कि रतलाम से बड़ौदा, कानपुर से झांसी और मथुरा से कोटा जो मालगाड़ियां चलती हैं छोटे-छोटे स्टेशनों पर वह मालगाड़ियां रोकी जाती हैं और लूटमार की जाती है। कई बार गार्डों की घड़ी या जो भी सामान उनके पास था वह छीन लिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना मंत्री जी के पास है और मंत्री जी ने उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह बात तो सत्य है कि गुड्स ट्रेन्स चाहे वह रतलाम से बाम्बे के रूट की हों या और किसी जगह की हों उनमें इस तरीके से कुछ घटनाएं हो रही हैं इसके अन्दर हम रेलवे की तरफ से जितनी भद्रता हो सकती है उसको दृष्टि में रखते हुए आगे इस तरह की घटनाएं पुनः न हों उसको देखने का यत्न कर रहे हैं।

श्री आर. पी. यादव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि पैसेंजर ट्रेन के अलावा गुड्स ट्रेन में भी इस प्रकार की लूट-मार जोरों से बहुत हुआ करती है और आए दिन इसकी रिपोर्ट आती है। गार्ड और ड्रायवर भी पिटते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे यह विचार कर रहे हैं कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन जो कि रात को खतरनाक जोन्स से चलती हैं वहां कम से कम उन गाड़ियों को सेक्योर्ट किया जाए ?

श्री केदार पाण्डे : यह बात सही है कि राबरी और डकैती होती हैं तथा ला एण्ड आर्डर अभी पर्याप्त नहीं हो सका है। इसके लिए स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को पूरी सुरक्षा के लिए पत्र भेजे गए हैं। जहां तक गुड्स ट्रेन में राबरी, डकैती शुरू हुई है उसके लिए भी इस मंत्रालय से कोशिश की जा रही है, वहां पर विशेष इन्तजाम किया जा रहा है, फोर्स साथ में चले ताकि राबरी, डकैती को समाप्त किया जा सके, लेकिन एक बात है कि आर. पी. एफ. के पास कोई पावर नहीं हैं, पुलिस ही एक्शन ले सकती है, आर. पी. एफ. केवल पकड़ कर दाखिल कर सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इण्डियन रेलवे एक्ट में अमेंडमेंट करना होगा और आर. पी. एफ. को कुछ पावर देने की भी जरूरत है और उसकी स्ट्रेंग्थ बढ़ाने की भी जरूरत है। इस तरह का एटमास्फियर बन गया है जिससे ला एण्ड आर्डर अफेक्टेड है। जो गिरोह काम करते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हमने इस ओर एक्शन लिया है।

मस्तिष्क ज्वर होने के कारण

*369. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मस्तिष्क ज्वर फैलने के कारणों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) एनसेफलाइटिस वाइरल और नान वाइरल दोनों एजेंटों से हो सकता है । भारत में यह रोग आमतौर पर मच्छर-वाहित विषाक्रओं से होता है । एनसेफलाइटिस के वर्तमान प्रकोपों में जो खास बात रही है वह यह कि इसकी घटनाएं छुट-पुट रूप से हुई हैं और जो सामान्यतः रोग प्रभावित इलाके में प्रति गांव एक या अधिक से अधिक दो रोगी तक ही सीमित रही हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, इन्होंने जो जवाब में कहा कि :—

"ज्वर से प्रभावित इलाकों में एक गांव में इस प्रकार का एक और अधिक से अधिक दो मामले प्रकाश में आए हैं ।"

मैं पहले ही बता दूं कि यह सरासर गलत जवाब है । एक-एक विलेज में कितने लोग मारे हैं मैं यह जानना चाहता हूं । मेरे यहां यह बीमारी हुई है इसलिए पूछ रहा हूं । इस तरह का बयान में नहीं आना चाहिए 'एट मोस्ट टू' इसका क्या अर्थ है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मस्तिष्क ज्वर की बीमारी है इसमें अब तक आपने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैंने जो कुछ कहा है वह हमारी जांच-पड़ताल तथा प्राप्त सूचना पर आधृत हैं । यह बात सही है । और यदि उनके दिमाग में कोई अन्य बात है, वे कहें तथा हम उस पर विचार करेंगे । एनसिफलाइटिस मलेरिया से भिन्न बीमारी हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमने बहुत से उपाय किये हैं । इस क्षेत्र में उठाये गये कुछ कदमों का मैं हवाला देना चाहूंगा । उदाहरणस्वरूप केसों के शीघ्रता पूर्वक निवारण, इलाज तथा रिपोर्ट के उपाय किए गए हैं ।

भारत सरकार ने प्रभावित राज्यों से, मामलों की सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्ध जारी रखने की व्यवस्था की है । विभिन्न संस्थाओं—जैसे कि ट्रॉपिकल स्कूल ऑफ मैडिसियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनीकेबल डिजीजेज, देहली, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट आदि की टीमें, । इस मामले की छानबीन कर रही है । मैं माननीय सदस्य को सूचनार्थ में कहना चाहता हूं कि बिहार से बहुत से मामलों की सूचना मिली है । एन्सिफलाइटिस के फैलने की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य द्वारा मॉगी गई सहायता के विषय में बिहार-सरकार को लिखा । लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया जे० ई० के 5,000 टीकों के प्रदान किए जाने का भी प्रावधान था । उसके लिए भी अभी तक कोई मांग नहीं की गई है । कृपया अपने राज्य को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहें ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप उनका कार्रवाही करने के लिए क्यों नहीं कहते ? ब्लाई-डिंग कर सकते हैं । इनफार्मेशन नही दे सकते ।

दूसरे सवाल से इनकी बात का खन्डन हो जाएगा। विभिन्न राज्यों में कितने लोग इससे मरे हैं ? इसका कुछ हिसाब-किताब हो तो वह हमें बता दीजिए।

श्री निहार रंजन लास्कर : मेरे पास समस्त विवरण मौजूद है। परन्तु इसकी सूची बहुत लम्बी है। यदि आप चाहें, तो मैं इसको सदन के पटल पर प्रस्तुत कर सकता हूं। बिहार में अक्तूबर 1980 तक 737 सूचित केसों तथा 336 मृत्यु के मामले सामने आये हैं। अतः जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, मेरे पास सारा ब्यौरा उपलब्ध है।

श्री हरिकेश बहादुर : अनेक राज्यों में अनेक लोग एन्सिफलाइटिस के कारण मरे हैं। मंत्री महोदय ने बिहार राज्य के आँकड़े प्रस्तुत किए हैं, परन्तु उन्होने यह प्रकट नहीं किया कि उत्तर-प्रदेश में इस बीमारी के परिणामस्वरूप कितने लोगों की मृत्यु हुई है।

पिछले तीन वर्षों में इस बीमारी के फलस्वरूप मरने वालों की कुछ संख्या कितनी है ? इस बीमारी के रोक-थाम के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? हमारी राय है कि यह बीमारी जापान अथवा कहीं और से उत्पन्न हुई है। इस बीमारी के प्रसार को रोकने तथा इस पर नियंत्रण के लिए सरकार को कुछ कारगर उपाय करने चाहिए।

श्री निहार रंजन लास्कर : जहां तक उत्तर-प्रदेश का सम्बन्ध है, 1979 में सूचित मामले 150 तथा मृत्यु के 72 मामले हैं। 1980 में 3-11-80 तक सूचित मामले 1515 तथा मृत्यु के 494 मामले सामने आये हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोचीन पत्तन की विस्तार परियोजना

*358. **प्रो0 पी0 जे0 कुरियन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन की किसी विस्तार परियोजना का अनुमोदन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और सरकार का विचार परियोजना को कब पूरा करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन पत्तन में (।)पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेट तथा (11) उर्वरकों को जहाजों पर लादने-उतारने की सुविधा का विकास करने के लिए लगभग 31.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से समेकित योजना 3 जुलाई 1980 को मंजूर की गयी थी।

एर्नाकुलम चेनेल में एक नए तेल घाट की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस तेल घाट को इस तरह का बनाया जाएगा कि यहाँ 10.7 मी (35 फुट)।

डुबाव के जहाजों को ठहराया जा सके और भविष्य में यहां समुद्र को और भी अधिक गहरा किया जा सके जिससे यहां 12.2 मीटर (40 फीट) डुबाव के जहाज आ सकें। ऐसा करने से यहां बडे-बड़े टैंकर आ सकेंगे और 10.70 मीटर (35 फीट) डुबाव में खड़े रह सकेंगे। प्रस्तावित क्यू 10 उर्वरक घाट पर 35 फुट डुबाव वाले जहाजों पर माल लादने-उतारने का काम हो सकेगा तथा यहां फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रांवनकोर लिमिटेड द्वारा 4.07 करोड़ रुपये की लागत से माल को लादने-उतारने वाली मशीनें लगायी जायंगी।

इस परियोजना के तीन वर्ष में पूरी होने की संभावना है।

कनिष्ठ महिला डाक्टरों का गर्भ परीक्षण

***361. श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लेडी हार्डिग मेडीकल कालेज एवम् अन्य सम्बद्ध अस्पतालों में हर छः महीने की अवधि के बाद वहां की कनिष्ठ डाक्टरों का गर्भ परीक्षण किया जाता है और गर्भवती डाक्टरों से नौकरी छोड़ने अथवा यदि वे नौकरी पर बनी रहना चाहती हैं तो गर्भपात करवाने को कहा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस कार्य प्रणाली के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1977 में नई दिल्ली के लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल की प्रधानाचार्या से एक प्रस्ताव मिला था जिसमें कहा गया था कि वे महिला जूनियर डाक्टर, जो गर्भवती होती हैं, अपने सख्त क्लिनिकल प्रशिक्षण के साथ न्याय नहीं कर सकती हैं और इससे जहां उम्मीदवार

अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं, वहां रोगी परिचर्या और अस्पताल के कार्य को भी नुकसान पहुंचता है। यह देखा गया है कि गर्भवती मां से रेजीडेंसी योजना के अन्तर्गत निर्धारित कड़ा प्रशिक्षण करवाना उचित नहीं होगा। प्रधानाचार्या द्वारा प्रस्तुत विचारों को देखते हुए सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई है कि यदि जूनियर रेजीडेंसी की कोई महिला प्रत्याशी नियुक्ति से पूर्व गर्भवती पाई जाती हैं तो उसे नियुक्ति न दी जाए, यदि गर्भ नियुक्ति के बाद हो तो रेजीडेंसी की दूसरी टर्म यदि कोई हो, मंजूर न की जाए।

सरकार को इस सम्बन्ध में एक अभिवेदन मिला है।

पहले वर्ष के जूनियर रेजीडेंट सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं बल्कि संविदात्मक प्रशिक्षणार्थी होते हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और यह प्रशिक्षण उनके लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के पात्र बनने के लिए आवश्यक होता है। तथापि इस पूरे मामले में नए सिरे से पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया है ताकि यह निश्चय किया जा सके कि जूनियर रेजीडेंटों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना किस प्रकार वर्तमान स्थिति में अधिक सुधार लाया जा सकता है।

भारतीयों को वापस लेने के लिए यूगांडा सरकार की पेशकश

*365. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगांडा सरकार ने उन भारतीयों को वापस लेने का निर्णय किया है जिन्हें इदी अमीन के शासन काल में यूगांडा से निकाल दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर उन्हें वापस लेने का निर्णय किया है ; और

(ग) ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी०नरसिंह राव) : (क) जी हां, उगांडा सरकार ने कहा है कि भारतीय-मूल के उगांडा राष्ट्रिक खुशी से उगांडा लौट सकते हैं। वहां उन्हें अन्य उगांडा राष्ट्रिकों के बराबर माना जाएगा।

(ख) और (ग) इदी अमीन के पतन के बाद उगांडा नेशनल फ्रन्ट सरकार ने गैर-अफ्रीकियों को व्यापार और उद्यमों का आबंटन करने के सम्बन्ध में 19 मई, 1979 को एक नीति विषयक वक्तव्य जारी किया था। इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि उगांडा सरकार उन प्रतिष्ठानों और व्यवसायों का गैर-अफ्रीकीकरण न तो कर सकती है और न करेगी जिन्हें स्वदेशी उगांडावासियों ने अपने अधिकार में ले लिया था।"

जहां तक गैर-अफ्रीकी उगांडावासियों के व्यवसायों और उद्यमों का प्रश्न है, इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि इनके मालकों को इनमें सरकार के साथ भागीदार होने का स्वाभाविक अधिकार है।

गैर-उगांडाइयों के व्यवसायों और उद्यमों का जहां तक सवाल है, इनके मूल मालिकों को इनमें भागीदारी का स्वाभाविक अधिकार नहीं। उगांडा की सरकार प्रत्येक मामले में सरकार के साथ उनकी सांझेदारी के सवाल पर उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार करेगी।

बताया जाता है कि भारतीय मूल के कुछ ब्रिटिश पासपोर्टधारी लोग उगांडा सरकार के साथ प्रबन्ध संविदाओं पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे कितने लोगों को उगांडा सरकार ने आमंत्रित किया है।

गाड़ियों का पटरी से उतरना

*370. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1979 से 30 नवम्बर, 1979 की अवधि की तुलना में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 के बीच पैसेन्जर गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी घटनाएं हुई और उसमें कितनी हानि हुई; और

(ख) गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जनवरी से नवम्बर, 1980 तथा जनवरी से नवम्बर, 1979 के दौरान यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की घटनाओं की संख्या तथा उसमें अंतर्विष्ट रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत नीचे दिखायी गयी है :—

	जनवरी से नवम्बर 79	जनवरी से नवम्बर 80
यात्री गाड़ियों का पटरी से उतरना	176	220
माल गाड़ियों का पटरी से उतरना	471	490
क्षति की लागत	3,20,83,000 रु0	3,49,63,000 रु0

(ख) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए सबसे बड़ा एक मात्र कारण रेल कर्मचारियों की सरासर उत्तरदायी है,। गाड़ियों के चालन से संबंधित कर्मचारियों में अधिक सतर्कता की जागरूकता पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या लापरवाह तरीके

न अपनाएं जिससे दुर्घटनाएं हों, रेलों के संरक्षा संगठनों को निरंतर अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी तथा माल डिपुओं की मौके पर जांच करने की प्रक्रिया तेज करदी गयी है और रेल पथ के समुचित अनुरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्वों पर निर्भरता कम करने के उदद्देश्य से, पहियों, धुरों तथा पटरियों, धुरा काउंटरों, रेलपथ परिपथन आदि के लिए पराध्वनिकी दोष संसूचकों जैसे परिष्कृत उपस्करों का धीरे-धीरे प्रयोग किया जा रहा है।

दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा तुरन्त निवारक उपाय करने के लिए रेलों पर उच्च स्तरीय कृतिक दलों का भी गठन किया गया है।

सूरत-गढ़ जैसलमेर बड़ी रेल लाइन

***371. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ से जैसलमेर तक राजस्थान नहर के समानान्तर एक बड़ी रेल लाइन बिछाये जाने का एक प्रस्ताव काफी समय से रेलवे बोर्ड के विचाराधीन पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने इस रेल लाइन को बिछाये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कई बार अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेल लाइन के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति कब तक मिल जायेगी और सर्वेक्षण के पश्चात् उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। लेकिन, राजस्थान नहरी क्षेत्र के पहले चरण के लिए परिवहन संबंधी अवसंरचना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, बीकानेर से छतरगढ़ तक एक नयी रेलवे लाइन के सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करने के बाद तथा धन उपलब्ध होने पर और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर, इस लाइन के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

रेल-गाड़ियों में भोजन की किस्म

***372. श्री विजयकुमार यादव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल-गाड़ियों में दिये जाने वाले भोजन की किस्म घटिया हो गई है, लेकिन इसके मूल्य में वृद्धि कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार रेलगाड़ियों में दिए जाने वाले खाद्य-पदार्थों की किस्म में सुधार लाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की किस्म काफी संतोषप्रद है, यद्यपि इसमें आगे सुधार करने की गुंजाइश है ।

रेलों में भोजन की तथा सेवा के मानदण्डों में और सुधार लाने के लिए आधुनिक पाक तकनीक अपनाना, आधुनिक किचिन गजेट तथा उपस्करों, बिजली उपकरणों का उपयोग, आधार रसोईघर स्थापित करना, मानक स्रोतों से कच्चा माल तथा अन्य खाद्यान्न खरीदना, खानपान संस्थानों में खानपान कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, जैसे रेलों ने अनेक उपाय किये हैं ।

विभागीय तथा ठेकेदारों द्वारा संचालित दोनों खानपान स्थापनाओं के कार्य निष्पादन पर निकटता से निगरानी रखी जाती है और जांच की जाती है और अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा नियमित अचानक निरीक्षण किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यात्रीयों को मुहैय्या की गयी सेवा संतोषप्रद है तथा ठेकेदारों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई, सहित शोधक उपाय किए जा सकें और त्रुटि की स्थिति में विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध तत्परता के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके ।

सभी भारतीय रेलों में मीनू तथा थाली भोजन पाश्चात्य ढंग के भोजन, चाय, तथा काफी की सूची दरों में एकरूपकता लाने के उद्देश्य से, कच्ची सामग्री, खाद्यान्न की लागत तथा कर्मचारियों पर अधिक लागत और ऊपरी खर्च को पूरा करने के लिए 15-6-80 से दर-सूची और मीनू में संशोधन किया गया है इसके फलस्वरूप दर-सूची में मामूली वृद्धि हुई है लेकिन यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि परोसा गया भोजन पौष्टिक और उसकी किस्म सतोषप्रद हो ।

मद्रास के लिए तीव्र यातायात प्रणाली (रेपिड ट्रांजिट सिस्टम)

*373. **डा० ए० कलानिधि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के लिए, मद्रास ब्रीच तथा लुज के मध्य एक तीव्र गति की यातायात प्रणाली संबंधी प्रतिवेदन, छठी योजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग को भेजा गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह काम क्यों रुका है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मद्रास बीच से लुज तक 53.46 करोड़ रुपये की लागत से द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए

महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन, मद्रास द्वारा तैयार की गयी परियोजना रिपोर्ट पर इस मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

कैंसर रोधी औषधि का निर्माण

*374. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों ने एक बहुत मंहगी और दुर्लभ कैंसर रोधी औषधि के निर्माण के बारे में सफलतापूर्वक अनुसंधान पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आमतौर पर पैदा होने वाले (सजावटी) पौधे सदाबहार से निकाले गये ऐल्केलाइड विनब्लास्टाइन के उत्पादन पर भारत की विभिन्न प्रयोगशालाओं के भारतीय विज्ञानिकों के कतिपय दलों द्वारा किए गए दावों से सम्बन्धित प्रेस रिपोर्टों की सरकार को जानकारी है । सदाबहार अनेक ऐल्केलाइड्स देने वाला बताया जाता है जिनमें से विनब्लास्टाइन तथा विन्क्रिस्टाइन अपनी-अपनी कैंसर रोधी गुण क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं । वास्तव में, ये दोनों औषधियां बाहरी मुल्कों में पहले से ही बनाई जा रही हैं । इनका पश्चिमी देशों में भी व्यापक क्लिनिकल परीक्षण किए जा चुके हैं और ये फार्माक्लोजी की मानक पाठ्य पुस्तकों में कैंसर रोधी दवा के रूप में शामिल की जा चुकी है ।

प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य सेवा से रहित गांव

*375. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कितने गांवों में प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे राज्यवार ऐसी कितनी प्रतिशत महिलायें तथा बच्चे हैं जिन्हें वर्तमान प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत नहीं लिया गया है ; और

(ग) छठी योजना के अन्त तक उसके कितने प्रतिशत को इन सेवाओं के अंतर्गत लाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि प्रत्येक गांव नियमित संस्थाएं नहीं हैं तथापि सारे देश में महिलाओं और बच्चों को, भले ही उनकी आर्थिक

स्थिति कैसी ही हो, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों तथा परम्परागत चिकित्सकों के माध्यम से किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं। 1980-85 की छठी योजना में ऐसी सेवाओं को बढ़ाने और उनमें और आगे सुधार करने का विचार है।

चीन-पाकिस्तान द्वारा संयुक्त वायु-सेवा अभ्यास

*376. **श्री जगपाल सिंह : क्या** विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष नवम्बर में, अमरीका और चीन के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की भारत और अफगानिस्तान से लगी सीमाओं का निरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि चीन और पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं के निकट संयुक्त वायु सेना अभ्यास किए थे और यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवम्बर, 1980 में अमरीका और चीन के उच्चस्तरीय सैनिक प्रतिनिधिमंडलों ने पाकिस्तान की यात्रा की है। पाकिस्तान में अपने प्रवास के दौरान इन प्रतिनिधिमंडलों ने पेशावर, रिसालपुर और सरगोधा में कुछ सैनिक हवाई अड्डों का भी दौरा किया है जोकि पाकिस्तान-अफगानिस्तान और भारत-पाकिस्तान सीमाओं के करीब हैं। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के नेता प्रशान्त में अमरीकी सेना के कमाण्डर एडमिरल राबर्ट लॉग थे और चीनी दल के नेता वायु सेना अध्यक्ष वांग दिंग लाई थे।

(ग) भारतीय सीमाओं के करीब चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त हवाई अभ्यास किए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

जोधपुर के जिले "जलते दीप" में प्रकाशित समाचार

3360. **आचार्य भगवान देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1980 को जोधपुर के "जलते दीप" में 'रेल द्वारा भेजी गई आठ लाख गाठें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची' शीर्षक समाचार और इस बात की ओर दिलाया गया है कि रेल पार्सल सेवा के जरिए भेजी गई लगभग तीन सौ गांठें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार को इस सम्बन्ध में कितनी वित्तीय हानि हुई है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दुबारा न हों ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 7 अगस्त, 1980 को जोधपुर के 'जलते दीप' में छपी इस खबर का सम्बन्ध 8 लाख रुपये मूल्य के सी० पी० माल की 300 गाठों से न कि 8 लाख गांठों से। जब एक रेलवे पदाधिकारी द्वारा 'जलते दीप' के सम्पादक एवं सम्बन्धित रिपोर्टर से सम्पर्क किया गया, तो वे उक्त परेषणों का कोई ब्यौरा न दे सके। बहरहाल, बलोतरा के व्यापारियों से यह पता लगा है कि उनकी शिकायत केवल बलोतरा से बुक किये गए सी० पी० माल पार्सलों को मार्ग में विलम्ब हो जाने के बारे में है, पार्सलों के गंतव्य-स्थल पर प्राप्त न होने के बारे में नहीं। इस कारण सरकार को कोई वित्तीय हानि हुई प्रतीत नहीं होती।

(ग) रतलाम यानान्तरण स्थल पर सी० पी० गांठों के पार्सलों के रुके रहने के कुछ मामले नोटिस में आए हैं। इसके लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, रतलाम में यानान्तरण के काम की देख-भाल के लिए एक पर्यवेक्षक विशेष रूप से तैनात किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई माल परिहार्य रूप से रुका न रहे।

संयंत्र अधीक्षक, मेरिन अनलोडर प्लांट का कार्यालय

3361. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयंत्र अधीक्षक, मेरीन अनलोडर प्लांट का कार्यालय काण्डला पत्तन के 'सुरक्षित क्षेत्र' में स्थित है ;

(ख) क्या 'काण्डला रटेवेडोर्स एण्ड डाक बर्क्स यूनियन' से उपरोक्त कार्यालय को सार्वजनिक हित में सुरक्षित क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हालांकि कारगो जेटी का सारा क्षेत्र आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत "विशिट स्थल" घोषित है लेकिन चूंकि इस सारे क्षेत्र को "सुरक्षित क्षेत्र" के रूप में कोई सांविधिक घोषणा नही की गई है इसलिए यह सच नहीं है कि प्लाँट सुपरिन्टेन्डेट, मैरिन अनलोडर प्लांट का कार्यालय "सुक्षित क्षेत्र में स्थिति है।

(ख) और (ग) कांडला स्टीवोडोर्स एन्ड डाक बर्कर्स यूनियन की ओर से एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है। इस पर विचार किया गया है। संयंत्र को उचित रूप से और कुशलता पूर्वक

संचालन करने की दृष्टि से प्लांट सुपरिन्टेडेंट के कार्यालय को संयंत्र के साथ ही रखा गया है। इसलिए इस कार्यालय को संयंत्र से दूर स्थित करना उचित नहीं समझा गया है।

पासपोर्ट कार्यालय

3362. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1980 में 'असली भारत' में 'पासपोर्ट कार्यालय का चमत्कार' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच पड़ताल की गई है और ऐसा लगता है कि काम की जल्दी की वजह से यह गलती हो गई है। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ऐसी गलती न हो।

लातूर-मीरज लाइन पर रेल इंजन

3363. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुडुवाडी मीरज मेल (मध्य प्रदेश) को इंजन में खराबी आ जाने के कारण घंटों तक बोहाली और बामनी स्टेशनों (महाराष्ट्र) के बीच 2 अगस्त 1980 को रोका गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि लातूर मीरज मीटर गेज लाइन पर चलने वाले रेल इंजन इतने पुराने हो गये हैं कि वे सुचारु रूप से नहीं चल सकते हैं तथा उनके पुर्जे भी नहीं मिलते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन इंजनों की मरम्मत करने अथवा उनके स्थान पर इंजन लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ 4 घंटे 55 मिनट।

(ख) और (ग) लातूर-मिरज छोटी लाइन है। चूंकि इस खंड पर चल रहे 22 भाप इंजन अपनी उपयोगिता अवधि पूरी कर चुके हैं और इनकी मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए अतिरिक्त पुर्जों पर भारी खर्च करना पड़ता है, इसलिए रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि

इनके बदले उत्तरोत्तर डीजल रेल इंजनों की व्यवस्था की जाय और चितरंजन रेल इंजन कारखाने में इन डीजल इंजनों के निर्माण का कार्यक्रम भी बना लिया गया है। इस बीच भाप के वर्तमान रेल इंजनों के समुचित रख-रखाव के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ये विश्वसनीय रूप से काम करते रहें।

कल्याण निरीक्षकों के पद

3364. **श्री टी० एम० सावन्त :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में मई, 1980 के दौरान कल्याण निरीक्षकों के पदों पर रु० 550-750 तथा 700-900 के वेतनमानों में पदोन्नति की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ग्रेड में कितनी पदोन्नति की गई थीं ;

(ग) क्या पदोन्नतियों के आदेश देते समय 40 सूची रोस्टर पर विचार किया गया था ;

(घ) उत्तर रेलवे में इन पदोन्नतियों को दिए जाने के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के श्रेणी बार कितने रिक्त पदों को आगे लाया गया था और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच श्रेणी-वार कितने रिक्त पदों को आपस में बदलने के लिए उपयुक्त थे ;

(ङ) मई, 1980 के दौरान पदोन्नत किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी थी ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) सूचना क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर अनुदानों का प्रभाव

3365. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा अस्पतालों तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थानों को प्रत्येक वर्ष काफी सहायता अनुदान दिया जा रहा है ;

(ख) क्या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में इन अनुदानों के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन अध्ययन किया गया है ; यदि हां तो उसके क्या प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं के उपयोग के मूल्यांकन का क्या मापदण्ड है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चोरी तथा उठाईगीरी के कारण रेलवे को हानि

3366. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न तथा लौह अयस्क और इस्पात जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिन्सों की बड़े पैमाने पर चोरियां और उठाईगीरी के कारण गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को कितनी हानि हुई ; और

(ख) इस बारे में सरदार ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बुक किये गये परेषणों, जिनमें अनाज तथा लोह अयस्क, इस्पात जैसी अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं, की हानि, चोरी और उठाईगीरी के कारण की गई क्षतिपूर्ति के दावे इस प्रकार रहे हैं :—

वर्ष	बुक किये गये परेषणों की हानि, चोरी और उठाईगीरी के कारण किये गये दावों के लिए दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि
	(रुपयों में)
1977-78	999.88 लाख
1978-79	803.33 लाख
1979-80	735.28 लाख

(ख) बुक किये गये परेषणों की चोरी और उठाईगीरी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सशस्त्र मार्गरक्षियों को प्रभावित खंडों और यार्डों में गश्त लगाने के लिए तैनात किया जाता है ।

2. रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भेद्य बाहरी सिगनलों, इन्जीनियरी प्रतिबंध वाले स्थानों और चढ़ाईवाले उन स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां गाड़ियां धीमी गति से चलती है ।

3. सभी महत्वपूर्ण यार्डों, माल गोदमों और पार्सल कार्यालयों पर चौबीस घंटे रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का पहरा रहता है । बदनाम स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाता ।

4. अनाज, कोयला, इस्पात जैसी अधिक मूल्य वाली वस्तुओं से लदे माल डिब्बे जब ब्लाक लोड के रूप में चलते हैं तो उनके साथ मार्ग रक्षी भेजे जाते हैं ।

5. लदे हुए माल डिब्बों को जब छोटे स्टेशनों पर ठहराया जाता है, तो उन पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का पहरा रहता है ।

6. रेलवे सुरक्षा बल की अपराध आसूचाना शाखा द्वारा अपराधियों और चोरी का माल खरीदने वालों की गतिविधियों के सम्बन्ध में आसूचना इकट्ठी की जाती है और चोरी के माल का पता लगाने और उसे बरामद करने के लिए नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं ।

7. यार्डों में गश्त लगाने और संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कुत्ता दस्तों का भी उपयोग किया जाता है ।

8. चोरी और उठाईगीरी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट समन्वय रखा जाता है ।

9. पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर बिहार की कोयला पट्टी वाले क्षेत्र में एक विशेष उपाय के रूप में हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की 5 कम्पनियों को तैनात किया गया है ताकि धनबाद मंडल के भेद्य खंडों में कोयले के रेक और माल गाड़ियों का मार्ग रक्षण किया जा सके और रेलवे लाइन पर गश्त लगायी जा सके ।

वे देश जिनके साथ भारत का नौहवन सम्पर्क नहीं है ?

3367. **श्री जी० बाई० कृष्णन :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण, दक्षिण-पूर्व तथा पश्चिम एशिया के किन-किन देशों के साथ भारत का भारतीय नौवहन सम्पर्क नहीं है ;

(ख) इन देशों की कौन-कौन सी नेशनल शिपिंग लाइनें भारत के पत्तनों तक आती है ; और

(ग) क्या किन्हीं अन्य देशों की कुछ नौवहन लाइनें भारत और इन देशों के बीच चलती है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इजराइल, ब्रनेई, वियतनाम, कम्पूचिया, पूर्वी ताइमूर, मकाओ और मालदीव ।

(ख) इन देशों की सरकार जहाजी कम्पनियों में से केवल मालदीव के मालदीव शिपिंग लिमिटेड के जहाज भारतीय पत्तनों पर आते हैं ।

(ग) तीसरे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशों की जिन जहाज कम्पनियों के जहाज दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच चलते हैं, वे ये हैं :—

1. मित्सुई ओ. एस. के. लाइन्स लिमिटेड, जापान ।
2. निपन यूसेन काइशा, जापान ।
3. इवरेट ओरियंट लाइन इंक, जापान ।
4. सलोला ग्लोबा युगोस्लाबिया ।
5. जुगोलिर्सजा, यूगोस्लाविया ।
6. फार ईस्ट शिपिंग कम्पनी, हांगकांग ।
7. माइर्स्क लाइन, जापान ।
8. अमेरिकन प्रेसडेंट लाइन, यू. एस. ए. ।
9. ब्लू स्टार लाइन, यू. के.
10. हांगकाँग लाइन्स, हाँगकांग ।
11. मालदीव लाइन, मालदीव ।

कर्नाटक में रेलवे स्टेशन

3368. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में और विशेषकर राज्य के औद्योगिक नगरों में ऐसे रेलवे स्टेशन कितने हैं जिन्हें अतिरिक्त प्लेटफार्म, माल शेडों और साइडिंग लाइनों की दृष्टि से सम्पन्न बनाया जायेगा ; और

(ख) कर्नाटक क्षेत्र में माल की ढुलाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटलपर रख दी जाएगी ।

मिदनापुर तक विद्युतीकरण

3369. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर से मिदनापुर तक विद्युतीकरण का प्रसार किए जाने के संबन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार इस माँग को मानने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जिन अन्य खडों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, उनकी तुलना में मिदनापुर-खड़गपुर खण्ड पर यातायात का घनत्व बहुत ही कम है । अतः इस काम पर पूंजी लगाना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है । इसलिए निकट भविष्य में मिदनापुर-खड़गपुर खण्ड को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुजरात में राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

3370. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या गुजरात सरकार ने भारत सरकार को कुछ राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) किलोमीटर में सड़कों की लम्बाई सहित किए गए इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने नीचे लिखी सड़कों को पांचवी पंचवर्षीय योजना में और बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव किया था :—

क्र०सं०	सड़क	लम्बाई किलोमीटर में
1.	अहमदाबाद-कलकत्ता मार्ग (बरास्ता) सूरत-धुलिया-नागपुर	85
2.	अहमदावाद-भोपाल (बरास्ता) इन्दौर	188
3.	काण्डला-बम्बई तट राजमार्ग (बरास्ता) जामनगर-ओखा-पोरबन्दर-वेरावल-भोवनगर-वटमन-कम्बे-बड़ौदा	996
4.	अहमदाबाद-हैदरावाद मार्ग (बरास्ता) बुल्सर-नासिक-पुणे	84
5.	भावनगर-जामनगर मार्ग (बरास्ता) राजकोट	247
6.	बड़ोदा-भोपाल मार्ग (बरास्ता) गोधरा-इन्दौर मार्ग	133
7.	अहमदाबाद-काण्डला मार्ग (बरास्ता) बेरांवगांव धरंग्धा	190
8.	काण्डला-लखपत मार्ग	184
9.	अहमदाबाद-जयपुर-दिल्ली मार्ग (बरास्ता) मेहसाना-पलनपुर-आबू-ब्यावर	175
10.	बगौदरा-वटमन लिंक रोड	26
11.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क पर गांधीनगर को जोड़ने वाली सड़क जो सरखेज पर समाप्त होती है (चिलोडा-गांव गांधीनगर सरखेज लिंक रोड)	46
	कुल	2354

वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऊपर क्रम संख्या 11 पर निर्दिष्ट सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं घोषित की जा सकी।

नासिक रोड स्टेशन

3371. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन में टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध नही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाएं जुटाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस समय नासिक रोड स्टेशन से न तो कोई गाड़ी आरम्भ होती है और न ही वहां पर समाप्त होती है सिंहस्थ मेले के लिए अतिरिक्त विशेष गाड़ियां सम्हालने हेतु इस स्टेशन पर आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। फिर भी, नासिक रोड स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री गाड़ी टर्मिनल और माल गोदाम की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए चालू वर्ष के बजट में एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने की स्वीकृत दी गई है और यह शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

रेल गाड़ियों में टिकट निरीक्षकों और कण्डक्टरों के लिए सुविधाएं

3372. **प्रो० मधु दन्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले टिकट निरीक्षकों और अपर क्लास कंडक्टरों के हित के लिए विश्राम हेतु रनिंग रूम की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : **(क) और (ख)** नियमित रनिंग कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद जगह खाली होने पर टिकट परीक्षकों और कंडक्टरों को विश्राम की सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति है। इस परिपाटी के अनुसार जहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों के लिए ये सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से रेलों को चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर विश्राम कक्षों का निर्माण करने के लिए कहा गया है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

कमीशन-विक्रेताओं की नियुक्ति

3373. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे-रेलवे स्टेशनों पर जहां सौदा बेचने की व्यवस्था विभाग की ओर से है, रेलवे बोर्ड के कमीशन विक्रेताओं की नियुक्ति सम्बन्धी नीति-निदेश क्या है और क्या इलाहाबाद डिवीजन में इन निदेशों का पालन किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) वर्ष 1978, 1979 और अक्तूबर 1980 के दौरान वर्षवार नियुक्त किए गए कमीशन विक्रताओं के नाम क्या क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे स्टेशनों पर विभागीय खान-पान स्थापनाओं में कमीशन वेंडरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्तमान अनुदेश ये हैं कि आवेदन व्यापक प्रचार के बाद मांगे जाते हैं। तब गुण-दोष के आधार पर प्रवरण करने के लिए अधिकारियों की एक समिति द्वारा आवेदनकर्त्ताओं की जांच-पड़ताल की जाती है।

बहरहाल, किसी कमीशन वेंडर की मृत्यु हो जाने पर, यह काम उसके पुत्र अथवा आश्रित को सौंपा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, किसी कमीशन वेंडर के अत्यन्त बूढ़े, अशक्त और अक्षम हो जाने पर, यह काम उसके पुत्र/कानूनी दृष्टि से दत्तक पुत्र को सौंपा जा सकता है।

इन हिदायतों का इलाहाबाद मंडल पर भी अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस अवधि के दौरान, इलाहाबाद मंडल पर कमीशन वेंडरों की कोई नियुक्ति नहीं की गयी। लेकिन, केवल वर्ष 1980 में कमीशन वेंडरों की मृत्यु के बाद, उनके निम्नलिखित पुत्रों/आश्रितों को यह काम सौंपा गया है :—

1. इलाहाबाद के श्री बृज मोहन सुपुत्र स्वर्गीय श्री दाखीलाल ।
2. टुंडला में स्वर्गीय श्री राम सिंह के स्थान पर श्री छित्तर सिंह।
3. टुंडला में स्वर्गीय श्री दोजी राम के स्थान पर श्री पूरन सिंह।
4. टुंडला में स्वर्गीय श्री गिरराज के स्थान पर श्री हरी शंकर।
5. टुंडला में श्री बालकृष्ण के स्थान पर श्री ओम प्रकाश।

वे देश जहां भारत के वाणिज्य दूत नहीं

3374. **श्री एन० डेनिस :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है जिनमें अभी तक वाणिज्य दूत नियुक्त नहीं किये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : संयुक्त राष्ट्र के 154 सदस्य देशों में से निम्नलिखित में भारत का कोंसली प्रतिनिधित्व नहीं है ;

1) अल्बानिया

2) अंगोला

3) हायती

4) होंडुरास

5) इसराईल

6) साओतोंमे और प्रेन्साइप

7) कम्पूचिया-रिहाइशी मिशन शीघ्र खोला जा रहा है । दक्षिण अफ्रीका में भी न तो हमारा राजनयिक प्रतिनिधित्व है न कोंसली ।

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को साइकिल और स्कूटर अग्रिम ऋण दिया जाना

3375. **श्री कुमबुम एन० नटराजन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो कर्मचारी संघ मद्रास मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के उन कर्मचारियों को स्कूटर और साइकिल अग्रिम ऋण दिए जाने की माँग कर रहा है जो इसके पात्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो पात्र कर्मचारियों को दिए जाने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ; और

(ग) उन्हें उक्त ऋण कब दिया जाएगा ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो कर्मचारी संघ, मद्रास ने केवल साइकिल अग्रिम देने की मांग की थी ।

(ख) 22,250/- रुपये ।

(ग) भुगतान किया जा चुका है ।

मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास का आधुनिकीकरण

3376. **श्री थाम्भाई एम० करुगानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिकल स्टोर संगठनों पर सार्वजनिक व्यय संबंधी समिति की उप-समिति की क्या सिफारिशें हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब भेजा था और उस पर कब तक कार्यवाही पूरी हो जाएगी ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के आधुनिकीकरण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में उक्त उप-समिति का प्रतिवेदन एक बाधा है और यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी समिति के द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि मेडिकल स्टोर संगठन को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाये । उपरोक्त सिफारिशों के समर्थन में कही गयी बातों पर अभी भी विचार किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिये इस प्रक्रिया में कुछ समय और लगने की सम्भावना है । अन्तिम निर्णय ले लिये जाने तक मद्रास के मेडिकल स्टोर डिपो आधुनिकीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति को रिपोर्ट की सिफारिशों को लंबित रखना होगा ।

मद्रास और तूतीकोरिन पत्तन न्यासों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए ठेके

3377. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री मद्रास और तूतीकोरिन पत्तन न्यासों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किए गए ठेकों के बारे में 20 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ठेके दिये गये हैं, यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने ठेके दिये गये हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कितने ठेके दिये गये हैं ;

(ख) पत्तनों विशेषकर मद्रास और तूतीकोरिन में "क्लीयरिंग एजेंसी" आबंटन करने के मानदण्ड क्या हैं ;

(म) गत पांच वर्षों के दौरान मद्रास और तूतीकोरिन में ऐसी कितनी एजेंसियां दी गयी थी और यदि हां, तो कम्पनियों के नाम आदि का ब्योरा क्या है ; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को उपरोक्त एजेंसी दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जुलाई, 1980 में स्कीम के कार्यान्वित होने के बाद मद्रास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को 16 निर्माण कार्यों के ठेके दिये गये । पिछले पांच वर्षों में लगभग 260 ठेके मद्रास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दिये गये जिनमें उक्त 16 ठेके शामिल नहीं हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिये गये ठेकों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है ।

गत 5 वर्षों के दौरान तूतीकोरिन पत्तन द्वारा 674 ठेके दिए गए हैं । अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को दिए गए ठेकों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 'क्लीयरिंग एजेंसी' आवंटन करने के लिए मद्रास और तूतीकोरिन पत्तन न्यासों द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं । 'क्लीयरिंग एजेंटों' की नियुक्ति के लिए लाइसेंस सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दिये जाते हैं ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

जोराई कामाख्यागुड़ी में ऊपरी पुल का निर्माण

3378. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय जोराई कामाख्यागुड़ी और अलीपुरद्वार कोर्ट स्थानों पर ऊपरी पुल के निर्माण करवाने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऊपरी पुलों के निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यदि पुल वर्तमान समपार के बदले में हैं तो अपने हिस्से की लागत और यदि पुल नया है तो सम्पूर्ण लागत वहन करने की सहमति सहित ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से प्रायोजित करने होते हैं । इन स्थानों

पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सतर्कता सम्बन्धी मामले

3379. **श्री शिबु सोरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में गत तीन वर्षों के दौरान, डिवीजन-वार सतर्कता सम्बन्धी कुल कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आरम्भ किए गये सतर्कता के मामलों की रेलवेवार संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	1977-78	1978-79	1979-90	जोड़
मध्य	56	54	111	221
पूर्व	183	216	291	690
उत्तर	299	327	350	976
पूर्वोत्तर	48	94	56	198
पूर्वोत्तर सीमा	199	263	242	704
दक्षिण	112	97	128	337
दक्षिण पूर्व	109	74	217	400
दक्षिण मध्य	162	109	87	358
पश्चिम	236	328	144	708
अन्य इकाइयां	31	37	47	115
जोड़	1435	1599	1673	4707

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान की गयी अनुशासनिक कार्रवाई के फलस्वरूप दंडित किए गये अधिकारियों की संख्या उनके विरुद्ध किए गए जुर्माना/प्रशासनिक कार्रवाई (अन्य प्रशा० दंड) को सूचित करते हुए नीचे दी गयी है :—

रेलवे	1978-78			1978-79			1979-80			3 वर्षों का
	प्रमुख	साधारण	अ०प्र०द०	प्रमुख	साधारण	अ०प्र०द०	प्रमुख	साधा०	अ०प्र०द०	जोड़
मध्य	8	15	14	39	81	2	49	145	30	383
पूर्व	16	183	110	23	116	154	14	190	58	864
उत्तर	30	203	58	21	272	103	46	470	153	1356
पूर्वोत्तर	39	160	47	34	180	42	40	130	25	697
पूर्वोत्तर सीमा	19	134	78	18	85	65	10	119	74	602
दक्षिण	90	98	28	36	305	278	34	351	297	1517
दक्षिण मध्य	61	92	12	49	79	22	38	72	12	437
दक्षिण पूर्व	58	164	47	12	63	24	34	113	30	545
पश्चिम	45	287	128	37	235	115	36	222	91	1195
अन्य इकाइयां	5	12	2	5	11	13	4	8	7	67
जोड़	371	1348	524	274	1427	818	305	1820	777	7664

टिप्पणी : मण्डलवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है ऐसे मामलों की कुल संख्या लगभग 5000 बैठती है और इनमें 8000 अधिकारी शामिल हैं, इसलिए सतर्कता के प्रत्येक मामले का ब्यौरा एकत्रित करना एक भारी विस्तृत काम हो जायेगा।

कोरापुट-रायगड़ा लाइन

3380. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनके मंत्रालय को दक्षिण पूर्व रेलवे की कोरापुट-रायगड़ा रेल लाइन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाइन के निर्माण के लिये निर्णय लेने हेतु उक्त प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सर्वेक्षण तथा उसके लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) दामोनजोड़ी, कोरापुट में एल्युमीनियम/एलूमीना समूह को ध्यान में रखते हुए परियोजना पर शीघ्र स्वीकृति देने हेतु उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) उड़ीसा में कोरापुट के समीप दामनजोदी में 8 लाख मीटरिक टन का प्रस्तावित अल्यूमीनियम कारखाना लगाने के सन्दर्भ में मेसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज द्वारा कोरापुट-सालूर/पार्वतीपुरम/ रायगड़ा के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है । जो सर्वेक्षण हो रहा है, वह एक सिरे पर वर्तमान कोट्टवलासा-किरान्दुल लाइन और दूसरे सिरे पर रायपुर-विजयानगरम के किसी उपयुक्त स्टेशन को जोड़ने के उद्देश्य से एक नयी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए है ।

हावड़ा-समस्तीपुर, पटना-समस्तीपुर और पटना-जमसेदपुर के बीच तेज रेलगाड़ियां

3381. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हावड़ा-समस्तीपुर, पटना-समस्तीपुर और पटना-जमशेदपुर के बीच रांची, बोकारो और धनबाद होकर एक और तेज रेलगाड़ी चलाने की निरन्तर मांग की जा रही है ;

(ख) क्या कलकत्ता, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के विभिन्न सार्वजनिक संगठनों और न्यूजपेपर्स एण्ड पब्लिकेशन्ज लि०, पटना ने रेल मंत्रालय के पास अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त तेज रेल गाड़ियों की सेवा आरम्भ करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हाँ ।

(ग) और (घ) यातायात के औचित्य के अतिरिक्त मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता पर दबाव और टर्मिनल स्टेशनों पर टर्मिनल संबंधी सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण इन मार्गों पर अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाना परिचालन की दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में पुलिस कर्मचारियों द्वारा मुफ्त यात्रा किया जाना

3382. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुलिस निरीक्षक तक के पद के दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों चाहे ड्यूटी पर हो अथवा न हों, चाहे वर्दी में हो या आधी वर्दी में या बिना वर्दी के को इस समय राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने की विशेष सुविधा है ;

(ख) यदि हां, तो किन आदेशों के अन्तर्गत ;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उनको पंक्ति तोड़ने और बस में आराम से बैठने तथा किसी भी स्थान पर निर्गमद्वार से बस में चढ़ने की विशेष सुविधा है जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्गमद्वार से उनको दिल्ली परिवहन निगम की बसों में चढ़ने से रोकने के लिए अनुदेश जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली पुलिस अधिकरण के बीच हुई एक व्यवस्था के अन्तर्गत वर्दीधारी अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति है। एक बस में एक बार केवल दो पुलिस वाले ही बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं।

(ग) और (घ) इस प्रकार की कुछ शिकायतें कुछ समय पहले प्राप्त हुई थी और बस के कण्डक्टरों और ड्राइवरों को यह हिदायतें दी गयी थीं कि बस में, यात्रियों के उतरने वाले रास्ते से पुलिस वालों को चढ़ने न दिया जाय।

सियालदह और हावड़ा डिवीजन में भ्रष्टाचार

3383. **डा० गोलम यजदानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे के सियालदह और हावड़ा डिवीजनों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूर्व रेलवे द्वारा कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : अन्य क्षेत्रीय रेलों की तरह पूर्व रेलवे पर भी वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक के अधीन जो मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी पदनामित हैं, एक पूर्णरूपेण सतर्कता संगठन कार्यरत है। अलग-अलग रेल कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, नागरिकों आदि से प्राप्त सदाशयी शिकायतों/आरोपों/सूचनाओं की जांच करायी जाती है और आवश्यकतानुसार पूछताछ/छानबीन की जाती है। अचानक जांच, छापे आदि के जरिये सतर्कता संगठन निवारक जांच भी करता है ; पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्व रेलवे पर किती बार निवारक जांच की गयी, उसकी संख्या नीचे दी गयी हैं :—

1976-77	1015
1977-78	1030
1978-79	1150
1979-80	1081

ये आकड़े मंडल-वार नहीं रखे जाते, लेकिन मोटे तौर पर इनमें से 30% छापे हावड़ा और सियालदह मंडलों पर मारे गये थे। इन छापों में उत्तरोत्तर तेजी लायी जारही है और चालू वर्ष में भी इस गति को बनाये रखा जा रहा है। वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे कि महत्वपूर्ण गाड़ियों में आरक्षण का क्षेत्र सर्वाधिक संवेदी क्षेत्रों में से एक है। चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 1980 से, पूर्व रेलवे ने हावड़ा और सियालदह मंडलों में क्रमशः 74 और 31 गाड़ियों में छापे मारे हैं। इसी प्रकार हावड़ा और सियालदह मंडलों में आरक्षण कार्यालयों में भी 24 और 31 बार छापे मारे गये हैं।

केन्द्रीय सचिवालय से होकर रात्री बस सेवा

3384. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की कतिपय रात्रि बस सेवाएं हैं ;

(ख) यदि हाँ, यो क्या केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल के लिए विशेषकर संसद के सत्र के दौरान केन्द्रीय सचिवालय समूह में नियुक्त बहुत से सरकारी कर्मचारियों को जब सत्र का काम करने के लिए देर तक बैठना पड़ता है कोई रात्रि बस सेवा नहीं है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार संसद के सत्रों के दौरान सभी रात्रि बस सेवाओं को केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल से होकर चलाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होते हुए दिल्ली गेट तक दिल्ली परिवहन निगम की मेल कराने वाली बस सेवा आरम्भ की जायेगी जिससे यात्री सभी रात्रि बसों को ले सकें ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) आमतौर पर, केन्द्रीय सचिवालय जैसे आफिस काम्प्लैक्सों पर रात को इतने यात्री नहीं होते कि उनके लिए वरास्ता केन्द्रीय सचिवालय या केन्द्रीय सचिवालय से पूरी बस चलाई जा सके। इस समय जो रात्रि-बस-सेवाएं चल रही हैं, वे ठीक-ठाक चल रही हैं और उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नही जान पड़ता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के भंडार में अनियमितताएं

3385. श्री सूरज भान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 में केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के एक अधिकारी ने भंडारों के माल की जांच की थी और एक वृहद रिपोर्ट में, ब्यूरो के भंडार में पाई गई कमियों, खयानतों और अनियमितताओं पर प्रकाश डाला था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं। तथापि, 1978 में केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के एक अधिकारी द्वारा माल की जांच की गई थी और इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो को 20-12-1978 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल

3386. श्री आर० पी० सारंगी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रमुख पत्तनों में 28 नवम्बर, 1980 से हुई अनिश्चित कालीन हड़तालों की स्थिति क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा हड़ताल को टालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के प्रश्न पर दिनांक 26 नवम्बर, 1980 को वार्ता के लिए भारतीय पत्तन गोदी मजदूर संघ (अखिल भारतीय संगठन) नामक बी० एम० एस० से संबद्ध संगठन को छोड़कर अन्य चार संगठनों को क्यों बुलाया गया है ;

(घ) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों की द्विपक्षीय मजदूरी निर्धारण समिति भंग हो गई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) सरकार द्वारा द्विपक्षीय मजदूरी निर्धारण समिति में भारतीय पत्तन और गोदी मजदूर संघ के प्रेक्षक सदस्य को कई बैठकों में भाग लेने के लिए मिलने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्ता जैसे उन अधिकारों से वंचित क्यों किया गया है जो भूतपूर्व संगठनों के सदस्यों को मिलते थे ; और

(च) उपरोक्त समिति के बैठकों के लिए कितना धन खर्च किया गया है और किस कार्य के लिए खर्च किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेंद्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने 26, 27 और 28 नवम्बर, 1980 को नीचे लिखे पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के बीच चार फेडरेशनों के साथ बातचीत की थी। फलस्वरूप, कर्मचारियों को 1-1-80 से देय वेतन के संशोधन के बारे में कुछ खास-खास मसलों पर, जिनको लेकर फेडरेशनों ने हड़ताल की धमकी दी थी, 28.11.80 को समझौता हो गया।—

1. आल इन्डिया पोर्ट एण्ड डाक वरकर्ज फैडरेशन,
2. इन्डियन नैशनल पोर्ट एण्ड डाक वरकर्ज फैडरेशन,
3. पोर्ट डाक एण्ड वाटर फ्रंट वरकर्ज फेडरेशन आफ इण्डिया,
4. वाटर ट्रांसफोर्ट वरकर्ज फेडरेशन आफ इण्डिया।

इस समझौते के बाद चारों महासंघों ने हड़ताल के नोटिस वापस ले लिए।

उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित चार फेडरेशन अधिकांश पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़े-बड़े पत्तनों के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों में भारतीय पोर्ट डाक मजदूर संघ के बहुत कम अनुयायी हैं।

(घ) मई, 1980 में गठित द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति निष्फल हो गई क्योंकि प्रबंध द्वारा श्रमिकों की मांगे स्वीकार्य न होने के कारण बातचीत स्थगित हो गई थी। इस समिति को भंग करने पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) भारतीय पोर्ट डाक मजदूर संघ का प्रतिनिधि द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति में सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था। उसे केवल प्रेक्षक के रूप में बैठक में आने की अनुमति दी गई थी। इसलिए अन्य फेडरेशनों के प्रतिनिधियों की तरह, जो उस समिति के नियमित सदस्य नियुक्त किए गए थे, वह यात्रा/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं था।

(च) द्विपक्षीय वेतन संशोधन समिति पर 1,85,249 रु० खर्च हुआ। ब्यौरा इस प्रकार है :—

		रु०
1.	सचिवालय सम्बन्धी खर्चे	23,620
2.	यात्रा व्यय	1,05,186
3.	परिवहन और सवारी खर्च	4,454
4.	समिति की बैठकों पर व्यय	51,989
	कुल	1,85,249

लिम्का के विज्ञापन

3387. श्री धर्मदास शास्त्री :

श्री ई० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि शीतलपेय लिम्का को विज्ञापन पट्टों, समाचार पत्रों और अन्यत्र भी कमकलोरी वाले पेय के रूप में विज्ञापित किया जाता है और पतली कमर वाली पतली लड़कियों को "स्लिम का टाइम्स एण्ड लिम्का टाइम्स" शीर्षक वाले विज्ञापन विभिन्न शहरों में प्रदर्शित किए गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लिम्का कलोरियों की लगभग उतनी ही मात्रा होती है जितनी कि अन्य मार्कों वाले अन्य नीबू और कोला युक्त शीतल पेयों में होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव लिम्का बनाने वाली कम्पनी को लोगों को धोखा देने के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत मुकदमा चलाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क)

विज्ञापन पट्टों पर प्रदर्शित वह विज्ञापन सरकार के ध्यान में आया है जिसमें "स्लिम का टाइम्स, लिम्का टाइम्स" कहते हुए पतली-पतली लड़कियां दिखाई गई हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कमीशन लेने वाले बहरा

3388. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में 476 में से 236 कमीशन पाने वाले बहराओं को दिनांक 30-6-1978 के आर्डर संख्या सी-52/4/वी-बी/एब्सौब/कैटेग/वोल्यूम II कलकत्ता को क्रियान्वित न किये जाने के कारण नियमित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कमीशन पाने वाले इन बहराओं को भारतीय रेलवे के अन्य चतुर्थ श्रेणी रेलवे कर्मचारियों की भांति पास, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, पी०टी०ओ० की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पूर्व रेलवे पर 478 कमीशन बेयरों में से, 230 को श्रेणी IV के नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित कर दिया गया हैं। शेष बेयरों को नियमित करने के सम्बन्ध में मामला रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

चूंकि कमीशन बेयरे नियमित रेल कर्मचारी नहीं हैं और वे कमीशन के आधार पर काम करते हैं, इसलिए वे इन सुविधाओं के पात्र नहीं हैं।

मरमुगाओ पत्तन न्यास द्वारा लदान अधिभारों में वृद्धि

3389. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा भय व्यक्त करने वाली शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मरमुगाओ पत्तन न्यास द्वारा लदान अधिभारों में वृद्धि के फलस्वरूप गोआ से लौह अयस्क का निर्यात पूरी तरह रुक जायेगा और फलतः अयस्क खानें बन्द हो जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त लदान अधिभार लागू करने से पूर्व इस पहलू पर विचार कर लिया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है, और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) मार्मुगाओ पत्तन में निर्यात किए जाने वाले कच्चे लोहे को मशीनों वाले संयंत्र के द्वारा रखने-उठाने के लिए भाड़े की दर तदर्थ आधार पर 23 रुपये प्रति टन निश्चित की गयी थी जो 1.10.79 से लागू है। इस दर में संशोधन के लिए 1980-81 में विचार किया जाना था। तदनुसार, मार्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट ने जुलाई, 1980 में इस को संशोधित कर यह प्रति टन 30/- रु० कर दी। गोआ मिनरल ओर एक्सपोर्टज एसोसिएशन ने इस लदान दर में वृद्धि के विरुद्ध प्रतिवेदन दिया। इस प्रतिवेदन पर मार्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के परामर्श से सरकार ने विचार किया। निर्यातकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की जांच करने के और आंकड़ों की पुनः समीक्षा करने के बाद, पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड ने अब यह दर प्रति टन 30/- रु० से घटाकर प्रतिटन 27.56 रु० कर दी है जो सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी और अधिसूचित की जा चुकी है।

पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में यात्री यातायात सेवा

3390. **श्री त्रिदिब चौधरी :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में यात्री यातायात सेवा के निरन्तर बिगड़ने तथा कलकत्ता-सियालदह आने जाने वाले दैनिक यात्रियों के लिए स्थानीय गाड़ियों के देरी से चलने के बारे में यात्रियों द्वारा की गयी शिकायत की ओर दिलाया गया है; और

(ख) शिकायतों को दूर करने तथा सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलें पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में दैनिक-यात्रियों की समस्याओं से पूरी तरह परिचित है। सियालदह मंडल में उपनगरीय गाड़ियों के संचालन पर मुख्यतः शरारती तत्वों की गतिविधियों चोरियों और अतिरिक्त पुर्जों की सीमित उपलब्धता का दुष्प्रभाव पड़ा है। मौजूदा कठिनाइयों के बावजूद रेलें उपनगरीय गाड़ियों से सम्बन्धित अनियमितताओं को दूर करने के लिए निवारक उपाय कर रही हैं। सियालदह मंडल पर 8 सवारी डिब्बों वाले बिजली गाड़ी के रेकों में से अधिकांश के बदले 9 सवारी डिब्बों वाले रेक लगा दिये गये हैं। ज्यों ही बिजली गाड़ी के अतिरिक्त सवारी डिब्बे उपलब्ध होंगे, वर्तमान 8 सवारी डिब्बों वाले रेकों को 9 सवारी डिब्बों वाले रेकों में बदल कर और राहत प्रदान की जायेगी। शरारती तत्वों की गतिविधियों

पर नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ भी निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक

3391. **श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी** : क्या नौहवन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के परिवहन मन्त्रियों की पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी बैठकें हुई हैं ?

(ख) क्या सरकार का विचार उन बैठकों में लिए गए निर्णयों की एक प्रति को सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) उनमें हिमाचल प्रदेश के परिवहन मन्त्री ने क्या सुझाव दिए हैं और सरकार का उन सुझावों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है, तथा उनका ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पिछले एक साल मे, राज्यों के परिवहन मंत्री सिर्फ अगस्त, 1980 में हुई परिवहन विकास परिषद की बैठक में एक बार आपस में मिले । परिषद् की सिफारिशों में अलग-अलग विषय पर सलाह दी जाती है और हम उन सभी सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं । परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां संसद के सभा पटल पर रखने की न तो परिपाटी रही है और न ही ऐसा जरूरी समझा गया है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने परिवहन विकास परिषद् की बैठक में विचार-विमर्श के दौरान ये-ये बातें रखीं :—

1. चेसिस सप्लाई करने के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य को वरीयता दी जाय,

2 हिमाचल प्रदेश का नाम ईस्ट जोन परमिट स्कीम में एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाए,

3. इस्पात और सीमेंट जैसी जरूरी चीजों के अभाव के कारण सड़कों के निर्माण-कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए राज्य सरकार को अधिक इस्पात और इस्पात की छड़ें आबंटित की जाएं ।

4. पर्यटकों के बढ़ते हुए यातायात को नियंत्रित करने के लिए टूरिस्ट टैक्सियों के परमिट भी बढ़ाए जाएं ।

यह फैसला किया गया था कि चेसिसों की सप्लाई के बारे में चेसिस निर्माताओं और राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उसमें विचार-विमर्श किया जाए। तदनुसार, क्षेत्रीय बैठकें बुलाने की योजना बनाई गई है। 31-10-1980 को एक बैठक बुलाई गई जिसमें उत्तरी राज्यों के राज्य सड़क परिवहन निगमों की चेसिस सम्बन्धी आवश्यकताओं के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया। लेकिन, हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं आए। जहां तक हिमाचल प्रदेश का नाम ईस्ट जोन की जोनल परमिट स्कीम में शामिल करने का सवाल है सितम्बर, 1980 में अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट किया गया था कि एक ऐसे राज्य को जो पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के साथ नहीं लगता, पूर्वी क्षेत्र स्कीम में शामिल करना संभव नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में 10 राज्य आते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं :—बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और आसाम। टूरिस्ट टैक्सियों के परमिटों की संख्या में वृद्धि करने का मामला विचाराधीन है।

अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार

3392. **श्री मोखा भाई :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में रेलवे के प्रत्येक मण्डल में जन जातियों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में नियुक्त नहीं किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी हां।

मोजाम्बीक के साथ सहयोग-करार

3393. **श्री केशवराय पारथी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोजाम्बीक को कृषि, लघु उद्योग, रेलवे में सुधार और विस्तार, रबड़ और चाय उद्योगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग देने पर सहमत हो गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस करार का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) इस विषय पर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। लेकिन इन क्षेत्रों में सहयोग के ब्यौरे उस सहमत कार्यवृत्त में शामिल किए गए हैं जिस पर मोजाम्बिक के पत्तन और सड़क परिवहन मंत्री की भारत यात्रा के अन्त में 29-10-1980 को हस्ताक्षर किए गए थे। कृषि के क्षेत्र में सहयोग के अन्तर्गत फसलों, कृषि पर आधारित उद्योगों और अनुसंधान पर सहयोग किया जाएगा। चार विशेषज्ञों के एक दल को रबड़ बागानों के अध्ययन के लिए मोजाम्बिक भेजा जाएगा और बाद में वहां इस प्रकार के बागान लगाने की संभाव्यता का अध्ययन किया जाएगा। भारत और मोजाम्बिक चाय संसाधन में और चाय

संसाधन फैक्टरियां लगाने में सहयोग करेंगे । मोजाम्बिक के ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर लघु उद्योगों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक छोटा-सा दल भेजा जाएगा । भारत रेल तकनीकी और आर्थिक सेवा मोजाम्बिक राज्य रेलवे को प्रबन्ध व्यवस्था में सहयोग देगी । भारत रेल तकनीकी और आर्थिक सेवा और मोजाम्बिक राष्ट्रीय रेलवे और रेलवे निदेशालय के बीच सिद्धान्त रूप से एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं । रेल पटरी के निर्माण, पुनःस्थापना, रखरखाव सिविल निर्माण कार्य, केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली लागू करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग के ब्यौरे यथा समय तय किए जाएंगे ।

नीलाचल एक्सप्रेस में अप्रैल 1980 से 31 अक्तूबर तक हुई चोरी के मामले

3394. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलाचल एक्सप्रेस के यात्रियों द्वारा अप्रैल, 1980 से 31 अक्तूबर तक चोरी के कितने मामले पंजीकृत कराए गए ;

(ख) क्या सरकार की इस गाड़ी को विभिन्न बड़े स्टेशनों पर पानी की पूर्ति करने में रेलवे कर्मचारियों द्वारा गलत अवहेलना करने की जानकारी है ; और

(ग) अपराधों को रोकथाम और यात्रियों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने वाले सम्बन्धित कर्मचारियों को दंड देने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप्रैल से अक्तूबर 1980 की अवधि के दौरान नीलाचल एक्सप्रेस के यात्रियों द्वारा पुलिस के पास डकैती का एक मामला तथा चोरी के 25 मामले दर्ज कराये गये थे ।

(ख) सम्बन्धित रेलवे को इस सम्बन्ध में यात्रियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । प्रारम्भिक स्टेशनों अर्थात् पुरी और नयी दिल्ली में सवारी डिब्बों की ऊपरी पानी की टंकियां पूरी तरह पानी से भरी जाती हैं और गाड़ी के छूटने से पहले प्लेटफार्म पर इनकी जांच की जाती है । गाड़ी चालन के दौरान ऊपरी टंकियों की अप और डाउन दोनों दिशाओं में महत्वपूर्ण मार्गवर्ती स्टेशनों पर जांच की जाती है और इन्हें पुनः पानी से भरा जाता है ।

रेलों द्वारा पानी की ट्रालियों पर पेय जल की भरी बाल्टियों और घड़ों को रखकर पानी वालों के जरिए पेय जल की सप्लाई करने के प्रबन्ध किये गये हैं । ये ट्रालियां गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमती रहती हैं । इसके अलावा, यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफार्मों पर पानी की टोटियां, नल शीतक आदि की भी व्यवस्था की गयी है ।

(ग) चूंकि रेल कर्मचारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में रेलों के नोटिस में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं आयी है, अतः सम्बन्धित कर्मचारियों को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गाड़ी में चोरी और लूटपाट/डकैती के मामलों की रोकथाम करने के लिए नीलाचल एक्सप्रेस में रात्रि के समय पुलिस के सशस्त्र कर्मचारी मार्गरक्षी के रूप में चलते हैं। अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। चल टिकट परीक्षकों/कंडक्टरों/परिचरों को हिदायत दी गयी है कि वे सवारी डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सतर्क रहें।

जोधपुर से भीलड़ी तक चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को अहमदाबाद तक चलाया जाना

3395. **श्री विरदा राम फूल वाडिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर से भीलड़ी बरास्ता समदारी चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को अहमदाबाद तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव सरकार द्वारा कब तक स्वीकार किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वर्तमान 265/266 जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों के कुछ डिब्बे पहले से ही 65/66 भुज एक्सप्रेस/फास्ट सवारी गाड़ियों के साथ लगाये जा रहे हैं। इस प्रकार भिलड़ी के रास्ते जोधपुर और अहमदाबाद के बीच सीधी गाड़ी की व्यवस्था मौजूद है। भिलड़ी-अहमदाबाद के कुछ खंडों में लाइन क्षमता के अभाव के कारण जोधपुर-भिलड़ी गाड़ी को अहमदाबाद तक लाना परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। ऐसा करने के लिए अहमदाबाद-भिलड़ी खंड पर मौजूदा 65/66 भुज एक्सप्रेस/फास्ट सवारी गाड़ी का चालान क्षेत्र कम करना होगा जिसका कि वर्तमान उपयोगकर्ताओं द्वारा घोर विरोध किया जायेगा क्योंकि भुज आने-जाने वाली इन गाड़ियों से अहमदाबाद और गांधीधाम (पालनपुर के रास्ते) के बीच के मीटर लाइन मार्ग में रात भर में यात्रा पूरी की जा सकती है।

प्रति वर्ग किलोमीटर के लिए रेलवे लाइन

3496. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में उस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से रेल लाइन की लम्बाई कितनी है ;

(ख) देश का कितना क्षेत्र रेल लाइनों से घिरा हुआ है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकार के लक्ष्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकाजुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जिन राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में रेल लाइनें नहीं हैं, वे हैं मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली लक्षद्वीप और मिजोरम ।

(ग) 118.5 कि०मी० नयी लाइनें यातायात के लिए खोल दी गयी हैं और अन्य 222.25 कि०मी० नयी लाइनों को यातायात के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ।

विवरण

राज्य	प्रति वर्ग कि०मी० क्षेत्र मार्ग कि०मी०	प्रति लाख जनसंख्या पर मार्ग कि०मी०
1	2	3
आन्ध्र	0.017	10.83
असम	0.028	15.03
बिहार	0.031	9.42
गुजरात	0.029	21.24
हरियाणा	0.033	14.50
हिमाचल प्रदेश	0.005	7.31
जम्मू और कश्मीर	0.0003	1.67
कर्नाटक	0.016	10.28
केरल	0.024	4.30
मध्य प्रदेश	0.013	13.76
महाराष्ट्र	0.017	10.38
मणिपुर	—	—

1	2	3
मेघालय	—	—
नागालैंड	0.001	1.80
उड़ीसा	0.012	8.89
पंजाब	0.042	15.73
राजस्थान	0.016	21.76
सिक्किम	—	—
तमिलनाडु	0.029	9.28
त्रिपुरा	0.001	0.75
उत्तर प्रदेश	0.030	9.98
पश्चिम बंगाल	0.042	8.40
अंडमान निकोबार द्वीप	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—
चंडीगढ़	0.096	3.67
दादरा और नागर हवेली	—	—
दिल्ली	0.113	4.10
गोवा, दमन और दीव	0.028	8.78
लक्ष्यदीप	—	—
मिजोरम	—	—
पांडिचेरी	0.056	5.40
समस्त भारत	0.019	11.12

पश्चिमी बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोला जाना

3397. श्री जैनुल बशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के पश्चिमी बिहार क्षेत्र में 5000 से अधिक सरकारी कर्मचारी रहते हैं :

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके लिए क्षेत्र में कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यह कब तक काम करना आरम्भ कर देगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को नई दिल्ली के पश्चिम बिहार क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सही-सही संख्या का पता नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) यदि उपयुक्त स्थान मिल जाएगा तो चालू वर्ष में इस औषधालय के खोले जाने की सम्भावना है।

विशेष रेलगाड़ी में गेहूं का न मिलना

3398. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पट्टी अमृतसर से दिल्ली पहुंची विशेष रेलगाड़ी से 42 लाख रुपये मूल्य की गेहूं गुम पायी गयी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 3-11-1980 को, पट्टी से सब्जीमंडी तक गेहूं से लदे 59 माल डिब्बों वाली एक खाद्यान्न विशेष गाड़ी सब्जीमंडी पहुंची जिसमें पट्टी स्टेशन की सीलें सही सलामत थीं तथा खुले

माल डिब्बे तिरपालों से विधिवत ढके हुए थे तथा उसकी रस्सियां समुचित रूप से बंधी हुई थीं। 3-11-80 और 4-11.80 को सब्जीमंडी माल शेड में माल उतारते समय लगभग 1,08,277 रु० मूल्य की गेहूं की पूरी 305 बोरियां तथा 832.90 क्विंटल खुला गेहूं कम पाया गया। परेषण को 'जैसा उसमें माल था' रेलवे रसीद पर बुक किया गया था और पट्टी स्टेशन पर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा माल का लदान किया गया था तथा रेल कर्मचारियों द्वारा उसका पर्यवेक्षण नहीं किया गया था। पट्टी और सब्जीमंडी स्टेशनों के बीच रेल में परेषण के साथ कोई अनुसूचित छेड़-छाड़ नहीं की गयी मालूम पड़ती है क्योंकि बन्द माल डिब्बों की सील तथा खुले माल डिब्बों के तिरपाल ठीक बुकिंग स्टेशन से गन्तव्य स्टेशन तक सही सलामत थे।

(ग) राजकीय रेलवे पुलिस नयी दिल्ली ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409/420 और 120 (ख) के अन्तर्गत अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 667/80 दिनांक 12-11-80 के अधीन मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने जांच-पड़ताल प्रारम्भ कर दी है।

(घ) मामले की अभी छानबीन की जा रही है।

कटक शहर में उपरि पुल

3399. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री कटक रेलवे फाटक पर प्रस्तावित उपरि पुल के बारे में 13 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक शहर के रेलवे फाटक पर प्रस्तावित उपरि पुल के निर्माण के लिए उड़ीसा की सरकार को सही स्थान और पूर्व अनुमान का ब्यौरा भेज. के लिए किस तारीख को निर्देश दिया गया था ;

(ख) रेल विभाग ने इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए अब क्या कार्यवाही की है ;

(ग) जनता तथा राज्य सरकार ने पहली बार किस तारीख को केन्द्रीय सरकार से प्रस्तावित उपरि पुल का निर्माण करने की मांग की थी ; और

(घ) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 26-10-1978।

(ख) प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के सही स्थान निर्धारण, अनुमान और लागत वहन करने की शर्तें स्वीकार करने के सम्बन्ध में ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए उड़ीसा सरकार को कई बार स्मरण कराया गया है।

(ग) सही तारीख मालूम नहीं है। बहरहाल, 1972-73 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताय शामिल किया गया था लेकिन राज्य सरकार का अनुमोदन न मिलने के कारण इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था।

(घ) प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में है। भाग (ख) में उल्लिखित ब्यौरा प्राप्त होने पर रेलवे द्वारा आगे शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

देश में कैंसर सम्बन्धी सर्वेक्षण

3400. **श्री जगपालसिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कैंसर रोग सम्बन्धी सर्वेक्षण कराने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) इस समय देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या कैंसर रोग से ग्रस्त है और उसमें पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात कितना कितना है ; और

(ग) क्या ऐसा कैंसर रोग के कारण ही है कि देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है ; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं। वैसे, सरकार ने छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री तथा देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी चारों जोनों में क्षेत्रीय कैंसर रजिस्ट्रियां खोलने का निर्णय किया है।

(ख) कैंसर के रोगियों तथा इस रोग से होने वाली मोतों के बारे में पूरे देश में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। कैंसर न ही सूचनीय तथा न ही रजिस्ट्रेबल रोग है। केवल शहरी बम्बई के लिए उपलब्ध आंकड़ों से अनुमान लगाया जाता है कि प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे 85 नये व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाते हैं।

(ग) कैन्सर सम्बन्धी आंकड़े न होने के कारण इस प्रकार का कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है।

कुष्ठ रोग के टीके का विकास (वेक्सीन अगेन्स्ट लैपशसी डेवलप्ड) शीर्षक का समाचार

3401. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में कुष्ठ रोग के टीके का विकास शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या ऐसे टीकों का रोगियों पर परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो ऐसे टीके के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इन टीकों के और परीक्षण के बारे में कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग मांगा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां। कैंसर अनुसंधान संस्थान, बम्बई में आई० सी० आर० सी० बेसिलस नाम के एक जीव का सवंर्धन किया जा रहा है। यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या मारे गए आई० सी० आर० सी० दण्डाणुओं का टीका लगाने से शरीर में कुष्ठ रोग के प्रति रोगक्षमता पैदा होती है या नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने 28 और 30 नवम्बर, 1980 को इस सामग्री का निरीक्षण किया और अपने अध्ययन में उपलब्ध वैज्ञानिक सामग्री का अध्ययन किया। इस दल की पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस संस्थान ने यह दावा किया है कि उसने यह देखने के लिए कि यह वैक्सीन इस रोग के प्रति रोगियों की प्रतिरोधी शक्ति को बढ़ाती है या नहीं, कुष्ठ रोग से पहले से पीड़ित कुष्ठ रोगियों पर इसकी आजमायश की थी।

(ग) उपयुक्त (क) भाग में उल्लिखित विशेषज्ञ दल परिणामों का विश्लेषण कर रहा है। कुष्ठ रोग से बचाव के लिए इस वैक्सीन की गुणकारिता की पुष्टि किए जाने से पूर्व और भी परीक्षण किए जाएंगे।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस काम में कोई विदेशी सहायता अथवा सहयोग निहित नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित श्रेणी के रेल पास

3402. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम : व्यवसाय पदनाम और पते क्या हैं जिन्हें प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के निःशुल्क रेल पास दिए गए हैं ;

(ख) ये पास किन नियमों के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार इन निशुल्क पासों से की गयी यात्राओं पर रेल विभाग द्वारा कितना व्यय किया गया ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूची इस रूप में तैयार नहीं की जा रही है जिस रूप में यह माँगी गयी है। बहरहाल, इसे संकलित करने में प्रयास किए जा रहे हैं और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) इस प्रकार के पास जारी करने के लिए मोटे तौर पर निर्धारित मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त नीचे दिए गए हैं :—

1. सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेल-कूद और शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बद्ध वे संस्थाएं और संगठन जो अखिल भारतीय आधार पर काम करते हैं।

2 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों, महिलाओं, नेत्रहीनों और विकलांग व्यक्तियों, आदि से सम्बद्ध संगठन।

3. सुप्रसिद्ध व्यक्ति जो राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कामों में लगे हैं, जिनके लिए उन्हें बहुधा यात्रा करनी पड़ती है।

उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर, व्यक्तियों/संगठनों को आम तौर पर मानार्थ रेलवे कार्ड पास रेल मंत्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किए जाते हैं।

(ग) मानार्थ कार्ड पासों के आधार पर की गयी यात्राओं पर होने वाले खर्च के आंकड़े नहीं रखे जाते।

मध्य प्रदेश में गाड़ियों में डाके और लूट की घटनाएं

3403. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इन्दौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, शांजापुर भटाऊं के बीच चलने वाली गाड़ियों में जून, 1980 से सितम्बर, 1980 की अवधि के दौरान लूट और डकैती की कुल कितनी घटनाएं हुई ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

रल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जून से सितम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में इन्दौर और महु तथा गौतमपुरा रोड और फतेहाबाद स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियों में डकैती की दो घटनाएं हुई है। इस अवधि

के दौरान, उपर्युक्त क्षेत्रों में डकैती या लूटपाट की अन्य कोई घटना नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में भटाऊ नाम का कोई स्टेशन नहीं है।

(ख) पुलिस द्वारा दोनों मामले दर्ज कर लिये गये थे और इनकी तफतीश की जा रही है।

गाड़ियों में लूटपाट और डकैतियों की रोकथाम के लिए, इन खंडों में रात के समय चलने वाली सभी सवारी गाड़ियों में राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र कर्मचारी मार्ग-रक्षियों के रूप में चल रहे हैं। इनके सहयोग के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारी भी साथ रहते हैं। अपराधियों की हरकतों और गतिविधियों पर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है।

माल की ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिटों का जारी किया जाना

3404. **श्री दिलाप सिंह भूरिया :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने सड़क के रास्ते माल की ढुलाई के लिए राज्यवार, कितने-कितने परमिट जारी किए हैं ;

(ख) क्या सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों और शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय परमिट जारी करने की व्यवस्था करने सम्बन्धी किसी योजना पर विचार करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत सरकार माल परिवहन की गाड़ियों के सम्बन्ध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नेशनल परमिट जारी करने की जो संख्या आवंटित की है वह इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	राष्ट्रीय परमिट जारी किए जाने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या
आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल	प्रत्येक के 900
राजस्थान, तमिलनाडु तथा दिल्ली	प्रत्येक को 800
हिमाचल प्रदेश, तथा जम्मू और कश्मीर और	प्रत्येक को 600

गोवा और दमन और दीव	प्रत्येक को 500
त्रिपुरा	400
मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, मिजोरम और पाण्डीचेरी	प्रत्येक को 100

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों जैसे आदिवासियों तथा पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्यिों को राष्ट्रीय परमिटों के आवटन में प्राथमिकता प्रदान की जाय मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 55 (1ख) के अधीन राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे यथानिर्धारित प्रतिशत के आधार पर समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सार्वजनिक वाहन के परमिट आरक्षित रखें। इन व्यक्तियों को किस प्रकार वरीयता प्रदान की जाय, यह भी इस अधिनियम की धारा 55 (I ख) (ख) के अधीन निर्धारित किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टायफाइड रोग का फैलना

3405. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टायफाइड रोग के प्रसार का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में राजस्थान राज्य को भी सम्मिलित किया गया था ;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में वस्तुतः सर्वेक्षण किया गया था और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या स्वास्थ्य के इस खतरे का सामना करने की कोई केन्द्रीय योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) इस मंत्रालय ने ऐसा कोई सर्वेक्षण करने के बारे में सोचा ही नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विस्तारित टीका कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979 से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को टाइडाइड रोधी टीका लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत टीका लगाने के लिए भारत सरकार राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को टाइफाइड वैक्सीन सप्लाई करती है। निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल देने और मानव मल के सही निपटान की एक योजना शुरू की गई है।

हतिया-रांची- कलकत्ता के बीच अतिरिक्त रेल सेवाएं

3406. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची और हतिया में कलकत्ता- मुजफ्फरपुर और पटना जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ होती है ;

(ख) क्या हतिया-रांची-कलकत्ता और दतिया-रांची-पटना और मुजफ्फरपुर के लिए अतिरिक्त रेल सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो नई रेल सेवाएं कब तक शुरू करदी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) जी नहीं । यातायात के औचित्य की कमी के अतिरिक्त, मार्गवर्ती खंड़ों पर लाइन क्षमता की कमी तथा टर्मिनल संबंधी कठिनाइयों के कारण परिचालनिक दृष्टि से भी इन स्थानों के बीच नयी गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है लेकिन, रांची-पटना के यात्रियों के लिए, 23/24 हतिया-पटना एक्सप्रेस गाड़ी में 4 अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

पंसकुरा-हल्दिया लाइन

3407. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के पंसकुरा-हल्दिया स्टेशन से दूसरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं । यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पांशकुड़ा-हल्दिया खंड की क्षमता पर्याप्त है ।

यात्री टिकट निरीक्षकों के लिए सूती वर्दी

2408. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में यात्री टिकट निरीक्षकों और कण्डक्टरों को सूती वर्दी प्रति वर्ष तथा ऊनी वर्दी प्रत्येक चार वर्षों के बाद दी जाती है लेकिन इस बारे में आम

शिकायत है कि कर्मचारी को वर्दी फिट नहीं आती और इसके कारण उन्हें इनको दुबारा सिलवाना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सूती और ऊनी वर्दी का कपड़ा घटिया किस्म का होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को वर्दी का कपड़ा तथा सिलाई प्रभार देने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) गर्मियों के मौसम की वर्दीयां प्रति वर्ष सप्लाई की जाती हैं। सर्दियों के मौसम की वर्दियां मौसम की स्थितियों के अनुसार सप्लाई की जाती हैं, जो क्षेत्र केवल सर्दी के रूप में वर्गीकृत हैं एहां 3 वर्ष में 2 जोड़ी, गर्मी और हल्की सर्दी के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में 4 वर्ष में जोड़ी, और गर्मी और सर्दी के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में 2 वर्ष में 1 जोड़ी वर्दी सप्लाई की जाती है। कर्मचारियों के मापों के आधार पर निकटतम मानक साइज की वर्दियां सप्लाई की जाती हैं। जहां-कहीं फिटिंग के लिए किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता होती है, वहां मंडलों द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियोजित दर्जियों द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

ब्रह्मपुत्र पर दूसरा पुल

3409. **श्री बापू साहिब पुरुलेकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेजपुर के निकट दूसरे ब्रह्मपुत्र पुल को एक दुमंजिला पुल बनाने अर्थात् उसमें रेल तथा सड़क मार्ग दोनों की व्यवस्था करने की सार्वजनिक मांग बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों की परिवहन संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए उक्त पुल को रेल तथा सड़क पुल बनाने का है ; और

(ग) यदि इसे केवल सड़क-पुल ही बनाया गया तो क्या सरकार उसी पर रेल लाइन बिछाने का भी प्रबन्ध करेगी ताकि आवश्यकतानुसार सड़क यातायात को रोककर वहां से रेल गाड़ियां भी गुजारी जा सकें ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तेजपुर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-एवं-सड़क पुल के निर्माण पर भारी लागत आने तथा इस पुल से बहुत ही सीमित रेल यातायात गुजरने की संभावना के कारण सर्वेक्षण दल द्वारा इसके

निर्माण की सिफारिश नहीं की गयी थी । नार्थ ईस्टर्न कौउंसिल द्वारा ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी थी । तदनुसार रेलों द्वारा नार्थ ईस्टर्न काउंसिल को प्रभार्य 'निक्षेप कार्य' के रूप में केवल सड़क पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है ।

चूंकि सड़क पुल का निर्माण पूर्व प्रबलित कंक्रीट के गर्डरों और वृतखंडों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसकी डिजाइन में पुल पर रेल लाइन बिछाने का प्रावधान नहीं रखा गया है । अतः सड़क यातायात को रोककर रेल संचलन व्यावहारिक नहीं होगा ।

जहाज निर्माण

3410. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे जहाज निर्माण उद्योग की इस समय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति क्या है; और

(ख) वाणिज्यिक जहाजों के निर्माण में हम किस हद तक आत्मनिर्भर है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय भारत में जहाजों के निर्माण पर विदेशी शिपयार्डों के जहाज निर्माण के मुकाबिले अधिक धनराशि खर्च होती है ।

(ख) भारतीय शिपयार्डों को जहाज निर्माण क्षमता राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए कम है ।

पश्चिम रेलवे के कर्मचारी क्वार्टर

3411. **श्री जी० एम० बनातवाला : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर बम्बई में पश्चिमी रेलवे कर्मचारी क्वार्टर खाली पड़े हैं । बिना कब्जे के पड़े हैं अथवा जिन्हें ये आवंटित किए गए हैं, के अतिरिक्त उनमें अन्य व्यक्ति रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो (1) खाली पड़े अथवा जिनका कब्जा नहीं लिया गया है और (2) जिनमें आवंटित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति रह रहे हैं, प्रत्येक श्रेणी के क्वार्टरों की संख्या कितनी हैं ;

(ग) ग्रेटर बम्बई में कर्मचारी क्वार्टरों के खाली पड़े रहने, कब्जा न लिए जाने के कारण खाली पड़े रहने के कारण पश्चिम रेलवे को कितना घाटा हुआ है ;

(घ) ये क्वार्टर कब से खाली पड़े/कब्जा न लिए जाने के कारण खाली पड़े हैं; और

(ङ) इस स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) इस प्रकार के क्वार्टरों की संख्या नगण्य है । इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गयी है :—

क्वार्टरों की किस्म	खाली पड़े क्वार्टरों की संख्या	कब से खाली पड़े हैं	खाली पड़े क्वार्टरों के कारण किराये में हुई हानि (रुपये)	आवंटित किए गए कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए गए क्वार्टरों की संख्या
1	3	1) जनवरी, 80) 2) मार्च, 80) 3) जुलाई, 80)	323.20	9
2	3	अक्तूबर, 80 (दोनों यूनिट)	72.00	2
कुल 3	5		396.20	11

(ङ) क्वार्टरों (जिनमें अलाटियों के बजाय अन्य व्यक्ति रह रहे हैं) के अलाटियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है । खाली पड़े क्वार्टर प्रतीक्षा सूची में दर्ज कर्मचारियों को शीघ्र ही आवंटित कर दिये जायेंगे ।

धनबाद रेलवे स्टेशन

3412. **श्री अनादिचरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनमें मंत्रालय का 1980-81 के दौरान उड़ीसा में दक्षिए पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत धनबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म बढ़ाने का काई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कब कार्यान्वित होने की संभावना है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्व रेलवे

के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले धनबाद स्टेशन पर ऊंची सतह वाले प्लेटफार्मों की पहले से ही व्यवस्था है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उखाड़ी गई रेल लाइनों को फिर से बिछाना

3413. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नीति स्वरूप उन पुरानी रेल लाइनों को फिर से बिछाने के लिए बाध्य है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उखाड़ दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार शाहजहांपुर और मैलानी के बीच रेल लाइन को पुनः चालू करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और अन्य कारणों से, जैसा तत्कालीन रेल मंत्री ने लोक सभा में 12 मार्च, 1973 के अपने भाषण में उल्लेख किया था, उखाड़ी गयी लाइनों को दुबारा बिछाने के सम्बन्ध में यह नीति है कि यदि इनका परित्याग न कर दिया जाता तो ये लाइनें रेल प्रणाली के संश्लेषित भाग के रूप में काम करती रहती । 1973 में विनिश्चय किया गया था कि इन लाइनों को दुबारा बिछाने पर विचार किया जाएगा । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उखाड़ी गयी 26 लाइनों में से, 15 लाइनें दुबारा बिछा दी गयी हैं और शेष 11 लाइनों के सम्बन्ध में, अभी तक यह धारणा है कि उनकी ऊंची लागत तथा यातायात की अत्यधिक सीमित सम्भावनाओं के कारण इस हालत में उन्हें दुबारा बिछाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(ख) जी नहीं । शाहजहांपुर तथा मैलानी के बीच प्राइवेट कम्पनी द्वारा बिछायी गयी पुरानी भाप चालित ट्रामवे 1918 में उखाड़ी गयी थी जिसका सामान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य प्रयोजनों के लिए ले लिया गया था । 1977 में एक सर्वेक्षण किया गया था लेकिन वह परियोजना अर्थक्षम नहीं पायी गयी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

साईमन बोलिवर सप्ताह से भारत की सम्बद्धता

3414. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यहां स्थित लैटिन अमरीकी मिशनों को यह सन्देश भेजा है कि यह "साईमन बोलिवर सप्ताह मनाने में भाग लेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य कारण क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय लोगों को लातीनी अमरीका के इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों से अवगत कराने के लिए तथा भारत और लातीनी अमरीका के देशों के बीच, जिनसे साईमन बोलिवर का नाम जुड़ा हुआ है, मित्रता और सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से ऐसा किया गया है । जैसा कि आपको याद होगा दिसम्बर, 1980 में बोलिवर की 150 वीं पुण्य तिथि भी पड़ती है ।

सवारी डिब्बों तथा रैकों के लिए आर्डर देना

3415. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने नई गाड़ियों तथा दैनिक यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नई गाड़ियों के लिए सवारी डिब्बों तथा रेकों के लिए आर्डर दिये हैं ।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सभी रेलों द्वारा रेकों तथा सवारी डिब्बों के लिए कुल कितने आर्डर दिए गए ;

(ग) उक्त तीन वर्षों में से प्रतिवर्ष कुल कितने सवारी डिब्बे तथा रेक वितरित किए गए ;

(घ) क्या यह सच है कि मद्रास स्थित इण्टेगरल कोच फैक्टरी अन्य एशियाई तथा पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रों को किए गए निर्यात वायदों को पूरा करने के लिए सवारी डिब्बों का निर्माण कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो निर्यात आर्डर कितनी मात्रा के लिए है और उसके कितने प्रतिशत की पूर्ति की गयी है ;

(च) वर्ष 1981-82 तथा 1980-82 के लिए पश्चिम तथा मध्य रेलवे में तुरन्त अपेक्षित रेकों तथा सवारी डिब्बों की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(छ) सरकार ने लाइन पर पुराने रेकों को चलाये रखने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या सावधानी बरती है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान बनाये जाने वाले सवारी डिब्बों की संख्या तथा उनकी वास्तविक सुपुर्दगी इस प्रकार है :—

	वर्ष		
	1977-78	1978-79	1979-80
बनाये जाने वाले सवारी डिब्बों की संख्या	915	979	1117
सौंपे गये सवारी डिब्बों की सं०	899	925	974

(घ) जी हां । जब कभी निर्यात आर्डर प्राप्त होते हैं ।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा प्राप्त निर्यात आर्डरों का ब्यौरा तथा वस्तुतः निर्यात किए गए सवारी डिब्बों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	प्राप्त निर्यात आर्डर	निर्यात किये गए सवारी डिब्बों की वास्तविक संख्या	प्रतिशत अनुपालन	देश
1978-79	20	20	100	फिलीपीन
1979-80	20	20	100	उगांडा
	50	50	100	वियतनाम

(च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(छ) सभी सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहाल के दौरान पूरी तरह जांच की जाती है और जो गतायु है और खराब हालत में भी है उन्हें क्रमिक रूप से सेवा से हटा दिया जाता है और नकारा कर दिया जाता है तथा उनके बदले में नयी सवारी डिब्बों की व्यवस्था कर दी जाती है । केवल उन्हीं सवारी डिब्बों को सेवारत रहने दिया जाता है जो अच्छी चालन हालत में होते है ।

टर्मिनल डिपुओं और कारखानों में सवारी डिब्बों और रेकों पर ध्यान देने के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम होता है जिसका सामान्यतः अनुपालन किया जाता है । जो सवारी डिब्बे चालन केलिए अनुपयुक्त होते हैं उन पर "खराब" का निशान लगा दिया जाता है और बाद में उन्हें चलाने की तभी अनुमति दी जाती है जब उन्हें सेवा के लिए उपयुक्त बना दिया जाता है ।

केरल में राजमार्ग संख्या 17

3416. **श्री एम० रमन्नाराय** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि खराब देख-भाल वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में, से एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को कई स्थानों पर चौड़ा करके और हटाये जा सकने वाले मोड़ों और टेड़ेपन को सीधा करके सुधारने की आवश्यकता है ; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि केरल में रा० रा० सं० 17 उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में से एक है जिनका संरक्षण ठीक ढंग से नहीं किया जाता। यद्यपि पिछली कुछ वर्षा ऋतुओं में अत्यधिक वर्षा के कारण इसको गहरी क्षति हुई है परन्तु इन क्षतियों से, यातायात में रुकावट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग के संरक्षण तथा मरम्मत के लिए पिछले कुछ वर्षों से उत्तरोत्तर अधिक धनराशि नियत की गयी है। मार्च 1972 में इसके राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के तुरन्त बाद सर्वेक्षण से विदित हुआ है कि ऐसे बहुत से स्थल हैं जहां मोड़ तथा ढाल अपेक्षित स्तर के नहीं है। परन्तु इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर गम्भीर रूप से जो कमियां हैं, वे हैं, बिना पुल के चौराहे तथा सड़क का वह भाग है जो कस्बों और शहरों के भीड़भाड़ वाले हिस्से से होकर गुजरता है। इन पर काम किया जा रहा है। इस संबंध में 8 करोड़ रु० से अधिक लागत के कामों की स्वीकृति दी जा चुकी है। सड़क को मजबूत तथा चौड़ा करने के कार्य को बाद में शुरू करने का प्रस्ताव है।

कोचीन शिपयार्ड के लिए पोलेंड से जहाज इंजनों का आयात

3417. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिनसे कोचीन शिपयार्ड के लिए पौलैंड से जहाज इंजनों के आयात में बाधा पैदा हुई है :

(ख) क्या पश्चिमी जर्मनी के 'मैन' द्वारा पेशकश की गयी शर्तें पौलैण्ड की अपेक्षा अधिक अनुकूल हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कोचीन शिपयार्ड में बनाए जा रहे 002 और 003 जहाजों के इंजन पौलैंड से आयात किए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मैसर्स थान, आगूजवर्ग, पश्चिम जर्मनी ने 9-6-80 को अपने पहले के प्रस्ताव में संशोधन कर दिया और वह 002 जहाज के लिए थान इंजिन के 'ए' वर्जन के लिए डी० एम० 8,130,000 (एफ० ओ० वी०) (डिलीवरी अप्रैल, 1981) और 003 जहाज के लिए थान इंजिन के 'ब' वर्जन के लिए डी० एम० 9,345,690 (एफ० ओ० वी०) (डिलीवरी अक्तूबर, 1981) का था । अन्य बातों के साथ यह भी शर्त थी कि दोनों इंजनों के ठेकों पर 30-6-1980 से पहले पहले हस्ताक्षर किए जायं । अप्रैल, 1980 में फौलैण्ड की एक फर्म ने दो सल जेर इंजिनों की पेशकश की जिनकी कीमत क्रमशः यू० एस० डालर 2,493,000 (एफ० ओ० वी०) (डिलीवरी दिसम्बर, 1980) और यू० एस० डालर 2,508,000 (एफ० ओ० वी०) (डिलीवरी अगस्त/सितम्बर, 1981) थी ।

गाड़ियों से गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की चोरी

3418. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नवम्बर, 1980 में गाड़ियों से गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की चोरी की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) बुक किए गए परेषणों की जिनमें अनिवार्य वस्तुएं भी शामिल हैं । चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. प्रभावत खंडों और यार्डों में रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सशस्त्र मार्गरक्षियों को तैनात किया गया है ।

2. भेद्य आउटरसिगनलों, इंजीनियरी दृष्टि से लगे प्रतिबन्ध वाले क्षेत्रों और ढलान वाले क्षेत्रों में, जहां पर गाड़ियां धीमी हो जाती है ; रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी तैनात किए गए हैं ।

3. सभी महत्वपूर्ण यार्डों, माल गोदामों और पार्सल कार्यालयों में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी रातदिन पहरा देते हैं बदनाम कहे जाने वाले स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

4. खाद्यान्न, कोयला, इस्पात आदि जैसे कीमती सामान से लदे माल डिब्बे जब ब्लाक मालगाड़ी भार में चलते है, तब उनके साथ मार्ग रेलवे रक्षी भेजे जाते हैं ।

5. जब छोटे स्टेशनों पर ये माल गाड़ियां खड़ी होती है, उस समय रे० सु० बल के कर्मचारियों द्वारा इन गाड़ियों की रखवाली की जाती है ।

6. रेलवे सुरक्षा बल की अपराध आसूचना शाखा द्वारा अपराधियों और चोरी का माल खरीदने वालों की गतिविधियों के संबंध में आसूचना इकट्ठी की जाती है और अपराधियों तथा चोरी का माल खरीदने वालों को गिरफ्तार करने तथा चुरायी गयी सम्पत्ति को बरामद करने के लिए नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं ।

7. यार्डों में गस्त लगाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कुत्ता दस्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ।

8. चोरी और उठाईगीरी की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट समन्वय रखा जाता है ।

9. पूर्वी क्षेत्र में, विशेषकर बिहार की कोयला पट्टी वाले क्षेत्र में एक विशेष उपाय के रूप में हाल ही में रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 5 कम्पनियों को तैनात किया गया है ताकि धनबाद मंडल के भेद्य खंडों में कोयले के रेक और अन्य माल गाड़ियों का मार्ग रक्षण किया जा सके और रेलवे लाइन पर गस्त लगायी जा सके ।

केन्द्रीय सड़क निधि

3419. **श्री जेवियर अरावल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में केन्द्रीय सड़क निधि में से कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) आवेदन के नियम क्या हैं और इस निधि का किन-किन राज्यों ने उपयोग किया है ; और

(ग) क्या केरल राज्य ने कोई अनुरोध किया है और यदि हां, तो क्या इस अनुरोध में कुम्बलगेंगई पेनुमपदाज्जु पुल और सड़कें को भी शामिल किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अप्रैल, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक 453.17 लाख रुपए ।

(ख) संगोचन के उपलब्ध होने, प्रत्येक राज्य के लिए अनुमोदित चालू निर्माण कार्यों की कुल लागत, इन निर्माण कार्यों की वास्तविक प्रगति और इन निर्माण कार्यों को पूरा करने में राज्य सरकार की क्षमता को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सड़क कोष से धनराशि आवंटित की

जाती है । पेट्रोल की खपत की सूचना देने वाले सभी राज्य/संघ क्षेत्र इस कोष से धन लेते हैं ।

(ग) जी, हां । केरल सरकार ने एड-कोचीन और कुंबलंगी के बीच पेरम्पडप्पु पुल का निर्माण केन्द्रीय सड़क कोष में से उनके लिए आवंटित धनराशि से करने के बारे में हाल में एक प्रस्ताव भेजा है । इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और इस संबंध में जल्दी ही निर्णय ले लिया जावेगा ।

"चेतना परियोजना"

3420. **डा० कर्णसिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के नेशनल इंस्ट्रीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो सांइसेज में 'चेतना परियोजना' के नाम से एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना में क्या प्रगति हुई है और क्या अनन्तिम परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना की तीन मुख्य गतिविधियां है—प्रयोगशाला, निदान और क्षेत्रकार्य । तंत्रिका विज्ञान (न्यूरो फिजियोलोजी) विभाग की प्रयोगशाला में अब उपकरणों की व्यवस्था कर दी गई है और प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है । अनुभवातीय ध्यान, प्रमाणाम और कुंडलिनी द्वारा जागृत चेतना में अनुभूत ज्ञान के भौतिक, शारीरिक, जीव-रासायनिक और मनोवैज्ञानिक सह-संबंधों का अध्ययन करना निहित है और इसे विभिन्न चरणों में किया जाना है । कुछ तकनीकों के विशिष्ट प्रयोग क्लिनिकी मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञान विभाग में पहले ही पूरे किए जा चुके हैं । सम्बन्धित सामग्री को क्षेत्र-कार्य के जरिए इकट्ठा किया जाना है ।

बलूरघाट एकलक्ष्मी लाइन

3421. **श्री आनन्द पाठक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में पश्चिम बंगाल में पश्चिमी दिनाजपुर जिले के लोगों की ओर से बलूरघाट कालदाह जिले में एकलक्ष्मी रेलवे स्टेशन तक एक रेल लाइन बिछाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उस पर कब कार्य आरम्भ करने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, मालदा/इकलाखी-बालूरघाट रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए ।

(ख) इस परियोजना के अलाभप्रद होने और संसाधनों की कठिन तंगी के कारण, निकट भविष्य में इस परियोजना पर विचार करना संभव नहीं है।

माल गाड़ियों की धीमी गति

3422. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मन्त्री रेल द्वारा माल यातायात के बारे में दिनांक 20 नवम्बर, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल गाड़ियों के धीमी गति से चलने के क्या कारण हैं ;

(ख) डीजल/विद्युत/भाप इन्जनों से चलने वाली माल गाड़ियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या माल गाड़ियों के पटरी से उतरने (दुर्घटना ग्रस्त होने) के मामलों में पिछले तीन वर्षों में वृद्धि होती रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल गाड़ियों की रफ्तार अनेक बातों पर निर्भर करती है जैसे कि रेलपथ स्वरूप लाइन इकहरी है या दोहरी, गाड़ी का भार, कर्षण की किस्म, खण्ड का-भू-क्षेत्र यातायात का घनत्व और कुल चालित गाड़ियों के अनुपात में डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या आदि ।

(ख) 1979-80 में डीजल, बिजली और भाप के रेल इन्जनों द्वारा कर्षित माल गाड़ी कि० मी० का प्रतिशत क्रमशः 59, 20 और 21 रहा है ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में पटरी से उतरने वाली माल गाड़ियों की संख्या नीचे दी गई है :—

1977-78	491
1978-79	534
1979-80	489

इस प्रकार 1979-80 में पिछले दो वर्षों की तुलना में पटरी से उतरने वाली माल गाड़ियों की संख्या कम रही है ।

डीजल तथा मिट्टी का तेल ले जा रही माल गाड़ी का आग लगने से नष्ट होना

3423. **श्री निहालसिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधीधाम से जम्मू तक डीजल तथा मिट्टी का तेल ले जा रही मालगाड़ी के 72 डिब्बे 21 मार्च, 1980 को आग लगने के कारण नष्ट हो गए थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अग्निकांड के क्या कारण थे और उनके फलस्वरूप कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय, 19-11-80 को गोधरा यार्ड में गांधीधाम से जम्मूतवी को जा रही 72 माल डिब्बों वाली माल गाड़ी के टंकी माल डिब्बे में आग लगने से है ।

(ख) आग लगने के कारण की जाँच की जा रही है । इस अग्नि दुर्घटना में कोई जन हानि नहीं हुई थी । रेल संपत्ति को लगभग 8,200 रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है ।

हवाई अड्डों पर "वीसा" की जांच

3424. **श्री तारिक अनवर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ गैर सरकारी एजेंसियां लोगों को उनके लिए बिना किसी रोजगार की व्यवस्था किए, विदेशों में भेज रही हैं :

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार की सूचना मिलने पर सरकार ने पहले कुछ कदम उठाए थे ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की प्रथा को रोकने के उद्देश्य से विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाले व्यक्तियों के वीसा और अन्य आवश्यक कागजात की हवाई अड्डों पर जांच करने के लिए कुछ व्यवस्था करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : (क) जी हां । समय-समय पर ऐसी खबरें मिलती हैं ।

(ख) ऐसी खबरें मिलने पर उपयुक्त पुलिस प्राधिकारियों के पास जांच पड़ताल और कार्रवाई के लिए भेज दी जाती हैं । इससे कई व्यक्ति दोषी सिद्ध हुए हैं ।

(ग) सरकार 1922 के उत्प्रवास अधिनियम की परिधि में आने वाले और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले सभी भारतीय राष्ट्रिकों को विदेश जाने की अनुमति देने से पूर्व उन के कागजात, जिनमें वीजा आदि भी शामिल हैं, की जांच पड़ताल करती है । 1 नवम्बर, 1980 से इस जांच को और अधिक कारगर बना दिया गया है ।

कोचीन पत्तन के लिए टाप-लिफ्ट ट्रक

3425. श्री एम०एन० लारेंस : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास ने कोचीन पत्तन में कन्टेनर ट्रैफिक की संभाल के लिए टाप-लिफट ट्रकों की खरीद हेतु स्वीकृति मांगी है ;

(ख) क्या सरकार उक्त उपकरण की खरीद के लिए स्वीकृति देने में विलम्ब कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण इस बात की जांच की जा रही है कि क्या टाफ लिफ्ट ट्रकें खरीदने के लिए पत्तन द्वारा अपनी पूंजी लगाई जानी चाहिए ।

गोदावरी एक्सप्रेस में अत्यधिक भीड़

3426. श्री के०ए०स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाल्टेयर और हैदराबाद के बीच चलने वाली गोदावरी एक्सप्रेस में अत्यधिक भीड़ की जानकारी है ; और

(ख) वाल्टेयर और हैदराबाद के बीच गाड़ी में स्थान बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 7/8 गोदावरी एक्सप्रेस में नियमित रूप से एक अतिरिक्त डिब्बा लगाने की गुंजाइश नहीं है । इसलिए 7/8 गोदावरी एक्सप्रेस में और अधिक डिब्बे लगाना फिलहाल, परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

अमरीका में भारतीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव बरता जाना

3427. श्री आर०एन०राकेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका में, सेवाओं में पदोन्नति और अन्य सुविधाओं के मामले में वहां की सरकारें भारतीय कर्मचारियों के साथ खुले आम भेदभाव बरतती है ;

(ख) क्या भारतीय कर्मचारियों को तंग किया जाता है और दंडित किया जाता है तथा अमरीका के उच्चत्तम न्यायालय के विदेशियों के हक में (ड्रगल बनाम शुगरमन 1972-73) निर्णय के बावजूद उन्हें पदोन्नति और वेतन नहीं दिया गया है ; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र अमरीका संघ ने सामान्यत: वहां रहने वाले विदेशियों और विशेषत: भारतीयों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के कारण अमरीका की सरकार से पूछताछ की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार को ऐसे मामलों की कोई जानकारी नहीं है । एक उद्धृत निर्णय के अनसार संयुक्त राज्य की सरकार कुछ पदों के लिए अमरीकी नागरिकता को एक अर्हता के रूप में निर्धारित कर सकती है और कुछ समुचित रूप से परिभाषित कार्यों पर विदेशी लोगों को नियुक्त न करने की उसे कानूनी मान्यता प्राप्तहै लेकिन वह प्रतियोगी वर्गीकृत सिविल सेवा में विदेशियों के प्रवेश पर कोई ऐसा निषेध नहीं लगा सकती जो एक ओर से सभी पर लागू होता हो । भारत सरकार के ध्यान में ऐसे कुछ मामले आये हैं । जिनमें भारतीय मूल के व्यक्तियों ने अमरीकी निजी फर्मों तथा संगठनों के विरुद्ध उनके राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव बर्ते जाने के मामले दायर किये हैं और वे इस माध्यम से निजी समझौते करवाने में सफल हुए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

तरंगजी-अम्बाजी लाइन

3428. **श्री हीरालाल आर० परमार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर गुजरात में तरंगजी और अम्बाजी के लिए रेल लाइन बिछाने की मांग गत अनेक वर्षों से निरन्तर की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है और इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस लाइन के निर्माण पर अनुमानित कितना व्यय किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तरंगा हिल और अम्बाजी के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) फिलहाल प्रस्तावित लाइन का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । यदि इस लाइन का निर्माण किया जाये तो आज के मूल्य स्तर के अनुसार इस पर लगभग 11.00 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है ।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेल लाइन बिछाने के संबंध में अपनी सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग द्वारा इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। इस समिति द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ही इस प्रस्ताव पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सकेगा।

कांचीपुरम स्थित अन्ना स्मारक कैंसर अनुसंधान संस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता

3429. **श्री ईरा अनबारासू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य के चिंगलेपुट जिले में कांचीपुरम स्थित अन्ना स्मारक कैंसर अनुसंधान संस्थान के विकास के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संस्थान को विकास के लिए एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में अपनी सूची में शामिल किया है ; और

(ग) यदि नही, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उसे उन संस्थानों की सूची में शामिल करने का है जिनके लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) कैंसर अनुसंधान तथा उपचार के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए देश में 9 संस्थाओं को पहले ही चुना जा चुका है।

कुलियों के लिए सामूहिक बीमा योजना

3430. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुलियों और वेंडरों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने का है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) कुलियों से वसूल किया जाने वाला लाइसेंस शुल्क कैसे और कहां खर्च किया जाता है;

(ग) क्या नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त कुलियों को उनसे लाइसेंस शुल्क लिए जाने के बाद वर्दियां दी जानी चाहिए और यदि हां, तो लखनऊ, मुरादाबाद और इलाहाबाद डिवीजनों में वर्दियां न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) लाइसेंस-प्राप्त कुलियों के लिए किन-किन स्थानों पर, रेलवे-वार रिटायरिंग रूम बनाये गये हैं तथा किन-किन स्थानों पर रिटायरिंग रूम बनाए जा रहे हैं और इन स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर ऐसे कितने रूम बनाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली, नयी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन में पहले चरण में लाइसेंस धारिकों के लिए सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है। वेंडरों के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) लाइसेंसधारी भारिकों की गैर नैमित्तिकरण योजना के अधीन, जो "लाभ नहीं हानि नहीं" आधार पर चलती है, पर्यवेक्षण तथा वर्दी की लागत के लिए लाइसेंस फीस प्रभारित की जाती है। पर्यवेक्षण तथा वर्दी की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप भारिकों को निशुल्क वर्दियां सप्लाई करना संभव नहीं है। जब तक लाइसेंस फीस में वृद्धि नहीं की जाती, जिसका लाइसेंसधारी भारिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, उत्तर रेलवे में कुछ स्टेशनों पर गैर नैमित्तीकरण योजना घाटे पर चल रही है। लाइसेंस फीस अलग-अलग स्टेशनों पर अलग-अलग होती है अतः वर्दियां उन्हीं स्टेशनों में सप्लाई की जाती हैं जहां वर्दियों की लागत एकत्रित की गयी लाइसेंस फीस से पूरी की जा सकती है। इसी कारण से, उत्तर रेलवे मुरादाबाद और लखनऊ मंडलों में वर्दियां सप्लाई नहीं कर सकी है। इलाहाबाद मंडल में, इलाहाबाद और कानपुर को छोड़कर जहां लाइसेंस फीस कम है, सभी स्टेशनों पर वर्दियां सप्लाई की जाती हैं।

(घ) लाइसेंसधारी भारिकों के लिए किसी विश्रामगृह की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उनके लिए विश्राम आश्रय की व्यवस्था है जिन रेलों में लाइसेंसधारी भारिकों के उपयोग के लिए विश्राम आश्रयों की व्यवस्था है उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	जहां व्यवस्था है	निर्माणाधीन
1	2	3
मध्य	पुणे, कल्याण, नागपुर, कटनी, जबलपुर, आगरा कैंट और दौड	कुछ नहीं।
पूर्व	सियालदह, हावड़ा, पटना जं० और धनवाद।	भागलपुर, बर्दवान, गया रानाघाट, मुगलसराय, किउल।
उत्तर	निजामुद्दीन, बरेली, हरिद्वार, देहरादून, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, जोधपुर जं०, जलंधर सिटी और नई दिल्ली।	रिवाड़ी, जम्मूतवी, अमृतसर और दिल्ली।

1	2	3
पूर्वोत्तर	लखनऊ जं०, गोंडा, गोरखपुर, सोनपुर, बर्नपुर तथा समस्तीपुर ।	कुछ नहीं ।
पूर्वोत्तर सीमा	सूचना उपलब्ध नहीं है	
दक्षिण	मद्रास सेंट्रल, मद्रास, एगमवूर, मदुरै, तिरुच्चिरापल्लि जं०, बुंगलुरू सिटी, मैसूर और तिरुनेलवेलि	कोयमबत्तूर जं०, इरोड, पालघाट जं०, कालीकट, आरकोणम् मद्रास बीच, कटपाडी जोलारपेट्टे, ताम्बरम, कोल्लम और एर्नाकुलम ।
द० मध्य	विजयवाड़ा	कुछ नहीं ।
द० पूर्व	खड़गपुर, पुरी, वात्तेरू, विजयनगरम्, ब्रह्मपुर (गंजम) ।	,,
पश्चिम	बम्बई सेंट्रल, दादर और रतलाम ।	,,

बस रूट संख्या 50 और 89 को नौरोजी नगर तक बढ़ाया जाना

3431. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री नौरोजी नगर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा के बारे में दिनांक 27 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1469 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसा सर्वेक्षण कब किया गया था जिसमें दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों को वर्तमान बस सेवायें सन्तोषप्रद लगी थीं;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि बस रूट संख्या 50 और 89 को नौरोजी नगर तक बढ़ा दिया जाए अथवा दूसरे मार्गों को नौरोजी नगर से होकर चलाया जाए ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बस मार्ग 610 पर अत्याधिक भीड़ रहती है और ये बसें आमतौर पर 'एम० एवेन्यू' जिसे कि नौरोजी नगर के दैनिक बस-यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस स्टाप कहा जाता है ये नहीं रुकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि निगम का यह आम नियम है कि जहां कहीं उस जरूरत महसूस होती है, वहां वह सर्वे करता है। इसके अलावा, लोगों से शिकायतें मिलने पर या किसी खास रूट पर या उस रूट के बीच में पड़ने वाले किसी भी स्थान से अतिरिक्त बस चलाने के बारे में लोगों द्वारा मांग की जाने पर ऐसा किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अगर लोगों की मांग वाजिब होती है और निगम के पास अतिरिक्त बसें उपलब्ध होती हैं तो अपेक्षित स्थान से अतिरिक्त बसें चलाने की व्यवस्था कर दी जाती है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है।

(ख) जी, हां।

(ग) हालांकि, इस समय रूट नंबर 610 पर जितनी बसें चल रही हैं, वे पर्याप्त हैं, तो भी दफ्तर जाने वालों की सुविधा के लिए नौरोजी नगर के मेन स्टैंड से केन्द्रीय सचिवालय के लिए रूट नं० 610 पर सवेरे अधिक भीड़-भाड़ के समय कुछ स्पेशल ट्रिप भी चलाए जाते हैं। यह कहना सही नहीं है कि रूट नंबर 610 पर चलने वाली बसें 'एम० एवेन्यू' के स्टाप पर नहीं रुकतीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

सड़क दुर्घटनायें

3432. **श्री बी०बी०देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिकतम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या हमारे देश में प्रति 1,000 मोटर गाड़ी औसत मृत्यु दर लगभग 60 प्रतिशत है जबकि अधिकांश विकसित देशों में वह 5 से 15 प्रतिशत है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष लगभग 14,000 व्यक्तियों की मृत्यु होती है;

(ङ) यदि हां, तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहें हैं ; और

(च) स्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अध्ययन से यह पता चला है कि कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक दुर्घटनायें होती हैं ।

(ख) दुर्घटनाओं के मुख्य कारण इस प्रकार हैं—ड्राइवर की गलती, जो एक मानवीय दुर्गुण है, मशीनरी में खराबी आ जाना और सड़कों की खराब स्थिति ।

(ग) और (घ) जी, हां । उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अध्ययन के अनुसार ।

(ङ) और (च) इस सम्बन्ध में नगर पालिका अधिकारियों या राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी होती है । उन स्थानों पर जहां भीड़ हो, या जहां भारी गाड़ियों का आना-जाना आमतौर पर या किसी निश्चित समय के दौरान मना हो, गाड़ियों के आने-जाने पर रोक लगाने के लिए कानून के अन्तर्गत उपबन्ध मौजूद हैं । चूंकि, गाड़ियों से यातायात में रुकावट होती है इसलिए पुलिस अधिकारी भी इन्हें सड़क पर ठहरने न देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं । कुछ एक राज्य सरकारों ने अपने-अपने मोटर गाड़ी नियमों में पहले ही संशोधन कर दिया है ताकि सवारी गाड़ियों में गति नियन्त्रक अनिवार्य रूप से लगाने के लिए व्यवस्था की जा सके । कुछ राज्य सरकारों ने अपने प्रशिक्षण स्कूलों में ड्राइविंग प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के लिए भी कार्रवाई की है ।

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को वित्तीय तथा कानूनी सहायता

3433. **श्री के० प्रधानी :**

श्री आर०पी० यादव :

श्री भीकू राम जैन :

श्री छीतू भाई गामित :

श्री अर्जुन सेठी : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राणघातक दुर्घटनाओं के मामले में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वित्तीय और कानूनी सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने एक योजना पहले से चालू कर रखी है, उसी के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को आर्थिक सहायता देने की इस योजना को अन्य सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार करने और उसे शीघ्र क्रियान्वित करने की सिफारिश की गई है । इसी प्रकार, कुछ

राज्य सरकारों ने जिसमें पंजाब और तमिलनाडू भी शामिल हैं, कुछ ऐसे संगठनों का गठन किया है जिनका काम सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को कानूनी सहायता और सलाह देना है। सड़क दुर्घटना के उन मामलों में जिनमें गाड़ी का कुछ पता नहीं चलता, सड़क दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को सान्त्वना के तौर पर कुछ राशि (मुआवजे के एवज में) प्रदान करने की एक अन्य योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तमिलनाडू में चालू की गई योजना जिसे लागू करने की सिफारिश अन्य राज्यों को भी की गई है, के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को अनुग्रह के रूप में कुछ नकद सहायता दी जाती है। इस योजना की क्रियापद्धति में यह भी लिखा है कि मामले की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करे और उसके बाद बिना अधिक देरी किए सम्बन्धित व्यक्ति को अनुग्रह-राशि का भुगतान किया जाए। यह सहायता-राशि मुआवजे की उस राशि के अलावा होगी जो दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन दी जाती है।

सड़क दुर्घटनाओं का सर्वेक्षण

3434. **श्री के० प्रधानी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में, (राज्यवार) सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अत्यधिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार रेल सुरक्षा निधि की तरह ही एक सड़क सुरक्षा निधि खोलने का है ताकि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होने वालों को राहत दी जा सके ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हाल ही में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी, कुछ राज्य सरकारों ने कुछ फंड बनाए हैं जिनमें से वे सड़क दुर्घटनाओं में ग्रस्त हो जाने वाले लोगों को एक मुश्त रकम दी जाती है। इसी तरह, कुछ राज्य सरकारों ने सहायता फंड भी बनाए हैं, जिनमें से सड़क दुर्घटनाओं में ग्रस्त होने वाले लोगों को समुचित अनुग्रह राशि दी जाती है।

आल इण्डिया कैरेज एण्ड वैगन स्टाफ काउन्सिल

3435. श्री ए०के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1980 में आल इण्डिया कैरेज एण्ड वैगन स्टाफ काउन्सिल के गत 'नियमानुसार कार्य' करने सम्बन्धी आन्दोलन के सम्बन्ध में कर्मचारियों पर किए गए विभिन्न प्रकार के उत्पीड़ित/दाण्डिक कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ।

(ख) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन्हें निपटाने के लिए उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही है; और

(ग) सामान्य स्थिति लाने और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए इन सब उत्पीड़न/दाण्डिक कार्यवाहियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों को उनकी वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए उत्पीड़ित नहीं किया गया है । लेकिन, नियमों की व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध उनके कृत्य और अकृत्य विशिष्ठ कार्यों के लिए कार्रवाई की जाती है ।

आल इण्डिया कैरेज एंड वैगन स्टाफ कौंसिल, जो एक गैर मान्यता प्राप्त संगठन है, ने अपनी मांगों को, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित मांगें शामिल हैं, मनवाने की तथाकथित असफलता को लेकर 16-8-1980 को 'नियमानुसार काम करो' का गैर कानूनी तरीका अपनाया था :—

1. वेतनमान में संशोधन
2. पदोन्नति सारिणी
3. उत्पीड़न समाप्त करना
4. रिक्तियां भरना
5. वर्दी सप्लाई करना
6. कार्य का मूल्यांकन
7. क्वार्टरों की व्यवस्था

इन मांगों की जांच की गई है और वर्तमान नियमों की परिधि तथा वित्तीय तंगी को ध्यान में रखते हुए इन पर उचित कार्रवाई की गई है ।

(ग) प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध रेल कर्मचारियों से प्राप्त अपीलों/अभ्यावेदनों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर समुचित निवारक कार्रवाई की गई है ।

पूर्ण-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग को बदलना

3436. **श्री आर०के० महालगी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग जो धारवाड़ (कर्नाटक) शहर से होकर जाता है, को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोइ चरणबद्ध कार्यक्रम है ;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर एक संयुक्त हुबली धारवाड़ बाईपास बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहा है। हालांकि, इस सड़क की दागबेल संबंधी जांच पड़ताल हो रही थी, फिर भी, इस पर निर्माण कार्य वित्तीय कठिनाइयों के कारण मंजूर नहीं किया जा सका। इस बाईपास के लिए 20 लाख रुपये की लागत से जमीन प्राप्त करने के काम को चालू पंचवर्षीय योजना (1978-83) में अब शामिल कर लिया गया है और इस समय जमीन हासिल करने पर राज्य के लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुमानों की जांच की जा रही है। वर्ष 1980-85 की योजना में जो अन्तिम रूप से तय की जा रही है, इसके लिए 100 लाख रुपये की लागत के निर्माण के प्रथम चरण को शामिल करने का प्रस्ताव है जो आवश्यक संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर है। इस बाईपास पर मोटे तौर से 300 लाख रुपये की लागत आएगी।

गत तीन वर्षों के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं

3437. **श्री टी०एम०सावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हुई कितनी दुर्घटनाएं सिविल, मिकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिगनल और दूर संचार तथा आपरेटिंग विभागों से संबंधित थी ;

(ख) वर्षवार कितना मुआवजा दिया गया ;

(ग) वर्ष-वार और विभाग-वार कितने रेल कर्मचारी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाये गए ; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) के अनुसार वर्ष-वार और विभाग-वार इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजपत्रित अधिकारियों को वेतन का भुगतान

3438. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऐसे अनुदेश जारी किये थे कि राजपत्रित कर्मचारियों को उनके द्वारा दिए गए विकल्प, अर्थात् वेतन को नकद लिया जाए अथवा बैंक आफ बडौदा के नाम चैक द्वारा इस मामले में प्राधिकृत बैंक द्वारा के आधार पर वेतन का भुगतान करना चाहिए ;

(ख) क्या इन अनुदेशों का उनके मंत्रालय के अधीन वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) वेतन और लेखा कार्यालय (सचिवालय) के भुगतान नियंत्रण के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इन हिदायतों का पालन किया जा रहा है । अन्य विभिन्न वेतन और लेखा कार्यालयों के भुगतान नियंत्रण के अधीन सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में रेल लाइनों की लम्बाई

3439. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है और पूरे भारत की आबादी की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है ;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान बिछाई जाने वाली नई रेल लाइन की लम्बाई कितनी होगी तथा वह किन-किन स्थानों में बिछाई जायेगी ; और

(ग) इस कार्य के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कर्नाटक राज्य में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई (मार्ग कि०मी०) 31-3-80 को 3031 कि० मी० थी। कर्नाटक में जनसंख्या का प्रति लाख मार्ग कि० मी० 10.28 है जबकि पूरे भारत में यह 11.12 है, जो 92.45 प्रतिशत बनता है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे आउट एजेंसियां खोलने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

3440. **श्री आर० एल० भाटिया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाड़ा यातायात, बुकिंग यात्री बुकिंग आदि के लिए रेलवे आउट ऐजेंसियां खोलने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या आउट एजेंसियों के आवंटन के लिए क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाता है अथवा ये बातचीत द्वारा दी जाती है;

(ग) यदि विज्ञापन नहीं निकाला जाता है तो उसके क्या कारण है;

(घ) एक आउट एजेंसी आरम्भ में कितनी अवधि के लिए दी जाती है और इसका नवीकरण कब किया जाता है तथा क्या इसके लिए उसी प्रकार विज्ञापन दिये जाते है, और यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण है ?

(ङ) उत्तर रेलवे में पंजाब तथा हरियाणा में वर्तमान आउट एजेंसियां आरंभ में किस प्रकार आवंटित की गई और उन्हें समय-समय पर नवीकृत करने में किस प्रक्रिया का पालन किया गया ; और

(च) आउट-एजेंटों को क्या कमीशन तथा अन्य रेलवे लाभ दिये गये ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) किसी क्षेत्र के यात्रियों और व्यापारियों के लिए रेल एवं सड़क परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक आउट एजेंसी खोली जाती है बशर्ते यातायात की दृष्टि से इसका औचित्य हो और आउट एजेंसी को चलाने के लिए उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध हो।

(ख) महत्वपूर्ण तथा क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाद आउट एजेंसियों का आवंटन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आउट एजेंसी के ठेके के आबंटन की अवधि शुरू में 3 से 5 वर्ष की होती है मौजूदा ठेकेदारों के संतोषजनक कार्य के आधार पर ठेकों का नवीकरण करते समय कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाता है।

(ङ) पंजाब और हरियाणा में आउट एजेंसियों के आबंटन और नवीकरण के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया ऊपर बताये गये वर्तमान नियमों के अनुसार थी।

(च) माल और पार्सल यातायात के लिए आउट एजेंसी के ठेकेदार को रेलवे द्वारा कोई कमीशन नहीं दिया जाता। परेषिती/परेषकों से वसूल किये गये ठेलागाड़ी प्रभारों की ही ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जाती है। लेकिन यात्री यातायात के मामले में, इकट्ठे किये गये किराये के प्राय: 2-1/2% (थ्रू यात्रियों के मामले में किराये के स्थानीय भाग पर) तक कमीशन की अनुमति दी जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का मरम्मत और सुधार के लिए आबंटित की गई धनराशि

3441. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों में से प्रत्येक मार्ग की मरम्मत तथा उसमें सुधार किए जाने के लिए वर्ष 1980-81 के लिए आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का नंबर	वर्ष 1980-81 के लिए आबंटन (मूल निर्माण कार्य)	अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अब तक दी गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 43	590.00	243.26
2.	असम	31, 31-बी, 31-सी, 36, 37, 38, 39, 44, 51, 52, 52,-ए, 53, 54	400.00	138.25
3.	बिहार	2, 6, 23, 28, 28-ए, 30, 31, 32, 33	650.00	245.30

1	2	3	4	5
4.	चण्डीगढ़	21	—	3.00
5.	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 21	300.00	33.50
6.	गोआ	4-ए, 17, 17-ए	100 00	16.78
7.	गुजरात	8, 8-ए, 8-बी, 8-सी, 15	400.00	206.00
8.	हरियाणा	1, 2, 8 10, 22	325.00	67.28
9.	हिमाचल प्रदेश	1-ए, 21, 22	220.00	44.27
10.	जम्मू व कश्मीर	1-ए, 1-बी	230.00	19.77
11.	कर्नाटक	4, 4-ए, 7, 9, 13, 17, 48	525.00	136.50
12.	केरल	17, 47	340.00	95.00
13.	मध्य प्रदेश	3, 6, 7, 12, 25, 26, 27, 43	585.00	185.16
14.	महाराष्ट्र	3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 50	775.00	247.09
15.	मणिपुर	39, 53	69.00	19.50
16.	मेघालय	40, 44, 51	62.00	18.80
17.	नागालैंड	36, 39	10.00	0.81
18.	उड़ीसा	5, 5-ए, 6, 23, 42, 43	370.00	128.52
19.	पंजाब	1, 1-ए, 10, 15, 21, 22	262.00	78.00
20.	राजस्थान	3, 8, 11, 15	425.00	157.82
21.	तमिल नाडू	4, 5, 7, 7-ए, 45, 46, 47, 49	512.00	142.70

1	2	3	4	5
22.	उत्तर प्रदेश	2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29	950.00	251.63
23.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31-ए, 31-सी, 32, 34, 35, 41	500.00	208.04
24.	असल, मेघालय मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और 44 के बारे में सीमा सड़क विकास मंडल को	39, 44	400.00	23.85
25.	रेल प्रशासन (पांडू में घाट की नौकाओं के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय में सड़क प्रशासन का अंश)	—	—	7.59
		कुल :	9000,00	2718.42

जगाधरी में रेलवे आउट एजेंसी

3442. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रेल मंत्री जगाधरी में रेलवे आउट एजेंसी के बारे में 24 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5512 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे द्वारा जगाधरी नगर में रेलवे आउट एजेंटों के वर्तमान ठेके की 3 वर्ष की अवधि की बजाय उसे बढ़ाकर 5 वर्ष करने के क्या कारण है और नये ठेके के लिये विज्ञापन क्यों नहीं दिये गये थे और अन्य पार्टियों को पेशकश करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया ;

(ख) केवल एक विशेष एजेंट को ही ठेका देने के क्या कारण हैं जबकि उस पर कदाचार करने का संदेह है और उसके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही थी; और

(ग) क्या पांच वर्ष तक बढ़ायी गयी ठेके की अवधि के समाप्त होने पर रेलवे प्रशासन को कहा जायेगा कि वह क्षेत्रीय तथा स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर काफी पहले खुले बाजार से नये टेंडर आमंत्रित करें ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) पिछले ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किये गये संतोषजनक कार्य को देखते हुए वर्तमान नियमों के अनुसार 5 वर्षों के लिए इस ठेके का नवीकरण किया गया है। चूंकि वह नवीकरण का मामला था, इसलिए नये आवेदन मंगाने के लिए समाचार-पत्रों में इसका विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं थी।

(ख) वर्तमान आउट एजेन्ट के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है।

(ग) ठेके की वर्तमान अवधि समाप्त होने से काफी पहले ही ठेकेदार के कार्य-निष्पादन पर विचार करके इस मामले पर निर्णय लिया जायेगा।

तटीय नौवहन

3443. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटीय नौवहन को अधिक सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तटीय नौवहन को अधिक सस्ता बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

अलिपुर द्वार जंकशन का लोको रनिंग शेड

3444. **श्री पीटूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि और अधिक महत्वपूर्ण मरम्मत का कार्य कराने हेतु अलीपुर द्वार जंकशन के लोको रनिंग शेड का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कहां तक लागू किया गया है और लोको रनिंग शेड का ब्यौरा क्या है तथा इसका कार्यकरण कैसा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस समय अलीपुर द्वार शेड में माटर लाइन के 36 भाप रेल इंजन रखे जाते हैं। भाप रेल इंजनों के अनुरक्षण से संबंधित सारी कार्रवाई इस शेड में की जाती है। अलीपुर द्वार शेड के विस्तार की कोई योजना नहीं है। उत्तरोत्तर डीजलीकरण की योजना को देखते हुए एक नीति के रूप में भाप रेल इंजन शेडों के विस्तार पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उड़ीसा के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना

3445. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने छठी योजनावधि के लिए राज्य के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) अनवरत योजना और चालू वित्तीय बर्ष की समाप्ति से पहले और राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कितने ब्लाक, तहसील उपमंडल और विपणन स्थल अभी तक सभी मौसम में काम आने वाली सड़कों से जोड़े जाने हैं ;

(ग) इस क्षेत्र में उपयोजना तैयार किए जाने, राज्य योजना के लिए सामान्य आवंटन और एम० एन० पी० तथा अन्य योजनाओं को इन क्षेत्रों में लागू किए जाने के बाद भी सड़क सुविधाओं में कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) छठी योजना के चालू वर्ष में कौन-कौन से बड़े और अन्य पुलों के निर्माण कार्य को शामिल किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार ने अपनी छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) के मसौदे में विकास विभिन्न कार्यों के लिए जनजाति विकास उप योजना पर लगभग 1077 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय प्रस्तावित किया है जिसमें से 85 करोड़ रुपये सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए रखे गए हैं। छठी योजना के इस मसोदे के अनुसार इस राज्य में छह सबडिवीजनों, 18 तहसीलों, 95 ब्लाकों और 85 पुलिस स्टेशनों से हेडक्वार्टरों तक सभी मौसम वाली सड़क अभी भी बनाई जानी है। इस राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग की सड़कों के लिए जनजाति उपयोजना का जो मसौदा तैयार किया है उसके 80 निर्माण कार्य शामिल है जिसमें से 41 निर्माण कार्य पुल परियोजनाओं के है। इस कार्य में मुख्य कठिनाई धन का अभाव है।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा निर्गम द्वार से बसों में चढ़ा जाना

3446. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी, ड्यूटी पर जाते समय अथवा ड्यूटी पर न हो, तो भी दिल्ली परिवहन की बसों में निर्गम द्वार से चढ़ते हैं जिससे यात्रियों को बहुत कष्ट और असुविधा होती है;

(ख) जब कि यात्रियों को ऐसे कुछ स्थानों पर जहां बस सेवा खराब होती है, काफी लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ये कर्मचारी पैसे देने वाले यात्रियों को घाटे में रखकर तथा पंक्ति तोड़कर और निर्गम द्वार से बसों में चढ़कर आराम से बैठ जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने तथा जो कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं होते हैं उनको निर्गम द्वार से बसों में चढ़ने से रोकने के लिए सरकार का क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) कुछ समय पहले दिल्ली परिवहन निगम को इस तरह की कुछ शिकायतें मिली थीं। निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को कड़ी हिदायत कर दी है कि निगम के कर्मचारी बसों में अगले गेट से न चढ़ें। अलग-अलग डिविजनों में तैनात यातायात अधिकारियों और डिपो प्रबंधकों से भी कहा गया है कि वे इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। निगम ने यह भी सूचित किया है कि अब दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी अधिकांशत; बसों में पिछले गेट से ही चढ़ते हैं।

सियालदह-बारसाट लाइन

3447. **डा० गोलाम याजदानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के सियालदह बारसाट सेक्शन की दोहरी लाइन में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलमंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दमदम-बारासत खंड पर दोहरी लाइन बिछाने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यों में प्रगति की स्थिति इस प्रकार है :—

विवरण	प्रगति
1. किये गये ठेके	मांगे गए 29 टेंडरों में से 28 टेंडर स्वीकार कर लिए गए हैं।
2. चट्टानी क्षेत्र को छोड़कर संरचना संबंधी कार्य	79 प्रतिशत

3. 2 बड़े पुल	एक बड़ा पुल बनकर तैयार हो गया है और दूसरे पुल के लिए एक गर्डर मौके पर प्राप्त हो गया है और तीन गर्डर तैयार हो रहे हैं।
4. प्लेटफार्म और पुल	36 प्रतिशत। 15 छोटे पुलों में से एक बनकर तैयार हो गया है।
5. रेल-पथ को जोड़ना	
मुख्य लाइन	3 किलोमीटर
लूप लाइन	0.25 किलोमीटर
6. काटे और पार	
8-1/2 में 1-32 सेट	23 प्रतिशत
12 में 1-25 सेट	80 प्रतिशत
16 में 1-1 सेट	100 प्रतिशत
7. प्लेटफार्म शेड-7	25 प्रतिशत
8. फेंसिंग युक्त प्लेटफार्म-6	70 प्रतिशत
9. मिट्टी की सप्लाई	15 प्रतिशत
10. ऊपरी उपस्कर के अस्तूल का निर्माण-140 अदद	79 प्रतिशत

कुल प्रगति—46.8 प्रतिशत

यू० के० में एक सिख लड़के पर हमला

3448. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 31 अगस्त, 1980 के ट्रिब्यून में यू०के० में एक सिक्ख लड़के पर हमले की निन्दा (अटैक आंन सिक्ख बाय इन यू० के० कनडेम्ड) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यू०के० में भारतीय हाई कमीशन द्वारा इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के सामने कोई विरोध प्रकट किया गया था अथवा कोई और कार्यवाही की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) राजिन्द्रसिंह नाम के एक 15 वर्षीय सिख लड़के पर दो श्वेत व्यक्तियों द्वारा वाल्वेर हेम्पटन के पार्क फील्ड क्षेत्र में हमला करने के बारे में वाल्वेर हेम्पटन टर्बन एक्शन कमेटी से सूचना मिलने पर इस मामले को हाई कमीशन ने तत्काल ही ब्रिटिशगृह कार्यालय के साथ उठाया और गृह कार्यालय से अनुरोध किया कि इस मामले की अच्छी तरह छान-बीन करें ताकि अपराधियों के विरुद्ध न्याय-संगत कार्रवाई की जा सके ; और उनसे यह भी कहा गया कि वे ऐसे प्रभावकारी कदम उठाएं कि भविष्य में ऐसी बारदातें न हों ।

(ग) सितम्बर, के अन्तिम सप्ताह में ब्रिटिशगृह कार्यालय ने हाई कमीशन को सूचित किया कि इस मामले को वेस्ट मिडलेंड पुलिस द्वारा अच्छी तरह छान बीन की गयी है लेकिन इसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली । ब्रिटिशगृह कार्यालय ने बताया है कि गृह मंत्री तथा पुलिस के मुख्य अधिकारी हिंसा की ऐसी घटनाओं को चिन्ता की नजर से देखते हैं लेकिन उन्होंने आगे यह भी बताया कि दुर्भाग्य से इनके लिए जिम्मेवार लोगों को खोज कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर पाना सम्भव नहीं हो पाता ।

रेलगाड़ियों में चीनी का कोटा घटाया जाना

3449. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों में चीनी का कोटा कम कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किस सीमा तक कटौती की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चीनी की सप्लाई पर्याप्त न होने की वजह से केवल मध्य रेलवे पर चाय/काफी के प्रति प्याले के लिए चीनी की निर्धारित मात्रा में 1 से 1.5 ग्राम तक की मामूली कमी की गयी थी। लेकिन पाट में चाय/काफी परोसने पर चीनी की निर्धारित मात्रा में कोई कमी नहीं की गयी है। दक्षिण रेलवे पर चाय/काफी तैयार करने में मीठा दूध उपयोग किए जाने के कारण चीनी की निर्धारित मात्रा को उपयुक्त रूप में समायोजित कर लिया गया है। किसी अन्य रेलवे पर चीनी के कोटे में कोई कमी नहीं की गयी है ।

चिकित्सा विज्ञानों के सुधार के लिए योजना

3450. **डा० गोलन याजदानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा विज्ञान के सुधार के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संवर्ग संख्या कितनी है और उनमें से कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) :

(क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संवर्ग में कुल 3589 पद हैं । जिनमें से 178 पदों पर अनुसूचित जाति के तथा 35 पदों पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ।

विवरण

भारत सरकार ने राज्य सरकारों, भारत के विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों को एक पत्र लिखा है जिसमें ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्नातक पूर्व मेडिकल शिक्षा की स्थिति अनुकूल बनाने के लिए तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संशोधन करने के लिए ठोस सुझाव भेजे हैं । भारत सरकार की उच्च अधिकार प्राप्त एक समिति ने चिकित्सा शिक्षा यथा सुपोर्टस मेनपावर दल की सिफारिशों को देखने के पश्चात् 'एक कार्यनीति' मंजूर की है जो निम्नलिखित तीन अलग-अलग भागों में विभक्त हैं:-

1. जनस्वाथ्य रक्षक
2. स्वास्थ्य सहायकों का एक संवर्ग बनाना तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायकों को न केवल स्वास्थ्य के निरोधक तथा संवर्धक पहलुओं में शामिल करना बल्कि उन्हें उपचारी सेवाओं में भी लगाना ।
3. चिकित्सा कालेजों को जन स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल करना ताकि एक वृहद् स्वास्थ्य रैफरल कम्पलेक्स का विकास किया जा सके तथा इसका उपयोग न केवल प्रशिक्षण कार्य में बल्कि चिकित्सा शिक्षा की स्थिति अनुकूल बनाने की दिशा में भी किया जा सके ।

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंणालय ने चिकित्सा शिक्षा की स्थिति अनुकूल बनाने की एक योजना तैयार की है जिसमें देश के प्रत्येक मेडिकल कालेज के साथ तीन प्राइमरी हैल्थ सेंटर सम्बद्ध करने का विचार शामिल हैं । यह योजना, चिकित्सा शिक्षा तथा सहायक कर्मचारी दल की रिपोर्ट पर आधारित है । इस योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी हैं । इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें अब स्नातक पूर्व चिकित्सा पाठ्यचर्या पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की उन सिफारिशों में शामिल किया जा चुका हैं जो अब भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 33 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न मेडिकल कालेजों द्वारा मेनडेटरी कम्पलिएंसी के लिए विनियमों के रुप में केन्द्र सरकार द्वारा

मंजूर कर ली गई हैं। जिनके न होने पर परिषद द्वारा मेडिकल कालेज की मान्यता रद्द की जा सकेगी। इस योजना को पहले चरण में 25 मेडिकल कालेजों तथा दूसरे चरण में 45 मेडिकल कालेजों में लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

योजना आयोग तथा वित्त प्रभाग की सहमति से इस मंत्रालय द्वारा सहायता का पैटर्न भी निर्धारित किया जा चुका है जिसके अधीन प्रत्येक मेडिकल कालेज को एक बारगी अनावर्ती सहायता अनुदान के रूप में 5 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता मिलेगी। विभिन्न राज्य सरकारों को धन का भुगतान किया जा चुका है। यह योजना उस वक्त तक बनी रहेगी जब तक देश की ग्रामीण और अर्ध-नगरीय जनता को पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करने का सामाजिक दायित्व पूरा नहीं हो जाता।

गोमोह तथा गया के बीच एक और पैसेजर गाड़ी चलाया जाना

3451. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धनबाद, गिरीडीह, हजारीबाग तथा गया जिलों के लोगों की इस पुरानी दिक्कत का पता है कि गोमोह तथा गया के बीच केवल एक अप तथा डाउन पैसेन्जर गाड़ी (129 अप/130 डाउन) हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सैक्शन में एक और गाड़ी चलाने के लिए सरकार ने क्या कारंवाई की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 29-11-1980 से धनबाद और पटना के बीच 29/30 गंगा-दामोदर एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गयी है जो गोमो, हजारीबाग और गया आने-जाने वाले यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करेगी। लेकिन गोमो-गया खंड पर हर स्टेशन पर रुकने वाली धीमी रफ्तार की सवारी गाड़ी चलाने से इस खंड की लाइन क्षमता कम हो जायेगी जबकि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए अपेक्षित माल यातायात की ढुलाई में इस खण्ड को मुख्य धमनी का काम करना है।

मोटर-वाहनों की संख्या में वृद्धि

3452. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय रेल के डिवीजनल कार्यालयों, मुख्यालयों तथा अन्य कार्यालयों में अधिकारियों के प्रयोग के लिए मोटर-वाहनों की संख्या में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इन वाहनों की पैट्रोल/डीजल की कुल मासिक खपत कितनी हैं और उसकी लागत क्या हैं ;

(ग) इन वाहनों के रख रखाव पर और स्टाफ पर प्रतिमाह कितना खर्च आता है ; और

(घ) जिस समय देश में गंभीर आर्थिक संकट है तथा स्थिति पैट्रोल/डीजल के संकट के कारण और बिगड़ गई है, विशेष रूप से उस समय वाहनों की संख्या में वृद्धि करने और भारी धनराशि खर्च करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीकी कार्यकारी दूत द्वारा एक गैर सरकारी फर्म की ओर से पत्र लिखना

3453. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमरीकी कार्यकारी दूत ने एक गैर-सरकारी फर्म सी०एफ० ब्राउन एण्ड कम्पनी की ओर से केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्र का विषय क्या है ;

(ग) क्या राजनयिकों द्वारा गैर-सरकारी फर्मों की ओर से इस प्रकार के पत्र भेजना सुस्थापित राजनयिक परम्पराओं के अनुसार है ; और

(घ) सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मैसर्स सी० एफ० ब्राउन एण्ड कम्पनी को कतिपय संविदाएं दिए जाने के सम्बन्ध में सितम्बर, 1980 में संयुक्त राज्य अमरीका के कार्यवाहक राजदूत ने भारत सरकार के पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को एक पत्र लिखा था । अपने देशों की वाणिज्यिक फर्मों के काम में दिलचस्पी लेना और ऐसे मामलों में अपने प्रत्यायन के देशों की सरकारों को पत्रादि लिखना राजनयिक मिशनों का सामान्य काम है । भारत सरकार और विदेशी सरकारों अथवा उनके प्रत्यायित मिशनों के बीच किए जाने वाले पत्र-व्यवहार को सामान्यत: गोपनीय माना जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

खराब जलवायु भत्ता

3454. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेल प्राधिकरण ने जिला कोरापुट उड़ीसा के रेल कर्मचारियों को खराब जलवायु भत्ते का पूरा भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को और कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) यदि अभी नही, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) क्या कोरापुट के कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों ने उन पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी समस्याएं क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) भुगतान लगभग अक्तूबर, 1980 तक पूरा हो चुका था । 2,68,873.611 रु० की राशि का भुगतान किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) कोरापुट स्टेशन पर पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए मांग थी ।

इस स्टेशन पर पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग के विचार-विमर्श से पहले से ही कार्रवाई की जा रही है ।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे तथा रामकृष्ण पुरम के बीच रात्रि बस सेवा

3455. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय बस अड्डे तक रामकृष्ण पुरम के बीच चलने वाली रात्रि बस सेवा दक्षिणी मोती बाग तथा शान्ति निकेतन कालोनियों से होकर नहीं जाती और वाया संगम सिनेमा सीधे रामकृष्ण पुरम चली जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों की सेवा हेतु इस बस को शान्ति पथ, रिंग रोड तथा राव तुलाराम मार्ग के चौराहों से न ले जाये जाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेन जंक्शन से रात

को बसें इसलिए चलाई जाती हैं ताकि जो यात्री रात को देर से आने वाली गाड़ियों और बसों से दिल्ली पहुंचते हैं, उन्हें सुविधा हो। रात को चलने वाली ये बसें जनकपुरी, तिलकनगर, आर.के. पुरम, हौजखास, यमुना पार का क्षेत्र, कालका जी और लाजपत नगर जैसी दूर-दराज की कालोनियों तक जाती है जहां रात तक यातायात की बराबर मांग बनी रहती है। रात को चलने वाली ये बसें केवल मेन रोड़ पर ही चलती है और यह मुमकिन नहीं है कि इन बसों को शांति निकेतन और साउथ मोती बाग जैसी छोटी-छोटी कालोनियों में भी भेजा जाए जहां कि रात के समय अधिक यातायात नहीं होता।

"कैंसर का इलाज सम्भव" शीर्षक से छपा समाचार

3456. **आचार्य भगवान देव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काहनेमान होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा अनुसंधान संस्थान के डा० एम० आई० खान द्वारा तैयार की गई होम्योपैथिक दवाई "कोसिनोसाइन" की इस दृष्टि से जांच की गई है कि वह कैंसर के रोग में कितनी प्रभावी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दवाई की अब जांच करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) औषधि का सही नाम कार्सीनोसिन है। इस औषधि की व्याख्या प्रामाणिक पुस्तकों में की गयी है और कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा इसका पहले से ही व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

सोनभद्रा एक्सप्रेस का उद्घाटन

3457. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोनभद्रा एक्सप्रेस का उद्घाटन पटना जंक्शन पर 2 सितम्बर, 1980 को हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कथित उद्घाटन 'डाउन' प्लेटफार्म के स्थान पर 'अप' प्लेटफार्म पर किया गया था ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(घ) इस उद्घाटन पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का विवरण क्या है ; और

(ङ) इस पर इतनी बड़ी राशि व्यय करने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) क्योंकि यह महसूस किया गया कि उद्घाटन समारोह के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है, जो कि अप प्लेटफार्म पर उपलब्ध नहीं है। 191 अप पटना-दिल्ली सोनभद्र एक्सप्रेस का उद्घाटन डाउन प्लेटफार्म से किया गया था।

(घ) और (ङ) इस उद्घाटन समारोह पर कुल 7,918.80 रुपये (1000 रुपये शामियाने, मंच आदि पर, 1036.80 रुपये आमन्त्रित लोगों के लिए चाय-पानी पर, 500 रुपये संवाददाताओं की आवभगत पर, 2,700 रुपये निमन्त्रण पत्रों की छपाई पर और 2332 रुपये फोल्डरों की छपाई पर) खर्च हुए। गाड़ी सेवाओं के महत्व को देखते हुए यह खर्च अधिक नहीं समझा जाता।

बड़ोदरा रेलवे स्टेशन

3458. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के वित्त तथा योजना मन्त्री ने भूतपूर्व रेल मन्त्री के साथ अपनी हाल की बातचीत के दौरान बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के बाहर यातायात रुकावट के बारे में अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) क्या राज्य के मन्त्री ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के बाहर की भूमि समाज विरोधी तत्वों को क्षेत्र से निकालने तथा यातायात को अच्छे ढंग से विनयमित करने के लिए नगर निगम को हस्तान्तरित की जाये ;

(ग) क्या यह सच है कि रेल मन्त्री ने मामले पर विचार किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) अक्टूबर, 1980 में वित्त, योजना, श्रम, नियोजन, मद्य निषेध तथा आबकारी मन्त्री, गुजरात सरकार ने भूतपूर्व रेल मन्त्री के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया था। इस दौरान उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे की भूमि के एक टुकड़े को 'सार्वजनिक उपयोग में लाने अर्थात् बसों को अपने-अपने स्टैंड में ले जाने के लिए सौंप दिया जाए। सुझाव की जांच की गई है। स्टेशन इमारत तथा उसमें स्थित विभिन्न कार्यालयों के सामने तथा इस स्टेशन पर अत्यधिक बढ़ते हुए यातायात की विकासात्मक जरूरतों के लिए रेलवे की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थान रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रेल प्रशासन भूमि राज्य सरकार को सौंपने की स्थिति में नहीं है। लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि भूमि पर समाज विरोधी तत्वों का कब्जा नहीं है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क

3459. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 27 अगस्त, 1980 को बुकिंग क्लर्कों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके मुख्य पर्यवेक्षक को परेशान किये जाने के प्रश्न पर काम बन्द कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कुछ कर्मचारी पर्यवेक्षक को एक घूस के मामले में जबरदस्ती फंसाना चाहते थे ; और

(ग) क्या रेलवे प्राधिकारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों के आरक्षण बूथ में आने से पूर्व सूचना दे दी गई थी और क्या वास्तव में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उच्च अधिकारियों ने छापे का आदेश दिया था और यदि हां, तो किस स्तर पर ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जैसे ही जांच के सम्बन्ध में जाल बिछाया गया, आरक्षण कार्यालय के कार्यभारी स्थानीय रेलवे अधिकारी को सूचित कर दिया गया था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास दर्ज की गई जनता की लिखित शिकायत के आधार पर उपमहानिदेशक/केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आदेश से जाल बिछाया गया था ।

भारत अमरीका संयुक्त आयोग

3460. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत अमरीकी संयुक्त आयोग की स्थापना से अब तक भारत की आत्म-निर्भरता के पथ पर प्रगति के प्रयासों में सहायता और बाधाओं सहित विशिष्ट प्रस्तावों, करारों और इसके निर्णयों के व्यवहारिक कार्यान्वयन की स्थिति क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत और अमरीका के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, अक्तूबर, 1974 में भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग स्थापित किया गया था । संयुक्त आयोग, अपने अन्तर्गत स्थापित चार उपायोगों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करके उनका अनुमोदन करता है और फिर उन्हें सम्बन्धित सरकारों को स्वीकृति के लिए भेज देता है । संयुक्त आयोग के काम शुरू करने के बाद से अनेक कार्यक्रमों पर अमल किया गया है जिनमें अधिक महत्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं :

आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों सम्बन्धी उपायोग के अन्तर्गत द्विपक्षीय व्यापार, विकास सहायता, प्रौद्योगिकी का अन्तरण, दोहरी कराधीन-संधि, बहुपक्षीय आर्थिक प्रश्न, भारतीय निवेश नीति और भारत-अमरीकी संयुक्त उपक्रमों सम्बन्धी मामलों पर बातचीत हुई है जो कि दोनों पक्षों के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं । अमरीका व्यापार में भारत के साथ सबसे बड़ा साझेदार

है । इस आयोग की मार्फत हम अमरीकी अधिकारियों का ध्यान कुछ ऐसी बड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित कर सके हैं जिसका प्रभाव हमारे निर्यात पर पड़ता है । जैसे यू.एस.जी.एस.पी. योजना में सुधार, कुछ मदों के लिए उदारीकृत कोटे और विकासशील देशों के प्रति उदार अमरीकी आयात नीति की जरूरत । द्विपक्षीय वाणिज्यिक, औद्योगिक और पूंजी निवेश के मामलों पर बातचीत के लिए नियमित माध्यम की व्यवस्था हेतु इस उपायोग के तत्वावधान में एक संयुक्त भारत-अमरीकी व्यापार परिषद स्थापित की गई है, जिसमें अमरीकी और भारतीय कम्पनियों के प्रतिनिधि हैं ।

शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी उपायोग ने एक भारत-अमरीकी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 15 विद्वानों का आदान-प्रदान किया जाता है, थोड़े अर्से के लिए पांच विद्वानों के आदान-प्रदान का भी कार्यक्रम है । उपायोग आपसी हित के मामलों पर वर्ष में दो बड़ी अध्ययन गोष्ठियों का आयोजन करता है । इस उपायोग द्वारा प्रारम्भ किए गए अन्य मुख्य-मुख्य कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं—भारत और अमरीका में नियमित प्रदर्शनियां; संग्रहालय कार्मिकों का आदान-प्रदान ; भारतीय कला और आधुनिक अमरीकी कला सम्बन्धी बड़ी-बड़ी प्रदर्शन वस्तुओं की अदला-बदली ; संगीय और साहित्यिक कलाओं सम्बन्धी कलाकारों और दलों का आदान-प्रदान तथा फिल्म आदान-प्रदान कार्यक्रम ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी उपायोग ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में भी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को भी बढ़ाया है :

कृषि और जलसंसाधन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, सामग्री और इलैक्ट्रानिक, सूचनात्मक विज्ञान, वन्य जीवन और आवास, मौसमी तथ्यों संबंधी सौर कार्यक्रम, समुद्र विज्ञान तथा लघु उद्योग प्रौद्योगिकी ।

इस उपायोग के प्रयत्नों से 1978 में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके फलस्वरूप भारत, नासा के लैण्डसैट उपग्रह क्षेत्र से सीधी दूरस्थ संवेदन सामग्री प्राप्त करेगा, जोकि भारत के प्राकृतिक साधनों की सूचना देने में सहायक होगी ।

गत वर्ष स्थापित कृषि संबंधी उपायोग ने हाल ही में अपनी पहली बैठक की है और इस क्षेत्र में भारत अमरीकी सहयोग के प्रस्ताव तैयार किये हैं ।

पारस्परिक लाभदायक कार्यक्रमों का संवर्धन, ही संयुक्त आयोग का ध्येय है । कार्यक्रम तैयार करते समय भारत सरकार, स्वावलंबन और अपनी जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के सुधार के लिए, अपने प्रयासों के बढ़ाने के प्रयोजन को हमेशा अपने ध्यान में रखती है ।

तोड़-फोड़ के कारण हुई हानि

3461. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री एस०ए० दोराई सेबिस्तियन :

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पी०एस० सईद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य रेलवे के नासिक डिवीजन में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर रेलवे सम्पत्ति की तोड़-फोड़ तथा विनाश किये जाने के परिणामस्वरूप हुई हानि का मूल्यांकन कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने हानि की प्रतिपूर्ति के लिये कुछ सामूहिक शुल्क लगाने की व्यवहार्यता के बारे में विचार किया है; और

(ग) क्या आन्दोलनकारियों ने गोरिल्ला लड़ाई आरम्भ करने की घोषणा की है और यदि हां, तो रेलवे लाइन तथा सम्पत्ति को बचाने के लिये क्या सावधानी बरतने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। किसानों के आन्दोलन के कारण मध्य रेलवे पर अब तक लगभग 6,37,000 रुपये हानि का अनुमान लगाया गया है।

(ख) इस सम्बन्ध में निर्णय महाराष्ट्र की राज्य सरकार को करना है।

(ग) आन्दोलनकारियों द्वारा गुरिल्ला लड़ाई शुरू करने की घोषणा की रेल प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है।

फिर भी पुलिस एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल पथ पर गश्त लगाने, महत्वपूर्ण संस्थापनाओं और नाजुक स्थलों पर निश्चित टुकड़ियां तैनात करने जैसे निवारक उपाय किए गए हैं।

कोचीन पत्तन कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

3462. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन कर्मचारी संघ ने हाल ही में कोचीन पत्तन न्यास को हड़ताल का एक नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्होंने पहले स्वीकार कर लिये गए मुद्दों के क्रियान्वयन की कोई मांग की है; और

(घ) यदि हां तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जी, हां । 5-11-1980 को ।

(ख) अपने मांगपत्र पर जोर डालने के लिए जिसमें कुल 39 मांगें थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) समझौते की बातचीत के फलस्वरूप यूनियन इस बात पर सहमत हो गई थी कि वह हड़ताल की धमकी इत्यादि से दूर रहेगी । जिन बातों पर सहमति पहले हो गई है, उनमें से कुछ पर पोर्ट ट्रस्ट कार्यवाही कर चुका है। जहां तक अन्य बातों पर कार्रवाई करने का सवाल है, जब यह मौजूदा विवाद खत्म हो जाएगा कि मांगों की बातचीत का स्वरूप क्या हो, पोर्ट ट्रस्ट द्विपक्षीय बातचीत के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा ताकि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र अमल हो सके । इस बारे में पोर्ट ट्रस्ट मद्रास के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की सलाह की प्रतीक्षा कर रहा है ।

कोचीन पत्तन में काम करने वाले मजदूर

3463. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन मे काम करने वाले मजदूरों ने 29 दिन तक हड़ताल की थी ;

(ख) क्या हड़ताली संघों के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वह समझौता कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । 15 जून, 1980 से 13 जुलाई, 1980 तक ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस करार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) इस करार की दूसरी मद सरकार के अनुमोदन पर निर्भर थी। सरकार द्वारा इस मामले की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि अन्य बातों के अलावा इसका प्रभाव कोचीन में ही नहीं बल्कि अन्य बड़े पत्तनों में काम करने वाले अन्य श्रेणी के कामगरों पर भी पड़ेगा। जहां तक करार की मद संख्या 3 का संबंध है, पत्तन प्रशासन ने अभी इसे इसलिए कार्यान्वित नहीं किया है कि समझौते की केवल इस मद को कार्यान्वित करने से उन श्रेणियों के कामगरों में असंतोष फैलेगा जिन्हें मद सख्या 2 के कार्यान्वित होने से लाभ होगा।

विवरण

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष और कोचीन पोर्ट स्टाफ एसोसिएशन और कोचीन पोर्ट पोर्टरज स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श के बाद हुई सहमति का कार्यवृत।

विचार विमर्श के बाद नीचे लिखे विषयों पर सहमति हुई :—

1. यूनियनें "रोस्टर आफ" की चालू पद्धति को समाप्त करने पर दामों को वापस लेने और विवाचन अधिकारी तथा श्रम विभाग (केन्द्रीय) को उन विवादों के बारे में समझौता होने की सूचना देने के लिए सहमत हैं जिन पर इस विचार विमर्श में चर्चा की गई। यह विचार विमर्श कोचीन पोर्ट स्टाफ एसोसिएशन और कोचीन पोर्ट पोर्टरज स्टाफ एसोसिएशन द्वारा प्रशासन को क्रमश: दिनांक 9-3-1980 और 31-5-78 के संबोधित पत्रों में उठाये गए दावों के फलस्वरूप सम्पन्न हुआ।

2. अध्यक्ष, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट इस बात पर सहमत हैं कि वेतन संशोधन समिति के बुनियादी वेतन मानों की सीमा में उन पदों के लिए जिन्हें मार्कर/सार्टर/वेकर कहा जाता है, मिलने वाले 420-10-430-द० अ०-12-478-द० अ०-13-595 रुपये के वेतन मान के स्थान पर वेतन संशोधन समिति क 425-11-436-द० अ० 13-540-द० अ०-15-660 रुपये का वेतन मान रहेगा और उन पदनामों बाले पद पर काम करने वाले व्यक्तियों को उक्त 425-660 रुपये के ऊंचे वेतन मान में पदोन्नत किया जाएगा।

   अध्यक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि मार्कर/सार्टर/चेकर का पद नाम "डिप्लापेबुल कार्गो-मैन" में परिवर्तित किया जाएगा। इस खंड में दिये गये प्रस्ताव सरकार से अनुमोदन मिलने पर निर्भर हैं।

3. चूंकि पोर्टरज आफिस इस्टेब्लिशमेन्ट इक्जीक्यूटिज स्टाफ सेक्शन में ग्रेड 1 के चार्जमैनों को रखने के लिए और बाद की पद संस्थाओं वाले पद उक्त सेक्शनों में "चार्जमैन" के रूप में प्रोन्नत हो जाएगें और "लियन" के प्रयोजन के अलावा चार्जमैन का ग्रेड 1 समाप्त कर दिया जायगा इसलिए अध्यक्ष इस बात पर सहमत

हैं कि पोर्टरज ग्राफिस इस्टेब्लिशमेन्ट इक्जीक्युटिव स्टाफ सेक्शन में चार्जमैन के अधिक से अधिक पद बनाएं जायें ।

इस प्रकार की प्रोन्नति पर यूनियनें इस बात पर सहमत हैं कि सभी कर्मचारी जिनकी पद संज्ञा "चार्जमैन" है, वे चार्जमैन और चार्जमैन 1 द्वारा अपेक्षित सभी तरह की ड्यूटी का पालन करेंगे ।

ह०	ह०	ह०
यू० महाबलराव, आई० ए० एस०	ए० ए० कोचनी	के० गोपालन नायर
अध्यक्ष	जेनरल सेक्रेटरी	वाइस प्रेसिडेंट
कोचीन पौर्ट ट्रस्ट	कोचीन पोर्ट	कोचीन पोर्ट फ्लेटरज
	स्टाफ एसोसिएशन	एसोसिएशन

ह०
जी० के० स्वामी
ट्रैफिक मैनेजर,
दिनांक 25-7-1980

कोचीन के पोत निर्माण कारखाने के चेयरमैन का स्थानान्तरण

3464. **प्रो० पी० जे० कूरियन :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के पोत निर्माण कारखाने के चेयरमैन को उसकी पदावधि पूर्ण होने से पहले हाल ही में स्थानान्तरित कर दिया गया था और उसकी अवनति कर दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार को दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे उस समाचार की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि स्थानान्तरण का संबंध कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन दूसरे पोत के लिए इंजिन की खरीद करने से था और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) दूसरे पोत के इंजिन के लिए प्रस्तुत की गई मूल्य दरें क्या थी और मूल्य दरों का ब्यौरा क्या था ;

(घ) क्या एक मूल्य दर मसित लिमिटेड के एक विदेशी सहयोगी से प्राप्त हुई थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चेयर मैन को मूल्य दरों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् स्थानान्तरित किया गया था ; और

(च) चेयर मैन को मध्यावधि में ही स्थानान्तरित किए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क), (ख) और (घ) भूतपूर्व अध्यक्ष एवं महानिदेशक को जो 10-10-1979 से कोचीन शिपयार्ड में प्रतिनियुक्ति पर थे, नियुक्ति की शर्तों के अनुसार एक वर्ष पूरे होने पर कार्य निष्पादन की समीक्षा के पश्चात् उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। उन्होंने स्वयं भी अपनी इच्छा जाहिर की कि यदि भारत सरकार उनको कार्यग्रहण करने की तारीख से उन्हें 3000-3500 रुपये का वेतनमान देने में असमर्थ है तो उन्हें उनके मूल विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिया जाए। सरकार को उनकी यह मांग स्वीकार नहीं थी। वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार वह आर्थिक लाभ के हकदार थे जो कुल 300/- रुपये प्रतिमास से अधिक न हो। सरकार को इण्डियन एक्सप्रेस में 21-10-80 को प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

(ग) प्राप्त कोटेशनों का विवरण निम्नलिखित है :—

	कम्पनी	दिया गया मूल्य	सुपुर्दगी की पेशकश
1.	मैसर्स मान पश्चिमी जर्मनी	डी० एस० 8, 130,000 (एफ० ओ० बी०)	अप्रैल, 1981
2.	मैसर्स एच० कोमीस्की पोलेंड	$ 2,493,000 (एफ० ओ० बी०)	दिसम्बर, 1980
3.	मैसर्स जोन जी० किकाएड कंपनी लि०,	£2,580,000 (एक्स वर्कस)	अगस्त, 1981
4.	मैसर्स हालैंड एंड वैल्फ	£2,475,796 (एफ० ओ० बी०)	जनवरी, 1981

(ग) मैसर्ज मान तथा मसित लिमिटेड के आपसी सहयोग से हेवी ड्यूटी कमर्शियल वेहिकिल्स के मैनुफैक्चर के बारे में सरकार ने जो अनुमोदन पहले दिया था वह बाद में वापस ले लिया गया।

(ङ) भूतपूर्व अध्यक्ष व महाप्रबंधक को कोटेशनों को तय करने के बाद प्रत्यावर्तित किया गया था।

ब्रिटेन में जातीय हिंसा की घटनायें

3465. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 नवम्बर, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में पृष्ठ 16 पर "ओमिनयिस नम्बिलिंग्स आफ रेसियल वायोलेंस इन यू० के०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव (क) : जी हां ।

(ख) फासिस्टवादी नव-नाजी संगठन, "ब्रिटिश मूवमेंट" जिसे "नेशनल फ्रंट" का सक्रिय प्रतिद्वन्द्वी माना जाता है के लगभग 500 समर्थकों ने 23 नवम्बर, 1980 को पश्चिमी लंदन में एक छोटा-सा प्रदर्शन किया जिसमें इस आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माइकेल मक्लाऊघलीन ने भाषण दिया । इस प्रदर्शन के दौरान शांति बनाये रखने के लिए लगभग 3000 पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात थे । पुलिस प्रदर्शनकारियों और "नाजी-विरोधी लोग," "जातिवाद के विरुद्ध पेट्टिंगटन अभियान" तथा "जातिवाद के विरुद्ध पूर्वी लन्दन के कामगार" नामक संगठनों की ओर से उपर्युक्त प्रदर्शन के विरोध में आए हुए लगभग 3000 प्रदर्शनकारियों को अलग-अलग रखने में काफी हद तक सफल रही । लेकिन पुलिस के साथ हुई छुट-फुट हाथापाई के दौरान 73 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । "ब्रिटिश मूवमेंट" द्वारा आयोजित प्रदर्शन से वहां की अल्पसंख्यक जातियों के लोगों के बीच रोष और चिंता उत्पन्न हुई लेकिन इससे आमतौर पर स्थानीय भारतीय समुदाय के बीच किसी भी प्रकार के आतंक की भावना पैदा नहीं हुई ।

(ग) जातीय सद्भाव की आवश्यकता के बारे में सरकार का दृष्टिकोण सुविदित है । इस प्रकार के संगठनों अथवा प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें नियंत्रित करने का प्रश्न एक आंतरिक मामला है जिस पर ब्रिटिश सरकार ही कार्रवाई कर सकती है ।

पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण उद्योग

3466. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 से 1980 तक, वर्षवार, पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण उद्योग के पास वैगनों के लिए कितने क्रयादेश दिए गए थे ;

(ख) इसी अवधि के दौरान, वर्षवार, कुल कितने मूल्य के क्रयादेश दिए गए थे : और

(ग) 1965 से 1980 तक, वर्षवार पश्चिम बंगाल में ऐसे एककों के नाम क्या हैं जो रेलवे के लिए वैगनों का निर्माण कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग)

वर्ष	पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा निर्माताओं को चौपहियों के हिसाब से जितने माल डिब्बों का आर्डर दिया गया	कालम में उल्लिखित आर्डर का मूल्य करोड़ रुपयों में	वर्ष के दौरान माल डिब्बा निर्माताओं का नाम
1	2	3	4
1965-66	14,596	27.99	1. मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी हावड़ा
1966-67	1,350	2.95	2. मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी, बर्नपुर
1967-68	10,850.5	21.7	3. मैसर्स ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी
			4. मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी
			5. मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी
			6. मैसर्स रेमन इंजीनियरिंग वर्क्स
			7. मैसर्स टेवसमेको लिमिटेड
1968-69	6,387.5	10.90	1. मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी हावड़ा
1969-70	6,325	13.56	2. मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी, बर्नपुर
1970-71	3,742.5	8.53	3. मैसर्स ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी
1971-72	10,344.5	22.81	4. मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी
1972-73	11,360.5	25.46	5. मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड

1	2	3	4
1973-74	10,751	34.77	6. मैसर्स टेक्समेको लिमिटेड
1974-75	—	—	
1975-76	—	—	
1976-77	12,594.5	32.01	यथोक्त—मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी को छोड़कर
1977-78	6,000.5	14.91	1. मैसर्स बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी, हावड़ा
1978-79	13,251	39.07	2. मैसर्स बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी, बर्नपुर
1979-80	—	—	3. मैसर्स बेथवेट एण्ड कम्पनी
			4. मैसर्स टैक्समेको
1980-81 (नवम्बर 1980 तक)	20,009	85.95	1. मैसर्स बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी, हावड़ा
			2. मैसर्स बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी, बर्नपुर
			3. मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी
			4. मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी
			5. मैसर्स टैक्समेको

ब्रिटेन में जातीय झड़पों की संख्या

3467. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 से 1980 तक, वर्षवार, ब्रिटेन में जातीय झड़पों की कितनी घटनायें हुई थीं;

(ख) ब्रिटेन में कितने मामलों में भारतीय इन झड़पों का शिकार हुए ;

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीयों को इन हमलों का विशेष लक्ष्य रखा गया था ; और

(घ) इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) 1975 से 1980 तक हमारे हाई कमीशन के ध्यान में जातीय झगड़ों की जो घटनाएं आई उनकी संख्या नीचे दी गई है :

1975	कोई नहीं
1976	दो
1977	कोई नहीं
1978	चार
1979	पांच
1980 (आज तक)	सात

(ब) 1975	कोई नहीं
1976	एक मामला जिसकी चपेट में एक भारतीय शामिल था
1977	कोई नहीं
1978	दो मामले जिनकी चपेट में चार भारतीय शामिल थे।
1979	तीन मामले जिनमें साऊथहाल के दंगों के शिकार 153 भारतीयों सहित 156 भारतीय शामिल थे।
1980	सात मामले

(ग) **1976 में एक मामला :** कुछ श्वेत युवकों ने 4 जून, 1976 को साऊथ हाल में भारतीय मूल के एक युवक श्री गुरदेव सिंह चागर की छुरा घोंप कर हत्या कर दी। दो श्वेत युवकों को दोषी पाया गया और उन्हें 4 वर्ष की कैद की सजा दी गई लेकिन न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि दोषी व्यक्ति जातिय द्वेष की भावना नहीं रखते थे।

1978 में दो मामले : (1) अक्तूबर, 1978 में कैम्ब्रिज में 3 भारतीय विद्यार्थियों पर लगभग 20 युवकों के एक ग्रुप ने आक्रमण किया। वे लोग "हम पाकिस्तानियों से घृणा करते हैं" नारे लगा रहे थे। पुलिस किसी दोषी व्यक्ति के खिलाफ अभियोग तैयार नहीं कर सकी।

(2) श्री नरेन्द्रसिंह मारवा नामक एक सिख पर 9 दिसम्बर, 1978 को कुछ श्वेत युवकों ने पूर्वी लन्दन के न्यूहाम नामक क्षेत्र में आक्रमण किया लेकिन उस व्यक्ति पर ही 'कड़ा' प्रयोग करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उनके अनुसार कड़ा एक घातक हथियार है। हाई

कमीशन ने गृह कार्यालय के साथ इस मामले को उठाया था। मारवाह को बाद में क्राउन कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था।

1979 में तीन मामले : (1) मार्च, 1979 में एक भारतीय नाविक और उसके दो साथियों पर कुछ युवकों ने आक्रमण किया था और नाविक को चोट लगी थी। दोषी व्यक्तियों को नहीं पकड़ा जा सका।

(2) साऊथ हाल में नेशनल फ्रंट द्वारा बैठक आयोजित करने के विरुद्ध नाजी विरोधी लीग तथा स्थानीय एशियाई समुदाय द्वारा किए गए आम विरोध के फलस्वरूप 23 अप्रैल को साऊथहाल में दंगे हुए थे। यद्यपि इस गड़बड़ी की शुरूआत जातीय भेदभाव की भावना के कारण हुई लेकिन श्वेत और अश्वेत के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन स्थानीय एशियाईयों जिनमें अधिसंख्यक लोग भारतीय मूल के थे और पुलिस के बीच झड़पें हुई थीं जिनके परिणाम-स्वरूप लगभग 360 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से लगभग 153 भारतीय थे।

(3) 29 जुलाई 1979 को संसद सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु के पुत्र श्री इन्द्रजीत बसु तथा उनके कुछ साथियों पर लन्दन के वाटरलू ब्रिज पर लगभग 25 श्वेत युवकों के एक ग्रुप ने आक्रमण किया था जिसमें उन्हें कुछ हल्की चोटें आयी थीं। पुलिस दोषी व्यक्तियों का पता नहीं लगा सकी।

1980 में सात मामले : (1) 28 मई की रात को लन्दन के निकट तिल्बुरी डॉक पर 5 भारतीय नाविकों पर श्वेत युवकों के एक छोटे ग्रुप ने आक्रमण किया था। पुलिस किसी दोषी व्यक्ति को नहीं पकड़ सकी।

(2) 5 मई को बार्किंग के स्थानीय सिखों ने आरोप लगाया था कि बार्किंग स्थित सिख गुरुद्वारे पर स्थानीय श्वेत लोगों की एक भीड़ ने आक्रमण किया था।

(3) 21 जून को साऊथहाल के एक भारतीय पर दो "स्किनहैड" गुंडों ने आक्रमण किया और उसे घायल कर दिया था। पुलिस इन अपराधियों को नहीं पकड़ सकी।

(4) 28 जुलाई को एक भारतीय पर भूमिगत ट्यूब स्टेशन पर कुछ अनजान श्वेत युवकों ने आक्रमण किया। पीठ पर चाकू के घाव के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले का पता नहीं लगा सकी।

(5) 1 अगस्त को ग्लासगो क्षेत्र में चार युवकों ने एक भारतीय युवक को पीटा और उसका कुछ धन और घड़ी लूट ली। पुलिस इस मामले में भी कुछ पता नहीं लगा सकी।

(6) अगस्त में एक 15 वर्षीय सिख लड़के पर वाल्वेर हेम्पटन में दो श्वेत व्यक्तियों

ने आक्रमण किया और उसे लूटा। यह भी बताया जाता है कि बदमाशों ने उसके बाल काट लिए। किसी बदमाश को पकड़ने में अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है।

(7) 13 सितम्बर को हीथरो हवाई अड्डे पर एक भारतीय के साथ कुछ श्वेत व्यक्तियों ने हाथा-पायी की थी। मामला जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।

(घ) हमारे हाई कमीशन के ध्यान में लाए गए सभी मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। भारतीयों पर हुए आक्रमण से अधिकतर मामलों में पुलिस ने जांच तो की लेकिन वह दोषी व्यक्तियों को नहीं पकड़ सकी। इस तरह की घटनाओं की चपेट में किसी भी भारतीय के शामिल होने का कोई मामला जब भी हाई कमीशन के ध्यान में आता है उस पर तत्काल कार्रवाई की गई। अधिक गंभीर मामलों में हाई कमीशन के अधिकारी घटना-स्थल पर जाकर मामले की छान-बीन भी करते हैं।

माल-डिब्बों का रोका जाना

3468. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'एस०ई० रेलवे लूजिंग 700 वैगन्स आफ फ्रेट डेली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सरकार का इस्पात और खान मंत्रालय के परामर्श से ऐसे कौन-कौन से दीर्घावधि उपाय करने का विचार है जिनसे अयस्क खानों अथवा इस्पात संयंत्रों पर किसी एक या दूसरे कारण से माल-डिब्बों को रोके रखने की स्थानिक समस्या का निवारण किया जा सके ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) लदान में सुधार के लिए इस मामले में सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत की गई है। इस्पात और खान मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और एम. एम. टी. सी. से निकट समन्वय रखा जा रहा है और इससे लदान में सुधार हुआ है।

क्षय रोग से अधिक ग्रस्त होने वाले राज्य

3469. **श्री छीतू भाई गामित : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के ऐसे विशेष वर्गों और राज्यों, जहां क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है का पता लगाने के लिए आंकड़े भी एकत्र किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग के शिकार पुरुष अधिक होते हैं अथवा महिलायें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) देश में किये गए विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि क्षय रोग आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों, महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में अधिक आयु वर्ग के लोगों (40 वर्ष से अधिक) में अधिक व्यापक है । देश के किस राज्य में सबसे अधिक क्षय रोगी हैं इसकी कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि क्षय रोग समान रूप से सूचनीय रोग नहीं है । वैसे, इस मंत्रालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जो आंकड़े एकत्र किये उनके अनुसार 1977-79 के दौरान क्षय रोग को रोग-दर तथा मृत्यु दर का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है ।

विवरण

भारत में 1977-79 के दौरान क्षय रोग के रोगियों और उससे हुई मौतों का विवरण*

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1977		1978		1979*	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	76895	1205	115966	1776	71262	1022
2. असम	15373	752	10243	402	14652	440
3. बिहार	+	+	+	+	+	+
4. गुजरात	11965	7	8891	2	10313	1
5. हरियाणा	19000	208	18774	209	28643	250
6. हिमाचल प्रदेश	14666	163	19690	232	16016	284
7. जम्मू व कश्मीर	+	×	+	+	+	—
8. कर्नाटक	129055	1558	122318	1786	121181	1784

1	2	3	4	5	6	7
9. केरल	37195	422	21032	361	20265	291
10. मध्य प्रदेश	81837	945	161590	1424	87541	873
11. महाराष्ट्र	25816	2275	88010	2317	122033	2662
12. मणिपुर	+	+	805	—	+	+
13. मेघालय	527	—	1927	10	2195	9
14. नागालैंड	5029	2	6518	34	+	+
15. उड़ीसा	16418	165	10427	78	14711	220
16. पंजाब	15013	118	11926	98	13520	166
17. राजस्थान	28810	360	25011	449	13257	122
18. सिक्किम	+	+	796	13	2342	23
19. तमिलनाडु	32298	897	2487	197	7371	261
20. त्रिपुरा	591	2	1415	47	1750	77
21. उत्तर प्रदेश	20833	291	40721	162	24173	135
22. पश्चिम बंगाल	23323	181	30649	403	2091	17

1	2	3	4	5	6	7
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2374	57	1306	24	1173	21
24. अरुणाचल प्रदेश	3878	14	+	+	1176	13
25. चंडीगढ़	1928	27	3758	43	2468	40
26. दादरा व नगर हवेली	280	—	487	1	50	4
27. दिल्ली (एम. सी. सी. दिल्ली एडमिन.)	33552	1316	34721	1321	37230	1296
28. गोवा दमन व द्वीव	1483	62	1801	290	2020	90
29. लक्षद्वीप	713	—	58	1	53	1
30. मिजोरम	+	+	677	12	754	15
31. पांडिचेरी	9279	17	8176	15	6539	1
योग	608127	11,044	7,50,280	11,707	6,24,787	10,118

+ =अनुपलब्ध, — = शून्य, × = आंकड़े अनन्तिम हैं ।, * = स्पष्ट सूचना के अभाव में इन आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती ।

रेलवे प्रयोक्ता समितियां

3470. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकारी समिति, क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकारी समिति तथा मंडलीय प्रयोक्ता सलाहकारी समिति गठित करने की परम्परा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई सरकार के गठन के बाद इन समितियों का अभी तक गठन नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उक्त समितियों को अब कब तक गठित करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से ग) जी हां । राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति तथा मण्डलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के पुनर्गठन के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

हिसार जंक्शन

3471. **श्री कुंभाराम आर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिसार जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिक्षालय बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : हिसार रेलवे स्टेशन पर यात्री यातायात की सुविधा के लिए दूसरे दर्जे का एक प्रतीक्षालय (198 वर्ग-मील क्षेत्रफल) तथा उच्च दर्जे के दो प्रतीक्षागृह (एक पुरुषों तथा दूसरा महिलाओं के लिए) प्रत्येक 23.5 वर्गमील क्षेत्रफल पहले ही मौजूद हैं । इस समय किसी अतिरिक्त प्रतीक्षालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बच्चों के लिए अलग अस्पताल स्थापित करना

3472. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल जनसंख्या में 48 प्रतिशत बच्चे हैं फिर भी देश में उनके लिए कोई गहन परिचर्या केन्द्र अथवा अलग अस्पताल नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा छठी योजना के दौरान बच्चों की विशेष परिचर्या के लिए और एक अलग अस्पताल की स्थापना करके उनके उपचार का प्रबन्ध करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक की जनसंख्या प्रोजेक्शन के अनुसार 1 मार्च, 1981 को 0-14 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों का अनुपात 39.3 प्रतिशत होगा। देश के कई राज्यों में बच्चों के लिए अलग से अस्पताल हैं। अगर कहीं बच्चों के अलग से अस्पताल नहीं हैं तो भी सभी मैडिकल कालेजों में बाल रोग चिकित्सा विभाग हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की विशेष चिकित्सा के लिए 281 जिला मुख्यालय अस्पतालों में शिशु एकक खोले गए हैं। बाकी के जिला मुख्यालय अस्पतालों में भी शिशु एककों को खोलने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। भविष्य में ताल्लुक/उपप्रभागीय शहरों के अस्पतालों में शिशु वार्डों को खोलने का भी प्रस्ताव है। बच्चों के लिए अलग से अस्पताल खोलना कोई व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांगें

3473. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री पी० एम० सईद : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार उक्त मांगें मानने के लिए तैयार है, यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सम्भवतः यहां वेतन संशोधन के बारे में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों से सम्बन्धित जानकारी अपेक्षित है। सरकार ने पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के चार मुख्य फेडेरेशनों के साथ 12 और 13 नवम्बर, 1980 को बातचीत की थी जो 26-11-80 को पुनः हुई। इन वार्ताओं के फलस्वरूप 28-11-80 को वेतन संशोधन सम्बन्धी कुछ मसलों पर समझौता हुआ। वेतन संशोधन सम्बन्धी शेष मसलों पर समझौते के लिए फेडेरेशनों से आगे बातचीत की जा रही है।

दक्षिण रेलवे पर उपलब्ध ई०एम०यू० सवारी डिब्बे

3474. **डा० ए० कलानिधि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे मीटर गेज उपनगरीय प्रणाली (बीच थमबरम) के अन्तर्गत कुल कितने ई०एम०यू० सवारी डिब्बे हैं;

कितने डिब्बों को वास्तव में उपयोग में लाया जाता है तथा कितने डिब्बे गाड़ियों में जोड़े जाने के उपयुक्त नहीं हैं ; और

(ग) कम से कम वर्तमान सेवाओं को बनाये रखने के लिए और डिब्बे कब तक बढ़ाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण रेलवे की उपनगरीय मीटर लाइन पर बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बों की वर्तमान संख्या 173 है।

(ख) मीटर लाइन की बिजली गाड़ियों के निर्धारित संचलन के लिए 140 सवारी डिब्बे लगाए गए हैं। शेष सवारी डिब्बों को अनुरक्षण के लिए फालतू के रूप में रखा गया है। ऐसा कोई भी सवारी डिब्बा नहीं है जो संचलन के लिए उपयुक्त न हो।

(ग) दक्षिण रेलवे पर उपलब्ध सवारी डिब्बों द्वारा वर्तमान सेवाओं का नियमित अनुरक्षण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना

3475. **श्री के०मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से गठित किए गए अध्ययन दल ने एक व्यापक जनसंख्या नीति बनाने और क्रियान्वित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर परिवार नियोजन की नीति के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं और सुझाव दिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन दल द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों और दिए गए सुझावों के सारांश का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित अध्ययन दल की रिपोर्ट में परिवार नियोजन सम्बन्धी नीति पर दी गई सिफारिशों और सुझावों का सारांश। (अगस्त, 1980)

परिवार नियोजन

समग्र जनसंख्या नीति तय करने और उसे कार्य रूप देने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग होना चाहिए। इसका उद्देश्य वास्तविक प्रजनन दर को 1.67 से घटाकर 1.00 और जन्म दर को 33 से घटाकर 21 तक लाने का होना चाहिए। इसका यह अर्थ होगा कि इसके लिए जहां वर्तमान समय में 22 प्रतिशत पात्र दम्पतियों को सफलतापूर्वक सुरक्षित किया जा रहा है वहां 60 प्रतिशत को सुरक्षित करना पड़ेगा। यही नहीं इसके लिए परिवार के औसत आकार को 4.3 से घटा कर 2.3 बच्चों तक लाना होगा और साथ ही ईस्वी सन् 2050 तक कुल जनसंख्या को लगभग 1200 करोड़ से आगे नहीं बढ़ने देना होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम को शीघ्र ही पूरी तरह से पुनः संगठित करना होगा और इसे एक जन अभियान के रूप में ढालना होगा, जो विकास से पूरी तरह जुड़ा रहे। इसके अन्तर्गत ज्यादा जोर शिक्षा और प्रेरणा पर खासकर पारस्परिक व्यक्ति सम्पर्क तथा सामूहिक कार्रवाई के जरिए दिया जाना चाहिए। विशेषतया मुआवजे के किस्म के प्रोत्साहनों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। महिलाओं के बीच जहां यह कार्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से ही किया जाता रहेगा वहां पुरुषों के बीच भी इस काम को करने के ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। यह ठीक है कि स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका प्रेरणा के क्षेत्र में भी है, किन्तु उनका मुख्य दायित्व अपेक्षित सेवायें प्रदान करना और अनुवर्ती देखरेख करना है।

बांदपुर और केंदू-पाड़ा के बीच यात्री 'हाल्ट'

3476. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक को बांदपुर और केन्दू-पाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच दक्षिण-पूर्वी रेलवे के खुर्दा रोड मण्डल के द्वारा यात्री हाल्ट बनाने के निदेश जारी कर दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस स्थान पर एक स्टेशन इस शर्त पर खोला जा रहा है कि मिट्टी सम्बन्धी कार्य श्रम दान द्वारा किया जाएगा और 5 पैसे प्रति टिकट की दर से हाल्ट सेवा प्रभार लिया जायेगा। इस मामले में दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा आगे की अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

रेलवे डाक्टरों के पदोन्नति के अवसर

3477. **श्री आर०के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 85 प्रतिशत रेलवे डाक्टर 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी उसी वेतनमान में सेवा निवृत्त हो जाते हैं जिसमें उनकी नियुक्ति हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जन) : (क) और (ख) जी नहीं । डाक्टरों को कई बार उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया गया है । 20-25 वर्ष पहले, डाक्टरों ने 100-230 रुपये या 335-650 रुपये के ग्रेड के ग्रुप 'सी' में सेवा शुरू की थी । इनमें से 25 प्रतिशत डाक्टरों को 1962 में 350-950 रुपये का बढ़ा हुआ वेतनमान दिया गया था और उन्हें ग्रुप 'बी' में रखा गया था । शेष डाक्टरों को ये लाभ 1966 में दिए गए थे । 1973 में सभी डाक्टरों को ग्रुप 'ए' में रख दिया गया था और उन्हें 700-1600 रुपये का वेतन-मान दिया गया था । इस प्रकार, वे उसी वेतनमान में सेवा निवृत्त नहीं हो रहे हैं जिसमें कि उन्होंने सेवा शुरू की थी ।

डाक्टरों की जीवन-वृत्ति की सम्भावनाओं को और बेहतर बनाने के प्रयासों की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

फैमिली वेल्फेयर प्लान्ज फ्रूटलेस इन बिहार शीर्षक समाचार

3478. **श्री शिव कुमार सिंह :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में फेमिली वेल्फेयर प्लान्ज फ्रूटलेस इन बिहार शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार में परिवार कल्याण योजनाओं की असफलता के क्या कारण हैं।

(ग) क्या यह योजना देश के अन्य राज्यों में भी असफल रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में लोगों में परिवार कल्याण योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "फेमिली

वेल्फेयर प्लान्ज फ्रूटलेस इन बिहार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है। इसमें बिहार में विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और कतिपय अनियमिताएं आरोपित की गई हैं। यह मामला बिहार सरकार को उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया है। पिछले तीन सालों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में प्रतिकूल, प्रेरित तथा गलत प्रचार के कारण लोगों के मन में इस कार्यक्रम के बारे में भ्रांतियां तथा गलत फहमियां पैदा हो जाने से इस अवधि के दौरान बिहार तथा अन्य राज्यों में इस कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा है। वैसे यह अच्छी बात है कि हाल ही के महीनों में इस कार्यक्रम के बारे में धीरे-धीरे फिर से विश्वास बन रहा है।

(घ) प्रेरणा तथा शिक्षा के माध्यम से तथा पारस्परिक व्यक्ति सम्पर्क की नीति द्वारा, विशेषकर ग्रामीण स्तरों पर परिवार कल्याण शिक्षा शिविरों का आयोजन कर पात्र दम्पत्तियों के मन में बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लाभों के बारे में विश्वास पैदा किया जा रहा है रोगप्रतिरक्षण तथा अपोषणज-रोगनिरोधी की विशेष योजनाओं के माध्यम से महिला तथा बच्चे दोनों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की ओर विशेष बल दिया जा रहा है। एकीकृत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में तैयार किए गए बड़े आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत किया जा रहा है तथा स्वीकारकर्त्ताओं को यह छूट दी जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार परिवार नियोजन के किसी भी उपयुक्त तरीके को चुन कर अपना सकते हैं।

"गुडस ट्रेन एंजिन्स डिरेल्ड इन नासिक" शीर्षक समाचार

3479. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1980 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "गुडस ट्रेन एंजिन्स डिरेल्ड इन नासिक" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए क्या कोई उच्च अधिकारी समिति गठित की गई है : यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ; और

(ग) सरकार को रिपोर्ट कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है और समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) क्योंकि दुर्घटना का कारण स्पष्ट था, वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की गयी थी। इस संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना का कारण शेतकारी संघ के आन्दोलनकारियों द्वारा कसबसुकेने और खेरबाड़ी स्टेशनों के बीच अप मुख्य रेल पथ के कि०मी० 209/26-28 पर चार जोड़ी फिश प्लेटों को खोल देने और 2 रेल लाइनों की लम्बाई

के बराबर बायीं ओर की पटरी और स्लीपर जुड़नारों को पूरी तरह से हटा दिये जाने के कारण हुई थी । इसे पुलिस प्राधिकारियों ने भी स्वीकार कर लिया है ।

रेल दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा

3480. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को हर्जाने का भुगतान करने के लिए दावा दायर करने की क्या प्रक्रिया है और दावे की प्राप्ति से हर्जाने के भुगतान तक कितना समय लगता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि हवाई दुर्घटना में मरने पर दिये जाने वाले हर्जाने की राशि की तुलना में रेल दुर्घटना मे मरने पर दी जाने वाली हर्जाने की राशि में अन्तर है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-ए के अन्तर्गत गाड़ी दुर्घटना के कारण प्रस्तुत किये गये दावा सम्बन्धी आवेदन को राज्य सरकार द्वारा नामित पदेन दावा आयुक्त के समक्ष अथवा गम्भीर दुर्घटना के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तदर्थ दावा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है । ऐसे दावा सम्बन्धी आवेदन गाड़ी दुर्घटना होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दावा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए जो अपनी संतुष्टि पर, किसी भी आवेदन को घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर स्वीकार कर सकता है । लोगों को दावे प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय का नाम तथा दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है ।

चूंकि दावा आयुक्त द्वारा निर्णय देने से पहले सम्पूर्ण न्यायिक कार्रवाई की जाती है, जिस की प्रक्रिया में समय लगता है । बड़ी दुर्घटनाओं के मामले में लगभग छः मास से 2 वर्ष का समय लगता है जो हताहतों की संख्या और दावेदारों द्वारा दावा आयुक्त के समक्ष अपेक्षित कागजात प्रस्तुत करने में लिए गये समय पर निर्भर करता है ।

छोटी दुर्घटनाओं के दावों में, जिन की सुनवाई पदेन दावा आयुक्तों के समक्ष होती है, अधिक समय लगता है क्योंकि उन्हें इस कार्य के अलावा अपने सामान्य दायित्व भी निभाने होते हैं ।

(ख) जी, हां ।

रेलवे के नौ जोनों के कार्यकरण में सुधार

3481. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के सभी नौ जोनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार क्या नए उपाय कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने रेलवे की आरक्षण प्रणाली में भी सुधार करने के लिए उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड के स्तर पर संचलन पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर कड़ी निगरानी रख कर कार्य निष्पादन में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। माल-डिब्बों के लदान फेरों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय भी किया जाता है।

(ख) और (ग) जी हाँ। रेलवे की आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. महानगरों में आरक्षण कार्यालयों के काम के घंटों में वृद्धि करने के अलावा महत्वपूर्ण स्टेशनों/आरक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त टिकट खिड़कियों और आरक्षण काउंटर खोलकर आरक्षण की प्रक्रिया और व्यवस्था को कारगर बनाया गया है।

2. टिकट वापसी के लिए अलग काउंटर खोले गये हैं।

3. शायिकाओं के सामान्य कोटे के अतिरिक्त आमतौर पर रद्द होने वाले आरक्षण के स्थान पर पक्का आरक्षण करना।

4. दिन की गाड़ियों में यात्रियों द्वारा आरक्षण फार्म भरे बिना ही अब आरक्षण कर दिया जाता है।

5. डीलक्स गाड़ियों में दिन की यात्रा के समय वातानुकूल दूसरे दर्जे की शायिकाओं में बैठने के अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की गयी है ताकि अधिक यात्री यात्रा कर सकें।

6. गाड़ी चलने के बाद बुक किए गए यात्रियों के न आने और आरक्षण रद्द हो जाने के कारण खाली होने वाले स्थानों पर प्रतीक्षा सूची में दर्ज यात्रियों को पक्का आरक्षण दिया जाता है।

7. नयी गाड़ियां चला कर, वर्तमान गाड़ियों के डिब्बों की संख्या बढ़ाकर, उनका चालन क्षेत्र बढ़ाकर, सप्ताह में एक बार/दो बार चलने वाली गाड़ियों को अधिक बार चलाकर और भीड़ के दिनों में हालीडे स्पेशल गाड़ियां चलाकर मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कम किया जाता है।

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परमिट

3482. **श्री आर० के० महालगी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद् ने हाल ही में ट्रकों के लिए क्षेत्रीय परमिटों की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 25,000 करने और राष्ट्रीय परमिटों की संख्या 8,000 से बढ़ाकर 16,000 करने का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के अनुकूल है ;

(ग) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन 300 मील से अधिक की दूरी के लिए रेल परिवहन से ज्यादा मंहगा है और सड़क परिवहन द्वारा इतनी लम्बी दूरी तक माल पहुंचाने में डीजल की और भी बर्बादी होती है जो हमें अपनी विदेशी मुद्रा खर्च करके उपलब्ध करना पड़ता है ;

(घ) क्या सड़क परिवहन को प्रति टन कि०मी० ढुलाई के लिए रेल और परिवहन की अपेक्षा दस गुना अधिक डीजल की आवश्यकता होती है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : (क) परिवहन विकास परिषद् ने हाल ही में सिफारिश की है कि क्षेत्रीय परमिटों की संख्या में 50 प्रतिशत और राष्ट्रीय परमिटों की संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि की जाए ।

(ख) परिवहन विकास परिषद ने यह सिफारिश राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की थी ।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, आमतौर पर छोटी दूरी के स्थानों के लिए सड़क मार्ग द्वारा माल लाना-ले जाना सस्ता पड़ता है । कितनी दूरी के लिए अलग-अलग माल को लाने-ले जाने पर कितना खर्च आएगा, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि माल का लागत-खर्च हमेशा घटता-बढता रहता है । जिन अध्ययनों को आधार मान कर राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने उक्त निष्कर्ष दिए हैं, वे अध्ययन आर० आई० टी० ई० एन० द्वारा किए गए हैं और इन अध्ययनों में दिए गए निर्णय विवाद से परे नहीं हैं ।

(घ) रेल परिवहन को प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई के लिए जितनी ईंधन की जरूरत होती है, उससे 5-6 गुना अधिक ईंधन सड़क परिवहन के लिए जरूरत होती है ।

(ङ) दुर्लभ ईंधन का सूझ-बूझ के साथ इस्तेमाल करने और ईंधन की बर्बादी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय राज्य सरकारों के ध्यान में लाए गये हैं। 2-8-80 को हुई परिवहन विकास परिषद की बैठक में भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था और बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने कहा कि राज्यों के सभी सड़क परिवहन उपक्रम और निजी आपरेटर्स इन उपायों को अमल में लाएं।

मंदिर मार्ग के निवासियों को नार्थ एवेन्यू में चिकित्सा सुविधाएं देना

3483. **श्री दया राम शाक्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे० ब्लाक मन्दिर मार्ग में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इलाज के लिए गोल मार्किट डिस्पेन्सरी जाना पड़ता है।

(ख) क्या उस क्षेत्र में उचित परिवहन सुविधा न होने के कारण इन कर्मचारियों को अत्यधिक असुविधा होती है ;

(ग) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को नार्थ एवेन्यू डिस्पेन्सरी से चिकित्सा सुविधाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन लोगों को नार्थ एवेन्यू डिस्पेन्सरी से चिकित्सा सुविधाएं देने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) गोल मार्केट स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरी जे० ब्लाक, मंदिर मार्ग के पास ही है। सामान्यतः एक डिस्पेन्सरी के अन्तर्गत उसके आस पास के 3 किलो-मीटर का क्षेत्र आता है। इसलिए, इस क्षेत्र को गोल मार्किट डिस्पेन्सरी से हटाकर नार्थ एवेन्यू डिस्पेन्सरी के साथ सम्बद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के "जे" तथा "एच" ब्लाकों के निवासियों के लिए चलते-फिरते औषधालय की व्यवस्था

3484. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मन्दिर मार्ग स्थित 'जे' तथा 'एच' ब्लाकों के सरकारी कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की गोल मार्किट स्थित डिस्पेंसरी में जाना पड़ता है ;

(ख) निवासियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार उक्त बस्ती में एक आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का है और यह कब तक खोल दी जायेगी ; और

(ग) क्या उक्त डिस्पेंसरी खुलने तक वहां के लिए एक चलते-फिरते औषधालय की सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) गोलमार्किट स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी मन्दिर मार्ग के 'जे०' तथा 'एच०' ब्लाकों से कुछ ही दूरी पर है । इसलिये इस क्षेत्र में और एलोपैथिक डिस्पेंसरी या गश्ती औषधालय उपलब्ध करने का कोई औचित्य नहीं है । आयुर्वेदिक उपचार के लिए गोल मार्किट में एक आयुर्वेदिक यूनिट पहले से ही चल रहा है जो इस क्षेत्र को कवर करता है ।

रेल आयोग

3485. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितने रेल आयोग स्थापित किए गए हैं ;

(ख) ऐसे आयोगों में, इनकी स्थापना के समय से, आयोग-वार और वर्ष-वार कितने अनुसूचित जनजाति सदस्य नामजद किए गए हैं : और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आठ ।

(ख) से (ग) रेल सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य सचिवों के पदों पर नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए बनाये गये भर्ती नियम के अनुसार की जाती है । विशिष्ट रूप से कोई कोटा आरक्षित नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्प समुदायों के उम्मीदवारों को जब वे उपलब्ध होते हैं, पैनल में शामिल कर लिया जाता है और अन्तिम चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज दिया जाता है । आर० के० दास जो कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, 20-10-78 से गुवाहाटी स्थित रेल सेवा आयोग में सदस्य सचिव के रूप में काम कर रहे हैं ।

तृतीय श्रेणी की सेवाओं के लिए भर्ती

3486. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय श्रेणी की सेवाओं में भर्ती के लिए विभिन्न रेलवे कमीशन (आयोग) स्थापित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पश्चिमी और मध्य रेलवे के लिए केवल एक आयोग गठित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक रेलवे कमीशन दो मण्डलों के कार्यभार को वहन नहीं कर पाता ;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड का पश्चिमी मण्डल के लिए अजमेर में एक अलग रेलवे आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो कब ; और

(च) यदि नहीं तो क्यों ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल सेवा आयोगों के स्थान और उनके कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं :—

स्थान	कार्यक्षेत्र
इलाहाबाद	उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ।
बम्बई	मध्य तथा पश्चिम रेलवे
कलकत्ता	पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे और चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन ।
गुवाहाटी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ।
मद्रास	दक्षिण रेलवे (मैसूर मंडल को छोड़कर) तथा सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास ।
मुजफ्फरपुर	पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल को छोडकर)
सिकन्दराबाद	दक्षिण-मध्य रेलवे (हुबली मंडल को छोड़कर)
बेंगलूरु	दक्षिण रेलवे का मैसूर मंडल, दक्षिण-मध्य रेलवे का हुबली मंडल तथा पहिया और धुरा परियोजना, बेंगलूरु ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) से (ङ) देश में रेल सेवा आयोगों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली परिवहन निगम की बस रूट संख्या 530 का मार्ग बदला जाना

3487. **श्री भीखा भाई :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बस-रूट संख्या 530, जो जनपथ, आकाशवाणी, कृषि भवन आदि से होती हुई अजमेरी गेट और महरौली के बीच चलती थी, का मार्ग बदल दिया गया है ;

(ख) क्या अजमेरी गेट से चलने वाली यह एक मात्र ऐसी बस थी, जो आकाशवाणी, रिजर्व बैंक, रेड-क्रास, कृषि भवन, रेल भवन, उद्योग भवन आदि आने वाले अनेक दैनिक यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति किया करती थी;

(ग) यदि हां, तो इस बस का रूट का मार्ग बदलने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) 530 रूट की कुछ बसें जो महरौली से चलती, हैं, केन्द्रिय टर्मिनल के लिए होती हैं और कुछ बसें अजमेरी गेट जाती हैं । 14 जुलाई, 1980 में कुछ बसें जो अजमेरी गेट के लिए होती थीं, हटा ली गई हैं।

(ख) जी, नहीं रूट न० 1 की बसें जो अजमेरी गेट से चलती हैं और रूट न० 602 की बसें जो मिंटो रोड स्टाप से चलती हैं, जो अजमेरी गेट क्षेत्र का ही एक भाग है, केन्द्रीय सचिवालय कम्पलेक्स और संसद मार्ग पर स्थित कार्यालयों में काम करने वालों की यातायात की आवश्यकता को पूरा करती है ।

(ग) चूंकि महरौली और अजमेरी गेट के बीच रूट न० 530 की बस को बड़े टेढ़े-मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता था, इसलिए यात्रियों की यह पुरजोर मांग थी कि इस रूट को उस पुराने रूट न० 17 की तरह ही सीधा रखा जाए जो 1975 में तैयार की गई रूट पद्धति से पहले महरौली और रेलवे स्टेशन ब रास्ता जनपथ और अजमेरी गेट था । चूंकि इस रूट के बदलने से कुछ ग्रामीण यात्रियों को केन्द्रीय टर्मिनल के लिए सीधी बस नहीं मिलती, इसलिए रूट न० 530 की बसें जो अजमेरी गेट के लिए चलती थी, हटा ली गई हैं और अब वे केन्द्रीय सचिवालय तक ही जाती हैं ।

(घ) 14-7-80 से महरौली से पृथ्वीराज रोड, जनपथ होते हुए अजमेरी गेट तक एक नया रूट न० 505 चालू किया गया है ।

राजस्थान में ऐतिहासिक स्थानों को सुपरफास्ट गाड़ियों से जोड़ना

3488. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने यह मांग की है कि जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जैसे सभी ऐतिहासिक स्थानों को एक सुपरफास्ट गाड़ी से जोड़ा जाए ;

(ख) क्या यह सच है कि पर्यटन की दृष्टि से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

(ग) क्या रेल बोर्ड ने ऐसे प्रस्ताव की संभाव्यता और औचित्य पर कभी विचार किया है ;

(घ) क्या ट्रैफिक की दृष्टि से यह प्रस्ताव लाभप्रद नहीं हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेंगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच यात्रा के लिए अजमेर और चित्तौड़गढ़ के रास्ते जयपुर और उदयपुर के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की गहराई से जांच की गयी है लेकिन कुछ मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की कमी के कारण ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है । इसके अलावा यातायात की वर्तमान मात्रा को देखते हुए भी इस तरह की सुपर फास्ट गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है ।

"डी" ब्लाक जनकपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए भवन का निर्माण

3489. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री "डी" ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिये भवन का निर्माण किये जाने के बारे में दिनांक 17 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए भवन निर्माण का कार्य अब भी आरंभ नहीं किया गया है ;

(ख) क्या औषधालय के लिए उपयुक्त भवन न होने के कारण उस क्षेत्र के लाभभोगियों को छुट्टी के दिन और सामान्य कार्य समय के बाद आपातकाल सेवायें उपलब्ध नहीं की गई हैं ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है और किस तारीख तक पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) भवन के नक्शे अब दिल्ली बिकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर कर लिये गये हैं और निर्माण कार्य के लिये संशोधित अनुमान तैयार किये जा रहे हैं निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा और यथासमय इसे पूरा कर लिया जाएगा ।

नागपुर में डीजल इंजनों के लिए शेड की व्यवस्था

3490. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खड़गपुर मण्डल के नामपुर में डीजल इंजनों के लिए शेड बनाने का इरादा है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । दक्षिण-पूर्व रेलवे पर खड़गपुर मंडल में नीमपुरा में एक डीजल रेल इंजन शेड स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ।

(ख) यह कार्य पहले से ही अनुमोदित है और दक्षिण-पूर्व रेलवे के 1980-81 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । परियोजना रिपोर्ट एवं सार अनुमान तैयार हो जाने और उसकी स्वीकृति मिल जाने के बाद, इस काम के चालू वर्ष के दौरान शुरू किये जाने की संभावना है ।

संकराई में माल गाड़ी का टर्मिनल

3491. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणपूर्व रेलवे के लिए संकराई में एक नया माल गाड़ी टर्मिनल बनाने के बजाय शालीमार हंसाद में एक नया सवारी गाड़ी टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किस वर्ष अथवा किन वर्षों में स्वीकार किये गये ; और

(ग) इन परियोजनाओं में कितना कार्य पूरा किया गया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां। सांकराइल में प्रस्तावित नये गुड्स टर्मिनल के लिए 184.71 लाख रुपये की लागत से भूमि अधिग्रहण करने से संबंधित कार्य की 1978-79 में मंजूरी दी गयी थी। सांकराइल में 138.93 लाख रुपये की लागत पर ऊपरी उपस्कर सहित तीन लाइनों की व्यवस्था करने का कार्य 1979-80 के बजट में अनुमोदित कर दिया गया है। नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम से छूट की प्रतीक्षा किये बिना पश्चिम बंगाल सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने को सहमत हो गयी है।

पदमपुकुर में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के लिए 46.83 लाख रुपये की लागत से स्थान निर्धारण के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कार्य 1980-81 के बजट में अनुमोदित कर दिया गया है और भूमि के लिए नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

रेल गाड़ियों में भिखारियों की संख्या में वृद्धि

3492. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चलती रेलगाड़ियों में भिखारियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और यात्रियों को इससे अत्यधिक असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि गाड़ियों और स्टेशनों पर भिखारियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) स्टेशन परिसरों और गाड़ियों में भीख मांगने पर प्रतिबन्ध है। इस बुराई की रोक-थाम के लिए सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से भिक्षावृत्ति के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों और अन्य रेल कर्मचारियों द्वारा भी जांच की जाती है। लाउड स्पीकरों के जरिए यात्रियों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे मांगने वालों को भीख न दें। रेलें भिक्षावृत्ति दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, फिर भी इस बुराई की जड़ें बड़ी गहरी हैं और गरीबी तथा भिखारियों के प्रति जनता की सहानुभूति के कारण रेलों के लिए इस समस्या से कारगर ढंग से निपटना कठिन हो जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को मेडिकल कालेजों में दाखिला

3493. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को मेडिकल कालेजों में दाखिले के मामले में सुविधायें दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इन मेडिकल कालेजों का ब्यौरा क्या है और विकलांग व्यक्तियों के कितने बच्चों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त हो रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

संगणक द्वारा आरक्षण किया जाना

3494. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे आरक्षण के मामले में संगणक पद्धति आरम्भ करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और संगणक पद्धति सर्वप्रथम भारतीय रेलवे के किसी जोन में आरम्भ की जायेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

गुजरात के लिए निर्धारित नसबंदी लक्ष्य

3495. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के लिए वर्ष 1980-81 के नसबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक जिलावार कितना लक्ष्य पूरा किया गया है ; और

(ग) शेष लक्ष्य को मार्च, 1981 तक पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) जिलावार लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । राज्य सरकार ने अप्रैल से नवम्बर, 1980 तक की जिलावार उपलब्धियों का जो ब्यौरा भेजा है वह विवरण में दिया गया है ।

(ग) गुजरात सरकार ने राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए जोरदार कदम उठाए हैं और इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में अब तक जो प्रगति हुई है, वह उत्साह वर्धक रही है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और अधिक उत्साहजनक बनाने के लिए अनेक सामुदायिक/संस्थागत पुरस्कार भी शुरू किए हैं। प्रत्येक स्वीकारकर्ता और प्रेरक को अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्रस्ताव भी दिए गए हैं। आशा है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गये प्रयासों और व्यक्तियों के सहयोग से परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

विवरण

गुजरात राज्य के नसबंदी आपरेशनों के लक्ष्य तथा राज्य में अप्रैल से नवम्बर, 1980 तक की जिलावार उपलब्धि

क्रम सं०	गुजरात राज्य के 1980-81 के लक्ष्य : जिला	162,300 नसबंदी आपरेशन उपलब्धि (अप्रैल, 80 से नवम्बर, 80 तक) (अनन्तिम आंकड़े)
1	2	3
1.	अहमदाबाद निगम	8,815
2.	अहमदाबाद जिला	3,930
3.	अमरेली	2,258
4.	बनासकंठा	3,344
5.	वडोदरा निगम	3,821
6.	बडोदरा जिला	6,509
7.	भावनगर	3,982
8.	बड़ौच	5,894
9.	वलसाड़	7,706
10.	डंग	630
11.	गांधीनगर	602
12.	जामनगर	3,113
13.	जूनागढ़	4,679
14.	खेड़ा	8,590

1	2	3
15.	कच्छ	2,103
16.	महसाना	5,717
17.	पंचमहल	4,914
18.	राजकोट	4,963
19.	सावर कंठा	2,857
20.	सूरत निगम	3,437
21.	सूरत जिला	9,442
22.	सुरेन्द्रनगर	2,125
	योग	99,431

गुजरात में बिजली घरों के लिए कोयले के मालडिब्बे

3496. **श्री आर०पी० गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में ताप-बिजली घरों हेतु कोयले की ढुलाई के लिए माल-डिब्बों की सप्लाई में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, ताकि बिजली की खराबी से बचने के लिए उनके पास कोयले के पर्याप्त भण्डार हों ;

(ख) यदि हां, तो माल-डिब्बों की सप्लाई में कहां तक वृद्धि की जानी है ;

(ग) जनवरी, 1980 से अब तक गत ग्यारह महीनों के दौरान गुजरात में ताप-संयंत्रों के लिए कोयले की ढुलाई हेतु प्रति माह कितने-कितने माल डिब्बों का लदान किया गया ; और

(ग) गुजरात में उक्त बिजली घरों हेतु कोयले की ढुलाई के लिए माल-डिब्बों की नियमित और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ) ताप बिजली घरों में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अगले कुछ महीनों में पर्याप्त मात्रा में माल डिब्बे उसी परिपथ में रखने का प्रस्ताव किया गया है, बशर्ते कि ताप बिजली घर सामान्य स्वीकार्य छूट समय के अनुसार इन माल-डिब्बों को मुक्त कर दें ।

(ग) जनवरी से नवम्बर, 1980 तक गुजरात राज्य के ताप बिजली घरों को आवंटित किये गये माल डिब्बों के महीने-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

जनवरी	9997	जुलाई	10194
फरवरी	12500	अगस्त	8157
मार्च	13048	सितम्बर	9580
अप्रैल	14450	अक्तूबर	11033
मई	14714	नवम्बर	11500 (अनन्तिम)
जून	12020		

केन्द्र सरकार अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ

3497. **श्री पियूष तिरकी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्र सरकार कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने लिए तथा अपने परिवार वालों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ प्राप्त किया ; और

(ख) सरकारी अधिकारियों के वयस्क, विवाहित तथा जीविका उपार्जन करने वाले उन पारिवारिक सदस्यों की, जिनके नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के टोकन कार्डों में जुड़ाये गये हैं, वास्तविक निर्भरता का निर्धारण कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के जितने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाया उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

1977-78	57,07,333
1978-79	60,86,818
1979-80	58,13,501

(ख) सरकारी कर्मचारियों को सी०जी०एच०एस० कार्ड देते समय उसके परिवार के पात्र सदस्यों के सम्बन्ध में इस आशय का एक प्रमाणपत्र लिया जाता है कि वे सदस्य पूर्णतया उन पर आश्रित हैं। इस प्रमाणपत्र की कार्ड जारी करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत जांच की जाती है।

सुपरफास्ट गाड़ियों का विलम्ब से चलना

3498. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान सुपरफास्ट गाड़ियों के विलम्ब से चलने का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विलम्ब से चलने के क्या कारण है ; और

(ग) इन गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जून से नवम्बर, 80 (10-11-80 तक) की अवधि के दौरान 22 जोड़ी सुपर फास्ट गाड़ियों के समय पालन के विश्लेषण से पता चलता है कि 15/16 जी. टी. एक्सप्रेस, 121/122 तमिलनाडु एक्सप्रेस, 123/124 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, 125/126 के. के. एक्सप्रेस, 173/174 हिमगिरी एक्सप्रेस, 155/156 तिनसुकिया मेल, 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस, 103/104 डीलक्स एक्सप्रेस, 2 डाउन कालका-हावड़ा मेल, 172 जम्मु तवी-बम्बई सैन्ट्रल एक्सप्रेस और 141 कोरीमंडल एक्सप्रेस गाड़ियों का समयपालन संतोषजनक नहीं पाया गया है।

(ख) आन्दोलन, खतरे की जंजीर खींचने तथा लोको/सिगनल की खराबियों और परिचालनिक कटिनाई, जैसे विभिन्न कारणों का इन गाड़ियों के समयपालन पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) महाप्रबन्धकों को निदेश दिये गये हैं कि वे गाड़ियों का समय पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे महत्वपूर्ण मेल एक्सप्रेस गाड़ियों पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर कड़ी नजर रखें और उन्हें यह भी हिदायत दी गयी है कि समय का पालन न किये जाने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों का पता लगाया जाय और उनके विरुद्ध तत्परतापूर्वक कड़ी कार्रवाई की जाए। खतरे की जंजीर खींचे जाने तथा बदमाशों द्वारा हेंज पाइप अलग किये जाने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क भी बनाये रखा जा रहा है।

बालिपट्टनम पुल

3499. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर जिले में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 17 पर बालिपट्टनम पुल इस वर्ष के अन्त तक बन कर तैयार हो जाएगा और यातायात के लिए खुल जायेगा ;

(ख) पुल के कार्य में विलम्ब के क्या कारण है जब कि यह कार्य 10 वर्ष पहले आरम्भ किया गया था, काम के लिए कितनी बार टेंडर दिये गये और लोक निर्माण बिभाग के ठेकेदार कौन-कौन थे ; और

(ग) मूल अनुमान क्या था तथा पहले ठेकेदार ने कितनी राशि की बोली लगाई थी जब काम पूरा हो जायेगा तो पुल तथा पहुंच मार्ग पर कुल कितनी लागत आयेगी और नवीनतम अनुमान क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बालिपट्टनम पुल को पूरा करने में विलम्ब के कारण इस प्रकार थे— (1) पहले ठेकेदार के एक मुश्त टेंडर पर निर्णय लेने में समय लगा, (2) भूमि अधिग्रहण करने में विलम्ब, (3) ठेकेदार द्वारा धीमी गति से काम करने के कारण पहले ठेके को समाप्त करना, और शेष कार्य को करने के लिए पुनः व्यवस्था करना, (4) सीमेंट और स्टील जैसे सामान का न मिलना। पहली बार टेन्डर मांगने पर निम्नतम टैन्डर मैसर्स एरीज एंड एरीज, मद्रास की फर्म का था। दूसरी बार टेन्डर मांगने पर मैसर्स सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी, कालीकट ही एक मात्र कंपनी ने टेन्डर भेजा जिसकी शर्तें स्वीकार नहीं थीं। अन्त में बात-चीत करके केरल स्टेट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को ही काम का ठेका दिया गया।

(ग) परियोजना की स्वीकृत मूल अनुमानित लागत 41.33 लाख रुपये थी (पुल के आइटमों के लिए 37.27 लाख रुपये के टेन्डर थे और संबंधित कार्यों के टेन्डर जिनमें छोटे-छोटे पहुंच मार्ग आदि शामिल थे, 4.06 लाख रुपये के टेन्डर थे और पहले ठेकेदार (मैसर्स एरीज एंड एरीज, मद्रास) की पुल आइटमों के लिए बोली 41.60 लाख रुपये की थी। पुल और पहुंच मार्गों को पूरा करने पर कुल लागत 185 लाख रुपये आने की संभावना है जबकि संशोधित स्वीकृत लागत 182.87 लाख रुपये है।

सर्वोदय एक्सप्रेस में आरक्षण

3500. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ी में पश्चिम रेलवे की क्रमशः रतलाम, कोटा और बड़ौदा डिवीजनों के लिये कुल कितने स्थानों का आरक्षण होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे की कोटा, रतलाम और बड़ौदा डिवीजनों के स्टेशनों पर सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ी के लिये आरक्षण 48 घंटे पहले बन्द कर दिया जाता है और यदि हां, तो क्या यह आरक्षण इस गाड़ी के दिल्ली अथवा अहमदाबाद के चल पडने के हिसाब से बन्द किया जाता है, और यदि नहीं, तो किस आधार पर किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार पश्चिम रेलवे के सभी स्टेशनों पर इस गाड़ी के पहुंचने के चार घंटे पूर्व उक्त आरक्षण बन्द करने की व्यवस्था करेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अहमदाबाद और नयी दिल्ली के बीच चलने वाली 181 डाउन सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ी में

रतलाम-कोटा और बडोदरा मंडल के स्टेशनों से आरक्षण के लिए आबंटित शायिकाओं की कुल संख्या इस प्रकार है :—

मंडल	दर्जा	
	वातानुकूल दूसरा दर्जा शयनयान	दूसरा दर्जा सीट/शायिका
1. रतलाम	14	80
2. कोटा	4	16
3. बडोदरा	70	677

(ख) जी हां। आउट स्टेशनों के लिए आबंटित कोटा 181 डाउन सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव वाले कोटा, रतलाम और बडोदरा स्टेशनों पर भरा जाता है। आउट स्टेशनों को आबंटित कोटे के अंतर्गत यात्रियों की बुकिंग संबंधित स्टेशन से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले बन्द करनी होती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अप्रयुक्त स्थान गाड़ी के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पूर्व प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को दिया जा सकता है।

(ग) जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद रूप से कार्य कर रही है।

विलिंगडन द्वीप को एर्नाकुलम तथा मत्तानचेरी के साथ मिलाने वाले पुल

3501. **श्री एम०एम० लारेंस : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन द्वीप को एर्नाकुलम तथा मुत्तानचेरी के साथ मिलाने वाले वर्तमान पुल अपने जीवन काल को पूरा कर चुके हैं ;

(ख) क्या इन पुलों का निर्माण मूलत: अब तक लाये-ले जा रहे भार की अपेक्षा हल्के भार के लाने-ले जाने के लिए किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलों का जीवन काल तथा उन पर भारी यातायात का आवागमन दोनों बातें पुलों के लिए खतरा हैं; और

(घ) सरकार का स्थिति से निपटने क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इन पुलों की देख-भाल कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा

होती है। पोर्ट ट्रस्ट ने इन पुलों को 19.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मरम्मत करने का निर्णय किया है और केरल सरकार इस खर्च में अपने अंश की धन-राशि मन्जूर भी कर चुकी है। इन पुलों की पर्याप्त मरम्मत कर दी जाएगी कि ये बीस वर्ष तक टिकाऊ बनें रह सकें। इसके अतिरिक्त विलिंगडन द्वीप को कोचीन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के बाई पास से उसके मध्य भाग के आसपास जोड़ने के लिए एक नई सड़क बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे कि कोचीन के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं की ओर यातायात हो सके।

पश्चिमी शक्तियों द्वारा हिन्द महासागर के सम्बन्ध में होने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक का परित्याग किया जाना

3502. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पश्चिमी शक्तियों द्वारा हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने के सम्बन्ध में 1981 में श्रीलंका में होने वाले प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परित्याग करने का प्रश्न उठाया गया है;

(ख) क्या इन शक्तियों द्वारा ऐसा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की राजनैतिक समिति में किया गया है, यदि हां, तो किस आधार पर किया गया है; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति ने हिन्द महासागर के बारे में संकल्प का जो प्रारूप तैयार किया था और जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति द्वारा स्वीकार किया गया था उसमें 1981 के सम्मेलन के लिए प्रावधानों को दोहराया गया है और तदर्थ समिति से अनुरोध किया है कि वह इस सम्मेलन के लिए तैयारी को अन्तिम रूप देने के लिए हिन्द महासागर के राजनैतिक और सुरक्षात्मक वातावरण, विशेषत: हाल की घटनाओं, को ध्यान में रखने का हर सम्भव प्रयत्न करे।" खास तौर पर ऐसा कोई प्रस्ताव तो नहीं आया है कि 1981 में श्रीलंका में यह सम्मेलन आयोजित न किया जाए लेकिन कई पश्चिमी प्रतिनिधि मण्डलों ने यह विचार व्यक्त किया है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नियत समय पर सम्मेलन आयोजित करना सम्भव नहीं होगा।

(ग) 18 नवम्बर, 1980 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने बहुत से प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा 1981 में, श्रीलंका में हिन्द महासागर के बारे में सम्मेलन आयोजित किए जाने के बारे में साफ-साफ शब्दों में अपना समर्थन व्यक्त न करने का उल्लेख करते हुए भारत की इस नीति को दोहराया था कि शांति क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर की घोषणा के कार्यान्वयन के लिए यह सम्मेलन नियत समय पर

आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए ऐसी किसी पूर्व शर्त को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जिसका सम्बन्ध इस घोषणा के क्रियान्वयन नहीं हो।

वाल्टेयर-विजयवाड़ा सेक्शन का विद्युतीकरण

3503. **श्री के०ए० स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य को तेज करने के सरकार के हाल ही निर्णय को देखते हुए, वाल्टेयर विजयवाड़ा सेक्शन का विद्युतीकरण कब पूरा कर लिया जाएगा और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख बिजलीकरण के लिए इस समय जिन उच्च घनत्व वाले मार्गों पर विचार किया जा रहा है उनक अपेक्षा वाल्टेयर-विजयवाड़ा खंड पर यातायात के घनत्व की सम्भावना कम होने के कारण, य बताना सम्भव नहीं है कि इस खंड पर बिजलीकरण कब शुरू किया जायेगा और कब पूरा ह पाएगा।

देवनगर और करोल बाग, नई दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में लेखन सामग्री और दवाओं की कमी

3504. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवनगर, करौल बाग, नई दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेव औषधालय में डाक्टरों के लिए लेखन सामग्री की तथा रोगियों के लिए दवाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और उन्हें कब तक दूर किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) और (ख) इन औषधालयों में डाक्टरों के लिए लेखन सामग्री तथा रोगियों के लि दवाइयों की कोई कमी नहीं है सिवाय इसके कि लेखन सामग्री कार्यालय से लेखन-सामग्र देर से मिलने अथवा बाजार में दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण उनकी कभी-कभी कम सप्ला की जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए शीघ्र ही उपचारी कदम उठाये जाते हैं।

हावड़ा को जाने वाली रेलगाड़ियों से पार्सल डिब्बों का हटाया जाना

3505. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ब) क्या यह सच है कि दिनांक 18 नवम्बर, 1980 से हावड़ा को जाने वाली रेलगाड़ियों से पार्सल-डिब्बों को हटा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें पुन: शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कासा-बिल्लाड़ी लाइन

3506. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अनेक वर्षों से उत्तर गुजरात में कासा-बिल्लाड़ी रेल लाइन बिछाने की मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है और इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस लाइन के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कासा से बिल्लाड़ी तक रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रस्तावित लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। इस लाइन पर, यदि इसका निर्माण किया जाता है, तो वर्तमान मूल्य स्तर के आधार पर 3.0 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग द्वारा रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। इस समिति की स्वीकृत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर यथोचित विचार किया जाएगा।

हारिज-राघनपुर रेल लाइन

3507. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर गुजरात में हारिज-राघनपुर रेल लाइन बिछाने की मांग गत अनेक वर्षों से निरन्तर की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या निर्णय किया गया है और इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर कितना व्यय किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) प्रस्तावित लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। इस लाइन पर, यदि इसका निर्माण किया जाता है, तो 5.50 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग द्वारा रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। इस समिति की स्वीकृत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर यथोचित विचार किया जायेगा।

रेलवे गोदामों में पड़ा हुआ माल

3508. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे गोदामों में पिछले तीन वर्षों से डिवीजन-अनुसार ऐसा कितना माल पड़ा हुआ है जो सम्बद्ध पार्टियों द्वारा छुड़ाया नहीं गया है ; और

(ख) उसमें से कितना माल रेलवे द्वारा नीलाम किया गया और उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सफदरजंग डेवलेपमेन्ट क्षेत्र तथा केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा

3509 **श्री चिंतामणि जेना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय सफदरजंग डेवलेपमेन्ट क्षेत्र का केन्द्रीय सचिवालय से सम्पर्क बस रूट 610 से है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बस रूट पर बहुत भीड़ रहती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र तथा केन्द्रीय सचिवालय के बीच कुछ नए रूट आरम्भ करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : सफदरजंग के डेवलेपमेन्ट क्षेत्र और केन्द्रीय सचिवालय के बीच रूट नं० 510 की बसें हर 10 मिनट के बाद चलती है। इसके अलावा, रूट नं० 620 की बसें भी कनाट प्लेस और इस क्षेत्र के बीच कृषि भवन होती हुई चलती है जो केन्द्रीय सचिवालय कम्पलेक्स का एक भाग है। इस क्षेत्र के लोगों की मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए उपरोक्त बस सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

दिल्ली हैदराबाद लाइन

3510 श्री के० ए० स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से हैदराबाद वरास्ता काजीपेट ब्राड गेज लाइन पर इकहरी लाइन के रास्ते का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का इस ट्रंक रूट को दोहरा बनाने का काम कब पूरा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली-हैदराबाद बड़ी लाइन मार्ग पर निम्नलिखित इकहरी लाइन खण्ड है :—

1. घेर—हेतमपुर *
2. बसई—माताटीला *
3. बीना रिवर—कुरवाई*
4. विदिशा और बेतवा के बीच पुल का भाग।
5. नर्मदा नदी के पुल का भाग
6. इटारसी...घोड़ा डोंगरी
7. मरामझीरी—बरसाली
8. आमला—चिचोंडा
9. तीगांव—नागपुर
10. तडाली—चन्द्रपुरा
11. मानिकगढ़—रेचनी रोड
12. पेंडियाल—पेंबर्ती
13. हुसैन नगर जंक्शन—हैदराबाद

(ख) और (ग) निम्नलिखित खंडो पर रेल-पथ को दोहरा करने का काम चल रहा है :—

*इनमें चम्बल, बेतवा और बीना नदियों पर पुल की दोहरी लाइन शामिल है।

1. भूझारपुर—कीरतगढ़ 2. मरामझीरी—बरसाली

3. आमला—चिचोंडा 4. भारतवाड़ा—नागपुर

5. बेलमपल्ली—रेचनी रोड 9. सिरपुर टाउन—विरुर

शेष इकहरी लाइन खण्डों पर दोहरी लाइन बिछाने के बारे में यातायात संबंधी आवश्यकता और धन की उपलब्धता के आधारपर विचार किया जायेगा।

मत्स्य जाल-पोतों के लिए गोदी-शुल्क

3511. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशाखापत्तनम मत्स्य बंदरगाह पर मत्स्य जल-पोतों के लिए अधिक गोदी शुल्क वसूल किये जाने से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मत्स्य जाल-पोतों के गोदी-शुल्क को घटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विशाखापत्तनम बन्दरगाह के मछली क्षेत्र में भी मछली ट्रालरों के लिए घाट की मौजूदा शुल्क दरें कम हैं जिनके लिए सरकार सहायता देती है। इन दरों में और अधिक कमी करना संभव नहीं है।

नौरोजी नगर से केन्द्रीय सचिवालय के बीच डी० टी० सी० बसें

3512. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौरोजी नगर से केन्द्रीय सचिवालय के लिए इतवार को और छुट्टी के दिनों में कौन सी बस रूट संख्या उपलब्ध है ; और

(ख) नई दिल्ली/दिल्ली की उन बस्तियों के नाम क्या हैं जो बीचों बीच स्थित हैं और केन्द्रीय सचिवालय से उनके लिए कोई नियमित बस सेवा नहीं है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) आर० के० पुरम और केन्द्रीय सचिवालय के बीच चलने वाली रूट नं० 610 की बसें पूरे हफ्ते भर हमेशा की तरह चलायी जाती है और ये बसें "एम० ऐवेन्यू" स्टाप पर रुकती हैं ताकि नौरोजी नगर के यात्री केन्द्रीय सचिवालय तक आ जा सकें। इसके अलावा, कालोनी वासियों की सुविधा के लिए केन्द्रीय

सचिवालय तक आने के लिए रेल भवन और कृषि भवन पर भी रूट नं० 52 की बसें रुकती हैं। इसके अलावा, और कई स्थान ऐसे हैं जहां से नौरोजी नगर के निवासी बसें लेकर केन्द्रीय सचिवालय तक आ सकते हैं।

(ख) शहर के बीच स्थित लगभग हर कालोनी से केन्द्रीय सचिवालय के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है या वहां तक जाने के लिए अनेक ऐसे स्टाप उपलब्ध है जहां से यात्री केन्द्रीय सचिवालय के लिए बसें ले सकते हैं।

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया में भर्ती

3513. **श्रीमती विद्या वेनुमती :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा कर्मचारियों की भर्ती में की गई विभिन्न अनियमितताओं की जानकारी है ;

(ख) अनियमितताओं को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्ती कारपोरेशन के नियमों और क्रियाविधि के अनुसार की जाती है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं होता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्कूल स्वास्थ्य पर बंगलौर में आयोजित की गई अन्तर्देशीय वर्कशाप

3514. **श्री सूरज भान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बंगलौर में 25-30 अगस्त, 1980 तक "स्कूल स्वास्थ्य सेवा" पर आयोजित एक वर्कशाप में किसी सरकारी प्रतिनिधि को भेजा गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वर्कशाप में क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा तीन व्यक्ति नामित किये गये थे।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस संगोष्ठि के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

स्कूल हेल्थ पर 25 से 30 अगस्त, 1980 तक बंगलौर में आयोजित संगोष्ठी के निष्कर्ष और सिफारशें

1. यद्यपि अल्प-आयु-वर्ग के बच्चों की तुलना में स्कूली-आयु के बच्चों में मृत्यु एवं रुग्णता दर कम है, तथापि ये बच्चे, शारीरिक, मानसिक तथा अन्य विशेष तथ्यों को देखते हुए उस वर्ग में आते हैं जिन पर बीमारियों का असर सहजरूप से हो जाता है । अतः देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में ऐसे बच्चों की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत है ।

2. प्रत्येक देश द्वारा स्कूल-स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और नीतियों का उल्लेख सुस्पष्टरूप से किया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि राष्ट्रीय नीति में स्कूल-स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नीति विधेयक मार्गनिर्देशन दिए जांय और "2000 ई० तक सब के लिए इलाज की सुविधायें सुलभ करने" की नीति तक परक योजनाएं तैयार की जांय ।

3. शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य से संबंधित कार्य कर रहे अन्य सेक्टरों के निकट सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नीति मार्गनिर्देश तैयार करने का काम आरम्भ किया जाना चाहिए ।

4. जैसा कि स्कूली बच्चों में अनेक समस्याएं घर और समुदाय (स्कूल से बाहर) में हो जाया करती हैं, इसलिए स्कूलों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मशीनरी को चाहिए कि वे बच्चों के माता-पिता, समुदाय तथा सामाजिक सेवा, कृषि और स्वैच्छिक एजेंसियां जो शिशु कल्याण कार्यों में जुटे हों, जैसे स्वास्थ्य के अन्य सेक्टरों के अधिकारियों से सम्पर्क करें और उनके निकट सहयोग में काम करें ।

5. सभी स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक रूप से इलाज की सुविधायें देने की दृष्टि से, स्कूल-स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केअर के साथ समन्वितरूप से चलाना आवश्यक है ।

6. स्कूल-स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की ओर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए वरन् समुदाय के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए भी काम किये जाने चाहिएं । इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख कार्यों

के अन्तर्गत स्कूलों को एक केन्द्र बिन्दु के रूप में इस्तेमाल करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

7. अक्तूबर, 1974 में रंगून में हुई स्कूल स्वास्थ्य सेमिनार द्वारा स्वास्थ्य-स्कूल-पर्यवरण के बारे में जो सिफारिशें की गई थीं उन्हें अभी भी इस रीजिन के बहुत से मुल्कों ने कार्यान्वित करना है। इन सिफारिशों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

8. स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्रों में सुसंगत पाठ्यचर्या तैयार करने और उसे ठोसरूप देने के लिए सूचना एकत्र कर यह जानना आवश्यक है कि समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी क्या-क्या समस्याएं हैं और क्या-क्या संसाधन उपलब्ध हैं। इस सूचना को एकत्र करने की विधियों में से एक विधि है अध्यापकों तथा छात्रों को इस काम में लगाकर उनके माध्यम से सूचना एकत्र करना। सभी देशों को इस दिशा में कार्यक्रम चलाने चाहिए।

9. चूंकि एक बड़ी संख्या में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अन्तिम सीमा मानी जाती है और क्योंकि बीच में ही पढ़ना छोड़ने वालों (शैक्षिक व्यर्थता) की दर बहुत अधिक है, इसलिएप्राथमिक स्कूल स्तर की शिक्षा अपने आप में संपूर्ण और स्वास्थ्य के बारे में कतिपय निश्चित व्यावहारिक परिवर्तन लाने वाली होनी चाहिए।

10. प्राथमिक स्कूल के पाठ्यचर्या में परम्परागत विषयों तथा स्वास्थ्य विज्ञान एवं पोषण संबंधी विषयों के अतिरिक्त ऐसी व्यावहारिक बातों के बारे में जानकारी शामिल करने की जरूरत बढ़ती जा रही है जो धीरे-धीरे स्वास्थ्य को खराब कर देती है—जैसे कि तम्बाकू, अलकोहल तथा औषधि व्यसन, स्कूली पाठ्यचर्या, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बच्चे की सामान्य बढ़ोत्तरी एवं विकास से सम्बन्धित स्वास्थ्य सूचना पर बल दिया जाना चाहिए।

11. स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे को सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के काबिल बनाना है, इसलिए, स्कूलों तथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में ऐसे विषय सम्मिलित करना जरूरी है जो पारिवारिक जीवन संबंधी शिक्षा देते हों।

12. अनुसंधान के लिए सुझाये गये क्षेत्र हैं—बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के वैकल्पिक दृष्टिकोण, कितने बच्चों को अच्छी किस्म की स्कूल स्वास्थ्य सेवायें दी जा सकती है, योन विकास मानक इस क्षेत्र के देशों के किशोरों की समस्याएं और स्कूल स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों को पर्यावरणिक शिक्षा में शामिल करना।

13. आजकल, औपचारिक शिक्षा पद्धति में स्कूल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवपरिवर्तन परियोजनाओं से संबंधित सूचना तथा अनुभव का इस क्षेत्र के देशों के बीच बहुत थोड़ा आदान-प्रदान होता है। अतः, टी०सी०डी०सी० की तरह ही शोधन-गृह कार्यकलापों की आवश्यकता है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा दूसरी विकास एजेंसियां इस प्रकार के शोधन-गृह कार्यकलापों द्वारा सहायता दें।

14. बच्चों के स्वास्थ्य पर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कैसा प्रभाव पड़ता है इसका पता लगाने के लिए समय-समय पर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल्यांकन करने की बात को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि प्रत्येक देश नियमित अन्तरालों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल्यांकन करें।

15. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जुटे सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की भावना का प्रचार करने के प्रयास किए जाने चाहिए। अतः, यह सिफारिश की जाती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा इसी प्रकार की दूसरी एजेंसियां इसक्षेत्र में इस तरह के प्रशिक्षण तथा ओरिएन्टेशन कार्यक्रमों के लिए मदद करें।

16. विश्व स्वास्थ्य संगठन को न्यूनतम संभव अवधि के दौरान स्कूल स्वास्थ्य विषय पर एक क्षेत्रीय नियम पुस्तिका बनानी चाहिए जो उपयुक्त दिशा निर्देशों पर आधारित हो।

17. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रगति की समीक्षा करने तथा अनुभवों एवं नई प्रवृत्तियों का आदान-प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में हर तीन वर्ष में एक बार स्कूल स्वास्थ्य पर ऐसी बैठकें होनी चाहिए जिनमें विभिन्न विषयों से सम्बन्धित वर्गों के व्यक्ति भाग लें।

चिकित्सा अधिकारियों के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा

3515. **श्री सूरज भान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा का ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के नियंत्रण तथा नेतृत्व में रखने के क्या कारण हैं जिन्हें शिक्षा प्रक्रिया में कोई अभिविन्यास प्राप्त नहीं है, जबकि अन्य सभी प्रकार की शिक्षा तथा चिकित्सा, इंजीनियरी आदि संबंधी कार्य शिक्षा मंत्रालय ही देखता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : चिकित्सा शिक्षा, उपचर्या शिक्षा, भैषजिक शिक्षा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षा के विषय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को दिए गए हैं न कि शिक्षा मंत्रालय को।

जहां तक स्वास्थ्य शिक्षा का सम्बन्ध है यह शास्त्रीय तथा अशास्त्रीय दोनों पद्धतियों से दी जाती है। दोनों स्थितियों में यह कार्य शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है तथा इसमें शिक्षा

मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत किए जा रहे प्रयास भी आ जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों और उसकी एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा के लिए तकनीकी साज-सामान की व्यवस्था करना और देश में स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से लोगों को सीधे स्वास्थ्य शिक्षा देना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में अर्हता प्राप्त स्वास्थ्य व्यवसायियों का तकनीकी योगदान अनिवार्य समझा जाता है।

स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अध्यापन साधनों की तैयारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वर्कशाप की सिफारिशें

3516. **श्री सूरज भान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अध्यापन साधनों की तैयारी के संबंध में एक राष्ट्रीय वर्कशाप 27 अक्तूबर, 1980 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्कशाप की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उक्त वर्कशाप की सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यशाला की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) यह कार्यशाला मुख्यतया शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए थी और ऐसा किया भी गया। उपयोग के लिए और शिक्षण सामग्री संबंधित संगठनों द्वारा तैयार की जानी है। इस कार्यशाला द्वारा की गई अन्य सामान्य सिफारिशें केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने संबंधित संगठनों को जांच और उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेज दी है। इसलिए इस समय आगे और उपाय करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण सामग्री तैयार करने के बारे में कार्यशाला की सिफारिशों का सारांश।

1. प्रारम्भिक शिक्षा (औपचारिक पद्धति)

(1) स्वास्थ्य शिक्षा और सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में नया दृष्टिकोण दिखलाने के लिए एक दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार किया जाए जिसमें (अल्मा-आटा सम्मेलन में यथा निर्धारित) ध्येय, उद्देश्य युक्तियुक्त तरीका, पठन-पाठन निधियां आदि दी गई हों।

(2) मास्टरों/अध्यापक/अनुदेशकों को विषय परिचायक प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ किया जाए ।

(3) वर्तमान कार्यशाला की रिपोर्ट सभी राज्यों को भेजी जाए जिसमें उनसे ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया जाए ।

(4) राज्यों से अनुरोध किया जाए कि वे स्वास्थ्य शिक्षा में समकालीन विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए पाठ्यचर्या की जांच करें और स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें परिवर्तन करें ।

(5) स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देने के लिए अध्यापकों को वहां के विशेषज्ञों (स्वास्थ्य कार्मिकों) का सहयोग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(6) स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए ।

2. माध्यमिक शिक्षा (औपचारिक पद्धति)

(1) इस कार्यशाला में तैयार किये गये संदेश तथा सामग्री सभी राज्यों को भेजी जाए ।

(2) ये संदेश तथा सहायक सामग्री और प्रशिक्षण विधि निर्धारित करने के लिए तथा इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु राज्य स्तर पर कार्यशालाएं चलाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग एक समन्वय समिति गठित करें ।

(3) बाद में, अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण विधि तथा जिलों में चलाए जाने के लिए एक योजना किसी आगामी कार्यशाला में तैयार की जाए ।

3. 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बाहरी तथा स्कूल छोड़ गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा ।

(1) स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षण/पठन सामग्री की उपलब्धता तथा सरकार से वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता लेने की सम्भावना का पता लगाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया जाए ।

(2) इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर कमियों का पता लगाया जाए और उन्हें दूर किया जाए ।

(3) शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकों तथा सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में लोगों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की एक बृहद् योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा नीति का विकास करने की शीघ्र आवश्यकता है ।

(4) सभी स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाने के प्रयास किए जाएं ।

(5) औपचारिक और अनोपचारिक शिक्षण कार्यक्रमों में स्वास्थ्य शिक्षा के मौजूदा घटकों की समीक्षा की जाए और अनुदेशक/शिक्षक पर अतिरिक्त बोझ डालने की अपेक्षा इसे मौजूदा पाठ्यचर्या का एक भाग बनाया जाए ।

(6) स्वास्थ्य शिक्षा को महत्व देते हुए पठन-पाठन की सभी औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं को व्यावहारिक जन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाए । सभी जिला राज्य तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघरों तथा संग्रहालयों में एक स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुभाग होना चाहिए ।

(7) दूसरी संस्थाओं के सहयोग से केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए काफी स्वास्थ्य सामग्री तैयार करें ।

(8) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो को स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सामग्री तैयार करने के लिए दीर्घावधि योजना बनानी चाहिए तथा अन्य राज्यों में ऐसी कार्यशालायें आयोजित करनी चाहिए जिनमें फार्मास्युटिकल फर्मों के व्यावसायिक विज्ञापनों से सम्बन्धित कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए ।

(9) स्वास्थ्य शिक्षा की सामग्री बांटने के लिए केन्द्र स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो तथा जाने पहचाने स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

(10) तैयार की गई सामग्री के उचित प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण विधियां तथा तकनीक तैयार की जानी चाहिए ।

4. प्रौढ़ शिक्षा (अनौपचारिक)

(1) पठन-पाठन प्रयोजनों के लिए पहले से इस्तेमाल की जा रही उपलब्ध सामग्री की समीक्षा की जानी चाहिए ।

(2) उपलब्ध स्थानीय साधनों के साथ आसान तरीके तथा कम खर्च वाली तकनीक तैयार की जानी चाहिए ।

(3) कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षकों, अशिक्षित प्रौढ़ों के अध्यापकों, पढ़े लिखे वाले तथा नये-नये प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए तैयार ऐसे चुनिंदा प्रोटोटाइपों की क्षेत्रीय परीक्षणों के जरिए पूर्व जांच की जानी चाहिए ।

(4) चुनिन्दा स्थानीय उपलब्ध बहुविषयक दल की सहायता से केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा एक दीर्घकालीन कार्यशाला चलाने की आवश्यकता है ।

(5) इन शिक्षण सामग्रियों को तैयार करते हुए जन प्रचार के साधनों विशेषकर 'रेडियो' तथा 'टेलीविजन' के लिए हल्के-पुल्के कार्यक्रम तैयार करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

रेल विभाग की आरक्षण नीति

3517. **श्री टी० एम० सावंत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और सरकार के पक्ष में रेल विभाग की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली शोषित कर्मचारी संघ की रिट याचिका 14 नवम्बर, 1980 को खारिज कर दी है ;

(ख) यदि हां तो क्या मंडल रेलवे उत्पादन एककों आदि को सभी श्रेणियों में सेलेक्शन तथा गैर-सेलेक्शन पदों के सम्बन्ध में 40 सूत्री रोस्टर के कार्यान्वयन के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए है ; और

(ग) कमी को दूर करने के लिए और 15 अक्तूबर, 1979 से 14 नवम्बर, 1980 तक 40 सूत्री रोस्टर को अद्यतन बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के विधिक कक्ष के परामर्श से उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है और यथा-समय रेल प्रशासनों तथा उत्पादन यूनिटों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3518. **श्री टी० एम० सावंत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सिस भारत संघ (रेल मंत्रालय) के मामले में जिसमें रेल सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के पक्ष में आरक्षण नीति को चुनौती दी गयी थी, के संबंध में सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय का कथित निर्णय विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रेल प्रशासन के खिलाफ दायर सभी मामलों पर लागू होता है ;

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अभी भी कितने मामले लम्बित पड़े हैं ; और

(घ) उन मामलों में जिन में रोक के आदेश प्राप्त किए हुए हैं रोक आदेशों को रद्द कराने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा तुरन्त कदम उठाने का विचार है और मामलों में अंतिम रूप से सुनवाई के लिए रेल मंत्रालय का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) लगभग 200।

(घ) सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के सरकारी वकीलों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा रहे हैं।

स्वयं रोजगार में लगे कर्मचारियों की सहकारी समितियां

3519. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंसित कुलियों और वेंडरों जैसे स्वयं रोजगार में लगे कर्मचारियों की सहकारी समितियों की संख्या कितनी है जिन्हें ढुला-ढुलाई और कैटरिंग सेवा के लिए ठेके दिए गए हैं, उन स्टेशनों के नाम तथा जगहों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार के ठेके दिए गए हैं ; और

(ख) स्वयं रोजगार में लगे वेंडरों अथवा सहकारी समितियों को गैर-सरकारी ठेकेदारों के स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर दिए गए ठेकों को शासित करने वाले नियम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)। (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चार पहियों वाले वैगन

3520. **श्री सोमनाथ चेटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे द्वारा व्हील सैटों तथा एक्सलों जैसी निःशुल्क सप्लाई की मदों को छोड़ कर चार पहियों वाले वेगनों के मूल्य में 43.6 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि वैगन उद्योग ने पहले 35 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की थी जिसे मंजूर नहीं किया गया था ;

(ग) वैगन प्राप्त करने के लिये राजकोष से कितनी अतिरिक्त राशि खर्च की जा रही है ; और

(घ) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को पृथक-पृथक चार पहियों वाले कुल कितने वैगनों के लिऐ आदेश दिये जाते है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय ने अक्तूबर, 1980 में माल डिब्बों के लिए आर्डर दिये थे और उस समय पिछली बार दिये गये आर्डर के बाद की अवधि में हुई मूल्य वृद्धि और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुये जो 1-3-78 को आधार तिथि मानकर पहले दिये गये आर्डर के संदर्भ में 1-4-80 को आधार तिथि मानकर अक्तूबर, 1980 में दिये गये आर्डर में माल डिब्बे की किस्म के अनुसार मूल्य में 43 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति दी गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकारी क्षेत्र के यूनिटों को चौपहियों के हिसाब से 10,063 और निजी क्षेत्र के यूनिटों को 17,489 माल डिब्बों के आर्डर दिये गए हैं।

पुंछ में चीनियों द्वारा चलाया जा रहा जासूसी केन्द्र

3521. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चीनियों द्वारा चलाया जा रहा जासूसी का केन्द्र पाकिस्तान अधिकृत कशमीर में पुंछ की बाह्य सीमा में स्थित है और यह पाकिस्तान सतर्कता दल के पूर्ण सहयोग से चल रहा है;

(ख) क्या यह सन्देह किया गया है कि कशमीर में गड़बड़ी के लिए इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा कशमीर के अधिकृत क्षेत्र गिलगित में चीनी सेनाएं भी एक मिसाइल यूनिट सहित मौजूद है और अफगानिस्तान से आए विद्रोही भी इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) इस आशय की खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं।

(घ) सरकार के पास इन खबरों की पुष्टि करने का कोई आधार नहीं है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तथा चीन की सरकारों ने इनका जो खंडन किया है वह भी इसने देखा

है। सरकार इस ओर से सजग रहती है और अगर इन खबरों की कहीं से पुष्टि होती है तो इस तथ्य को समुचित रूप से बता दिया जाएगा कि इस प्रदेश में जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है अगर कोई सैनिक गतिविधि होती है तो उसे हम बहुत गम्भीर रूप से लेंगे।

विदेशों में भारतीय डाक्टरों की संख्या

3522. **डा० गोलम याजदानी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में कितने भारतीय डाक्टर हैं ; और

(ख) सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिससे और अधिक डाक्टरों को मध्य पूर्वी देशों में भेजा जा सके ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इसके कोई ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन 1973 से नवम्बर 1980 तक विभिन्न विकासशील देशों में द्विपक्षीय संविदा के आधार पर 3912 डाक्टर विदेशों में प्रतिनियुक्ति के लिए चुने गए हैं। उन्नत देशों में कितने डाक्टर हैं, इसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और न उनका जिन्होंने विकासशील देशों में अपने आप ही नौकरी प्राप्त की है।

(ख) परस्पर लाभदायक और स्वीकृत शर्तों पर मध्यपूर्व में डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार हर तरह के कदम उठा रही है।

पत्तनों के बारे में अन्तर मन्त्रालयी कार्यदल की सिफारिशें

3523. **श्री ए०टी०पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल द्वारा (एक) नौवहन तथा उद्योग (दो) पत्तनों और (तीन) सड़क परिवहन के लिए परिकल्पित अर्थ-व्यवस्था के अनुमानित वृद्धि के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1980-85 पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न पत्तनों के लिए एक अन्तर-मन्त्रालयी कार्य दल का गठन किया गया। इस दल ने उक्त पंचवर्षीय योजना में पत्तन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित राशि आवंटित करने के लिए ये प्रस्ताव किए :—

1. बड़े पत्तन	633 करोड़ रुपये
2. अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य	24 करोड़ रुपये
3. सेंट्रल ड्रेजिंग आर्गेनाइजेशन	1 करोड़ रुपये
4. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया	30 करोड़ रुपये
5. अनुसन्धान और विकास	3 करोड़ रुपये
कुल :	691 करोड़ रुपये

उपरोक्त आबंटन के बजाय, योजना आयोग 575.00 करोड़ रुपये आबंटित करने पर सहमत हुआ है। किस क्षेत्र को कितनी राशि आबंटित की जाए, इस पर अभी विचार हो रहा है।

1980-85 पंचवर्षीय योजना में नौवहन और सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए आबंटन करने के बारे में किसी अन्तर-मन्त्रालयी कार्य दल का गठन नहीं किया गया था। फिर भी, नौवहन विकास निधि समिति से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए और सरकारी उपक्रमों से उनकी आवश्यकताओं से संबंधित जो-जो प्रस्ताव मिले, उनको आधार मानकर मन्त्रालय ने प्रस्ताव किया था कि नौवहन विकास निधि समिति को 1980-85 पंचवर्षीय योजना में 913 करोड़ रुपये सहायता के रूप में और 215 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दिए जाएं। योजना आयोग ने उक्त राशि के बजाय नौवहन क्षेत्र के लिए केवल 720 करोड़ रुपये देने मन्जूर किए हैं।

जहां तक सड़क परिवहन क्षेत्र का प्रश्न है, उसके लिए 1980-85 पंचवर्षीय योजना में 149.00 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया था। योजना आयोग, इसके बदले केवल 70 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए राजी हुआ है।

पोर्ट ट्रस्टों के अध्यक्षों का सम्मेलन

3524. **श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पोर्ट ट्रस्टों के अध्यक्षों का नई दिल्ली में दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई ;

(ग) क्या पोतों का मार्गदर्शन करने वाली पायलट नावों की कमी के प्रश्न पर सम्मेलन में विचार किया गया था ;

(घ) क्या गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के प्रश्न पर भी सम्मेलन में विचार किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त सम्मेलन में जिन-जिन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श हुआ वे इस प्रकार हैं : 1980-85 की योजना में शामिल परियोजनाओं की समीक्षा करना, विभिन्न पत्तनों पर कंटेनरों को चढ़ाने-उतारने की क्षमता, जहाजों को प्लांट पर लगाने से पहले उन्हें समुद्र में खड़ा करने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए उपाय सोचना, पत्तनों पर जहाजों की वापसी का समय, पायलट जलयानों/लांचों का पर्याप्त संख्या में होना और उनका समुचित रखरखाव, पत्तनों की निकर्षण सम्बन्धी आवश्यकताएं और विकेन्द्रीकरण अर्थात् पत्तनों को अधिकार देना ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जहां तक पायलट नौकाओं की कमी का सवाल है, इस बारे में निर्णय किया गया था कि सभी सम्बन्धित पत्तन अपनी-अपनी आवश्यकताओं का पता लगायें और जितनी पायलट नौकाओं की उन्हें जरूरत हो, उतनी नौकाएं खरीदने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें ।

कोयले के वैगन जो अपने गन्तव्य स्थान मुरादाबाद नहीं पहुंचे

3525. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के कितने वैगन उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद मंडल के लिए भेजे गए थे लेकिन वे अपने गन्तव्य स्थान नहीं पहुंचे और पिछले तीन वर्षों में उनका किस प्रकार निपटान किया गया ;

(ख) बिना जुड़े रेल वैगनों का क्या बना और मुरादाबाद मंडल में विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे बोर्ड के अनुदेशों के उल्लंघन में मिमो डिलीवरी प्रक्रिया क्यों अपनाई गई थी; और

(ग) पार्टियों द्वारा कोयले की हानि के लिए कितना दावा किया गया और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों द्वारा यह अनियमित प्रक्रिया क्यों लागू की गई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में स्थित स्टेशनों के लिए बुक किए गए कोयले के उन माल डिब्बों की संख्या, जो अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचे और उनके निपटारे की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	उन माल डिब्बों की संख्या जो वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुए	बेबाकी रसीद के अन्तर्गत जिन माल डिब्बों की सुपुर्दगी बाद में की गई	गलत स्थानों को भेजे गए/बीच रास्ते में रोके गए माल डिब्बों की संख्या
1977-78	480	138	345
1978-79	767	205	562
1979-80	614	198	416

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुरादाबाद मंडल में कोयले के असम्बद्ध माल डिब्बों के निपटारे की स्थिति इस प्रकार रही है :—

वर्ष	नीलाम किए गए माल डिब्बों की संख्या	सम्बद्ध समायोजित माल डिब्बों की संख्या	रेल इन्जन शेडों को भेजे गए माल डिब्बों की संख्या
1977-78	सूचना उपलब्ध नहीं है।		
1978-79	19	32	36
1979-80	41	34	73

भारतीय रेल वाणिज्य नियमावली जिल्द-II और भारतीय रेल सम्मेलन माल दर सूची सं० 35 भाग-I जिल्द-I में दिए गए अनुदेशों के अनुसार मीमो सुपुर्दगी प्रक्रिया का पालन किया गया। कोयले के माल डिब्लों की मीमो सुपुर्दगी रेलवे बोर्ड द्वारा वर्जित नहीं की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन माल डिब्बों के लिए पार्टियों द्वारा दावे प्रस्तुत किए गए उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	माल डिब्बों की संख्या
1977-78	480
1978-79	767
1979-80	614

जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, मीमो सुपुर्दगी की प्रक्रिया अनियमित नहीं थी।

रेलवे की कार्यप्रणाली में सुधार

3526. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए उन्होंने कई प्रस्तावों पर कार्यवाही शुरू की है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन महीनों के दौरान आंदोलनकारियों ने रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है ;

(ग) क्या रेलों के कार्यों का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है ;

(घ) क्या रेलवे में होने वाले सुधारों के सम्बन्ध में उन्हें प्रति माह रिपोर्ट देने को कहा गया है ; और

(ङ) क्या रेलवे को राजस्व प्राप्त होना शुरू हो गया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य ।

(ग) जी हां ।

(घ) क्षेत्रीय रेलें प्रत्येक 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं ।

(ङ) जी हां ।

टायफायड से पीड़ित भारतीय

3527. **श्री जी०आई० कृष्णन** :

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2.7 करोड़ भारतीय ग्रामीण टायफाइड रोग से पीड़ित होते हैं और वर्ष 1990 में उनकी संख्या 3.3 करोड़ तथा वर्ष 2000 में 4 करोड़ हो जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और टायफाइड के मामलों में गिरावट के बावजूद उक्त संख्या में वृद्धि क्यों होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य प्राधिकारियों एवम् अस्पतालों के सहयोग से ग्लेक्सो (इंडिया) द्वारा तैयार किये गये "मैडिकल प्रोटेक्शन (2000 एडी)" में कहा गया है

कि बढ़ती हुई गन्दगी तथा शुद्ध पेय जल के अभाव में अधिक लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं । वैसे, आयुर्विज्ञान संस्थाओं में इलाज किए गए रोगियों के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 1979 के दौरान टाइफायड के 263057 रोगियों के रोग ग्रस्त होने की सूचना दी है । 1980 (सितम्बर तक) के दौरान टायफाइड के 1,58,802 व्यक्तियों के रोग ग्रस्त होने की सूचना मिली है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मंत्रालय को वाणिज्यिक फर्म : ग्लेक्सो (इण्डिया) द्वारा निर्मित "मैडिकल प्रोटेक्शन" (2000 ई०) की कोई जानकारी नहीं है । तथापि बढ़ती हुई गन्दगी तथा शुद्ध पेय जल के अभाव के कारण टायफाइड संक्रामक-कृत शोध, प्रवाहिका आदि जैसे जल से उत्पन्न होने वाले रोग अवश्य हो जाते हैं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के टेलीफोन आपरेटरों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

3528. श्री जय नारायण रौत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के टेलीफोन आपरेटरों ने अपनी निर्धारित समय अवधि से अधिक कार्य अवधि में निष्पादित कार्य के लिए समयोपरि भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अस्पताल अधिकारियों को अपने अभ्यावेदन दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) और (ख) टेलीफोन आपरेटरों ने निर्धारित समय से अधिक कार्य करने के बारे में कोई अभिवेदन नहीं दिया है । तथापि वे चाहते थे कि उन्हें अन्य सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे टेलीफ़ोन आपरेटरों के बराबर समझा जाए । वे चाहते हैं कि उन्हें केवल उन तीन राष्ट्रीय

छुटियों अर्थात् 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर को कार्य करने के लिए सामान्य दरों से दुगना समयोपरि भत्ता देने की व्यवस्था की जाए । यह मामला विचाराधीन है ।

डाक्टरों की मांगों की जांच के लिए समिति का गठन

3529. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली के जूनियर डाक्टरों को अन्तरिम राहत देने के प्रश्न और अन्य मांगों की जांच करने के लिए तुरन्त एक समिति गठित की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो समिति गठित कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

इण्टरनेशनल सोसायटी आफ कृष्ण कांशसनेस द्वारा आसाम को एक पृथक देश दिखाया जाना

3530. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री जगपाल सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इण्टरनेशनल सोसायटी आफ कृष्ण कांशसनेस (इसकोंन) के कार्यालय दस्तावेजों में आसाम को भारत से अलग एक देश दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां । इंटरनेशनल सोसायटी फार कृष्ण कांशियसनेस (इसकोन) के इंटरनेशनल लाइफ मेम्बरशिप ट्रस्ट ने जिसका पंजीकृत कार्यालय लन्दन में है, सोसायटी के सभी सदस्यों के लिए एक दस्तावेज जारी किया है जिसे "आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय आजीवन सदस्यता पासपोर्ट" का नाम दिया गया है । इस दस्तावेज के आधार पर कोई भी सदस्य संसार में 'इसकोन' के किसी भी केन्द्र से सहायता प्राप्त कर सकता है । इस दस्तावेज के पृष्ठ 19 पर इन सभी केन्द्रों की सूची

दी गई है । जिन शहरों में इस सोसायटी के केन्द्र हैं, उनके नाम के सामने उसके देश का नाम लिखा हुआ है । लेकिन गोहाटी के मामले में शहर के नाम के बाद भारत की बजाए असम लिखा है ।

(ख) विदेश मंत्रालय ने इस मामले को उक्त सोसायटी के नई दिल्ली स्थित प्रतिनिधि के साथ उठाया था और भारत के न्यूयार्क स्थित प्रधान कोंसलावास ने भी इस मामले को "इसकोन" के अधिकारियों के साथ उठाया था । लन्दन में भारतीय हाई कमीशन भी यह मामला "इसकोन" के लन्दन स्थित मुख्यालय के साथ उठा रहा है । इस सोसायटी ने लिखित रूप से इस बात की पुष्टि की है कि गोहाटी के बाद असम लिखा जाना छपाई की भूल है और यह कि सोसायटी ने जान-बूझ कर यह दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया कि असम भारत का अंग नहीं है । इस सोसायटी ने यह सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया है कि "असम" की जगह "भारत" लिख कर पासपोर्टों को उचित रूप से संशोधित कर दिया जाएगा । साथ ही सोसायटी ने इस भूल के लिए खेद भी व्यक्त किया है । "इसकोन" के लन्दन और अमरीका स्थित मुख्यालयों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने सभी दस्तावेजों में छपाई की इस भूल को एक महीने के अन्दर नीचे लिखे अनुसार सुधार लें :—

(क) गोहाटी के बारे में छपाई की भूल वाले दस्तावेज वापस लेकर ; और

(ख) यह सुनिश्चित करके कि अब जो दस्तावेज जारी किए जायेंगे उनमें उपयुक्त कालम में गोहाटी के सामने देश का नाम भारत लिखा जाए ।

यदि निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया जाता तो भारत सरकार के संबंधित विभागों द्वारा भारत में इस संगठन के सदस्यों और उनकी गतिविधियों के बारे में उपयुक्त दोषनिवारक कार्यवाही की जाएगी ।

सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों की वरिष्ठता

3531. **श्री जय नारायण रौत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में आपरेटरों की वरिष्टता के बारे में 17 जुलाई, 1980 अतारांकित प्रश्न संख्या 4592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलय सम्बन्धी अनुमति दिये जाने के परिणामस्वरूप टेलीफोन आपरेटरों को विशेष वेतन का भुगतान 1 अक्तूबर, 1978 से किया जा रहा है और 1 जनवरी 1973 से नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन आपरेटरों ने विशेष वेतन 1 जनवरी, 1973 अथवा अस्पताल में टेलीफोन आपरेटर के रूप में नियुक्ति की तारीख से अदा किए जाने के बारे में कई बार अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो सरकार ने 1 जनवरी 1973 अथवा उनकी नियुक्ति की तारीख से विशेष वेतन की अदायगी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) टेलीफोन आपरेटरों के अभ्यावेदनों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों, जिनमें उन्हें क्लर्कों के संदर्भ में शामिल करने तथा विशेष वेतन का मामला भी शामिल था, पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श करते हुए विचार किया गया और जुलाई, 1979 में उन्हें अपेक्षित स्पष्टीकरण भेज दिए गए थे। साथ ही, उन्हें यह भी कहा गया कि इस संदर्भ में शामिल होने से पहले वे यह वचन दें कि वे क्लर्कों के संवर्ग में शामिल होना चाहते हैं अथवा नहीं। टेलीफोन आपरेटरों से अभी तक अपेक्षित वचन प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके स्थान पर उन्होंने नए अभ्यावेदन भेज दिए हैं।

स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में

श्री तारिक अनवर (कटहार) : नवभारत टाइम्स में आज जो खबर छपी है और पास में यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मार्कसवादियों ने...।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आकर बात कीजिए।

श्री तारिक अनवर : मैंने इस पर कालिंग अटेन्शन दिया है। मुझे बोलने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ आकर बात कीजिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रश्नों के बारे में यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमन् मैंने एक स्तगन-प्रस्ताव पेश किया है जिसका संबंध दिल्ली छावनी में सिपाही कुंजन लागर की यंत्रणा के कारण मृत्यु से है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री नीलालोहिथादासन (त्रिवेन्द्रम) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं प्रधान मंत्री को डाक पत्र लिखा है जो.. (व्यवधान) *।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात कार्यवाही वृतान्त में नहीं जानी चाहिए (व्यवधान)*।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ जानकारी है । मैं वह आपको दे दूंगा । ··(व्यवधान) इसकी अनुमति नहीं है ।···(व्यवधान) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : कल हम औचित्य के प्रश्न पर विचार कर रहे थे । "एक नागरिक समारोह हुआ है...।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति से अवगत हूं । मैं आपको बतादूंगा । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कुछ सब्र व संयम से काम लें । वे आराम से बात कर सकते हैं तो मैं समझा सकता हूं । परन्तु आप लोग तो पूरे जोर-जोर से चीख रहे हैं जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा है । ··(व्यवधान) आप सभा की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दे रहे ? सभा की कार्यवाही चलने देना आपका फर्ज है । मैं हर विषय पर चर्चा की अनुमति दे रहा हूं फिर भी आप पूरे जोर से चीख रहे हैं । इसमें क्या तुक है ।

प्रो० मधु दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह नियमानुसार हों तो । यदि कोई बात है तो मैं नियमानुसार उसकी अनुमति दूंगा । सभा की कार्यवाही मुझे चलानी है ।

श्री नीलालोहियादासन : मैं निवेदन करता हूं कि...।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री नीलालोहियादासन : निमय 56 के अधीन मैंने एक स्थगत प्रस्ताव की सूचना दे रखी है···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये, यदि आप किसी ऐसे स्थगन प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं, जिसे मैंने अनुमति नहीं दी है, तो आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि मैं उक्त विषय पर यहां चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री नीलालोहियादासन : उक्त प्रस्ताव को स्वीकार न करने का मुझे कारण बतायें (व्यवधान) ।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : व्यवस्था के प्रश्न पर । सदस्यों के लिए निदेशिका नामक पुस्तक में आप देखेंगे कि एक ऐसा स्पष्ट प्रावधान है जिसके द्वारा कोई सदस्य उस मामले में एक वक्तव्य दे सकता है क्योंकि आपने उसके स्थगत प्रस्ताव को अनुमति नही दी हो । वह उक्त प्रावधान के अधीन कुछ कहना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री ज्योतिमय बसु : कृपया मेरी बात सुनिये । यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उक्त मामले को सभा के सामने नहीं ला सकते । वह मेरे पास आयें मुझसे बात करें और फिर हम देखेंगे ।

श्री ज्योतिमय बसु : परन्तु उक्त प्रावधान के अनुसार...।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह प्रावधान देखा है । इसका कोई प्रश्न नहीं है । अनुमति नहीं दी है...।

श्री ज्योतिमय बसु : आप इस नवयुवक सदस्य को अनुमति क्यों नहीं दे देते जो इतने उत्तेजित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजित होना एक बात है और नियमों का होना दूसरी बात है । उन नियमों को लागू करना होता है । इस समय उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है ।

श्री ज्योतिमय बसु : आप हमारा निवेदन नहीं सुन रहे हैं । मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इन नवयुवक सदस्य को एक अवसर दें और सुनें कि वह क्या कहना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे संतुष्ट करें । मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखा है, व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री को कहा है कि वह इसे देखें । जबतक मैं संतुष्ट नहीं होता, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान) ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । नियम 60 के अन्तर्गत मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । मैंने एक एडजर्नमैंट मोशन दिया है... (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला स्थगन प्रस्ताव का नहीं है । कोई बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगी । सभा-पटल पर पत्र रखे जायें... (व्यवधान)* ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औषध और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संधशोन) नियम 1980 की प्रति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 26

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 779 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1539/80)

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जयपाल सिंह जी, काल अटेंशन डिस्कस नहीं होता । यह जो सिक्योरिटी आर्डिनेंस डिस्कस हो रहा है उसमें आप यह प्वाइंट उठा सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। उसमें जितने मर्जी हों उठायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था के प्रश्न पर। मैं सदस्यों की निदेशिका नामक पुस्तक के पृष्ट 31, पैरा 14, 34-पैरा (छः) का उल्लेख कर रहा हूं । इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष पीठ द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद इसका जिक्र किया जा सकता है । साथ ही अध्यक्ष इस बारे में सदस्य को संक्षिप्त विवरण देने की अनुमति दे सकता है ।

आप इस युवा सदस्य को अवसर नहीं देना चाहते हैं । मैं यह नहीं चाहता कि दक्षिण भारतीय यह समझें कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसे मत बोलिये । आप अवांछित बात कर रहे हैं । मैं इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट करता हूं । आप दक्षिण और उत्तर का भेद कर रहे हैं । यह अनर्गल है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस में लिखा है :

"यदि किसी सूचना की ग्राह्यता के बारे में निर्णय करने के लिए अध्यक्ष के पास पूरे तथ्य उपलब्ध न हों तो वह उस या अपनी सहमति देने मान देने से पूर्व प्रस्ताव की सूचना सभा में पढ़ेगा और संबंधित मंत्री और/अथवा सदस्यों से तथ्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण सुनेगा और तब प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में अपना निर्णय देगा।"

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं को तथ्य से पूरी तरह अवगत कर रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रावधान है जब तक कि आप स्वयं उनका मुंह बंद न करलें ।

अध्यक्ष महोदय : बिना एक या अधिक सदस्यों का नाम लिये भी, वह श्री कुरियन थे, वह बहुत ही उत्तेजित थे··· (व्यवधान) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इस तरह उनका मुंह बन्द क्यों कर रहे हैं ?···(व्यवधान) ।

श्री निरेन घोष (बमबम) : जब स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किये जाते तो आप एक-एक करके उनकी अनुमति दें··· (व्यवधान) ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : घोष जी, अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया पैरा 14 देखिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में आने से पूर्व पांच या छः बार पढ़ता हूं । यह मेरा काम है । मैं किसी भी मुद्दे को पूरा करने के लिए मुझे पूरी तरह तैयार रहना होता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने कहा कि आपके पास पूरे तथ्य नहीं हैं । यहां एक ऐसा व्यवधान है जिसके द्वारा आप....।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके पास तथ्य नहीं हैं । क्या यह सच है श्रीमन् ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं तथ्य मौजूद हैं । मैं उनकी पुष्टि चाहता हूं । मैं स्वयं को पूरी तरह आश्वास्त करना चाहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यहां इसमें कहा गया है कि...।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गम्भीर मामला है । मैं जानता हूं यह क्या है । इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं...।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने अभी-अभी कहा है कि आपके पास पूरे तथ्य नहीं है ... **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मेरे पास तथ्य हैं परन्तु मैं उनकी पुष्टि करना चाहता हूं... **(व्यवधान)** ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इससे मेरी इस बात की पुष्टि होती है कि आपके पास पूरे तथ्य नहीं हैं । ऐसी स्थिति के लिए ही यह प्रावधान है । जहां कि कोई सीमान्त मामला हो या अध्यक्ष के पास सूचना की ग्राह्यता के लिए पूरे तथ्य मौजूद न हों तो वह अध्यक्ष पीठ से उक्त प्रस्ताव के प्राप्त होने का जिक्र कर सकते हैं और सदस्य/मंत्री से एक संक्षिप्त विवरण सुनने के बाद उसके गुणों दोष पर अपना निर्णय कर सकते हैं । अब आप सदस्य का संक्षिप्त विवरण सुन सकते हैं । आप उन्हें चुप क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें चुप नहीं कर रहा हूं । क्या मैंने उन्हें चुप हो जाने को कहा है ? क्या मैंने सभा से कोई मामला छिपाया है ? नहीं । मैंने ऐसा नहीं किया है । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा पहले मैं स्वयं को संतुष्ट करूंगा । पहले मुझे स्वयं आश्वस्त होने दें... **(व्यवधान)** ।

लोक लेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. संघ उत्पाद-शुल्क (1971-72) से सम्बन्धित 68 वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण।

2. कनाडा से तोरिया-बीच और तोरिया तेल के आयात से सम्बन्धित 144व प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।

———

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमन् मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी हैं :

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 9 दिसम्बर, 1980 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1980 को पास किये गये आरोबिल (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 10 दिसम्बर, 1980 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 1980 को पास किये गये जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

———

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आपको शोभा नहीं देता और न अध्यक्ष पीठ को शोभा देता है। और न ही (व्यवधान)।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : मैंने दिल्ली छावनी में लाजार कुनजुन की मृत्यु के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। मेरे चुनाव क्षेत्र का एक नागरिक सात्री यंत्रणा दिये जाने के पश्चात् दिल्ली छावनी के सैनिक कक्ष में मर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री एम० एम० लारेंस : वह मेरे चुनाव क्षेत्र का है । वह मर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हर व्यक्ति किसी न किसी चुनाव क्षेत्र का होता है । नहीं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ··· (व्यवधान) ।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या संसद को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ? आप इस मामले को सरकार को भी नहीं भेज रहे हैं ।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) : कई बारदातें हो जाती हैं लेकिन किस तरह अखबार वाले उसको उछाल रहे हैं या ये उछाल रहे हैं उसमें उनका इरादा नेक नहीं लगता है··· (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से नहीं चलता है । श्री हरीश कुमार गंगवार नियम 377 के अधीन ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 51 के अधीन उठ रहा हूं । मुझे एक अन्य मामले पर ½ मिनट चाहिये ।

जो चर्चा होने वाली है उसके लिए मैंने उस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के संतुलन-पत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाये थे जिसको सरकार अपने अधिकार में लेने जा रही है । ग्रंथागार अनुभाग विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है । ये मंत्रालय पत्रों को रोके हुए हैं । मैं कई दिन से पत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं । हम अपना संसदीय कार्य कैसे करें ? क्योंकि यह कम्पनी मारूति लिमिटेड है इस उक्त पत्र को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है और मुझे इस पर बड़ा दुःख पहुंचा है । ऐसा तो कभी नहीं हुआ ।

श्री नीलालोहिथादासन : आप मुझे एक संक्षिप्त विवरण नहीं देने दे रहे हैं । हम इसके विरोध में सभा से उठकर जा रहे हैं ।

इसके पश्चात् श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में रानी सती मंदिर

श्री भीम सिंह (झुन्झूनूं) : अध्यक्ष जी, दिनांक 9-12-1980 को माननीय सदस्यों ने "सती प्रथा" की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु एक स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति चाहने को अपने उद्‌गार प्रकट किए। माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी ने भी इस विषय पर सदन में एक वक्तव्य दिया। यह विषय मेरे चुनाव क्षेत्र झुंझनू के श्री राणी सती मंदिर से संबंधित था। झूंझनू का यह राणी सती का मंदिर सात सौ वर्ष पहले अपने सतीत्व को बचाने हेतु हुए सती जी का है। इस मंदिर पर सदियों से प्रतिवर्ष एक विशाल मेला भरता है और लाखों श्रद्धालु भक्त कलकत्ता, बम्बई मद्रास व सारे देश के कोने कोने से वहां श्री सती माता की पूजा व दर्शन करने को आते हैं। विक्रम संवत् 1352 में इन सती जी के पति जब लड़ाई के मैदान में युद्ध करते हुए मारे गए तब अपने सतीत्व की रक्षा करने हेतु उन्होंने अपने आपको अग्नि को समर्पित कर दिया। झुंझनू की इन राणी सती माता के 12 मंदिर विदेशों में हैं और 113 मंदिर भारत में। जिस जबरन सती प्रथा की माननीय सदस्यों ने व माननीया प्रधान मंत्री जी ने निन्दा की है, मैं समझता हूं कि उनका तात्पर्य जौहर करके अपने सतीत्व की रक्षा हेतु "सती" होने वाली विरांगनाओं के लिए कदापि नहीं था। राजस्थान में दस बार बड़े-बड़े "जौहर" हुए—तीन बार जौहर चित्तौड़गढ़ (मेवाड़) में, दो बार जैसलमेर में, एक बार बयाना (भरतपुर) में, एक बार भटनेर (बीकानेर) में, एक बार जालौर (मारवाड़) में, एक बार सीवाणां (मारवाड़) में और एक बार रणथंभोर में। इन जौहरों में अपने सतीत्व की रक्षा हेतु हजारों नारियां अपने आपको अग्नि में समर्पित कर सती हो जाती थीं और राजपूत शूरवीर केसरिया वस्त्र धारण कर युद्ध में जूझकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, यही 'जौहर' कहलाता था। इन सती शूरमाओं (अननोन वारीयर्स) की वीर-पूजा के हेतु राजस्थान में श्रद्धा से लाखों लाख स्त्री-पुरुष मेले लगाते हैं। जुलूस निकालते हैं। इनमें प्रमुख हैं—चित्तौड़गढ़ का सती मेला, रामदेवजी का मेला गूंगाजी का मेला, तेजाजी का मेला व झुंझनूं का राणी सत्ती मेला। जिस प्रकार इंडियागेट नई दिल्ली में "अमर-ज्योति" प्रज्ज्वलित रख कर "अननॉन वारीयर्स" के प्रति श्रद्धांजलि दी जाती है, इन सती व शूरमाओं के जुलूस निकाल कर, मेले लगाकर इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती रही है। इन जुलूसों का, इन मेलों का इन मंदिरों का कभी भी किसी को सती प्रथा के लिए प्रेरणा देना अथवा सती प्रथा को रिवाइव करना नहीं है। सती शब्द भारत की नारियों के सतीत्व का सम्मान सूचक शब्द है, जैसे सती अनुसुइया, सती सावित्री इत्यादि। अतः "सती" शब्द की महानता व पवित्रता को दूषित नहीं किया जाना चाहिए और "सती" शब्द से चौंकना भी नहीं चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी आपने नियम 377 में एक मामला माननीय सदस्य को उठाने की इजाजत दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक ऐसा पुरुष कोई नहीं निकला, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सती होकर ऊपर गया हो।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आप तो इन सब बातों से फ्री हैं। वैसे वह "सती" की बात नहीं कर रहे थे, "जौहर" की बात कर रहे थे।

(दो) केरल में किसानों द्वारा धान की खेती जारी रखना

श्री बी०के० नायर (क्विलोन) : केरल में खाद्यान्नों के उत्पादन के क्षेत्र में एक गंभीर संकट पैदा हो रहा है। राज्य के 60,000 हेक्टेयर के समूचे कुट्टानाड क्षेत्र में जिसे केरल का 'चावल का कटोरा' कहा जाता है, धान की काश्त करने वालों ने घोषणा कर दी है कि वे चालू वर्ष के दौरान अपनी भूमि को खाली पड़ी रहने देंगे, और जो बीजाई अब से 4-6 सप्ताह पहले शुरू हो जानी थी अब तक शुरू नहीं हुई है।

कुट्टानाड में धान की खेती बहुत दिनों से लाभप्रद खेती नहीं रही है और 70,000 से भी अधिक कास्तकारों में से अधिकांश काश्तकार मात्र इसीलिये इसकी काश्त कर रहे हैं क्योंकि इसके इलावा उनके पास जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है और वे यही कार्य करना जानते हैं। बीज, खादों आदि की लागत के इलावा, जो कि निरन्तर बढ़ती जा रही है श्रमिकों द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों पर भी लागत निरन्तर बढ़ती जा रही है। और इन दोनों बातों के अतिरिक्त कतिपय श्रमिक संघों तथा नेताओं के यदि पूरी तरह वैमनस्यपूर्ण नहीं तो असहायक रवैये ने उनके भार को और भी बढ़ा दिया है। अन्य चावल उत्पादक राज्यों की तुलना में यहां का प्रति एकड़ उत्पादन भी बहुत कम है।

श्रमिकों द्वारा अपनी मजूरी में, जो कि पहले ही देशभर में सबसे अधिक है तथा काम के घण्टे और काम की दैनिक मात्रा भी कम है वृद्धि की मांग किये जाने के कारण एक नई समस्या खड़ी हो गई है।

हाल ही में हुए एक सम्मेलन में, जिसमें तीन राज्य मंत्रियों ने भी भाग लिया था, मजूरी के बारे में एक समझौता हुआ था। परन्तु उक्त करार की स्याही सूखने से पहले ही, श्रमिकों के एक प्रभावशाली ग्रुप ने मजूरी में वृद्धि की नयी मांगे पेश कर दीं और कई अन्य शर्तें भी रख दीं। इसके फलस्वरूप तुरन्त ही यह परिणाम निकला कि काश्तकारों ने अपनी काश्त ही आरंभ न करने की घोषणा कर दी है।

यह स्पष्ट है कि कुछ तत्व इसे राज्य में खाद्यान्नों का गंभीर अभाव पैदा करने पर तुले हुए हैं जोकि उत्पादन की दृष्टि में पहले ही निरन्तर कमी में रहा है, और अपनी पूर्तियों के लिए सदा ही केन्द्र पर आश्रित रहा है। स्पष्टतः ही उन तत्वों का उद्देश्य राजनैतिक है और निश्चय केन्द्र सरकार पर उपेक्षा एवम् भेदभाव के यथासामान्य आरोप लगाये जायेंगे। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उचित तथा यथा समय कार्यवाही करे ताकि काश्तकारों के मनों में पुनः विश्वास पैदा हो और वे और आगे हानि उठाये बगैर अपनी काश्त आरंभ करें।

(तीन) वेश्यावृत्ति की बुराई को दूर करना

जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मै भारत सरकार का ध्यान कर्नाटक और महाराष्ट्र क्षेत्रों में व्याप्त बुराई की ओर दिलाना चाहता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महिला उत्थान के वर्तमान दिनों में तथा हमारे देश में महिलाओं की स्थिति को उत्तम बनाने की सरकार की इच्छा के बावजूद यह भारत की संस्कृति पर एक कलंक है कि हमारे देश में अभी वेश्यावृत्ति विद्यमान है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में यह लज्जाजनक कुप्रथा अब भी विद्यमान है। इस कुप्रथा के बारे में विडम्बना यह है कि यह धर्म के नाम पर चल रही है। बेचारे अनजान लोग छोटी आयु की लड़कियों को धार्मिक संस्कार के नाम पर देवी-देवताओं को समर्पित कर देते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रथा से वेश्यालय मालिकों को तथा दलालों को नगरों से आकर वेश्याएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दलाल और समाज विरोधी तत्व प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं तथा माता-पिताओं को अपनी लड़कियां देने को प्रोत्साहित करते हैं। इन लड़कियों को जोगथिन कहा जाता है। उनके पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है उन जोगनिनों के लिए वेश्यावृत्ति उनकी जीविका का सुलभ साधन बन जाता है। इन जोगनिनों की बड़ी दयनीय स्थिति पैदा होती है। सरकार को इस कुरीति को समाप्त करने का उपाय खोजना चाहिए। देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। इन जोगनिनों को बसाया जाना चाहिए तथा इस बात का दृढ़ता से सुनिश्चित किया चाहिए कि भविष्य में यह प्रथा जारी रहने की कोई संभावना न रहे। क्योंकि यह विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन आता है मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर कठोर कार्यवाही कीजिए अन्यथा यह रोग सदा बना रहेगा।

(चार) अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ द्वारा हड़ताल

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के विश्वविद्यालय कर्मचारी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से 10 दिसम्बर, 1980 को हड़ताल कर रहे हैं। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की मांगों के साथ देश के एक सौ बीस विश्वविद्यालय के करीब एक लाख कर्मचारी हैं। उनके मांग पत्रों में अन्य बातों के अलावा न्यूनतम मजदूरी के सिद्धांत पर आधारित वेतन में समरूपता, मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मंहगाई भत्ता, समान सेवा शर्त, सीनेट और सिंडिकेट आदि में प्रतिनिधित्व शामिल हैं। 1969 में "दि नेशनल कमीशन आन लेबर तथा संसद की पैटीशन कमीशन कमेटी" ने भी अनुशंसा कीहै कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाय। उनके मांग पत्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को बिलकुल खत्म करने पर तुली है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के मांगों पर शीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जायज मांगों को स्वीकार करे।

(पांच) देश के कुछ भागों में यात्री और तटीय सेवायें मुगल लाइन्स लि० को सौंपना

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : भारतीय नौवहन निगम जो केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है अपने कलकत्ता स्थित कार्यालय में निगम के तटीय सेवा सम्बन्धी कार्य की देखभाल करता है तथा पासेज एण्ड कोल कोस्टल विभाग (कलकत्ता) के माध्यम से अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए यात्री सेवा की देखभाल करता है। यह समझा जाता है कि सरकार अपनी यात्री सेवा तथा तटीय सेवा मुगल लाइन्स लि. को हस्तांतरित करने का विचार कर रही है जो बम्बई से आपरेट करती है। यह भी ज्ञात हुआ है कि भारतीय नौवहन निगम से कुछ ट्राप वैसल मुगल लाइंस लि० को सौंपे जा रहे हैं। यह निर्णय भी घातक होगा तथा उससे भारतीय नौवहन निगम के कार्यकरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे कलकत्ता में नौवहन निगम के कर्मचारियों को इस बारे में सही आशंकाएं उत्पन्न हुई कि उनका रोजगार छिन सकता है तथा वर्तमान कर्मचारियों के कलकत्ता कार्यालय से बम्बई तबादला हो सकता है जिससे उनपर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ सकता है तथा इससे उनकी सेवा की शर्तें भी बदल जाएगी। ऐसी कार्यवाही से कलकत्ता कार्यालय में रोजगार क्षमता भी घटेगी। प्रस्तावित कार्यवाही का कर्मचारियों के साथ उनकी मान्यता प्राप्त यूनियन अर्थात् शिपिंग कार्पोरेशन एम्पलाईज यूनियन (कलकत्ता) के माध्यम से हुए वर्तमान करार का बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यदि ऐसा कोई कोई प्रस्ताव हो तो उसे क्रियान्वित न किया जाए तथा इस आशय का वक्तव्य दिया जाये जिससे कलकत्ता कार्यालय के कर्मचारियों की आशंकाएं समाप्त हो जाएं।

(छः) अभ्रक उद्योग में संकट

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अभ्रक उद्योग गंभीर संकट से होकर गुजर रहा है। इसके छोटे व्यापारियों की लूट सबसे अधिक हो रही है। माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया अपने अभ्रक की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को इतना कम मूल्य दे रहा है कि वे अपने मजदूरों को सरकार द्वारा तै निम्नतम मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। फलस्वरूप हजारों मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न है। इस संकट से प्रभावित होकर अभ्रक मालिक हजारों मजदूरों की छंटनी भी कर रहे हैं।

मिटको की अभ्रक व्यापार एवं मजदूर विरोधी इस नीति का परिणाम यह हो रहा है कि एक बड़ी संख्या में इसके व्यापारी इस उद्योग को छोड़कर भाग रहे हैं तथा बहुत से दूसरे व्यापारी अपने लाइसेंसों का दुरुपयोग कर अभ्रक के गैर कानूनी धंधे में लग गए हैं।

एफ. ए. एस. और मिटको द्वारा निर्धारित अभ्रक के मूल्यों में 25 से 48.4 प्रतिशत तक का अंतर है। मूल्यों के इस अन्तर के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :—

माइका सिलटिंग	विदेशी मूल्य रु. प्र. कि.	मिटको मूल्य	मूल्यों में कमी
नं. 4 1/2 डी. एल.	49.96	37.50	25 प्रतिशत
नं. 5 डी. एल.	44.95	29.50	34.3 ,,
नं. 5 1/2 डी. एल	15.89	10.25	35.4 ,,
नं. 6 डी. एल	10.40	5.35	45.4 ,,
नं. 6 फर्स्ट लूज	8.27	5.00	39.5 ,,
नं. 6 इंटर लूज	7.08	4.55	35.6 ,,
नं 6 सेकण्ड लूज	5.92	3.80	35.8 ,,
नं. 6 थर्ड लूज	4.72	3.07	35 ,,

इस चार्ट से यह स्पष्ट है कि एफ. ए. एस. और मिटको के मूल्यों में एम. एम. टी. सी. के जमाने के मूल्यों में दुगना से भी अधिक का अंतर है। छोटे व्यापारियों की इससे बढ़कर लूट और क्या हो सकती है ?

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बिहार राज्य कमेटी के अध्यक्ष तथा भूतपूर्व विधायक ने माइका उद्योग के सामने उपस्थित इस गंभीर संकट के विषय में मिटको के अध्यक्ष, तथा वाणिज्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा तथा इसके चीफ मैनेजर से बातें भी की, फिर भी अब तक इस संकट का हल नहीं निकाला जा सका है।

मिटको की इस लूट को बन्द करने का एक ही रास्ता है और वह है विदेशी मूल्य तथा इसके खरीद मूल्य में ऐसा अन्तर रखा जाए जिससे छोटे व्यापारी कुछ मुनाफा कमा सकें और मजदूरों को उचित मजदूरी दे सकें।

अभ्रक उद्योग में व्याप्त इस गंभीर संकट को दूर करने की दिशा में सरकार को अविलंब आवश्यक कदम उठाना तथा वाणिज्य मंत्री को इस सम्बन्ध में सदन के सामने एक स्पष्टीकरण देना चाहिए।

(सात) शाहजहांपुर और मैलानी के बीच रेल लाइन

श्री हरीश चन्द्र गंगवार (पीलीभीत) : उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से पुवायां होकर मैलानी तक रेलवे लाइन डालना अत्यावश्यक है। लगभग 60 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग में केवल एक पक्की सड़क है। यह गेहूं, धान व गन्ना का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मार्ग में पुवायां व खुंखार टाउन एरिया हैं जो शीघ्र नगरपालिकायें बनने वाली हैं। पुवायां तहसील हैडक्वार्टर भी है। उपरोक्त मार्ग पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले रेलवे लाइन थी जो युद्धकाल में

युद्ध आवश्यकताओं को देख कर अन्यत्र डाल दी गई। उस समय यह निश्चय किया गया था कि युद्ध के पश्चात् रेलवे लाइन फिर डाल दी जाएगी। जनता की मांग पर इस रेलवे मार्ग के लिए सर्वे भी कराया गया परन्तु रेलवे लाइन अभी तक नहीं पड़ी है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस विषय पर रेलवे लाइन डालने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब सांविधिक संकल्प और विधेयक पर आगे चर्चा की जायेगी (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : महोदय, इस पर आगे चर्चा करने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। अब नियम 377 सम्बन्धी मामले हैं। आपने नियम 377 के अधीन लोक महत्व के मामलों को उठाने की बहुत सदस्यों को अनुमति दी है। सदस्य सभा में वक्तव्य देते हैं। किन्तु मंत्री गण इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देते कि नियम 377 के अधीन क्या कहा जा रहा है मैं जानता हूं आप नियम का उद्धरण देंगे ...।

उपाध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी हम उन मामलों को सम्बद्ध मंत्रालयों को भेज देते हैं। आपका जो भी सुझाव है वह व्यवहार्य होना चाहिए मंत्रियों को इस सदन में होना चाहिए। तथा दूसरे सदन में भी होना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : नियमानुसार वे यहां तुरन्त उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है ; वे बाद में उत्तर दे सकते हैं किन्तु उसके लिए कोई समय सीमा अवश्य होनी चाहिए। कम से कम एक सप्ताह में तो उन्हें उत्तर देना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के विचारों को नोट कर लिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने नियम 377 के अधीन इन मामलों को स्वीकार करके अच्छा किया है तथा इन विषयों की गम्भीरता और महत्व को समझा है। महोदय यह स्पष्ट है कि वे उत्तर नहीं दे सकते। किन्तु वे उपस्थित भी नहीं होते। लोक-सभा सचिवालय द्वारा भेजे जाने पर इसके उत्तर के लिए कुछ समय-सीमा अवश्य निर्धारित होनी चाहिए। तब हमें ज्ञात होगा। अब, मेरा मुद्दा है कि किसी मामले को अध्यक्ष द्वारा (व्यवधान) गम्भीर मान लिए जाने के बावजूद मंत्रीगण उसे गम्भीर नहीं समझते। मेरा कहना यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने इसे नोट कर लिया है। मैंने श्री शर्मा का नाम पुकारा है।

श्री रामावतार शास्त्री : आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आपने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है जिस पर मैं अपना विनिर्णय दूं। मैं जानता हूं कि मुझे कब अपना विनिर्णय देना है...।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी आपने पहले ही 19 मिनट ले लिए हैं :

श्री जी० एम० बनातवाला : गृह मंत्री महोदय, यहाँ नहीं है। हम एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्री यहां नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आ रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राज्य मंत्री भी यहां नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों वे आ रहे हैं। वह अध्यक्ष महोदय से मिलने गए हैं। वह आ रहे हैं। यह मंत्रिमण्डल का संयुक्त दायित्व है। आप जानते हैं कोई भी मन्त्रिमण्डल स्तर का मंत्री कर सकता है। श्री स्टीफन यहां हैं। वह आ रहे हैं।

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : इसका कोई भी मंत्री-चार्ज ले सकता है। मैं इसका इन्चार्ज हूं (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अधीन इस बात पर आग्रह कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : आप यह बात किस नियम के अधीन कर रहे है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मंत्री सरकार की ओर से विधेयक की तरफदारी कर रहा है। जब चर्चा जारी है वे तब परिपाटी के अनुरूप एक मंत्री को वहां होना अनिवार्य है जो इस बात का ध्यान रखे कि क्या हो रहा है और उस पर क्या कार्यवाही करनी है। महोदय, प्रणाली यही है कि सरकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है। मैं इसका इंचार्ज हूं। मैं यहां उपस्थित हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके साथ ही वह भी आ रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसका कार्य भार मुझ पर है (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी आप कृपया जारी रखिये। मैं नहीं चाहता कि समय नष्ट हो। सरकार की ओर से श्री स्टीफन ने उत्तर दे दिया है। प्रथा यही है कि मंत्रिमण्डल के किसी मंत्री को उपस्थित होना चाहिए। वह यहीं है। वह यहां हैं।

एक माननीय सदस्य : क्षमा मांग लें।

श्री सी० एम० स्टीफन : किसके लिए क्षमा मांगी जाये? क्या मैं इसलिए क्षमा मांगूं कि मैं यहां उपस्थित हूं?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अपने सहयोगी के लिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं यहां आदेशानुसार इसका भार ले रहा हूं तथा मैं यहां सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित हूं (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यहां आ रहे हैं; ठीक है, श्री शर्मा बोलिए (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है आप इसका श्रेय दे सकते हैं कि आपके द्वारा यह प्रश्न उठाए जाने पर ही वह आ गये हैं (व्यवधान)।

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पर आगे विचार किया जाएगा, श्री चिरंजीलाल शर्मा भाषण जारी रखेंगे, आपने 19 मिनट ले लिए हैं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा समय ही लूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कल कह रहा था कि बंगाल के अन्दर जो वाकयात हुए उसके बारे में एक चिट्ठी आपके सामने मैंने पढ़ी, उस पर काफी शोर-शराबा हुआ .....।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या माननीय सदस्य कोई उत्तरदायित्व लिए बिना राज्य सरकार पर आरोप लगा सकते हैं? क्या उन्होंने आपसे अनुमति ले ली है? (व्यवधान) महोदय, राज्य सरकार पर दोष लगाया जा रहा है (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप बोलते समय इसका विरोध कर सकते हैं। किन्तु उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। यदि कुछ असंसदीय अथवा अपमानजनक है तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। किन्तु वह कुछ असंसदीय या अपमानजनक शब्द नहीं कह रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कल उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध असंगत आरोप लगाए थे। महोदय, आपको उन्हें निराधार बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने कुछ अपमानजनक कहा है तो इसके लिए वह उत्तरदायी होंगे। यदि वह कोई आरोप लगाते हैं तो वह उसकी जिम्मेदारी लेंगे। (व्यवधान)।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : महोदय, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मेरे पास एक पत्र है जिस पर केन्द्र में एक मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मन्त्री के हस्ताक्षर हैं। (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या सभा का संचालन इस प्रकार होना चाहिए? पश्चिम बंगाल के मन्त्री यहां उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं हैं (व्यवधान)। महोदय, इस सभा में इस प्रकार की गतिविधि से प्रदूषण फैलाने की अनुमति मत दीजिए, संघ स्वरूप की हत्या की जा रही है·····(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने की अनुमति देता हूं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आप किस नियम के अधीन उन्हें यह बोलने की अनुमति दे रहे हैं·····(व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

प्रो० मधु दण्डवते : 376 के अधीन। महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सभा अथवा किसी भी राज्य विधान मण्डल के वर्तमान माननीय सदस्यों को बोलते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि यदि कल महाराष्ट्र विधान मण्डल में केन्द्रीय सरकार पर कोई लांछन लगाया जाता है तो मेरा विश्वास है कि उस विधान सभा का अध्यक्ष उसकी कभी अनुमति नहीं देगा तथा गत समय ऐसा हुआ है कि जब भी कभी केन्द्रीय सरकार के लिए कोई अपमानजनक बात कही गई है तभी अध्यक्ष ने विधान सभा सदस्य को रोका है तथा उससे कहा है कि आप उस मामले का हवाला नहीं दे सकते। इसी प्रकार इस सभा में भी यदि किसी राज्य सरकार पर कोई लांछन लगाया गया है, चाहे उस राज्य में कांग्रेस आई० की सरकार ही क्यों न हो, तो ऐसा करना अनुचित है और मेरे विचार से इस बारे में मैं आपका विनिर्णय लेना चाहता हूं।

श्री रघुनंदनलाल भाटिया : महोदय, कुछ समय पूर्व वह बिहार के मुख्य मन्त्री का उल्लेख कर रहे थे तथा उत्तर प्रदेश सरकार का उल्लेख कर रहे थे। अब वह पश्चिम बंगाल सरकार

के सम्बन्ध में भी विरोध कर रहे हैं। यह जांच का प्रश्न है। क्या आप इस मामले की जांच के लिए तैयार हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : पहले यह आरोप मत लगाइये। (व्यवधान)।

श्री सी०एम० स्टीफन : पहले तो माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल सरकार का कोई उल्लेख नहीं किया। माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल में हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है। हम एक ऐसे विधेयक पर विचार कर रहे है जो देश भर में लागू होगा और इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं को रोकना है जो घट रही है। इस बात का उल्लेख किए बिना कि वे हिंसात्मक घटनाएं किन स्थानों पर घट रही है हिंसा की घटनाएं ही एकमात्र संगत विषय है किन्तु इसका उल्लेख किए बिना ही विधेयक पर उद्देश्यपूर्ण चर्चा नितांत असंभव है।

श्री दण्डवते द्वारा उठाए गए मुद्दे के सम्बन्ध में, यदि विपक्ष इस बात पर सहमत होता है कि राज्य सरकार से सम्बन्धित किसी बात पर अथवा राज्य में घटी घटना पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए, यदि हम इस पर सहमत होते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। तब उन्हें उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उन्हें बिहार अथवा आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। परन्तु उन्हें इस बात पर बल नहीं देना चाहिए या ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और केरल पृथक राज्य हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता तथा अन्यों के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, यहां ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)।

माननीय सदस्य श्री शर्मा ने यह ठीक ही कहा है ; वह पश्चिम बंगाल सरकार पर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता कि आप हमें तुरन्त यह बतायें कि सभा में यह प्रक्रिया रही है अथवा नहीं किन्तु मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि 1967 के पश्चात आप से पूर्व उपाध्यक्षों और अध्यक्षों को मैं देखता आ रहा हूं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस सभा में राज्य सरकार पर कलंक लगाया जाए, क्यों उसका उत्तर देने के लिए उनमें से यहां कोई नहीं होता। (व्यवधान) श्री स्टीफन अथवा उनकी पार्टी का कोई अन्य व्यक्ति मेरी पार्टी पर कलंक लगा सकता है। हम इसका विरोध करेंगे, किन्तु यही सब कुछ नहीं है। मैं श्री स्टीफन से नम्रतापूर्वक पूछता हूं कि यदि पश्चिम बंगाल में वह सरकार पूर्ण अव्यवस्था उत्पन्न कर रही थी तो वे पश्चिम बंगाल के उप चुनावों से भाग क्यों गए। यह इसीलिए हुआ कि उन्हें वहां से बोरी-बिस्तर समेत भागना पड़ता····(व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर ऐसे निराधार आरोप लगाये···(व्यवधान)।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि किसी राज्य में अत्याचार हो रहे हैं और ज्यादतियां हो रही हैं तो क्या इस महान सभा के सदस्यों को इस मामले को उठाने का अधिकार है या नहीं । मैं राज्य सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं । यदि देश के किसी भाग में कुछ घटना घटती है, मुझे यहां अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है···(व्यवधान)॥

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन घटनाओं के यहां उल्लेख किए जाने से क्यों डरते हैं ? जब आप बोलें उनका उत्तर दे सकते हैं ।

यह उपयुक्त है । यहां किसी भी घटना का उल्लेख किया जा सकता है बशर्ते वह अपमानजनक अथवा असंसदीय न हो ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विभिन्न राज्यों में घट रही घटनाओं का उल्लेख करने का विरोध नहीं करता । मैंने यह कहा था कि किसी भी मामले में किसी राज्य सरकार पर लांछन नहीं लगाया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा ने स्वयं ही यह कहा है कि वह राज्य सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे हैं (व्यवधान) ।

श्री सत्यससाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या इन तथ्यों को सिद्ध करने का उत्तर-दायित्व लेते हैं ?

श्री चिरंजीलाल शर्मा : निश्चित ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वह कह चुके हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम यह जिम्मेदारी लेते हैं कि यह सिद्ध करेंगे कि वह जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य से बहुत दूर है ।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : मैं इसके परिणाम जानता हूं, मेरा वकालत का 30 वर्ष का अनुभव है (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप में आलोचना को सहने की सामर्थ्य होनी ही चाहिए । आप इसका प्रति उत्तर दे रहे हैं । आप इससे डरते क्यों हैं , आप इससे विचलित क्यों होते हैं ? आप जारी रखिए (व्यवधान) । नहीं, नहीं इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आप ऐसी बातों की अनुमति देंगे तो हम श्री गनीखान चौधरी के विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, अब आप बोल सकते हैं । अनुशासनहीनता का अनुशासन-हीनता से ही उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता मेरे अजीज दोस्तों को क्यों इस बात का एतराज है ? मैं जब यह अर्ज कर रहा हूं, इस सदन में तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं उन लोगों के नाम, उनकी वल्दियत, उनकी पैरेन्टेज, उनकी सकूनत, उनके गांव और जिलों के नाम बता रहा हूं। जो चार आदमी ब्लाइन्ड होकर आए हैं मेरे पास उन अभागे व्यक्तियों के फोटो हैं। अगर यह झूठ है तो मैं इस सदन में इसकी इंक्वायरी की अपील कर रहा हूं (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। इस सभा में किसी चर्चा के दौरान या ऐसी किसी बैठक में यदि कोई माननीय सदस्य यह सोचता है कि वह चर्चा को रोक सकता है अथवा किसी सदस्य को भाषण देने के उसके अधिकार से रोक सकता है तो मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे इस मामले में कठोर होना पड़ेगा। मैं हर व्यक्ति को बोलने की अनुमति दूंगा। यदि आप यह सोचते हैं कि आप सभा को अपनी मर्जी से चलायें तो आपको इस बात की अनुमति कभी नहीं दूंगा। कोई व्यक्ति व्यवधान न डाले। आप तब बोलिये जब आपको इसका अवसर मिले। आप इस प्रकार के विचार-विमर्श में बाधा नहीं डाल सकते। आप मुझे रास्ता मत दिखाइए।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : महोदय, दुर्भाग्य से मैं आगे नहीं बोल सका।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिए।

चिरंजीलाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर महोदय, कल मेरे मोअज्जिज दोस्त श्री सोमनाथ चटर्जी ने फर्माया था कि यह कानून हम वैस्ट बंगाल, केरल में या जहां भी सी० पी० एम० की हुकूमतें हैं वहां नहीं चलने देंगे। यहां पर इस सदन में आपकी तकरीर हुई है। अगर हम यह कहें कि कलकत्ता में या बंगाल में बंगाल की सरकार जो कानून बनाएगी, हम लोगों को तरगीब देंगे इस चीज की कि वे उनके हुक्म को न मानें तो क्या आपको यह चीज पसन्द आयेगी ?

डिप्टी स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जब मोरारजी भाई प्रधान मन्त्री बने थे तो उन्होंने तकरीर की थी कि हमने लोगों को निर्भय बना दिया, फीयरलेस बना दिया है लेकिन निर्भय और फीयरलेस कौन बने ? गुण्डे, बदमाश, चोर डाकू, ब्लैक-मार्केटीयर्स, होर्डर्स निर्भय हो गए लेकिन शरीफ आदमी को वही डर रहा। मुझे माफ करेंगे, राज-पाट हाथ जोड़ने से नहीं चलता है राजपाट डण्डे से चलता है। डण्डे से मेरा मतलब यह नहीं है कि डण्डा इस्तेमाल किया जाए (व्यवधान) डण्डे से मेरा मतलब यह है कि प्रजा को एहसास भय होना चाहिए कि कोई राजपाट है, कोई कानून है। अगर ट्रैफिक का सिपाही चौराहे पर खड़ा है और कोई रेश गाड़ी चला रहा है, उसे कोई डर नहीं है कि सिपाही उसका चालान कर देगा तो फिर राजपाट का कोई मतलब नहीं है। डण्डे से मेरा मतलब यह नहीं है कि डण्डे से लोगों को पीटा जाय। (व्यवधान)।

आज अखबार में पंजाब के साबिक मुख्य मंत्री श्री बादल का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 35 रुपए क्वींटल गन्ने का दाम नहीं दिया गया तो हम शुगर मिल्स चलने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि इधर तो शुगर मिल्स बन्द करायें और उधर इस सदन में आवाज उठायें, श्री ज्योतिर्मय बसु कि चीनी नहीं मिल रही है और चीनी का भाव 13-14 रुपया किलो हो गया है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय, बुखार में कुनीन दी जाती है, कुनीन वैसे बड़ी कड़वी और जहरीली भी मालूम होती है, मगर उसका असर दूर तक होता है। प्रीवेंशन-इज-बैटर-दैन-क्योर-वजाए इसके आपका मतलब यह है कि ब्लैक मार्केटियर्स को, होल्डर्स को छुट्टी दे दी जाए, जैसे कि जनता राज में दी गई थी कि 'बेटा-खाओ, कमाओ और लूटो मौज करो और हमें भी खिलाओ" जरूरियात चीजों की कीमतें आसमान को छूने लगी थीं—यह है जनता पार्टी की देन। हमारे राज में जो ईंटें 115 रुपए प्रति हजार बिकती थीं उसको इन्होंने ढाई सौ-तीन सौ रु० हजार बिकवाया। (व्यवधान)···जब हमारे विरोधी दल के भाई तकरीर करते हैं तब हम बिल्कुल खामोश रहते हैं, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं, यह प्रेक्टिस बन गई है, तब फौरन इन्टरप्शन करना शुरू कर देंगे—मेरे ख्याल में यह अच्छी बात नहीं है।

वह बिल जो आपके सामने आया है इसका विरोध ये क्यों करते हैं, हमारे इरादे नापाक नहीं हैं। जैसा मैंने कल कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस नेशनल सीक्योरिटी बिल का खूब ताकत से विरोध किया जा रहा है, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स बिल जनता पार्टी अपने राज में लाई-वह क्या था, वह कानून क्या था, खास अदालतें क्यों बनाई गई थीं? खास नेताओं के लिए, खास लोगों के लिए, कांग्रेसियों के लिए वे बनाई गई थीं। लेकिन हम अगर देश के अन्दर अमन कायम रखना चाहते हैं, देश के अन्दर बढ़ती हुई महंगाई को रोकना चाहते हैं, देश के अन्दर अमन चैन बहाल रखना चाहते हैं, इसके लिए हम यह कानून लाए हैं बजाए इसके कि आप हमें सहयोग दें आप इसका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दिमागी समुन्द्र में बहुत ख्यालात हैं और आप बार-बार मुझे हुक्म दे रहे हैं कि मैं कन्क्लूड करूं, तो मुझे कन्क्लूड करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। विरोधी दल के नारे तो क्या, जमीन की ताकत तो क्या, समुद्र के तूफान और आसमान की बिजलियां भी हमारे रास्ते में हायल नहीं हो सकतीं। इन्दिरा जी समाजवाद लायेंगी और जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, मुल्क के निजाम को दरहम-बरहम करने के लिए, यह कानून उस पर लागू होगा, परन्तु शरीफ आदमियों पर नहीं।

अन्त में मैं एक शेर पढ़कर खत्म करना चाहता हूं :

बे खौफो-खतर जो बढ़ता है, मंजिल को वही पा लेता है।
अन्जाम से घबराने वाले, क्या जलत-ए-जानां देखेंगे॥

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आनंददायक दृश्य था अर्थात् विपक्ष की ओर से बहुत क्रोध दिखाया गया। यह उसी प्रकार हुआ है जैसी कि एक पुरानी कहावत है 'दि लेडी इज प्रौटेस्टिंग टू मच'। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मैं इन्हें निवारक नजरबंदी के मामले में दर्पण में उनका ही मुख दिखाना चाहता हूं। हम अब वही तर्क देना चाहते हैं जो पहले विपक्ष के नेताओं ने दिए थे और इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

जैसा कि सभी जानते हैं जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में यह वायदा किया था कि वे कानून से संविधान से निवारक नजरबन्दी को समाप्त कर देंगे। उन्होंने इस वायदे को किस प्रकार पूरा किया। पहली बात यह है कि मीसा को समाप्त करने के लिए एक पंक्ति लम्बा विधेयक था किन्तु उसे वे लाये कभी नहीं। इसकी महीनों तक प्रतीक्षा की गई किंतु उस विधेयक को लाया ही नहीं गया। मीसा कानून बना रहा। वे दंडप्रक्रिया संहिता में संशोधन करने वाला एक विधेयक 23 नवम्बर, 1977 को लाये। उसके पश्चात् उन्होंने कहा था कि 'मीसा' को समाप्त किया जायेगा। श्री वाजपेयी यह कहते थे कि हमने उसे दबाव पड़ने के कारण वापस ले लिया है, यह तो उसी प्रकार की बात हुई कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न करता है किन्तु वह महिला शोर मचाती है जिससे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तथा वह व्यक्ति वहां से भाग जाता है और कहता है कि मैंने बलात्कार का कोई प्रयत्न नहीं किया। वह इस प्रकार कह रहे थे जैसे कि इस बात का श्रेय उनको जाता हो।

अब मैं यह बताना चाहूंगा कि जनता पार्टी के गृह मंत्री ने 23-12-1977 को क्या कहा था। उन्होंने कहा कि देश यह सही अपेक्षा करता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाये। सरकार के ऊपर यह यह नैतिक दायित्व है कि इस आकांक्षा को अवश्य पूरा किया जाये क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य की मूलभूत जिम्मेदारी है तथा वास्तव में यह उसका मूल उद्देश्य भी है। सदन को यह ज्ञात है कि देश समक्ष सुरक्षा और कानून तथा व्यवस्था की समस्या कितनी जटिल है तथा मुझे हाल में की गई तोड़-फोड़ तथा आतंककारी धमकियों, कुछ वर्गों के साथ की गई हिंसात्मक कार्यवाहियों तथा राजनीतिक चेतना से भ्रष्ट करने वाली विभाजक शक्तियों के बारे में अब कुछ कहने की आवश्तकता नहीं है। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रशासन इस सभा से कानूनी स्वीकृति चाहता है तथा प्रशासन को उनकी स्वीकृति न देने से वह इन शक्तियों से लड़ने में कमजोर पड़ जाएगा जो कानून, समाज और मानवता का गला घोंटती हैं।" गृह मन्त्री का यह भाषण था जो उन्होंने सभा में जनता पार्टी की ओर से दिया था। अब वह इसका बिलकुल विरोध करते हैं। दण्डप्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक क्या था ? आप दण्डप्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक की 'मीसा' के साथ तुलना करिए। 'मीसा' से यदि धारा 16 (क) को निकाल दिया जाये तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक है। जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं ; केवल एक या दो छोटे खण्डों को छोड़कर वह व्यवहार्यता शब्दशः वही है। वे 'मीसा' को दण्डप्रक्रिया संहिता में जोड़ना चाहते थे। यह वही विधेयक है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने इस पर उस समय दृढ़ता से

तरफदारी की थी मेरे मित्र श्री वाजपेयी ने यह कहा था कि कांग्रेस आई ने उसका विरोध किया था तथा उन्हें इस विरोध पर अडिग रहना चाहिए। मैं उसका ज्यों का त्यों रिकार्ड रखना चाहता हूं। हमारी स्थिति बिलकुल साफ थी। हमारी स्थिति थी कि आपको अपने चुनाव वायदों को पूरा करना होगा तथा आप उसे देश का स्थाई कानून नहीं बना पाये। मैंने उस समय अपनी पार्टी की ओर से बोलते हुए यही कहा था।

इस सरकार ने चुनाव से पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक निश्चित वायदा किया था। यह वायदा था कि मीसा को दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जायेंगे। उसके बाद एक वर्ष बीत गया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गत वर्ष, यह वायदा किया था कि न्यायिक जांच के लिए उपबन्धों के अतिरिक्त निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था नहीं होगी। वह कदम इस विधेयक को पुरःस्थापित करके उठा दिया गया है मूलभूत नजरबन्दी अधिनियम को स्थाई अधिनियम में बदल दिया गया था और आपने इसे दण्डप्रक्रिया अधिनियम के एक भाग के रूप में रखा था जो देश का अत्यन्त स्थाई कानून है। मैं अब यह प्रश्न उठा रहा हूं कि दृष्टिकोण का अन्तर है जो बिलकुल स्पष्ट है। प्रशासन, सरकार, अधिकारी, सत्तारूढ़ दल उसका चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। हमने यही प्रश्न उठाया था।" इन्हीं कारणों से हमने इसे एक तरफ तो स्थायी विधान का स्थायी भाग बनाने का विरोध किया था और उन्हें अपने उस बचन से विमुख होने के लिए चुनौती दी थी, जो उन्होंने दिया था। ऐसा हमने उक्त कारणों के आधार पर किया था, न कि इसके गुण दोष के आधार पर।

इसे यहां स्पष्ट कर दिया जाए। एक अन्य सदस्य श्री सी० वी० अलगेशन ने भी, जो इस मामले पर बोले थे, ऐसे ही मत व्यक्त किए थे। अतः उनकी स्थिति यह थी कि निवारक नजरबन्दी पूर्णतः आवश्यक है, यदि कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। फिर उन्होंने वर्ष 1978 में यह विधेयक वापिस ले लिया, लेकिन 'आंसुका' जारी रहा। 'आंसुका' को अगस्त, 1978 में वापिस लिया गया। वे 1977 में सत्ता में आए थे। 'आंसुका' वापिस लेने के लिए उन्होंने पूरे 20 महीनों तक प्रतीक्षा की। उन्होंने 'आंसुका' को बनाए रखा था और इसे दिल से पसन्द करते थे। इसे समाप्त करते हुए उन्हें अत्यधिक दुःख हुआ। निवारक नजरबन्दी और 'आंसुका' के प्रति यह उनका रवैया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन, क्या आप कुछ और समय लेंगे ?

श्री सी० एम० स्टीफन : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे कल जारी रखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नई शक्ति से।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्षीण शक्ति से।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित होता है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 7 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कृषि उत्पादों के लिए किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के बारे में प्रस्ताव

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की राय है कि गन्ना, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्य उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण उचित और लाभप्रद नहीं है और सरकार से आग्रह करती है कि वह कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को अस्वीकृत करते हुए किसानों को उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अविलम्ब आवश्यक उपाय करें।"

मेरा विचार है कि सम्पूर्ण सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि यह प्रस्ताव आज की विद्यमान स्थिति में अत्यन्त महत्वपूर्ण और अर्थवान है। यह प्रस्ताव, जैसा कि स्पष्ट है, दो विशेष मामलों से सम्बन्धित है, पहला मामला उत्पादकों को कृषि उपज के लिए देय लाभप्रद मूल्य का है और दूसरा मामला कृषि मूल्य आयोग की भूमिका और सिफारिश से सम्बन्धित है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये दो मामले हमारे देश के लाखों किसानों के दिमागों को आन्दोलित कर रहे हैं।

आज हमारे देश का किसान उत्तेजित है। देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से आपके राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सरकार की नीति के विरुद्ध किसानों में व्याप्त असन्तोष, क्रोध और रोष की अभिव्यक्ति बढ़ते हुए आन्दोलनों के रूप में हो रही है।

एक माननीय सदस्य : ये स्वयं राज्य विहीन व्यक्ति हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं श्री लंका में होता, तो मैं भी वैसा ही होता।

श्री चित्त बसु : महोदय, कृषि उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्यों तथा कृषि मूल्य आयोग द्वारा किसान-विरोधी रवैया अपनाये जाने के प्रति विरोध प्रकट करने सम्बन्धी इन दो उचित मांगों के सम्बन्ध में हमारे देश के सम्पूर्ण किसान-वर्ग के बढ़ते हुए आन्दोलन के सन्दर्भ में यह सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

महोदय, इस समय मैं केवल सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि यह देश में किसान आन्दोलनों की नई लहरों का संकेत है और सरकार का इस ओर ध्यान देना उचित रहेगा तथा यह और अधिक उपयुक्त रहेगा, यदि सरकार अपनी इस विद्यमान नीति में परिवर्तन करे, जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के खिलाफ है।

महोदय, कृषि उपज के लाभप्रद मूल्यों के इस प्रश्न पर उस अनुचित व्यवहार के संदर्भ में विचार किया जाना है, जो हमारे देश के किसानों के साथ बहुत लम्बे समय से सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि मेरे लिए यहां बोलने के लिए बहुत कम समय आवंटित है, अत; मैं इस बात को प्राथमिकता दूंगा कि ढेर सारी इस अनुचित व्यवहार की बातों को छोड़कर, जो हमारे देश के कृषकों के साथ किया जा रहा है, आज के विवाद के लिए मैं केवल दो मामलों को उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस समय अन्य दूसरे मामलों की ओर इंगित करना नहीं चाहता। पहला मामला हमारे देश के किसानों के साथ किए जा रहे अनुचित व्यवहार से तथा कृषि और उद्योग के बीच प्रतिकूल व्यापार-शर्तों से सम्बन्धित है। दूसरे मामले का सम्बन्ध कृषि निवेश और कृषि उपज के मूल्यों के बीच बढ़ते हुए अन्तर से सम्बन्धित है। ये वे दो मामले हैं, जिनके विषय में, मैं जरा खुल कर चर्चा करना चाहता हूं, ताकि मैं सदन को यह बात मनवा सकूं कि किसानों तथा कृषकों के साथ हमेशा से अनुचित व्यवहार किया जाता रहा है।

कृषि और उद्योग के बीच प्रतिकूल व्यापार शर्तों के मामले के सन्दर्भ में मैं कुछ ऐसे उदाहरण पेश करना चाहता हूं, जिनसे यह सिद्ध हो जाएगा कि कृषि और उद्योग के बीच के व्यापार की शर्तें किस प्रकार पूर्णतः कृषि के प्रतिकूल हैं। महोदय, उन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जो मेरे पास उपलब्ध हैं— मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मंत्री महोदय ने आज अपनी पार्टी के सदस्यों को किसी विषय पर कुछ सामग्री बांटी हैं, मुझे नहीं पता कि उनका विषय क्या है। जैसे भी हो, बाद में मैं एक प्रति तो प्राप्त कर ही लूंगा। (व्यवधान)। यदि यह पहले सप्लाई कर दी जाती, तो मैं इसका उपयोग कर लेता और उसमें से कुछ बातें खोज लेता। जैसे भी हो, मैं तो उन्हीं तथ्यों अथवा आंकड़ों के आधार पर, जो मेरे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि सरकार ने तो मुझे कोई इस प्रकार की सामग्री सप्लाई नहीं की है।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैंने सप्लाई की है।

श्री चितु बसु : जी हां, अभी-अभी। मेरे भाषण शुरू करने से पहले वे यह सामग्री अपने मित्रों को बांट रहे थे। मैंने कहा था, 'यह भेदभाव का रवैया क्यों ? आप यह मुझे भी क्यों नहीं देते ?' तब उन्होंने एक प्रति अनिच्छा और बेमन से मुझे भी दे दी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : खुशी से दी थी ।

श्री चित्त बसु : अतः मैं अपने पास उपलब्ध उन आंकड़ों पर विश्वास कर रहा हूं, जो सरकारी स्रोत से प्राप्त हुए हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : कौन सी सरकार ?

श्री चित्त बसु : भारत सरकार ।

सरकारी स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कृषि उत्पादों के मूल्यों की तुलना में निर्मित उत्पादों के मूल्य हमेशा अधिक बढ़ते रहे हैं । वर्ष 1977-78 में यह अनुपात 102.5 था जो 1978-79 में बढ़कर 104.4 हो गया और वर्ष 1979-80 में 113.2 तक जा पहुंचा । इस प्रकार यह निरन्तर बढ़ रहा है ।

यदि आप गत कुछ वर्षों अथवा दशाब्दियों के कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण करने का कष्ट करें, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कृषि उत्पादों मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव रहा है, कभी यह बढ़ गए हैं, कभी घट गए हैं । ग्राफ में उतार-चढ़ाव आया है वह भी बड़ी जल्दी-जल्दी । इसके विपरीत, यदि आप निर्मित वस्तओं के बारे में मूल्य प्रवृत्ति का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है और वह भी बार-बार तथा तीव्र गति से । अतः निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है कि कृषकों को उतार-चढ़ाव, घटा और बढ़ी के कारण हानि उठानी पड़ती है, जबकि अन्य वस्तुओं के निर्माणकर्ताओं को लगातार मूल्य-वृद्धि के कारण भारी मुनाफा होता रहा है । यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि सदन उस विषय में विचार करें ।

मैं इस विषय को और अधिक स्पष्ट करना चाहता हूं । मेरे पास उपलब्ध नवीनतम सूचना, जो जुलाई, 1980 से सम्बन्धित है, के अनुसार कृषि उत्पादों, किसान द्वारा मंडी में बेची गई उपजों का मूल्य सूचकांक 204 है, जबकि ऐसे औद्योगिक उत्पादों, जो किसान को बाजार से खरीदने पड़ते हैं, का मूल्य सूचकांक 284 है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अन्तर तो आपकी उम्र से भी अधिक है ।

श्री चित्त बसु : इसका क्या अर्थ निकला ? इसका मतलब हुआ कि कृषक को अपनी उपज बेचने से जो प्राप्त होता है, उससे उसे 40 प्रतिशत अधिक का भुगतान करना पड़ता है । यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1979-80 में कृषि उत्पादों की कुल लागत 18,000 करोड़ रुपये थी और 40% के इस अन्तर के कारण कृषकों को उद्योगों के निमित 4,500 करोड़ रुपये की धनराशि का नुकसान उठाना पड़ा । यह व्यापार संतुलन के विपरीत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात चावल और गेहूं दोनों के बारे में लागू होती है ?

श्री चित्त बसु : मैंने सभी कृषि जिन्सों को इकट्ठा लिया है ।

यह वह है जिसे कृषि और उद्योग के बीच प्रतिकूल व्यापार कहा जाता है। 4,500/- रुपये की यह विशिष्ठ राशि जिसे किसान ने खोया है केवल 1979 के लिए नहीं है। यदि ऐसा होता, तो मैंने यह महसूस किया होता कि वह कुछ आर्थिक प्रतिभास के कारण हुआ है। परन्तु यह शोषण दशकों तक होता रहा है। यह एकाधिकारात्मक अर्थव्यवस्था का परिणाम है। यह परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। यह उद्योगपतियों के शोषण का परिणाम है क्योंकि यह एकाधिकार घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में जाता है।

मैंने शोषण के सम्बन्ध में आकड़े दिए हैं—1971-72 में कृषि द्वारा उद्योग के प्रति 900 करोड़ रुपये की हानि उठाई गई। 1972-73 में यह 1200 करोड़ रुपये, 1975-76 में 1500 करोड़ और 1976-77 में 1680 करोड़ रुपये था। मेरे विचार से पूरा सदन मुझ से सहमत होगा कि हमारे देश के कृषक वर्ग के शोषण की यह व्यवस्था इस महान सदन के ध्यान, विशेष ध्यान से बच न पाएगी। इस तरह हमारे देश के कृषक वर्ग का शोषण बड़े उद्योगपतियों, एकाधिकारियों, बहु राष्ट्रीय निगमों के आदेश पर किया जा रहा है।

कृषि में प्रयोग होने वाली खाद तथा अन्य वस्तुओं और उत्पादों के मूल्यों में असमानता का मैं अब उल्लेख करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं केवल सुप्रसिद्ध कृषिशास्त्री द्वारा की गई गणना के आंकड़े ही पेश करूंगा। उसने 1970-71 से 1976-77 की अवधि के लिए विशलेषणात्मक अध्ययन किया है।

> जबकि कृषि इन पुट्स (उर्वरकों, बिजली, बीजों आदि) के मूल्यों में वृद्धि 53 से 131 प्रतिशत के बीच हुई है और इसे बिना किसी हिचक के औसतन 75 से 80 प्रतिशत तक माना जा सकता है, कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि 27 से 100 प्रतिशत के बीच रही है और इसे औसतन 35 से 40 प्रतिशत माना जा सकता है।"

कृषि इनपुट्स के मूल्यों में वृद्धि औसतन 75 से 80 प्रतिशत तक हुई है और कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि 35 से 40 प्रतिशत तक हुई है। इसका परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि कृषक वर्ग की पूर्णतः क्षति पूर्ति नहीं की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि मुद्रास्फीति के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, कृषि श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारित करते समय भी कभी ध्यान में नहीं रखा जाता। मुद्रास्फीति, इसीलिए, उद्योगपतियों, व्यापारियों, जमाखोरों, सट्टेबाजों और काला धन चलाने वालों के हाथ में प्रबल हथियार बन गई है। यह कृषि निवेशों और कृषि उत्पादों के मूल्यों में असमानता का परिणाम है।

आज हम बहुत बुरे कुचक्र का सामना कर रहे हैं। वह चक्र क्या है? यह हमारा बुरा अनुभव रहा है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढता है और मूल्य कम होते हैं इस सम्बन्ध में मैं केवल 'नाफेड' द्वारा परिचालित दस्तावेज का हवाला दूंगा। मैं यह कहूंगा कि 'नाफेड एक विश्वसनीय संगठन है 'नाफेड' द्वारा यह दस्तावेज आठवीं भारतीय सहकारी सम्मेलन में परिचालित किया गया। यह क्या कहता है? मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"1976-77 और 1977-78 के दौरान छः वस्तुओं अर्थात गेहूं, मूंगफली, सरसों, कपास, तम्बाकू और गन्ने का उत्पादन बढ़ा। उत्पादन में वृद्धि गेहूं में—18%, मूंगफली में —15%, सरसों—4%, कच्ची रुई—22%, तम्बाकू 6%, और गन्ना - 18% हुई है। परन्तु उनके मूल्यों में बहुत अधिक कमी के कारण वसूल की गई कीमत में 20.7 प्रतिशत की कमी हुई है।"

दस्तावेज में आगे बताया गया है—नाफेड ने चेतावनी भरा एक नोट दिया है—मैं उद्धृत करता हूं :

"यह देखा जाएगा कि जब कभी उत्पादन वृद्धि होती है। इसका परिणाम मूल्यों में असमान्य अनुपात से कमी होता है। यदि यह स्थिति रहने दी जाए, तो इससे या तो उत्पादन मंदा पड़ जाएगा अथवा यह कृषि उत्पादनों के सम्पूर्ण समुदाय को निर्धनता के कागार पर ला देगा।"

मेरे विचार से चेतावनी स्पष्ट है यह उनके लिए है कि वे इसे चेतावनी समझें अथवा न समझें।

महोदय, आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। इस चक्र का अन्तिम परिणाम क्या है ? हमारे यहां चक्र मौजूद है : अधिक उत्पादन : कम मूल्य और कम उत्पादन। यह चक्र है। मेरे विचार से मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि इस पर और प्रकाश डालूं। इस अधिक उत्पादन, कम मूल्य और कम उत्पादन के चक्र का अन्तिम परिणाम और कुछ नहीं केवल उत्पादन में स्थिरता है। इसे आर्थिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। इस चक्र के जारी रहते उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। मैं अर्थशास्त्री होने का दावा नहीं करता ; मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का भी दावा नहीं करता। परन्तु सामान्य व्यक्ति का अनुभव यह दर्शायेगा कि यदि यह चक्र जारी रहता है तो अन्तिम परिणाम और कुछ नहीं केवल उत्पादन में स्थिरता ही होगा। यह पहले से ही प्रत्यक्ष है। कृषि उत्पादन में स्थिरता पहले से ही आ गई है। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के भाग से स्पष्ट है। 1973-74 में यह 49.8 प्रतिशत था। 1978-79 में कम हो कर यह 38.6 प्रतिशत पर आ गया है। इसका तात्पर्य यह है कि कृषि में स्थिरता पहले से ही विद्यमान हो गई है। अर्थशास्त्रियों को इस पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। यदि यह चक्र अनवरत रूप से जारी रहा, तो सम्पूर्ण सम्पदा, राष्ट्र की खुशहाली को विजयी नहीं किया जा सकेगा।

इस स्थिति का, फायदा कौन उठाता है ? इस विषय पर मैं यू० एन० आई० के अध्ययन का हवाला देना पसन्द करूंगा। उस अध्ययन के अनुसार, इस आर्थिक स्थिति जिसकी मैंने चर्चा की है का फायदा उद्योग उठाते हैं। उस अध्ययन के अनुसार, 1979-80 में कम उत्पादन के बावजूद चीनी मिलों ने भारी मुनाफा कमाया। मैं उद्धृत कर रहा हूं :

'चीनी की देश व्यापी कमी की वजह से विशेषकर 1979-80 मौसम के अन्तिम कुछ महीनों में मूल्यों को आसमान तक पहुंचाने में उद्योग और व्यापार एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं।"

उत्पादन लागत के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर, उद्योग ने लेवी की चीनी से होने वाली हानि को संभजित करने के पश्चात 100 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ होने का अनुमान लगाया है। इसके बावजूद, सरकार की नीति चीनी मिलों को उत्पादन शुल्क की छूट में वृद्धि 285/- रुपये वाली लेवी चीनी के एक्स-फैक्ट्री मूल्य में वृद्धि के रूप में और अधिक रियायतें देने की है। इसी प्रकार का मामला-मेरे राज्य और पूर्वी क्षेत्र के पांच अन्य राज्यों में पटसन के बड़े व्यापारियों द्वारा पटसन उत्पादकों का शोषण कर—लाभ कमाने—भारी सुपर लाभ अर्जित करने का विवरण देने का मेरे पास समय नहीं है। यह दिखाने के लिए मेरे पास आंकड़े हैं। इसी सदन में एक अन्य अवसर पर मैंने यह स्पष्ट किया था कि मेरे राज्य के पटसन के बड़े व्यापारी किस प्रकार पटसन उत्पादकों को लूट रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इस शताब्दी के दौरान, पटसन उत्पादकों की की गई इस लूट के द्वारा 30,000 करोड़ से अधिक रुपये पश्चिम बंगाल से बाहर लाए गए हैं। शोषण की यह प्रवृत्ति ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ शुरू हुई थी और पूर्वी क्षेत्र के जूट उत्पादकों के लिए भी शोषण की यह प्रवृति अभी तक चालू है। राज्य के शोषण की यह एक उपनिवेशक पद्धति है। इस सदन को इस प्रकार की बातों के खिलाफ विरोध प्रकट करना चाहिए।

अब मैं एक अन्य पहलू पर आता हूं। वह कृषि मूल्य आयोग की भूमिका के सम्बन्ध में है। कृषि मूल्य आयोग एकदम कृषक विरोधी और उद्योगों का पक्षधर है—केवल उद्योगों के ही पक्ष में नहीं अपितु बड़े औद्योगिक घरानों के भी पक्ष में है। यह पटसन के बड़े व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए है। यह एकाधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए है। कृषि मूल्य आयोग की यह भूमिका है। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें उत्पादकों के लिए सीमान्त लाभ और जोखिम भते के अतिरिक्त सभी मामलों में लागत से कम है। समर्थित मूल्य अथवा लाभकारी मूल्य के निर्धारण का वैज्ञानिक तरीका यह है उत्पादन लागत जमा उचित सीमान्त लाभ जमा यह जोखिम भता। मूल्य, लाभकारी मूल्य को निकालने का यह वैज्ञानिक आधार है परन्तु कृषि मूल्य आयोग द्वारा जो किया गया है वो यह है। मैं आप को कुछ उदाहरण दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, अब आप को अपना व्यक्तव्य समाप्त करना है। आप तीस मिनट से अधिक ले चुके हैं।

श्री चित्त बसु : केवल दो या तीन मिनट और। धान के लिए कृषि मूल्य आयोग ने 105 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की है क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने कृषि मूल्य आयोग को यह बता दिया है कि धन की उत्पादन लागत 124/- रुपये है ? (व्यवधान) मुझे आशा है मेरे माननीय मित्र इसका समर्थन करेंगे। आंध्र प्रदेश ने इसे 125.46 रुपये निर्धारित किया है ; महाराष्ट्र सरकार ने इसे 116/- रुपये निर्धारित किया है जबकि गुजरात सरकार ने

इसे 149/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह ऐसा क्यों है ? मैं नहीं जानता कि कृषि मूल्य आयोग कहां बैठा हुआ है—शायद वे कृषि भवन के अन्दर आरामदायक वातावरण में, धान उत्पादकों के लिए सिफारिशें बनाते हैं, 105 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य—अर्थहीन और सरासर गलत है।

कपास के सम्बन्ध में, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मूल्य 304 रुपये निर्धारित किया गया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने सिफारिश की है कि उत्पादन लागत ४00/- रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं है। पुनः गन्ने के मामले में यह उत्पादन लागत से कम है जिसके लिए कृषि मूल्य आयोग ने 13 रुपये का मूल्य निर्धारित किया है। महाराष्ट्र सरकार—मेरे विचार से प्रो०दण्डवते मुझ से सहमत होंगे, ने कहा है कि उत्पादन लागत 20.82 रुपये है। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी गणना चालू मौसम के लिए मूल्य निर्धारित करने के लिए की है।

पटसन के सम्बन्ध में, कृषि मूल्य आयोग ने 167.00 रुपये निर्धारित किया है। मैं कहता हूं कि यह पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और पूर्वी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के पटसन उत्पादकों के विरुद्ध की गई आश्चर्यजनक जालसाजी है। उन्होंने इसका मूल्य 167 रुपये निर्धारित किया है जबकि उत्पादन लागत 300 रुपये प्रति क्विंटल है। यह साबित करने के लिए मेरे पास पर्याप्त आंकड़े हैं और इसे पश्चिम बंगाल के कृषक संगठनों, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य विद्वानों ने कृषि मूल्य आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया है। परन्तु कृषि मूल्य आयोग झुनझुनवाला, बेजोडियो और देश के अन्य बड़े पटसन व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए है।

अब मैं गेहूं के सम्बन्ध में कहूंगा। गेहूं का मूल्य 127 रुपये निर्धारित किया गया है और कुछ राज्य सरकारों के अनुसार उत्पादन लागत 136 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। अब, यह क्या सिद्ध करता है ? यह, यह सिद्ध करता है कि सभी मामलों में कृषि मूल्य आयोग ने उत्पादन लागत से बहुत ही कम मूल्य निर्धारित किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि मूल्य आयोग सरकार का एक अधीनस्थ निकाय है। वे सरकार के पास सिफारिश करते हैं और सरकार इसकी घोषणा करती है। अतः आपको कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर सरकार का विरोध करना चाहिए।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे सही शत्रु का संकेत देकर ठीक किया है। आपका अति धन्यवाद। मेरे विचार से आप इस बात से प्रभावित हैं कि यह सरकार—के प्रति विद्वेषपूर्ण रवैया रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा है कि आप कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर सरकार पर प्रहार करें।

श्री चित्त बसु : सिफारिशें कृषि मूल्य आयोग करता है और सरकार इन्हें स्वीकार और घोषित करती है।

महोदय, मैंने पहले यह बात कही थी कि कृषि मूल्य आयोग अथवा सरकार ने उत्पादन लागत तथा सीमान्त लाभ और जोखिम भत्ते के आधार पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया था। दूसरी ओर न्यूनतम मूल्य ऐसी दर पर निर्धारित किया गया है जो, लाभ और जोखिम भत्ते को तो छोड़िये, उत्पादन लागत से काफी कम है।

महोदय, मैं अब एक और आंकड़े के बारे में बताना चाहूंगा जिससे यह पता चलेगा कि कृषि आदानों के मूल्य वसूली मूल्य की अपेक्षा किस प्रकार तेजी से बढ़ते हैं। वर्ष 1970-71 में डीजल तेल का सूचकांक 131 था और जुलाई, 1975 में यह 324.55 था जिससे 167.7 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है उर्वरकों के मामले में यह वृद्धि 1970-71 में 135.6 थी और जुलाई 1975 में यह 292 हो गई जिससे 115.3 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। कीटनाशी पदार्थों के मामले में 1970-71 में यह 129.4 थी जबकि जुलाई, 1975 में यह 256.6 हो गई जिससे 98.3 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। अतः एक ओर जहां कृषि आदानों के मूल्यों में 167 प्रतिशत, 115 प्रतिशत और 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां दूसरी ओर गेहूं का वसूली मूल्य 1970-71 में 76 रुपये प्रति क्विंटल था और जुलाई, 1975 में यह बढ़कर 105 रुपये हो गया जिससे केवल 38.16 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। एक ओर जहां आदान का मूल्य 167, 115 और 98.7 प्रतिशत तक बढ़ा वहां दूसरी ओर वसूली मूल्य में केवल 38.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्यों ? क्या यह शोषण नहीं है ? मैं योजना आयोग के चौथी योजना दस्तावेज को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। जिसमें यह कहा गया है :—

> "यद्यपि न्यू प्रौद्योगिक द्वारा अधिक लाभांश की संभावना की पेशकश की गई है तथापि उनकी खेती की लागत अधिक है और इस कारण न्यूनतम मूल्यों का आश्वासन देकर उत्पादन प्रयासों को प्रोत्साहन देने का विशेष महत्व है। एक बार किसानों को न्यूनतम मूल्यों का आश्वासन दे दिया जाता है तो वे उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

इन तथ्यों, जिनके बारे में मैं विस्तारपूर्वक बोला हूं, के सम्बन्ध में आज कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्यों के निर्धारण तथा सरकार की उचित वसूली नीति ; और कृषि श्रमिकों के लिए उचित तथा न्यायसंगत मजूरी के सम्बन्ध में व्यापक समेकित नीति निर्धारण की आवश्यकता है। सरकार को किसानों के बढते हुए आन्दोलन की ओर ध्यान देना चाहिए। उनको मालेगांव से नागपुर तक के किसानों के मार्च की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि किसानों ने चीनी मिलों तक गन्ना पहुंचने को रोक दिया है। सरकार के लिए ये सब चेतावनियां हैं। पश्चिम बंगाल के पटसन-उत्पादक पड़ी हुई चीजें नहीं लेंगे। मैं इस काम की अवस्था में भी यह सिफारिश करता हूं कि विवादों का गहराई से अध्ययन करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आयोग गठित करे। उनको लाभकारी मूल्य के निर्धारण, वसूली नीति और कृषि श्रमिकों के लिए उचित और न्यायसंगत मजूरी के मामले में समेकित, व्यापक नीति निर्धारित करनी चाहिए। वह कार्यवाही किये जाने तक किसानों के आन्दोलन को कुचलने के दमनकारी

उपायों का तुरंत बंद किया जाना चाहिये । कृषि आदानों के मूल्यों में वृद्धि का मुकाबला करने के लिये अन्तरिम वृद्धि तुरंत घोषित की जानी चाहिए । यदि दमनकारी उपाय नहीं रोके जाते हैं, यदि अन्तरिम वृद्धि घोषित नहीं की जाती है तो यह वास्तव में सरकार के लिए बुरा दिन होगा । किसान जानते हैं कि उनकी मांगें वैध हैं । उन प्रतिनिधियों द्वारा यहां उनकी वैध मांगें लड़कर मनवाई जायेंगी और उनके प्रतिनिधि उनकी वैध मांगें मनवाने के बाहर भी लड़ने के लिए तैयार हैं । यह एक ऐसी मांग है जो राष्ट्र को सम्बोधित की गई है । किसानों का कहना है कि वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं तथा उनकी मांग वास्तव में हमारे राष्ट्र की समृद्धि के त्वरित विकास को बल प्रदान करती है । अतः यदि सरकार इस समय किसानों की मांग की ओर ध्यान नहीं देती है तो यह राष्ट्र विरोधी होगा । महोदय, अतः मेरा अन्तिम शब्द यह है कि खाद्य परिषद को सरकार पर प्रभाव डालना चाहिए । मेरी आखिरी अपील यह है कि खाद्य परिषद सत्तारूढ़ दल के सदस्यों तथा मंत्रियों पर प्रभाव डाले ताकि उनमें सद्‌बुद्धि आये, ताकि किसानों के हितों को ठेस न पहुंचे जिसका अर्थ है राष्ट्र के हितों को ठेस पहुंचना ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि प्रस्ताव में :—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये : —

"परन्तु ऐसा करने से पहले वर्तमान नाजुक आर्थिक स्थिति, बढ़ते मूल्यों और अपार गरीबी को भी अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए ।"

श्री जी०के० (नायर त्रिवलोन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

2. कि प्रस्ताव में :—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"ताकि उनके लिए न्यायोचित जीवन-स्तर सुनिश्चित किया जा सके ।"

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

3. कि प्रस्ताव में :—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए फालतू कृषि उत्पाद, कम से कम समर्थन मूल्यों पर, खरीदना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ।"

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : महोदय, मैंने अपने मित्र श्री चित बसु का भाषण सुना । मैं इस विषय पर काफी समय से इस सभा में विचार सुनता रहा हूं । महोदय, इस बार उन्होंने

किसानों के हितों का समर्थन किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानों के योगदान पर आधारित है तथा मुझे आशा है कि राष्ट्र का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य है कि किसानों की दशा सुधारे तथा इस सरकार द्वारा किसानों को संरक्षण मिले। महोदय, इस देश के गरीब किसानों की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं तथा अनेक आयोग नियुक्त किए हैं। इस सभा के प्रतिनिधि इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि 80 प्रतिशत संसद सदस्य किसानों के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। अतः उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों की भावना को महत्व दिया जाये और जहां तक उनकी समस्याओं का सम्बन्ध है, जहां तक उनकी दशा और उनको उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य का संबंध है, उनको इस मामले में बहुत कुछ कहना होगा तथा उनसे सम्बन्धित मामलों में उनको अत्यधिक संख्या में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न ढंग से किसानों के योगदान पर आधारित है। यहां तक कि कराधान के माध्यम से भी किसान अधिकांश औद्योगिक गृहों की तुलना में राष्ट्रीय राजकोष में बहुत योगदान दे रहे हैं। किसानों के हितों का समर्थन करते समय मैं ऐसे ढंग का समर्थन नहीं करता जिस ढंग से मेरे मित्र किसानों को आंदोलन अथवा सरकार के साथ टकराव के लिए उकसाने के लिए पक्ष ले रहे थे। उसके स्थान पर इस देश के लोगों के प्रतिनिधियों को उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए स्वयं को सम्बद्ध करना चाहिए ताकि शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह हो और इस देश के किसानों के जीवन-स्तर में सुधार हो।

महोदय, भारत सरकार ने बहुत उपाय किए हैं परन्तु फिर भी हम महसूस करते है कि वे पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मैं इस देश के किसानों के हितों के लिए लड़ना चाहता हूं। आज किसानों की बड़ी समस्याएं हैं। बहुत से राज्यों में विपक्ष आंदोलन करने तथा अन्य प्रकार की तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए उनको उत्तेजित कर रहा है तथा उकसा रहा है। किसान किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं बल्कि वे तो इस देश के हैं। इन लोगों को ऐसे घटिया प्रकार द्वारा उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए अथवा उकसाया नहीं जाना चाहिए अन्ततोगत्वा घेराव, गैर-कानूनी रूप से अवरुद्ध करने, नाकाबन्दी आदि हो। ऐसा करना इस देश के विकास के अनुकूल नहीं होगा। हम सभी देश के विभिन्न भागों के किसानों की सामान्य दशा तथा उनकी कठिनाईयों के बारे में भलीभांति जानते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय कृषि मन्त्री का ध्यान कृषि मूल्य आयोग के कार्यकरण की ओर दिलाना चाहूंगा। इस सभा के माननीय सदस्यों ने अनेक अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त कृषि मूल्य आयोग का कार्यकरण कृषि के विकास के लिए पूर्वाग्रह से भरा हुआ है तथा वह वास्तविकताओं और इस देश के किसानों को प्रचलित दशाओं के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि राज्यों को भी किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने तथा उनकी दशाओं में सुधार तथा कृषि विकास से सम्बन्धित अन्य मामलों के प्रश्न पर कृषि मूल्य आयोग के साथ सार्थक विचार-विमर्श करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

आज नगरीय विकास के लिये नगरीय क्षेत्रों को दिये जाने वाले धन तथा ग्रामीण विकास अर्थात्, किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के विकास, के लिये ग्रामीण क्षेत्रों को दिये जाने वाले धन के बीच अत्यधिक अन्तर है। इसमें बहुत असमानता है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि हम जानते हैं, किसान संगठित नहीं हैं; वे संगठित क्षेत्र में नहीं हैं। आज जो कोई भी संगठित नहीं है वह अपने विचार प्रभावी ढ़ंग से नहीं रख पाता है। यद्यपि किसान तथा खेतों में काम करने वाले व्यक्ति जनसंख्या के 80 प्रतिशत हैं तथापि वे असंगठित हैं और इसलिये उनको नुकसान उठाना पड़ता है। संगठित क्षेत्र अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है ; संगठित मजदूर अधिक लाभ, बोनस आदि प्राप्त कर रहे हैं परन्तु ये निर्धन किसान, जो राजकोष तथा राष्ट्रीय विकास में अधिक योगदान दे रहे हैं, पूरी तरह उपेक्षित हैं। उनकी दशा दिन-प्रति-दिन बिगड़ती गई है और बिगड़ती जा रही है।

भारतीय किसान मुख्यतया मानसून तथा मौसम की अनिश्चितताओं तथा प्रकोपों पर निर्भर करता है। एक ओर जहां देश के कुछ भागों में गंभीर सूखे की हालत है वहां दूसरी ओर कुछ अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है। इन सब कठिनाईयों के बावजूद जब वह कुछ उत्पादन कर पाता है तो उसे अपने उत्पाद के लिये लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है।

यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं किसी न किसी कारण से रुकी पड़ी है और पानी दुर्लभ वस्तु है। यहां तक कि उपलब्ध पानी का भी उचित ढ़ंग से वितरण नहीं हो पाता है जिसके परिणामस्वरूप किसान को पहले की ही भांति नुकसान उठाना पड़ता है।

हमें इस देश के किसानों, जो जनसंख्या के 80 प्रतिशत लोग हैं, को एकत्रित और संगठित होने के लिये सभी प्रकार के प्रोत्साहन भी देने चाहिये ताकि वे अपने विचार उचित ढ़ंग से रख सकें और सरकार उन पर ध्यान दे।

मैं नहीं समझता कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बजट आवंटन में विषमता क्यों होनी चाहिए। हमें ग्रामीण किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए और उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस समय फसलों का बीमा नहीं किया जाता, सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की सप्लाई नहीं की जा सकी है। कुछ स्थानों पर जल संसाधनों को उचित रूप से नियंत्रित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वहां भूमि उपलब्ध होने पर भी उसे इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले 90% प्रतिशत बीजों में पूरी तरह मिलावट होती है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र इस देश के किसानों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाये हैं लेकिन आन्दोलनात्मक दृष्टिकोण तथा किसानों द्वारा मुठभेड़ की नीति अपनाने संबंधी उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि कृषि सेक्टर के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

गन्ना गैर-खाद्य वस्तु है। गन्ना उगाने वाले बिल्कुल उदासीन हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न मूल्य मिल रहे हैं। विभिन्न राज्यों में जल नीति और उर्वरक नीति भिन्न-भिन्न है। उर्वरक मूल्य और मजदूरी नीति भिन्न हैं। विभिन्न संबद्ध वस्तुओं की स्थिति भी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। किसानों को उनके गन्ने का लाभ प्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। चीनी कारखानों के मालिकों ने उन्हें बकाया राशि अदा नहीं की है 60 करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं और किसानों को उनका भुगतान नहीं किया गया है तथा मुकदमें नहीं चलाये गये हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक के किसानों को उस गन्ने का मूल्य नहीं मिला है जो उन्होंने कारखानों को सप्लाई किये हैं।

महोदय, जहां तक इन खांडसारी एककों का संबंध है 4 से 6% तक की राष्ट्रीय दर है और वे खोई को उचित रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या वे इसका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और यह राष्ट्रीय दर है और निकाली जाने वाली चीनी की मात्रा महाराष्ट्र में भिन्न है, बिहार में भिन्न है, उत्तर प्रदेश में भिन्न है और चीनी के कारखाने किसानों से अपनी शर्तें मनवा रहे हैं और जहां तक किसानों के लाभदायक मुल्यों का संबंध है वे इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

मैं पूछता हूं कि कृषि मूल्य आयोग का प्रतिनिधित्व स्वरूप क्या है क्या इस कृषि आयोग में कोई प्रतिनिधि है, कोई छोटा किसान हैं, कोई कृषि विशेषज्ञ है कोई कृषक है कोई गन्ना उगाने वाला, रबी उगाने वाला, धान लगाने वाला तिलहन उगाने वाला है ? महोदय, अफसरशाही तंत्र द्वारा जो तथ्य एकत्रित किये गये हैं, उनका इस देश में किसानों में विद्यमान स्थिति तथा लैंडस्केप और उपयोगिता से कोई संबंध नहीं है। श्रमिक प्रभारों के मूल्य मजदूरी तथा शुल्क और बिजली प्रभारों को सारे देश में तर्कसंगत नहीं बनाया गया है और यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है तथा आज महाराष्ट्र ने वस्तुओं के लिए लाभदायक मूल्य घोषित किया है। कर्नाटक ने व्यवस्था करके किसानों के लिए लाभदायक मूल्यों की घोषणा की है। लेकिन अन्य राज्य इस कार्य में आगे नहीं आ रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक यह कह रहा है कि उन्हें सहायता नहीं मिल रही है।

इसलिए, महोदय, सारे किसान, जनसंख्या का 80% जो देश के साथ है और देश का अंग हैं, पूरी तरह असंगठित हैं, पूर्ण रूप से अनिश्चितता की स्थिति में हैं और इसलिए आपको देश की वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किसानों को अपनी ओर से संघर्ष या हिंसात्मक गतिविधियां न करने दें।

महोदय, यदि वे संगठित होते तो वे अपनी शर्तें मनवा सकते किन्तु वे संगठित नहीं हैं। गोदी श्रमिक संगठित हैं, एकाधिकारीवादी संगठित है काला बाजारिये संगठित हैं। गरीब किसान को बिचौलियों का सामना करना पड़ता है जो वह सारा लाभ अपनी जेब में डाल लेते हैं जो भी किसानों को मिलता है।

अतः महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। जहां तक किसानों का सम्बन्ध है इस पूरी सभा में कोई दलगत राजनीति नहीं है और वे किसी भी ग्रुप से सम्बद्ध नहीं है चाहे वह यह

ग्रुप हो या वह ग्रुप । किसान इस देश के वास्तविक नागरिक है , इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इस देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं वे उनको देश के लाभ के लिए उपयोग में ला रहे हैं । लेकिन हमारी मजदूरी नीति क्या है ? बेचारा किसान और उसका सारा परिवार 12 घंटे, 13 घंटे और 14 घंटे तक काम करता है । उसके लिए कोई भी मजदूरी निर्धारित नहीं कर रहा है । उसे कोई भी कुछ अतिरिक्त नहीं दे रहा है । किसी को भी अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी नहीं मिल रही है । आज आप यदि इंडियन एयरलाइन्स में कार्य करें तो आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है । यदि आप रेलवे में कार्य करें तो आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है । किन्तु यदि आप प्राकृतिक आपदाओं के बीच, तपती धूप में और धूल में कार्य करें तो आपको क्या पारिश्रमिक मिलता है ? गरीब किसान के लिए हमारी पारिश्रमिक नीति क्या है ?

महोदय, हमें देश की मौजूदा वास्तविक स्थिति को समझना है । मैं किसानों का एक प्रतिनिधि हूं, किसानों का पहला प्रतिनिधि और प्रत्येक पक्ष के 80% लोग, किसी भी राजनीतिक दल के 80% लोग इस देश के किसान हैं और उनकी जो इस देश में खेती करते हैं किसी भी रूप में नियमों और विनियमों तथा आयोगों द्वारा उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । आयोग केवल इधर उधर की बातें कर रहे हैं और ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं जो किसानों के अनुकूल हो । वे छोटी सहायता की मांग कर रहे हैं । पूरे देश में कोई फसल बीमा प्रणाली नहीं है । सारे देश में किसानों के लिए कोई पारिश्रमिक नीति नहीं है । अत: सम्पूर्ण प्रणाली पर नये सिरे से विचार किया जाना है । जो भी आयोग अपने नियुक्त किए हों उन्हें समाप्त करके फिर से पुनर्गठित करना है । हमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति का अध्ययन करना है । खंडसारी और चीनी मिलों में विषमता क्यों हो ? ऐसी चीनी नीति क्यों हो जिसके अन्तर्गत अदा किए जाने वाले मूल्य भिन्न-भिन्न हों—एक स्थान पर 300 रु० और दूसरे स्थानों पर 150 रु० या 100 रु० हो ? धान और गेहूं के मामले में भी यही बात है । हमने उर्वरकों के मामले में जो रियायतें घोषित की हैं वे स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होगी । हमें सुविधाओं और आधारभूत ढांचों का निर्माण करना होगा । किसानों के खेत तक खाद की ढुलाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई सड़कों की लम्बाई क्या है ? कोई सड़क उपलब्ध नहीं है ।

किसानों के प्रतिनिधि सड़कों का निर्माण करने के लिए अक्सर शोर मचाते हैं । आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बैलगाड़ियां हैं । वह 2½ वर्ष की अवधि जब जनता पार्टी सत्ता में थी कृषकों के लिए अन्धकारमय अवधि थी और उन्होंने सारे कृषक समाज के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया । किसानों के नाम पर वोट लेने के बाद श्री चरणसिंह ने किसानों के सम्पूर्ण भवन को अस्त-व्यस्त कर दिया । उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चीनी मिल मालिकों की ही मांग स्वीकार की । अब वह कह रहे हैं : मिलों को गन्ना मत दो । उस समय वह क्या कर रहे थे जब वह प्रधान मंत्री थे ?

जहां तक इन समस्याओं का संबंध है हम किसी राजनीतिक दल की आलोचना नहीं कर रहे हैं । प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय और विकास संबंधी कार्य आरम्भ करते

समय मै चाहता हूं कि किसानों के लिए अलग प्रावधान किया जाए। हमें किसानों की जीवन दशा को सुधारना है। हम नगरों को इतना धन क्यों दे रहे हैं? आपने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार या आधारभूत ढांचे उपलब्ध नहीं किए हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि इतने अधिक प्रतिशत लोगों के लिए रोजगार क्षमता का सृजन किया जाये और उपलब्ध किया जाये। किन्तु केवल प्रभावशाली वर्ग को ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों और उनके सगे संबंधियों को सारे लाभ मिल रहे हैं। नगरों में स्थित उद्योगों को भारत सरकार से हर प्रकार की रियायत मिल रही है। किसानों को भी एक बड़ी रियायत दी जानी चाहिए। मैं यह मांग कर रहा हूं कि बजट का एक बहुत बड़ा भाग किसानों के लिए आवंटित किया जाये। किसानों के हितों को महत्वहीन नहीं समझा जाना चाहिए हमें यह देखना चाहिए कि पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों लोगों को दी जाये जो अपना पारिश्रमिक कृषि से अर्जित करते हैं। अतः कृपया सड़कों का निर्माण कीजिए, लाभदायक मूल्य दीजिए, जल उपलब्ध कराइये और उन्हें विद्युत शुल्क में रियायत दीजिए तथा उनके लिए मजदूरी दर भी निर्धारित कीजिए और उन्हें उपकरण तथा रोजगार दीजिए। कृपया एक जल नीति तैयार कीजिए और यह देखिए कि जल बेकार न जाये और समुद्र में न गिरने दिया जाये। हरित क्रांति लाने के लिए कृपया यह देखिए कि सिंचाई सुविधाओं का उचित उपयोग किया जाये। यह कार्य तत्काल होना चाहिए। जब तक हम उनकी आर्थिक स्थिति में प्रभावकारी परिवर्तन न ले आयें, राजनीतिक स्वाधीनता बेकार है।

इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि सामान्यतः कृषि से संबंधित और विशेषतः कृषि मूल्यों तथा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रावधान करने से संबंधित हमारी नीतियों में सार्थक परिवर्तन किये जाने चाहिए। मैं पुरजोर अनुरोध करता हूं कि सभी निर्णय करने वाले निकायों में ग्रामीण कृषक समुदाय का सार्थक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह हो सकता है कि आप सम्पूर्ण कृषि मूल्य आयोग को पुनर्गठित कर रहे हों। आपको यह देखना चाहिए कि उनमें ग्रामीण जनता और किसानों के हितों की झलक आये और उनकी इच्छा का आदर हो। ऐसे आयोगों में होने वाले विचार-विमर्श और चर्चाओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में और किसानों के जीवन में प्रभाव-कारी परिवर्तन लाने के लिए उनके हितों को एक सार्थक तरीके से कार्य-रूप दिया जाये।

धन्यवाद।

श्री रणबीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष जी, पसीना बहाने वाला कृषक अपने श्रम का उचित एवं न्यायपूर्ण मूल्य चाहता है—इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब हम अधिक उत्पादन की बात करते हैं और ग्रामीण विकास की बात करते हैं। अभी माननीय चित वसु जी एक बात की तरफ बार-बार ध्यान दिला रहे थे कि हमेशा मूल्य निर्धारण करने के पूर्व एक अजीब सा नाटक किया जाता है, जिसकी पीड़ा हम सब कृषकों को है। क्या होता है—मूल्य तय करने के पूर्व ए०पी०सी० के मैम्बर्स बैठते हैं, उसके बाद राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को बुलाया जाता है। नाटक यहां से शुरू होता है—ए०पी०सी० कम

दाम तय करती है, मुख्य मंत्रीगण जो विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, ऊंचे दाम मांगते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों में समझौता हो जाता है, दोनों मिलकर एक मूल्य तय कर देते हैं और इन दोनों के निर्णय के बाद में समझता हूं, किसान अपनी पीड़ा से कराह उठता है। यहां मैं, बसु जी से, यह भी कहना चाहूंगा कि आपने अपने शासनकाल में भी इस नाटक को बन्द नहीं किया था, आप उन्हीं तर्कों पर चलते रहे थे।

विरोधी दल की तरफ से एक तर्क यह रखा जाता है कि जब वस्तुओं का मूल्य तय किया जाता है तो जो दलील दी जाती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कृषकों का जो उत्पादन होता है, यदि उसके भाव बढ़ा दिए जायेंगे तो उपभोक्ता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सबके पालन-पोषण का भार कृषक पर है, सारा देश कृषक के सामने हाथ जोड़े खड़ा है और अपने भरण-पोषण के लिए उससे प्रार्थना कर रहा है और मूक देवता कृषक ए०पी०सी० की तरफ से जो थोड़े से फूल चढ़ाये जाते हैं, उनसे ही अपने को सन्तुष्ट करके रह जाता है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी सरकार को दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना होता है, विरोधी दल की तरह से सारी बातों को नहीं देखना होता है। जब उत्पादक का भाव सरकार तय करती है तो उस वक्त उपभोक्ता की बात भी ध्यान में रहती है—लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि खर्चे कम हो सकें, तो उसका लाभ किसानों को दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहां कई ऐसी त्रूटियां हैं, जैसे एफ०सी०आई०में रख-रखाव पर बहुत खर्च किया जाता है, उस को कम किया जा सकता है, इससे बचत की जा सकती है। अभी हाल में हमने फ्लोर-मिल्स को गेहूं दिया, जिसमें 200 करोड़ रुपये का अनर्गल व्यय हो रहा है। इसको बचाकर आप कृषकों को सबसीडी के रूप में दे सकते थे या इस बचत के आधार पर उनकी उत्पादित वस्तुओं के दाम बढ़ा सकते थे।

एक बड़ी विचित्र बात है—चित्त बसु जी का ध्यान उधर नहीं गया है, उनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं है, वे हमेशा श्रमिकों के लिए नाकामयाब ढंग से आन्दोलन करते रहे हैं। आज फिर उनको इसमें फायदा दिखाई दिया तो इसमें कूद गए। हमारी जो जल्दी नष्ट होने वाली चीजें हैं (पैरिशेबिल कमाडिटीज) हैं, जैसे आलू, प्याज, गन्ना, इनके लिए हम कई बार मांग कर चुके हैं कि एक बोर्ड बनाया जाए ताकि कृषकों को मालूम हो कि हमारी सरकार के पास उनके क्रय की कितनी क्षमता है, ताकि उनका उत्पादन उससे ज्यादा न हो और उनको उस हानि से बचाया जा सके। एक तरफ हम अधिक उत्पादन चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम यह चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ता को सस्ता माल मिले या सस्ते दाम पर ये वस्तुएं मिलें।

इनका समन्वय बड़ा कठिन है, खासतौर से हमारे कृषि मंत्री जी के लिए और कठिनाई तब हो गई जब हमारे खेती के मसीहा ने हमारे कृषि के सारे तंत्र तोड़कर रख दिए हैं। कृषकों के लिए यह कहा जाता है कि उन्हें सही मूल्य दिया जाए, लेकिन इसके अलावा उनकी और बहुत-सी समस्याएं हैं अगर उनका निराकरण कर दिया जाए तो उन्हें बहुत सन्तोष मिल सकता है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है अनिश्चितता। एलीमेंट आफ अनसर्टेनिटी। बाढ़, सूखे से जो हमारी पूरी

की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, उसके लिए हमारे पास बीमे का कोई प्राविधान नहीं है, ताकि उस नुकसान से बचा जा सके।

मान्यवर, महाराष्ट्र में आंदोलन की बात हम सुनते हैं, बड़ी अजीब विडम्बना है। महाराष्ट्र में हमने लायंस शेयर दिया है, वहां के कृषकों के पीछे के ऋण माफ कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश के कृषक, जहां बाढ़ से पीड़ित हैं, सूखे से पीड़ित हैं, वहां पर अभी इसकी व्यवस्था नहीं हुई है जो असन्तोष का कारण है, इस कारण से उनके हृदय में उग्रता व्याप्त हो सकती है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से अपील करना चाहता हूं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है, जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं, उससे वे सन्तुष्ट हों और साथ ही एक सजग प्रहरी की तरह हिन्दुस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा बटाएं।

आप हरिकेश जी जोर-जोर से बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि किस तरह से आप इस समस्या का निराकरण करना चाहते हैं। अपने शासन काल में, मैं स्टेट्समैन 25 नवम्बर, 1978 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप इस महत्वपूर्ण बात को, जिसको चित्त बसु जी के माध्यम से उठवाकर प्रसन्न हो रहे हैं, जितने भी कृषकों के हिमायती हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने समस्या का हल किस प्रकार किया था। मान्यवर, हमें यह कहा जा रहा है कि समस्या को वार फुटिंग पर तय किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि किस वार फुटिंग पर आप तय कर रहे थे, डिनर टेबल पर। मैं स्टेट्समैन का उद्धरण देना चाहता हूं। बड़ी हास्यास्पद बात है कि किस प्रकार से हमारे कृषकों के भाग्य का निर्णय किया जा रहा था। मैं उसे पढ़ना चाहता हूं, आपकी अनुमति से :—

'जनता पार्टी के अधिकांश मुख्य मंत्री, छः केन्द्रीय मंत्री और पार्टी के अन्य पदाधिकारी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए रात्रि के भोजन पर आज यहां मिले—"रात्रि के भोजन पर आज यहां मिले"

किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उनकी बैठक रात्रि के भोजन की मेज पर हुई।

हमारे कृषि मंत्री खेतों में घूम-घूम कर सारे आंकड़े लाकर जो बात कर रहे हैं, उसको आप हास्यास्पद समझ रहे हैं और आप हिन्दुस्तान के कृषकों की बात तय कर रहे थे डिनर-पार्टी पर (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके बारे में नहीं है, आप क्यों खड़े हो गए ? क्या आप दूसरी पार्टी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं ? (व्यवधान) कृपया शान्त रहिये।

श्री रणधीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, उस डिनर पार्टी में वे व्यक्ति भी थे जो हिन्दुस्तान के कृषकों को भड़का रहे हैं, शरद जी, वे भी डिनर पार्टी में थे और वे भी इस बात को तय कर रहे थे और आपके जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं आए, न ही कृषि मंत्री

आए, जानते हैं कौन आए थे, एजूकेशन मिनिस्टर आए थे, खेती की बात तय करने के लिए। यह मजाक उड़ाया जा रहा था कृषकों का। आज कह रहे हैं कि हम किसानों के मसीहा हैं। सी. पी. आई. के श्री कोडियन साहब को शायद याद होगा, जब इस संबंध में बात कर रहे थे, कृषकों की बात नहीं कर रहे थे, कह रहे थे :—

श्री कोडियन ने कहा था, "उत्तर का गेहूं उपनिवेशवाद केरल के चावल उपनिवेशवाद को गटकने ही वाला है।" इस सदन में इस तरह की बातें न की जाएं।

एक माननीय सदस्य : आपके पास इसका क्या समाधान है ?

श्री रणवीर सिंह : मुझे इस समस्या को कैसे हल करना है ? वह मैं जानता हूं। इसके लिए मै आपसे बुद्धि उधार नहीं लूंगा। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी तरह किसानों की समस्याओं को हल कीजिए।

श्री रणवीर सिंह : मेरी आप से प्रार्थना है कि जितना समय हमारे विरोधी दल हमें टोकने में ले रहे हैं उतना समय मेरे समय में से काट लिया जाए ताकि मैं कुछ और बता सकूं।

मैं चाहता हूं कि आप ट्रैक्टर्ज और फर्टिलाइजर्ज के दामों की तरफ भी देखें। जिस गति से इनके दाम बढ़े हैं उस गति से हमारे उत्पादन के दाम नहीं बढ़े हैं; अगर आप उचित समझें तो एक्साइज ड्यूटी जो इन दोनों पर लगती है उस पर भी आप फिर से विचार कर लें।

जहां तक मूल्य निर्धारण का प्रश्न है जब फसल बोई जाती है उस समय ही इनका निर्धारण कर दिया जाना चाहिए ताकि कृषकों को मालूम हो सके कि किस वस्तु का क्या मूल्य मिलेगा ताकि वे अपना उत्पादन जिस तरह से चाहे कर सकें।

आज की जो मांग है यह न सी. पी. आई. की है और न हरिकेश बहादुर जी की पार्टी की है। यह उन सब की मांग है जो वास्तव में कृषकों की प्रगति में रुचि रखते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों का मजाक न उड़ाएं। यह आप दिखाने की कोशिश न करें कि आपने डिमांड्ज पेश कर दी हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कृषकों के लिए क्या किया जा रहा है और क्या नहीं।

आपके एक मंत्री थे, एक नेता थे जिसने हिन्दुस्तान में एक काम किया था और वह यह कि कोका कोला को कैम्पा कोला में बदल दिया था। अब वह कैम्पा कोला से प्याज में कूद कर आ गए हैं। किसानों को आप उनके रहम पर छोड़ दें। आप न कोका कोला बना पाए हैं और न कैम्पा कोला। अब आप उनको डिनामाइट से न उकसायें। अगर आपने ऐसा किया तो भारत का तंत्र ध्वस्त हो जाएगा।

आपकी सरकार में कृषकों का एक ही मसीहा था और वह थे चौधरी चरणसिंह। मुझे लगता है कि अभी वह हाइबरनेशन में हैं। सर्दी बीतने पर उनकी टर-टर की आवाज आ जाएगी। वही उनके लिए उपयुक्त समय भी होगा। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था अपने कार्यकाल में और कहा था कि एक सीमा से आगे कृषकों की उपज के मूल्य नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। उस वक्त गेहूं का दाम 105 रुपये का था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही सीमा हमेशा के लिए रखी जाएगी और क्या यह उचित और हितकर है ? अगर आप इसको उचित और हितकर मानते हैं तो आप जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है कि 135 के प्रस्तावित मूल्य के खिलाफ आप कुछ बोल सकें।

हमारे जिले में एक नेता गए थे जिनको मैं उनकी पार्टी का एक ही नेता मानता हूं और उनकी पार्टी भी उनको ही नेता मानती है। वह कृषकों के अपने आपको बड़े हिमायती समझते थे। वह थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने हमारे जिले में किसानों के साथ वादा किया था शायद चुनाव जीतने के लिए और वोट लेने के लिए कि 150 रुपये क्विंटल गेहूं उनका बिकेगा। वह समझते थे कि इससे उनकी पार्टी जीत जाएगी। उनका नाम है अटल बिहारी जी और हम समझते थे कि वह वादे पर अटल रहते होंगे, लेकिन निकले केवल बिहारी। विदेश मंत्री बने और बाहर घूमते रहे। उनकी पार्टी अब हार गई। आज तक मुझे कोई ऐसा केन्द्र नहीं मिला जहां 150 रुपये का भाव मिलता हो और जहां मैं अपने गेहूं को इस भाव पर बेच सकता।

जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के ऊपर कल बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उसी को मैं उद्धृत करना चाहता हूं। बहराइच के कृषकों के साथ उनकी यह बात बिलकुल सही उतरी है। कल उन्होंने कहा न कोई दलील, न कोई वकील और न कोई अपील। न दलील न अपील और न वकील वाली बात बहराइच के किसानों के साथ भी है। उनके कार्यदल में बहराइच के ट्रैक्टर बहराइच में खड़े रहे, तेल था ईरान में और दाम आसमान में और हम सब थे हिन्दुस्तान में। मैं नहीं समझता कि अलंकारी भाषा बोलने वाले लोग सचमुच धरती पर उतरे हैं। भाषा से बहुत दिनों तक उन्होंने लोगों को बहकाने की नाकाम कोशिश की है। कृषकों को इन लोगों ने उकसाने का अच्छा मौका आज देखा है। लेकिन मुझे खुशी है कि उनका दल भी हम कृषकों के बारे में सोचने लगा है।

डांगा जी से भी एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं पिछली बार बोल रहा था तो वह कहते थे कि कृषकों की बात छोड़ो श्रमिक की बात करो। मैं आशा करता हूं कि आज वह कृषक की तरह बात करेंगे और उपभोक्ता और कृषक को सामने रख कर बात करेंगे।

हमारे मंत्री महोदय मंत्री बाद में हैं, कृषक पहले हैं और आज उनके ऊपर देश के कृषकों का विकास निर्भर करता है। उन्हे एक काम करना है कि कहीं यह तथाकथित आन्दोलन उन नेताओं के हाथ में न चला जाय जिन्होंने हमेशा घड़ियाली आंसू बहाये और ऐसा न हो जाय कि स्वार्थी लोगों के हाथ में वह आन्दोलन चला जाय। इस बात का ध्यान मंत्री जी अवश्य रखें। धन्यवाद।

श्री धनिव लाल मंडल (झंझारपुर) : मान्यवर, श्री चित्त बसु का प्रस्ताव जो किसानों को उनकी उपज के लिये लाभकारी दामों को दिलाने से संबंधित है बहुत ही मौजू है। हमारे उस पक्ष के सदस्य बहुत जोर जोर से हमारी भर्त्सना करते रहे और अपनी स्तुति करते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो नीति चलायी उसका फल यह हुआ कि देश का ग्रामीण जीवन पहले से ज्यादा बिगड़ गया। उदाहरण के लिये जब अंग्रेज यहां से गये उस वक्त ग्रामीण अंचल की औषत आमदनी 198 रु० थी और शहरी अंचल की आमदनी 408 रु० थी। लगभग दुगने का फर्क था। लेकिन आज इतनी योजनाओं के बाद और आपकी गलत नीतियों के बाद ग्रामीण अंचल की आमदनी 198 रु० से घट कर 196 रु० हो गयी जब कि शहरी अंचल की आमदनी 408 रु० से बढ़ कर 918 रु० हो गयी, यानी चौगुने का फर्क हो गया। आप अपनी पीठ थपथपा लीजिये कि आपकी नीति का फल यह हुआ कि ग्रामीण और शहरी अंचल की आमदनी का फर्क दुगने से बढ़ कर चौगुना हो गया। और भी एक कारण है, अंग्रेज जब यहां से गये थे उस समय ग्रामीण अंचल में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 39 प्रतिशत थी जो आज बढ़ कर 66 प्रतिशत से अधिक हो गयी।

(श्री हरीनाथ मिश्रा पीठासीन हुए)

महोदय, ग्रामीण अंचल में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 39 प्रतिशत से बढ़कर ६६ प्रतिशत हो गई। आप और देखिए इसमें क्या फर्क है—गांव में रहने वालों की आमदनी—खेत मजदूर को ले लीजिए—खेत मजदूर की आमदनी 2.50 रु० से 3 रु० होती है। यदि पांच आदमियों का एक परिवार मान लिया जाए, तो 60 पैसे प्रति व्यक्ति उसकी आमदनी है। मैं बड़े-बड़े किसानों, खेत मजदूरों, मार्जिनल फार्मर्स, स्माल फार्मर्स, मध्यम फार्मर्स—सभी को ले लेता हूं। बड़े किसानों की आमदनी 10 रु० 15 रु० से अधिक नहीं होती है रोजाना की। लेकिन शहर में रहने वालों की, इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स, बीजनेसमैन, डाक्टर्स, प्रोफैसर्स, लायर्स—ये सारे लोग और आपके जैसे पोलीटीशियन्स—जिनका गांवों से कोई वास्ता नहीं रह गया है, वोट लेकर चले आए हैं, जो अब शहर वाले बन गए हैं। यदि इन की आमदनी को ले लिया जाए, तो लाखों-लाखों में है। यह है गांव और शहर में रहने वालों में फर्क है।

आज खेती और गांव की उपेक्षा हुई है। मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि सचमुच में किसानों के लिए उनके दिल में दर्द है। यह मैं अनुभव करता हूं यह मुझे इनकी बातों से लगता है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज तक जो नीतियां चली और बातें होती रहीं, गांवों में बसिए, शहर की तरफ मत जाइए, खेती में सुधार कीजिए प्रोडक्शन बढ़ाइए, पैदावार बढ़ाइए— लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि शहर का पैसा तो शहर में लगता ही रहा और गांव का पैसा भी शहर में लगता रहा, गांव में नहीं लगा। कारण यह है कि खेत में मुनाफा नहीं रहा। यह दुनिया का नियम है, केवल हिन्दुस्तान का ही नहीं, कि पैसा वहीं जायेगा जहां पैसे का रिटर्न होगा। चूंकि खेती में मुनाफा नहीं रहा, इसलिए पैसा खेती में नहीं लगा रहे हैं। बड़े किसानों के पास जो पैसा है, वे भी शहर में आकर दूसरे धन्धों में लगाते हैं, खेती में नहीं लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा

इसलिए हुआ कि खेती में मुनाफे की चीज नहीं रही । मैं कहना चाहता हूं कि आप इन्डस्ट्री वालों का मुनाफा देख लीजिए और खेत में काम करने वालों का मुनाफा देख लीजिए··· ।

आचार्य भगवान देव : आप लोगों ने ढ़ाई साल क्या किया, आप ने गांव की खेती कभी देखी है, आप गांव में कभी गए हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : आप शास्त्री जी जरा दिमाग ठण्डा रखिए । आपको पता नहीं है, खेती क्या होती है । हम किसान हैं । अभी माननीय सदस्य, श्री चित्त बसु कह रहे थे···।

श्री रामावतार शास्त्री : सबको शास्त्री मत बनाइये ।

श्री धनिक लाल मंडल : मूर्ख शास्त्री होंगे ।

आचार्य भगवान देव : ढ़ाई साल में क्या घास काटी है ।

श्री धनिक लाल मंडल : अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेत में जो पैदावार होती है, उसका लाभकारी दाम उनको नहीं मिलता है । इसको उन्होंने प्रर्व भा कर दिया है । मंत्री जी इस बात से सहमत हों या नहीं लेकिन उसको लाभकारी दाम नहीं मिलता है । लेकिन जो इन्डस्ट्रीज में लगे हुए हैं, यदि उनकी तरफ देखा जाए कि उनका कितना प्रतिशत प्रोफिट है, तो वह 100 प्रतिशत, दो सौ प्रतिशत और 300 प्रतिशत होता है । यह आप की पालिसी का नतीजा रहा है । अभी माननीय सदस्य श्री चितु बसु जी ने तीन बातें कहीं और वे तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं । एक बात तो यह कि कृषि और उद्योग का क्या रिश्ता होना चाहिए ? टर्म्ज आफ ट्रेड क्या होने चाहिये ? दूसरी बात—खेती से जो चीजें पैदा होती हैं उनका लाभकारी दाम मिलना चाहिए । टर्म्ज आफ ट्रेड बेलैन्स्ड होने चाहिए । कृषिजन्य पैदावार के दाम और कल-कारखानों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दामों में समन्वय होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए । तीसरी बात—कृषिजन्य पैदावार के दामों में जो उतार-चढ़ाव होता है उसको रोका जाना चाहिये । होता क्या है-फसल कटने के वक्त चीजों के दाम नीचे चले जाते हैं, लेकिन जब वह सामान किसान के घर से व्यापारियों के घर में चला जाता है, आढ़तियों के पास पहुंच जाता है, जिनको आप होर्डर्ज कहते हैं, ब्लैक-मार्केटियर्स कहते हैं, जब उनके पास पहुंच जाता है तो इसके दाम बढ़ जाते हैं—इस पर नियन्त्रण होना चाहिये । यह बात बिलकुल सही है कि आप ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया ।

मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं —हम लोग बार-बार इन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाते रहे हैं—जब हम ने कहा कि टर्म्ज आफ ट्रेड किसान के खिलाफ जा रहा है, तो आप ने आश्वासन दिया कि हमने इसकी ओर ए० पी० सी० का ध्यान खींच दिया है कि वह इस बात को ध्यान में रखे । उसके बाद जब हमने आप से कहा कि इन्पुट्स के दाम बढ़ रहे हैं, तब भी आप ने कह दिया कि हमने ए० पी० सी० का ध्यान इस ओर खींचा है कि वह इस फैक्टर को भी ध्यान में रखें । उसके बाद फिर हमने सरकार का ध्यान खींचा कि किसान जिन चीजों का उपयोग

करता है, जैसे डीजल, सीमेंट, लोहा, इन सबके दाम बढ़ गए हैं, तब फिर आप ने वही जवाब दिया कि इनकी ओर ए० पी० सी० का ध्यान खींच दिया गया है। हमने हर बात को समय-समय पर उठाया, लेकिन आप वही जवाब देते रहे, परिणाम क्या निकला ?

मैं एक बात और कहता हूं—आप खेती की साइकल को देखिए—दो साल अच्छी फसल होती है और तीसरे साल फसल मारी जाती है, कहीं-कहीं पर चौथे साल ऐसा होता है, लेकिन हमारे उत्तर बिहार में, जहां से कि मैं आता हूं, हर तीसरे साल सूखा और अकाल पड़ जाता है। इसकी ओर भी हमने कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाया, उन्होंने फिर वही जवाब दे दिया कि इस के लिए भी ए० पी० सी० को कह दिया गया है।

हमारा किसान पूरा समय खेत में काम करता है। अभी हमारे लकप्पा साहब बड़े जोर-शोर से कह रहे थे—हमारा किसान गर्मियों में भरी दोपहरी में और सर्दियों में दिसम्बर के महीने में जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, खेतों में काम करता है। दिन को दिन नहीं समझता और रात को रात नहीं समझता। सब प्रकार के रिस्क उठाता है, इतनी मेहनत के बावजूद भी यदि वह अपना जीवन-यापन न कर सके, तो यह कितने दुख की बात है। मैं आपसे पूछता हूं—क्या आपने कभी किसान को देखा है, उसकी बीबी को देखा है—उसके बदन पर कपड़े नही होते, उसके बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं होते, पेट भर खाने को नहीं मिलता, फिर भी वह उसमें लगा रहता है। आप की सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन ने कहा है कि इस देश में गांवों में रहने वाले 20 परसेन्ट किसान ऐसे हैं जो "लोएस्ट-इंकम-ब्रेकेट" में आते हैं और उनकी संख्या साढ़े-ग्यारह करोड़ होती है। उन सब की सम्पत्ति, कुल ऐसेट्स, बिड़ला की सम्पत्ति से कम हैं—यह है आप का समाजवाद।

यह आपका समाजवाद है और यह है आपकी योजना। जब हम मंत्री जी से कहते हैं कि वह पूरा का पूरा दिन काम करता है, खेत में, उसको भी भर-पेट खाने को मिले, कपड़ा मिले, दवा मिले, शिक्षा मिले, इस सबको भी जोड़िए तो हमारे मंत्री जी कह देते हैं कि हमने वह भी कह दिया है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, हमारे मंत्री जी किसी बात से इन्कार नहीं करते, यह तो है कि कम से कम इस बात को तस्लीम तो करते हैं, इसकी हमें खुशी है।

सभापति महोदय : आपकी शिकायत क्या है ? ···(व्यवधान)।

श्री धनिकलाल मण्डल : शिकायत यह है कि इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। चाहे ए० पी० सी० में धान की कीमत तय की गई, चाहे गेहूं की कीमत तय की गई या कपास की या गन्ने की, सारी चीजों का हवाला माननीय चित्त बसु जी ने कर दिया है, हमें विशेष रूप से कहने की जरूरत नहीं है ···(व्यवधान)।

महोदय मैं कह रहा था कि किसानों को लूट कर खाने वाले लोग···(व्यवधान)।

मैं बता रहा था कि इन सारी चीजों की ओर बार-बार इनका ध्यान खींचा गया लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं, मैं प्रमाण देता हूं—जैसे सारी बातें हुई। आप गन्ने के दाम को ले लीजिए,

13 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ, ए० पी० सी० ने 13 रुपए प्रति क्विंटल तय किया, इनकी सरकार है कर्नाटक में श्री गुण्डुराव की सरकार है, जब किसानों ने आन्दोलन किया, जबरदस्त आंदोलन किया तब गुण्डुराव साहब को झुकना पड़ा और गन्ने के दाम उन्होंने 172 रुपये बीस पैसे प्रति टन कर दिया। धान की कीमत 105 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपये की, यह उनकी सरकार है। तमिलनाडु की बात करते हैं, वहां की सरकार ने 175 रुपए प्रति टन गन्ने की कीमत तय की। जहां 8.5 प्रतिशत सुगर केन से चीनी निकलती है, उस हिसाब से वहां दाम रखा 175 रुपए प्रति टन और जैसे-जैसे यह प्रतिशत बढ़ता रहेगा, गन्ने की कीमत बढ़ती रहेगी।

अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां के किसान आन्दोलन करते हैं वहां यह सरकार कुछ न कुछ डोज किसानों को दे देती है। हमारा बिहार है, जहां से आप आते हैं, हम लोगों का क्या हाल है ? हमारे और आपके जिले में गन्ने का क्या दाम है, धान का क्या दाम है ? गुण्डुराव की सरकार से किसानों ने आंदोलन करके ले लिया, तमिलनाडु में भी किसानों ने ले लिया, महाराष्ट्र के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी कुछ मिलेगा, लेकिन जो उत्तर-प्रदेश और बिहार के किसान हैं उनके साथ ये क्या व्यवहार कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : आप ज्यादा समय मत लीजिए।

श्री धनिकलाल मण्डल : अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा समय तो इन्होंने ले लिया। ये डिस्टर्ब करते हैं।

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब होते क्यों हैं ?

जहां किसान आन्दोलन कर रहे हैं वहां तो आप कुछ न कुछ कीमत बढ़ा रहे हैं लेकिन जहां वे नहीं कर रहे हैं वहां के किसानों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका फल यह हो रहा है कि पूरे देश में किसानों के आन्दोलन की लहर फैलती जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अब बारी है। उत्तर प्रदेश में यह शुरू हो गया है और बिहार के किसानों ने भी आप कान खोल कर सुन लें आंदोलन शुरू करने का नारा दे दिया है और वहां भी दामों के लिए किसान आंदोलन शुरू हो जायगा। जार्ज फरनेंडीस और हम सब किस लिए हैं ? किसानों की आवाज नही उठाएंगे तो किस की उठाएंगे ? इस सवाल को हम उठाएंगे, जोर से उठाएंगे इसको आप कान खोलकर सुन लें। यदि यही आपका रवैया रहा तो पूरे देश में आन्दोलन होगा। विभिन्न वर्गों के लोग खास कर जो खेती करने वाले लोग हैं जिनकी संख्या अस्सी प्रतिशत गावों में है और जिनमें से 72 प्रतिशत किसान हैं और जो देश का सबसे बड़ा चैक है वह आन्दोलन अवश्य करेगा और जो अन्याय उसके साथ आज तक हुआ है उस अन्याय को वह आगे चलने नहीं देगा।

ये सबसिडी की बात करते हैं। इनके राज्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है। 1964 से पहले का भाग, 1964 से 1972 तक और 1972 से बाद का समय। मंत्री जी कहते हैं

कि 1250 करोड़ की सबसिडी जो फर्टिलाइजर पर दी जाती थी उसको घटा कर इन्होंने 580 करोड़ कर दिया है। छ. सौ करोड़ के लिए इतना बड़ा तूफान देश में खड़ा कर दिया गया है। आप किसानों को दी जाने वाली सबसिडी की बात करते हैं। लेकिन आप प्लानिंग को देखें, सरकार को देखें, इंडस्ट्री को देखें, उनको पूरी की पूरी सबसिडी नहीं दी जाती है तो क्या दिया जाता है? अखबारों में निकला है कि 169 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग घाटे में चल रहे हैं।

सभापति महोदय : आप भी इस तरह के पद पर रह चुके हैं। आपने 25 मिनट ले लिए हैं। अब आप समाप्त करें।

श्री धनिकलाल मण्डल : खाद के दाम इनकी नीति की वजह से बढ़े हैं। दूसरी चीजों के दाम भी इनकी नीति की वजह से बढ़े हैं। हमारे कामों की वजह से नहीं बढ़े हैं।

यह कहा जाता है कि किसान को दाम अधिक दिए जाएंगे तो उससे इनफ्लेशन बढ़ जाएगी किसान की चीजों के दाम बढ़ाए जायेंगे तो मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगा। जो अर्थ व्यवस्था है इसमें किसान भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। केवल किसान की बात जब होती है तो कह दिया जाता है कि इनफ्लेशन हो जाएगी लेकिन जब दूसरों की बात होती है तो ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। खुद सरकार किस तरफ से इनफ्लेशन करती हैं, प्लानिंग कमिशन करती है उसको आप भी देखें। किसान का गेहूं 117 रुपये में बिकता है और कंज्यूमर्ज को 138 रुपये पर दिया जाता है। उस में जो घाटा होता है उसको कह दिया जाता है कि वह किसान को सबसिडी दी जा रही है। यह किसान को सबसिड़ी देना है या कंज्यूमर को? मैं मांग करता हूं कि गन्ने का दाम तीस रुपये होना चाहिए और यह बिल्कुल वाजिब मांग हैं। धान का दाम कम से कम 125 रुपए होना चाहिए और यह भी बिल्कुल वाजिब मांग है। गेहूं की 145 रुपये की जो मांग है यह भी बिल्कुल वाजिब मांग है और इन मांगों को आपको मान लेना चाहिए।

ठाकुर शिव कुमार सिंह (खंडवा) : सभापति जी, अभी माननीय मंडल जी मगर के आंसू बहा रहे थे। वह जनता पार्टी के शासन में गृह राज्य मंत्री रहे और चरण सिंह जी अपने आपको किसानों का नेता कहते थे। जनता पार्टी किसानों की पार्टी थी, हलधर किसान और चक्कर में फंसा हुआ किसान।

सभापति महोदय : आपने शक्कर कहा या चक्कर कहा?

ठाकुर शिव कुमार सिंह : चक्कर में फंसा हुआ किसान। मेरा आरोप है कि जनता पार्टी ने किसानों की हत्या की है। हमारे कांग्रेस शासन में कपास के दाम 450, 500 रु० प्रति क्विंटल मिलते थे, लेकिन जनता पार्टी के शासन में 200, 250 रु० मिले। हमारे कांग्रेस शासन में गन्ने का दाम 12, 13 रु० प्रति क्विंटल था, जबकि जनता पार्टी के शासन में 6 रु० क्विंटल मिले दाम। क्या हक है आपको अपने को किसानों का हमदर्द कहने का? आपके शासन में गेहूं, धान, कपास, गन्ने का उचित दाम नहीं मिला। मेरा आरोप है कि किसानों की सबसे ज्यादा हत्या जनता पार्टी ने की और मंडल जी उस समय आप उसके नेता थे।

मैं जानता हूं कि आज हमारे किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रही है। मैं भी एक किसान हूं, आज गांवों और शहरों में अन्तर आ रहा है, शहरों में चमकीली सड़कें और ब्यूटी कार्लर हैं, लेकिन दूसरी ओर गांवों में सड़कें नहीं, किसान के तन पर कपड़ा नहीं, दो वक्त खाने को रोटी नहीं। आज गांव का किसान परेशान है। अगर किसान परेशान है तो हिन्दुस्तान परेशान है। माननीय चित्त बसु के प्रस्ताव की जो भावना है, हमारी पार्टी उसके लिए काम कर रही है। लेकिन आपकी भावना गलत है, आप किसान के नाम पर देश की जनता को भड़काना चाहते हो और देश में अशांति का वातावरण बनाना चाहते हो, आपका केवल राजनीतिक स्वार्थ है। आज देश की जनता इन्दिरा जी की ओर नजर लगाए हुए हैं परन्तु हमारे काम करने में विरोधी दल जो रुकावटें डालते हैं यह उचित नहीं है। मैं पूछता हूं कि आपके शासन में क्या रेट थे ? 1980-81 के लिए हमारे शासन ने धान की 105 रु० प्रति क्विंटल सपोर्ट प्राइस तय की, जबकि आपके शासन में 95 रु० थी। इसी तरह गन्ने की हमने 13 रु० रखी, और आपके शासन में 12.50 रु० प्रति क्विंटल रखी गई वह भी आप किसान को नहीं दिला सके। मूंगफली की सपोर्ट प्राइस हमने 206 रु० रखी जबकि आपके शासन में 190 रु० थी। सोयाबीन की सपोर्ट प्राइस 183 हमने रखी, आपके शासन में 175 रु० रही। पीला सोयाबीन की सपोर्ट प्राइस हमने 198 तय की, आपके शासन में 175 रु० रही। सूरजमुखी की 183 रु० हमने रखी, लेकिन आपके शासन ने 175 रु० प्रति क्विंटल तय की थी।

कपास का भाव 304 रु० क्विंटल फिक्स किया है आपके शासन ने 275 रु० फिक्स किया था हमने गेहूं का भाव 135 रु० क्विंटल फिक्स किया है और आपके शासन ने 105 रु० क्विंटल फिक्स किया था— आपकी कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए हिन्दुस्तान की जनता आपको नहीं चाहती है और हिन्दुस्तान की जनता श्रीमती इंदिरा गांधी को चाहती है। ये मगरमच्छ में आंसू और ये आप के आंदोलन हम सब समझते हैं। मैं कहता हूं कि ये टिक नहीं पायेंगे। इस तरह से आप हिन्दुस्तान की भोली-भाली जनता को भड़का कर, आप टिक नहीं सकते हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आज हम शहर और गांव की आय में तुलना करेंगे, तो उसका अन्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। सन् 1950-51 में हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिनमें से 30 करोड़ लोग शहरों में थे और 6 करोड़ लोग गांवों में रहते थे, उनकी आय में 3.5 गुने का अन्तर था। 1960-61 में शहर और ग्रामीण लोगों की आय में चार गुना का अन्तर हो गया तथा इसी प्रकार से 1970-71 में 4.5 गुना का अन्तर हो गया और 1978 में 6 गुना का अन्तर हो गया— इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि हमारे किसानों को जो उनकी पैदावार का पैसा मिलना चाहिए, वह लाभ जो उनको मिलना चाहिए, वह मलाई उनको नहीं मिलती है। गन्ना वह पैदा करता है, मलाई शुगर इन्डस्ट्री वाले खा जाते हैं। मुगफली वह पैदा करता है और मलाई मिल वाले खा जाते हैं। कपास वह पैदा करता है और मलाई टैक्सटाइल मिल वाले खा जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में समाजवाद तभी आ सकता है, जब किसानों को उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का, उसके उत्पादन का हम उसको सही पारिश्रमिक दिलवायेंगे। मैंने शोलापुर, और इच्छलरारंज, महाराष्ट्र

में देखा है कि वहां पर कोआपरेटिव द्वारा लोगों ने बहुत काम किया है और गुजरात में भी लोगों ने कोआपरेटिव में बहुत काम किया है जो कि काबिले तारीफ है और उनके चरणों में सिर झुकाने की इच्छा होती है। आज किसानों को कोआपरेटिव सैक्टर में लगाकर, उनके द्वारा जो उत्पादित माल है, उसका उसको मालिक बनाकर जो मलाई है, वह उसको दी जा रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी और प्रधान मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में समाजवाद लाने का केवल एक ही रास्ता है और वह यह है कि इन्डस्ट्रीज का मालिक भी किसानों को बना दिया जाए और जो मलाई है वह तभी किसानों को मिल सकती है, यदि हम उनको इन्डस्ट्रीज का भी मालिक बना दें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है समाजवाद लाने का।

सभापति महोदय : जरूरत से ज्यादा मलाई मत दीजिए। इससे बीमारी बढ़ सकती है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, इन्सैक्टिसाइड की कीमतें बढ़ गई हैं, हमारा किसान कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए हमको उसके उत्पादन की ऐसी कीमतें देनी चाहिए, जिससे कि वह राहत की सांस ले सकें। जिससे कि वह दुगुने उत्साह के साथ दुगुनी चीजें पैदा कर सकें। कभी सूखा पड़ता है और कभी बाढ़ आती है, ऐसी स्थिति में क्रॉप का इन्शोरेंस न होने के कारण किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वह मेहनत भी करता है, लेकिन उसका फल उसको नहीं मिलता है और कभी कभी तो भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। इस प्रकार की स्थिति में हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने जैसा कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं।

मेरा यह निवेदन है कि यदि हम सपोर्ट प्राइस को बढ़ायेंगे तो जो दूसरा सामान है, जैसे सीमेंट, लोहा, इन सब की कीमतें भी बढ़ेंगी। ट्रांसपोर्ट की कीमत तो बढ़ ही रही है। इन सब से वेतन-भोगी लोग भी मांग करेंगे कि कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिये वेतन बढ़ाइये और परिणाम यह होगा कि देश में इन्फलेशन का दुष्चक्र फैल जाएगा। मैं आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं—सपोर्ट प्राइस न बढ़ाइए, बल्कि इनपुट्स की जो कीमतें हैं, खाद की कीमतें हैं इनको कम कीजिए या सब्सिडाइज कीजिए, ब्याज की दर कम कीजिए। महाराष्ट्र में ब्याज माफ किया गया है—छोटे और मध्यम किसानों का, इससे बहुत राहत मिली है, इसी तरह की सुविधा हमें अन्य स्थानों के किसानों को भी देनी चाहिए, जिससे उनको एक बार फिर नया जीवन जीने का मौका मिल सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन घन्टी बज गई है .. ।

सभापति महोदय : आप दो मिनट में सूत्र-रूप में कह दीजिए।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : आज हमारी कृषि-उपज मंडियों में कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे किसानों को ठीक समय पर पेमेंट नहीं होता है। नियम यह है कि पेमेंट 24 घंटे के अन्दर

हो जाना चाहिए, किताबों में लिखा भी है, लेकिन मंडी समितियों के पास कोई प्रभावी अधिकार नहीं है कि जिस भाव पर किसान का माल बिका है, नीलाम हुआ है, उसकी कीमत 24 घन्टे के अन्दर उस को मिल जाय। इसके लिए कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

अन्त मे मै एक शेर कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा—

रफ़्ता-रफ़्ता आजायेगा इज़हारे-जज़बात का ढंग
ताज़ा-ताज़ा दर्द उठा है पहला-पहला रोना है।

श्री बालासाहेब बिखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, आपने वक्त दिया, इसके लिये आभारी हूं। इस प्रस्ताव को रखनेवाले का भी इसलिये अभिनन्दन करता हूं कि इस दफा उन्होंने कन्ज्यूमर का कोई जिक्र नहीं किया। जब वह बाहर जा कर बोलते हैं तो कहते हैं कि दाम कम होना चाहिये, लेकिन जब हाउस में आते हैं तो कहते हैं कि दाम बढ़ना चाहिये। इस तरह की दोहरी नीति चलाते हैं। बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि वेतन बढ़ना चाहिये, इन्फलेशन का रेट बढ़ गया है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार वे इन सब बातों को भुलाकर किसान के पास आये हैं। पहले तमाम अपोजीशन के लोग, जब भी किसान का सवाल आता था, कहते थे कि कन्ज्यूमर के दाम बढ़ जायेंगे, जिस को वह सहन नहीं कर सकेगा, लेकिन इस दफा उन्होंने अपनी नीति बदल दी।

मेरी सरकार से एक विनती है—उत्पादन खर्च को कम किया जाना चाहिये। प्रश्न यह है कि कैसे कम किया जाय ? दाम बढ़ाने की मांग हम भी करते है, लेकिन दाम बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उत्पादन खर्च में यदि हम कुछ कमी कर सकें तो कन्ज्यूमर को, वेतन पाने वालों को राहत मिल सकती है। मैं चीनी की बात को लेता हूं—इस में सरकार प्रोक्योरमेन्ट कर रही है। लेकिन जब धान के व्यापार के राष्ट्रीयकरण की बात आई थी तब आप देखिये, किस-किस ने विरोध किया था ? इसलिये कि इसमें दलाल और आढ़तिये फायदा उठाते थे। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, इसके राष्ट्रीयकरण से ही किसानों को सही दाम मिल सकेगा और दलालों और आढ़तियों की जेब में जो पैसा जाता है, वह नहीं जा सकेगा।

यहां पर ए०पी०सी० का जिक्र किया गया। मैं भी इस कमीशन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। न यह एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी है और न यह कानून के मुताबिक है। इस में परिवर्तन करना चाहिये। मैंने इस बारे में एक बिल भी दिया है। एक बिल मैंने कम्पलसरी क्राप इन्शोरेंस के बारे में दिया है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब तक इसको कानूनी रूप नहीं दिया जायगा तब तक काम नहीं चलेगा। आप देखिये—ए०पी०सी० ने पैडी और कोर्स राइस के लिये 95 रुपये का भाव तय किया, बाद में सरकार ने उसको 105 रुपये कर दिया। हिन्दुस्तान में क्लाइमेटिक कन्डीशन हर जगह की अलग अलग है, कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर सूखा है, कहीं ज्यादा पानी बरसता है—इसलिये हर जगह उत्पादन खर्च भी कम और ज्यादा होता है। आप को उनके उत्पादन खर्च को दृष्टि में रख कर कीमतें तय करनी चाहिये। मैं चीनी मिलों का

जिक्र नहीं करना चाहता हूं । क्योंकि चीनी के मामले में एक्साइज ड्यूटी इन्वाल्व्ड है; उसका ढांचा अलग है, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जहां उत्पादन खर्च कम या ज्यादा है, उसमें पैरिटी लाने की जरूरत है । क्योंकि चीनी का एक्साइज ड्यूटी और उनका ढ़ांचा अलग होता है, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जहां उत्पादन खर्च में कमी जरूरी है वहीं उसमें पैरिटी लाना भी जरूरी है । जब हम खुद ही सेल्फ रिलेयंस की तरफ जा रहे हैं, जब तक हम उसके उत्पादन खर्च को कम नहीं करते, उसको पैदावार में घाटा होगा । छोटे किसान के लिए, जिसको पैदावार में घाटा होता है, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं । मैं तो यह समझता हूं कि कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज हैं, इसमें ज्यादा पैसा लगाने से पैदावार बढ़ती है । छोटे किसान के ब्याज को कम कर दीजिए, ऋण दीजिए, ब्याज न लीजिए, जब उसकी रीपेइंग कैपेसिटी आ जाए तब वह वापस करेगा, ऐसी व्यवस्था की जाए । जब तक इन बुनियादी बातों को नहीं समझा जाएगा, तब तक काम नहीं चलेगा । लोकप्रियता की वजह से कोई आंदोलन शुरू कर दें, हम भी उनके साथ चलें और श्रेय ले लें, इससे काम नहीं चलेगा । इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि ए. पी. सी. में भी पूरा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हमारा 60 प्रतिशत किसान खुद ही कंज्यूमर है, 25 प्रतिशत किसान अपने लिए जितना लगता है, उतना ही पैदा कर सकता है, ज्यादा नही, 15 प्रतिशत किसान ज्यादा पैदा करता है और केवल 5 प्रतिशत किसान स्टोर कर सकता है, 10 प्रतिशत तो ऐसा है जो घर की कठिनाइयाँ होती हैं उनको पूरा करने के लिए बेचता है । असल में आप देखें तो 90 प्रतिशत किसान खुद कंज्यूमर बन जाते हैं, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उसके उत्पादन खर्च को कम किया जाए तभी काम बन सकता है ।

कर्जा वितरण प्रणाली में भी आपको पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा । रीहैब्लीटैशन किसान का होता है, उससे काम नहीं चलता, जिस सही ढंग से यह होना चाहिए था उस ढ़ंग से रिजर्व बैंक ने नहीं किया, उससे डिफाल्टर्स बन जाते हैं, सूखा पड़ता हैं, बाढ़ आती है, और भी बातें होती हैं, जिससे वे डिफाल्टर्स बन जाते हैं । एक आर्टिकल मैंने अखबार में पढ़ा हैं, उसमें एक इकनामिस्ट ने लिखा है कि भारत सरकार ने धान का दाम बढ़ाकर 105 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है , इससे इन्फूलेशन बढेगा, अगर आपको किसान से ज्यादा प्यार है तो आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते । आज जो मूवमेंट चल रहा है, जो हवा चल रहीं है, उनका आप राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं ।

महाराष्ट्र के बारे में बोलते हैं मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्ज रिटन आफ किया है वह महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी में गया है । वहां के लोग जितना पैसा देते हैं उससे गवर्नमेंट को री-पेमेंट किया है । जब तक हम अनइकनामिक होल्डिंग के लिए नहीं सोचते, दूसरा कोई रास्ता नहीं ढूंढते, किसान के खर्चे में जब तक कमी नहीं करते तब तक समस्या का हल नहीं हो सकता ।

महाराष्ट्र आंदोलन के बारे में कहा गया । मैं थोड़ी सी उस बारे में जानकारी देना चाहता हूं । चित्त बसु जी ने कहा कि चीनी मिलों ने काफी पैसा कमाया, आपको जानकारी होगी,

लेकिन मैं भी आपको बतलाता हूं कि [illegible] चीनी मिलों से [illegible] रुपये में, बाहर ज्यादा दाम होते हुए भी पूरी चीनी सरकार ने ले ली और सरकार ने वह चीनी कुछ राज्य सहकारी समितियों के द्वारा, कुछ फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा, कुछ निजी व्यापारियों के द्वारा वितरित कर दी। पूरी चीनी सरकार को देने के बावजूद कहा जाता है कि नफा कमाया है, सुगर मैगनेट बन गया है।

दूसरी बात यह कही गई कि लेवी की चीनी 2.85 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति किलो हो गई है। जब गन्ने का दाम आप बढ़वाना चाहते हैं तो चीनी के दाम बढ़ाए बगैर गन्ने के दाम कैसे बढ़ाए जा सकते हैं ?

लेवी शूगर के अलावा जो फ्री सेल शूगर होती है यह जो अनियंत्रित चीनी होती है उसका पूरा दाम किसान के पास जाना चाहिये। फ्री सेल शूगर की 100 प्रतिशत वसूली गन्ना-उत्पादकों के पास जानी चाहिए, न कि मिल मालिकों के पास। सुब्रह्मण्यम साहब ने 1976 में एक शूगरकेन कंट्रोल आर्डर में एमेंडमेंट किया था और कहा था 50 परसेंट चीनी मिलों के पास रहे और पचास परसेंट किसानों के पास जाएगी। जब आप लेवी शूगर के दाम बढ़ाते हैं तो जो डिप्रिशिएशन होता है, जो ओवर हैडज होते हैं, रिपेयर्ज इनक्ल्यूडिंग इंटरेस्ट होता है, उस सब के लिए तो उन्होंने प्रोवाइड कर ही लिया होता है तो फिर क्यों न पूरा दाम किसान को मिले ? इन मदों में कितने रुपए रखे जाएंगे यह चीनी मिलों के हाथ में आपने छोड़ा है। मनमाने ढंग से वे इसको कर देती है। कोई कोई 20 रुपए, कोई 25 रुपये, कोई 17 रुपए एनाउंस कर देती है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि शूगर केन कंट्रोल आर्डर में अब एमेंडमेंट इसके बारे में करना जरूरी हो गया है। फ्री सेल शूगर की कुल वसूली गन्ना-उत्पादकों के पास जानी चाहिए। ऐसा आपने किया तो किसानों को न्याय मिलेगा। चीनी मिल मालिक तरह तरह की कठिनाइयां किसानों के सामने पैदा करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि गन्ने को लेने वाला कोई नहीं था और हमारे इलाके में लोगों ने गन्ने को खेतों में जलाया। उस वक्त किसान की हालत क्या हुई होगी उसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं।

पिछले तीन सालों में महाराष्ट्र सरकार ने और भारत सरकार ने कपास के दाम कितने बढ़ाए हैं, यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए। भारत सरकार ने कम और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके दाम गत वर्ष साठ से 130 रुपए कर दिए थे और आपने अभी तक केवल 25 रुपये बढ़ाए हैं। महाराष्ट्र में कपास बहुत ज्यादा पैदा होती है। महाराष्ट्र के कुछ लोगों की मांग थी कि चावल के दाम 130 रुपये होने चाहिए और महाराष्ट्र सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है। प्याज को आप लें। अभी तक इसका प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था। पिछले साल महाराष्ट्र ने इसके दाम चालीस रुपये से बढ़ाकर साठ रुपये कर दिये थे जबकि इस साल आपने 55 रुपए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 70 रुपये किए हैं। मैं समझता हूं कि हम सब को मिलकर टोटल प्रोक्योरमेंट की आवाज उठानी चाहिए। कितनी खेती की पैदावार है उसकीटोटल प्रोक्योरमेंट की मांग करनी चाहिए। इससे किसान और कंज्यूमर दोनों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।

एग्रिकलचर लेबर की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। दाम तय करते वक्त हम को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो खेत मजदूर है उसकी कम से कम कितनी मजदूरी होनी चाहिए। उतनी मजदूरी दिलाने की भी हमको व्यवस्था करनी चाहिए। चपरासी जितनी तनख्वाह लेता है उतनी मजदूरी तो उसको मिलनी ही चाहिए। आप यह भी देखें कि साल में कितने दिन उनको काम मिलता है। सौ दिन मिलता है और 250 दिन वह खाली बैठा रहता है।

तीस साल में हमारी सरकार ने कुछ गलतियां की होंगी लेकिन आपने ढाई साल के कार्यकाल में आपने कितना सुधार किया है इसको भी आपको देखना चाहिए। तीन साल में कांग्रेस ने कुछ न कुछ बुनियादी बातें की हैं। प्रोक्योरमेंट पोलिसी बनाई, स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कीं, बफर स्टाक बनाए। एक दिन में सब बदल नहीं हो सकता है। यह जो कहा जाता है कि हमारी सरकार ने किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया ठीक नहीं है। यह ठीक हो सकता है कि जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया। थोड़ा ध्यान दिया है इसको मैं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा ध्यान उसकी तरफ दिया जाना चाहिए।

आप नहर निकालते हैं, ट्यूबवैल निकालते हैं तो कुछ तो सरकार स्वयं निकालती है और कुछ प्राइवेट लोग निकालते हैं। जितना कैपिटल इनवैस्टमेंट करना पड़ता है ओपन वैल या ट्यूववैल के लिए मैं चाहता हूं कि वह सारा सरकारी खर्चे पर होना चाहिए। आप बड़ा डैम बनाते हैं और उसका पानी किसान को देते हैं तो जो बंडिग बनाते हैं उसका बोझ उसके ऊपर क्यों डाल दिया जाता है यह मेरी समझ में नहीं आया है। डैम का जो लोन है वह सरकार उस पर नहीं डालती है तो बंडिग का क्यो डालती है आप इंडिविजुअल को उसमें आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बंडित का लोन किसान के ऊपर क्यों लादते हैं?

वह बेचारा अपनी जमीन मारगेज करता है और पूरा परिवार कूआं खोदने के लिए जाता है उसको आप क्या आर्थिक मदद देते हैं? कुछ नहीं। वह रात में अपने खेत में पानी लगाता है, अगर मजदूर काम करे रात में तो वह ओवर टाइम मांगता है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता। जब देश में बिजली की कमी है तो किसान के काम आने वाली बिजली का मिनिमम रेट होना चाहिए। 10 परसेंट बिजली स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड किसान को देते हैं उसको अगर आप थोड़ी सी भी सहूलियत दें तो कितना घाटा होगा? कुछ नहीं। ऐसे ट्रेड में जहां आप 90 प्रतिशत बिजली देते हैं और जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं वहां आप बिजली के दाम बढ़ा सकते हैं, 10 प्रतिशत बिजली जो किसान को देते हैं उसमें आप क्यों राहत नहीं देते? आपको उत्पादन खर्च कम करना चाहिए। तेल और खाद के बारे में हम समझ सकते हैं कि वह बाहर से आते हैं और उनकी कीमत पर हम कंट्रोल नहीं रख सकते, लेकिन जो आपने 600 रु० खाद के लिए सबसिडी दी है मैं चाहता हूं कि उत्पादन और कंजयूमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड अगर करना है तो इस विषय में आपको जाना पड़ेगा। जब तक किसान संगठित नहीं है आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संगठित हो जाएगा तो आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारे विरोधी दल के लोग जिस दिलचस्पी से किसान की पैदावार के दाम बढ़ाने की मांग कर

रहे हैं उसी हिसाब से जब दाम बढ़ेंगे और इनफ्लेशन बढ़ेगा तो [illegible] भी संगठन करना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट यहां नहीं लाना चाहिए क्योंकि यह किसानों से संबंधित बात है।

किसान के घर में जब अनाज आता है तो उसको मजबूर होकर बेचना पड़ता है क्योंकि उसको दुनियां भर के कर्ज देने होते हैं, पैसे की जरूरत होती है, वह वेतन भोगियों की तरह 10,15 दिन स्ट्राइक करके सस्टेन नहीं कर पायेगा क्योंकि उसके पास इकोनामिक ताकत नहीं है। इसलिये आपको ए. पी. सी. का पुनर्गठन करना चाहिये, कम्पलसरी क्राप इंशोरेंस करना चाहिये और व्यापार में जो दलाल है उसको निकालना चाहिए और पूरी खेती की पैदावार सरकार खुद प्रोक्योर करे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने यह प्रस्ताव बिलकुल उचित समय रखा है। मैंने इस सदन के सभी वर्गों की बातें सुनी और यह कहा जा सकता है कि एक प्रश्न पर तो सदन के दोनों पक्ष सहमत हैं और वह यह है कि किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। उन्हें उत्पादन पर लगाई गई लागत तक से वंचित रखा जा रहा है। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि एक ऐसा सन्तुलन कायम हो गया है कि इसे राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में वर्णित किया जा सकता है? उनकी मांग क्या है? यह कि ग्राम मूल्य वृद्धि हुई है, गत दस महीनों में या इसके लगभग की अवधि में कच्चे माल, उर्वरक, कृषि उपकरण, कीटनाशक औषधियों आदि के मूल्यों में 20% तक वृद्धि हुई है। कई बार मूल्य बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त लेवी और करों की वसूली भी की जाती है। कई बार ग्रामीण ऋण की राशियों में वृद्धि की गई है। कुछ वर्ष पहले ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता 792 करोड़ रुपये की धनराशि तक की थी। अब यह 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपये के बीच में है, और कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा रही है। उनके उत्पादन की लागत, कुछ लाभांश और जोखिम भत्तों को इकट्ठे जमा करने पर जितना लाभप्रद मूल्य बनता है, वह उन्हें नहीं मिल रहा है और आज हम देखते हैं कि देश के सभी किसानों में रोष व्याप्त है। हर जगह अशान्ति छाई हुई है। यह केवल उस उत्तरी भाग में ही नहीं है, जिसे हरित-क्रांति का क्षेत्र कहा जाता है। यह हालत पश्चिमी भागों तक फैली हुई है। दक्षिणी भाग में भी है ये। पूरे देश और सम्पूर्ण किसान समुदाय को इसने प्रभावित कर रखा है। किसानों का प्रत्येक वर्ग इसमें सम्मिलित है। आप इस प्रश्न का किस प्रकार अनुमान लगायेंगे? किसानों की इस मांग के बारे में आप क्या करेंगे? समस्या के मूल में यही बात है। एक ही बात सब पर लागू होती है, किसान अपनी बरबादी करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी बरबादी की यह प्रक्रिया बहुत समय पहले ही शुरू हो गई थी और अब हम ऐसी अवस्था में आ पहुंचे हैं, जहां वे बरबादी की इस प्रक्रिया के आगे समर्पण करने को तैयार नहीं है। वे संघर्ष कर रहे हैं। उनमें संगठन पैदा हो गया है और विभिन्न तरीकों से वे विरोध प्रकट कर रहे हैं, जैसा आप देश में कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन प्रश्न तो यह है कि उस सरकार पर, जो कार्य करने में सक्षम होने का दावा करती है, उस पार्टी पर जिसने किसानों से यह वादा किया था कि यदि जीत गए तो, "हम आपको लाभप्रद मूल्य प्रदान करेंगे" आज इसकी क्या प्रतिक्रिया है? आओ हम देखें कि

जनता की कठिनाइयों के प्रति उनका क्या रवैया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, इसके बारे में विचार करें। हजारों के हजारों किसान गिरफ्तार किए गए और मारे गए। यह उसका उदाहरण है कि सरकार कैसे काम कर रही है।

महोदय, इस सदन के उस भाग से मुझे ऐसा सुनाई पड़ा कि उनमें से कुछ लोगों ने लाभप्रद मूल्यों सम्बन्धी इस आन्दोलन को राजनीति से प्रेरित आन्दोलन बताया। इस बात को यदि मान भी लिया जाए, तो भी उनकी शिकायतें सच्ची है, चाहे उन पर राजनीति से प्रेरित होने की बात ही क्यों न थोपी गई हो। लेकिन हम क्या देखते हैं ? हम देख रहे हैं कि कांग्रेस (आई) के लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं और महाराष्ट्र में वे कभी-कभी इस प्रकार के आन्दोलनों में भाग लेते भी देखे गए हैं। वे दो आवाजों में बोल रहे हैं, जैसी दो मुंह वाले एक दैत्य की पुरानी कहानी है, एक मुंह से तो अच्छी बातें, जनता को, किसानों को भली लगने वाली बातें बोली जाती हैं और दूसरे मुंह से एकाधिकारवादियों, बड़े औद्योगिक गृहों के समक्ष आत्म-समर्पण करने की तथा इन किसान समुदायों का शोषण करने और उन्हें लूटने की बात कही जाती है।

महोदय, दूसरे पक्ष से कृषि मन्त्री ने अभी कुछ समय पहले यह तर्क दिया था कि यदि उन्हें लाभप्रद मूल्य प्रदान कर दिए जाएंगे, तो इससे और मूल्य वृद्धि हो जाएगी और इससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : यह मैंने नहीं कहा था। लाभप्रद मूल्य पहले ही दिए जा रहे हैं।

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं उस बात पर आ रहा हूं। आपके द्वारा उत्पादन की लागत का मूल्यांकन करने के हिसाब से तो 'कृषि मूल्य आयोग' 'किसान विरोधी संगठन' बन गया है। यह बड़े खेद का विषय है। मैं उस बात पर आऊंगा। और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन यदि हम किसी मद के बारे में विश्लेषण करने लगें, तो देखेंगे—चीनी मिल मालिकों द्वारा अर्जित किए जा रहे लाभ की तुलना में गन्ना-उत्पादन के मामले में, कपड़ा मिल उत्पादकों द्वारा अर्जित किए जा रहे लाभ की तुलना में कपास-उत्पादन के मामले में अथवा आप अन्य कोई भी मद ले सकते हैं कि उपभोक्ताओं और किसानों, दोनों वर्गों को ही मूंडा जा रहा है तथा बड़े व्यापारियों, एकाधिकारवादियों और ऐसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा जिनके लिए इस सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं, भारी सम्पत्ति का ढेर लगाया जा रहा है।

यह कहा जाता है कि यदि हम कपास उत्पादकों अथवा धान उत्पादकों अथवा अन्य किसी वस्तु के उत्पादकों किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के प्रश्न पर विचार करना शुरू करते हैं, तो उपभोक्ता मूल्य बढ़ जाएगा। मैं इसके विस्तार तथा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। श्री चित्त बसु बहुत कुछ आंकड़े दे चुके हैं, मैं उनमें से केवल कुछ के ही बारे में बात करूंगा। महोदय, आप देखेंगे कि कुछ आर्थिक सहायता पहले ही दी जा रही है—जो लगभग 600 करोड़ रुपये की है। यदि

आप कपास-उत्पादकों, गन्ना, धान, गेहूं और पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देते हैं, जिन्हें वर्षों से वंचित रखा गया है तो मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की, जिसके लिए आप वचनबद्ध हैं, आपने उसकी शपथ खाई हुई है। बड़े गृहों और एकाधिकाधिकारवादियों के भारी लाभ की इस धनराशि का केवल एक अल्पांश देने भर की बात है। मूल्य को बढ़ाए बिना और उपभोक्ताओं पर प्रभाव डाले बिना आप यह समस्या हल कर सकते हैं।

और आप धन की बात करते हैं। वह धन कहां से आएगा ? यदि बड़े गृहों, कपड़ों मिलों, पटसन के बड़े व्यापारियों और कपास के बड़े व्यापारियों द्वारा अर्जित लाभ का विश्लेषण करें, तो हम यह पायेंगे कि गत 33 वर्षों के दौरान उन्होंने भारी लाभ कमाए हैं और इतनी सम्पत्ति अर्जित की है, जिसका इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता। श्री मंडल ने यह बिलकुल ठीक कहा है कि इन कुछ बड़े गृहों ने पूरे देश के उपभोक्ताओं और किसानों, दोनों को मूंडा है। लेकिन क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं ? क्या आप आर्थिक सहायत देने के लिए तैयार हैं ? क्या आप उन गृहों को छूने के लिए तैयार हैं ? क्या आप उन पर कर लगाने के लिए तैयार हैं ? क्या आप उन जमींदारों और अधिक आय वाले लोगों को छूने के लिए तैयार हैं ? क्या आप उनसे उनका काला धन घोषित करवाने के लिए तैयार हैं, और ऐसे कुछ बड़े गृहों को दण्ड देने के लिए तैयार हैं, जो आय-कर की चोरी कर रहे हैं ?

पूरे प्रश्न को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। यह प्रश्न भूमि सुधार के महत्वपूर्ण प्रश्न से सम्बन्धित है। जब तक आप भूमि सुधार के बारे में गम्भीर नहीं हो जाते, तब तक आप समानता नहीं ला सकते। आप किसानों अथवा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते। उस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने समाजवाद की बात की थी। मुझे किसी का यह कथन याद है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी बन गया है जिसे चाहे जो कोई पहन सकता है। उस पक्ष के लोग इसे पहनने का प्रयास कर रहे हैं।

चुनावों से पहले आपने बहुत से वायदे किए थे और झूठी घोषणायें की थीं। आपने 'गरीबी हटाओ' और 20 सूत्री कार्यक्रम की बात की थी, लेकिन व्यवहार में क्या हुआ। जब गरीब कृषि श्रमिक ने न्यूनतम वेतन की मांग की, तो आपने उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की धमकी दी, उसे दण्ड देने की धमकी दी। आपने अपनी दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर डाले। सामान्य कानून पर्याप्त न रहा। पुलिस के बारे में हमें रोजाना क्या देखने को मिलता है ? हम देखते हैं कि वे उन गरीब किसानों को, कृषि श्रमिकों को और औद्योगिक श्रमिकों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, जो अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं करना चाहती। आप गन्ने के मामले को देखें। आपने कहा है कि यदि आप गन्ने का मूल्य बढ़ाते हैं, उन्हें 25/- रुपये प्रति क्विंटल का लाभप्रद मूल्य देते हैं, हालांकि महाराष्ट्र में वे 30/- रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, तो चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा। मैं चीनी के मामले में विशेषज्ञ नहीं हूं। उस पक्ष में अनेक ऐसे माननीय सदस्य हैं, जो इस मामले के विशेषज्ञ

हैं। चीनी के उत्पादन की लागत के आधे भाग को गन्ने की लागत के रूप में माना जा सकता है और एक क्विंटल गन्ने से 10-11 किलोग्राम चीनी का उत्पादन किया जा सकता है। यदि आप पूरा हिसाब लगायें और चीनी के मूल्य और गन्ने के मूल्य की तुलना करें तो पायेंगे कि मिल-मालिक एक क्विंटल पर 100/- रुपये से भी अधिक का लाभ कमा रहे हैं।

गांवों में चीनी 8 रुपये और 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेची जा रही है और कुछ स्थानों पर तो यह 10 रु० प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है। आप कहते हैं कि यदि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए और किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जाए, तो इससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे। कुछ वर्षों पहले एक औसत किस्म की कपास—मैं सभी किस्मों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं—की दर लगभग 450 रु० से 500 रु० प्रति क्विंटल थी। अब कुछ स्थानों पर इसका भाव 250 रु० से 300 रु० प्रति क्विंटल रह गया है। आप इस मूल्य की तुलना जरा कपड़े के मूल्य से कीजिए। गत दस वर्षों में कपड़े के मूल्य में दस गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है और यह वृद्धि अभी जारी है। अब जरा पटसन के मामले पर गौर फरमाएं। श्री चित्त बसु भी इस विषय पर बोले हैं। मैं भी देश के उसी भाग से सम्बन्धित हूं। प्राचीन काल से ही, 40 लाख से भी अधिक पटसन उत्पादन भारतीय अर्थ-व्यवस्था को पुष्ट बना रहे हैं। पहले भी ऐसे कई अवसर आए हैं, जब पटसन उत्पादकों की उचित मांगों पर विचार किया गया। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। डा० बी०सी० राय के समय, पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था, जिसमें लाभप्रद मूल्यों सम्बन्धी सिफारिश की गई थी। उसके बाद बहुत समय बीत चुका है। अब कृषि मूल्य आयोग का जन्म हुआ है, जिसे किसान एक बड़े किसान विरोधी संगठन के रूप में समझते हैं। आयोग किसानों के हित के विरोध में कार्य कर रहा है। वह मूल्यों का कैसे हिसाब लगाएगा ? यह कुछ बेतुकी और अनोखी सी बात है, जिसका वास्तविकता से संबंध नहीं है। लेकिन उन्हें मूल्य निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकारें धान, पटसन, गेहूं, कपास, प्याज गन्ना और अन्य जिन्सों के मूल्यों का हिसाब लगाती हैं और अपने-अपने निष्कर्ष निकालती हैं। राज्य के विश्वविद्यालय भी उत्पादन की लागत के आधार पर मूल्यों का हिसाब लगाते हैं। लेकिन यदि आप उनकी तुलना करें, तो पायेंगे कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा लगाया गया हिसाब सदैव ही लाभप्रद मूल्यों से काफी कम बैठता है।

छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और गरीब किसानों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। कृषि मजदूर भी इस संघर्ष में उनका साथ दे रहे हैं। वह यह समझते हैं कि न्यूनतम मजदूरी केवल तब ही सुनिश्चित हो सकती है, जबकि वे किसानों के अन्य वर्गों के साथ एकता स्थापित करे रखते हैं। किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए, उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। कृषि मजदूर भी न्यूनतम मजदूरी की मांग करेंगे। मांग उचित भी है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ? सरकार उनकी बात का समर्थन कर रही है। कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आप खाद्यान्नों की सप्लाई रोक सकते हैं लेकिन जनता इस बात का अनुमान लगा लेगी कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी है। पश्चिम बंगाल सरकार भारत की सरकारों

के लिए एक आदर्श बन गई है। यह सही तसवीर है। किसी माननीय सदस्य के सन्दर्भ में कोई सज्जन 'डायनामाइट' का जिक्र कर रहे थे। कृपया यह याद रखें कि 'डायनामाइट' का प्रश्न नहीं है। आप ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। इतने आत्म-संतोषी न बनिए। इतने अधिक आत्म-विश्वासी न बनिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के आइने से वस्तुओं को न देखें। यह सोचते हुए कि दमनात्मक कार्यवाही से काम बन जायगा, लोगों को न देखें। मानव का इतिहास क्या है? आपने उससे क्या सीखा है? आपने उससे कुछ नहीं सीखा। आत्म-संतोषी लोगों, दीवारों, पर जो कुछ लिखा होता है, क्या आप उसे नहीं देखते हैं? आप इस विषय का टालने का प्रयास न करें। आप छल-कपट के तरीके अपना सकते हैं। लाभप्रद मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाले उपभोक्ताओं और किसानों में आप फूट डाल सकते हैं। लेकिन इन छल-कपट की कार्यवाहियों से काम नहीं चलने वाला है। औद्योगिक मजदूर उपभोक्ता और किसान सब एकजुट हो रहे हैं। क्या आपको महाराष्ट्र से दक्षिणी राज्यों से जनता के 'मोर्चों' की बढ़ते हुए कदमों की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है जो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। और आप ज्वालामुखी पर बैठे हैं, याद रखें, किसी भी दिन आपको सत्ता से बाहर फैंक दिया जायगा। (व्यवधान)।

लोग आ रहे हैं, आप उन्हें मार सकते हैं। (व्यवधान)।

लोग, जब अपनी उचित मांगों के लिए आ रहे हैं आप उन पर लाठी बरसा दें··· (व्यवधान)। इतिहास ने हमें क्या सिखाया है, इतिहास से आपने भी कुछ सीखा होगा, लेकिन आप पर इसका कोई असर नहीं हुआ है, परन्तु आपको सत्ता से बाहर फेंक दिया जायगा। आपने स्वयं ऐसी हालत पैदा कर दी है। यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। मैं एक उपयोगी सुझाव देना चाहता हूं। क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करेगी? अपनी आर्थिक नीति में। वर्तमान संकट को देश में बढ़ते हुए आर्थिक संकट की नजर से देखना होगा। किसानों का इस आन्दोलन को उसकी तुलना में देखना होगा। यदि आप वास्तविक रूप से भूमि सुधार नहीं कर सकते और यदि आप अपने रवैये तथा विकास की पूंजीवादी मार्ग में परिवर्तन नहीं कर सकते, यदि आप कोई ऐसी आत्म निर्भर अर्थ-व्यवस्था, जो जनता के हित में हो, लागू नहीं कर सकते, तो आप किसी भी समस्या को हल करने में समर्थ नहीं होंगे। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए आपको कुछ दमनात्मक उपाय करने पड़ेंगे, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी करना पड़ेगा, कभी आपात-काल की घोषणा करनी पड़ेगी। कांग्रेस (आई) के कुछ लोग एक दिन इस बारे में बोल रहे थे। आप संसदीय प्रणाली को किसी अन्य प्रणाली में बदल सकते हैं। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आप ज्वालामुखी पर बैठे हैं। यदि आप अपनी मूल नीति में परिवर्तन नहीं लाते, तो आपको सत्ता से बाहर फेंक दिया जाएगा।

सभापति महोदय : श्री जी० एल० डोगरा।

श्री गिरधारीलाल डोगरा (जम्मू) : मेरे से पहले बोलने वाले फाजिल दोस्त ने अभी बहुत अच्छे ढंग से तकरीर शुरू की थी लेकिन आखिर में जाकर उन्होंने इसमें पालिटिक्स को

इनवाल्व कर दिया है। उनकी कुछ बातें बहुत माकूल हैं। अगर हम इस समस्या को पालिटिक्स से अलग कर दें तो इसका हल आसान हो जायगा। इसी इशू को लेकर अगरहम रास्ता निकालना चाहें तो निकल सकता है। दरअसल बात यह है कि जो डिवेलपिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनोमी एक नई शक्ल अखत्यार कर रही है। हम एक नए दौर में से गुजर रहे हैं। मंडल साहब कुछ भी कहें इस बात को उनको मानना पड़ेगा कि हम एक खास दौर से गुजर रहे है इस दौर में जब तक हम नए ढंग से नहीं सोचेगे तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है। प्रो० दंडवते साहब, श्री सुब्रह्मण्य स्वामी जी, चव्हाण साहब जो वित्त मंत्री रह चुके हैं वे इसको मानेंगे कि डिवेलेपिंग कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनोमी को ठीक रखने के लिए एक नया ढंग अपनाना पड़ेगा, नई सोच और नया तरीका इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। जब तक इस बात को हम सामने नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें सियासत को लाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय शोर शराबे के।

हमारे एग्रिकलचर मिनिस्टर साहब का काम बहुत मुश्किल है। एग्रिकलचरल प्रोड्यूस की किसानों को रिम्युनरेटिव प्राइसिस जरूर मिलनी चाहिए। इसमें किसी की मुखालिफत नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ इन कीमतों की नहीं बल्कि टोटेलिटी में कीमतों की है। बात दरअसल यह है कि किसी न किसी बुनियाद को आधार मानकर आपको चलना होगा। ए० पी० सी० पर नाराज होने का क्या फायदा है। उसके मैम्बर कौन हैं। यह मैं नहीं जानता हूं। चव्हाण साहब मुझे वेअर आउट करेंगे और मैं अपने जाती तजुर्बे की बिना पर बोल रहा हूं कि जितनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जहां एग्रिकलचरल प्रोड्यूस और खास तौर पर अनाज पैदा होता है, वे हाई प्राइसिस की मांग करती है। जो कंज्यूमर स्टेट्स थीं वह हमेशा उसकी मुखालिफत करती है, दोनों तबके डिफर करते थे ए० पी० सी० से, और आज भी वही सूरत है। हमारे कृषि मंत्री जी किसान हैं, वह इन सब बातों को जानते हैं मगर जब तक प्राइस का मसला टोटेलिटी में हल नहीं करते तब तक बात नहीं बढ़ेगी। प्राइसेज की स्टेबलिटी के लिए एक माहौल पैदा करने की जरूरत है। ठीक माहौल सच और कोशिश से पैदा होगा। इस मसले को न तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और न ब्यूरोक्रेट्स हल कर पायेंगे, बल्कि पोलिटिकल इकोनामिस्ट्स ही तय कर सकते हैं। एक नेशनल तरीके पर सोचना होगा। आप बड़े फारमर की बात करते हैं और नाम लेते हैं मार्जिनल, स्माल फार्मर और खेत मजदूर का तो आप ज्यादती करते है। आपको गांवों के अन्दर रहने वाले छोटे काश्तकारों के लिए सोचना होगा और सरकार को इस तरफ तेजी से ध्यान देना चाहिए। मुझे दुख हुआ यह देखकर इसमें आप पौलिटिकल लाये। अगर स्टेबिलिटी है तो सबके लिए है। अगर खतरा है तो सबके लिए। मुझे याद है जब इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं और चव्हाण साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इन्होंने विदेश जा कर डैवलपिंग कंट्रीज के लिए भारत की ओर से आवाज उठायी और इस प्रकार हमने एक नए ढंग की लीड दी और कहा कि पुरानी इकोनामिक्स डेवलपिंग कंट्रीज के काम नहीं आ सकती, हमको खुद एक नया ढंग निकलना है। आप उन स्टेटस का भी ध्यान रखें जो हार्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यू० पी०, इनमें ऐग्रीकल्चरल इनजुट अनाज

की ज्यादा दरकार है और स्प्रे बहुत कौस्टली होता है। अनाज की फसल के लिए स्प्रे जरूरी नहीं होता है। लेकिन उनके सेब आज आलू और मटर से भी सस्ते बिक रहे हैं। इसलिए हमको टोटेलिटी में देखना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं देखेंगे तो कोई बात नही चलेगी। आप 200 रु० प्रति क्विंटल गेहूं का दीजिए मगर जो आदमी सेव पैदा कर रहा है उसको 2 रु० किलो का दाम मिलेगा तो वह आपकी बात और इन्साफ को कैसे समझेगा। सरकार को इसलिए टोटेलिटी में देखना पड़ेगा और कृषि मंत्री की इन बातों को सामने रखते हुए नुक्ताचीनी करनी चाहिए। कृषि मंत्री से ज्यादा किसानों का कोई हमदर्द नहीं है और यदि आप उन्हें कहें कि आप दुश्मन हैं किसान के तो यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह एक ऐसा मसला है, जिसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। प्राइस का सवाल है, जिसको हमें हल करना होगा। डेवलपमेंट के सवाल को भी हल करना होगा। सभापति महोदय, हमारे इलाके में ऐसे किसान हैं, जिनको उनके प्रोडक्शन का एक पैसा भी नहीं मिलता है और आप कहते हैं, कम मिलता है, मिलता नहीं ही है। रास्ता न होने की बजह से उनको सामान ले जाने में दिक्कत होती है। हिन्दुस्तान का ऐसा बहुत सा हिस्सा है, जहां पर इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन इन चीजों की तरफ किसी का ख्याल नहीं है। शायद इनको इल्म नहीं है कि ऐसे बहुत से इलाके हैं, जो कि बिल्कुल कट-आफ हैं। जब आप इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक समस्याओं को कैसे हल कर सकेंगे। यह सदन सारे भारत का है या चन्द प्रदेशों का। मैंने चन्द लीडरों को देखा है कि हर चीज को एक्सप्लायट करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लायट करने के बाद नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। गांवों में जलूस निकालने को मैं कुछ नहीं समझता हूं। इन जलूसों का मकसद है कि वीकर-सैक्शन को डराया जाए, माइनोरिटीज को डराया जाए और ऐसी तकरीरें दी जाएं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं समझता हूं पोलिटिकल भावना से काम करने से कोई अच्छी बात बनने वाली नहीं है, हम को देश में पैदावार बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए और पार्टी लाइन पर हर चीज को नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरफ ध्यान देना बड़ा लाजमी है।

सभापति महोदय, अभी श्री मंडल साहब ने कहा कि शहरों के अन्दर आमदनी बढ़ी है और गांवों के अन्दर कम है। हमारे देश में गरीबी है अगर कहीं दो कारखाने लग जायेंगे तो वह अरबन एरिया हो गया। शहरों के अन्दर हाई-पेड गवर्नमेंस सर्वेंट्स हैं, जो कि शहरों के अन्दर रहते हैं। दूसरी इन्डस्ट्रीज में जो लोग भी काम करते हैं, वे भी अरबन एरियाज में रहते हैं। शहरों के अन्दर कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो शहर और गांव के लोगों की सांझी होती हैं जैसे आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीचूट सारे हिन्दुस्तान भर में एक है वह सारे देश का साझा है॥ आप कहेंगे कि इसको उड़ा दो और घर-घर में बना दो, स्टेट-स्टेट में बना दो, गांव-गांव में बना दो। इससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक सब मिलकर देश की प्रगति के लिए काम नहीं करेंगे। मैंने बिहार को भी देखा है, आपका बिहार मेरे इलाके से कहीं ज्यादा अच्छा है। मेरा इलाका बारानी है, मेरा इलाका पहाड़ी है और यदि मेरे इलाके में खाद अगर ज्यादा पड़ जाए और बारिश न हो तो सब फसल जल जाता है। इसके बावजूद भी हमारे किसान पहले से अच्छे हैं। मैं आपको बताता हूं कि 1947 में जितना फल जितनी सब्जी हमारे जम्मू शहर में लगती

थी, उतनी हमारी देहात में 'प्रे' सड़क के एक-एक मोड़ पर लगती है। इस बात से क्या आप इन्कार कर सकते हैं कि हमारी पापूलेशन बहुत बढ़ी है। एक तरफ पापूलेशन बढ़ती है और दूसरी तरफ हम जितना उत्पादन बढ़ाते हैं, वह बढ़ती हुई आबादी की नजर हो जाता है। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमको और आपको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए ··(व्यवधान) बिहार मैंने देखा है, मैं वहां घूमा हूं। आपकी प्रोडक्शन काफी अच्छी है, खास करके नार्थ बिहार में, साउथ बिहार की बात आप जाने दीजिए। नार्थ बिहार अब काफी अच्छा है, खेती वहां पर अच्छी चल रही है।

सभापति महोदय : आपने मधुबनी देखा है, जो कि मंडल साहब का जिला है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : बहुत अच्छी तरह से देखा है।

मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक प्राइसेज का ताल्लुक है, इसको टोटेलिटी में लेना होगा, टोटेलिटी में लेने से ही वह समस्या हल हो सकती है। एण्ड-प्राडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडयूस का रिलेशनशिप रहना चाहिये। आज क्या होता है—कपड़े के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन कपास के दाम नहीं बढ़ते। इस समस्या के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिये। इसके लिए अगर आप कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनायें तो कोई बुरी बात नहीं है, उस में आप तमाम लीडर्स को रखें, तजुर्बेकार आदमियों को रखें और पार्टी लाइन को क्रास करके इस मामले पर गौर किया जाय और किसी अण्डर स्टेण्डिंग पर पहुंचा जाय।

जो भी प्राइस आप मुकर्रिर करें वह कुछ लम्बे समय के लिए होनी चाहिए। फिर अगर इनपुट के दाम बढ़ जाएं तो उसको सब्सिडाइज करना है, तो करना चाहिए। लेकिन जैसे डीजल है, जो चीज इम्पोर्ट होती है, बाहर से आती है उसका पैसा बाहर जाता है, उससे इन्फलेशन नहीं बढ़ेगा। इन्फलेशन और डेफिसिट-फाइनेन्सिग ने सब इन्टर-रिलेटेड बातें हैं। इसी तरह से जो हमारे कट-आफ इलाके हैं उनकी डवैलपमेंट हमें हर हालत में करनी होगी। जहां पर पानी की कमी है, जहां पानी का इन्तजाम करना होगा, रास्ते देने होंगे। ये लोग कहते हैं कि देहातों में कुछ नहीं हो रहा है—यह बात गलत है। फूड फार वर्क का काम बहुत अच्छा चल रहा है। जहां-जहां एडमिनिट्रेशन अच्छा है, वहां काम अच्छा चल रहा है। रूरल डवेलपमेंट की तरह भी तवज्जह दी जा रही है, इसको और ज्यादा तेज किया जाय। लेकिन यह कहना कि कुछ नहीं हो रहा है, गलत बात है।

मैं फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले को टोटेलिटी में देखिये और यह देखिये कि कैसे कर सकते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कैसे एटमास्फीअर जैनेरेट कर सकते हैं। अगर दाम बढ़ते चले गए तो डेफिसिट फाइनेन्सिग बढ़ता जाएगा, हमको लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना होगा। इसलिए हमको सही रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसका रेडीमेड जवाब कुछ नहीं दिया जा सकता, जब तक कि इसके बारे में थारो-स्टडी न की जाय। इसलिये इस सारे मामले पर गौर करके फैसला करना होगा, चाहे आज करें, कल करें, या परसों करें, लेकिन यह कहना ही पड़ेगा।

श्री आर० एस० स्वैरो (जालन्धर) : आदरणीय [illegible] प्रस्ताव, कृषि की उपज करने वाले किसान को लाभप्रद मूल्य दिलवाने के विषय में काफी कुछ बोला जा चुका है। इसका उचित उत्तर पाने के लिए हम सभी को अपना ध्यान इस मसले की गहराई में केन्द्रित करना होगा। मैं इस, उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करूंगा, जिसे हठधर्मिता से जैसा मेरा विचार है, बिल्कुल एक तरफ फेंक दिया गया है। किसी भी विकासशील देश की अपेक्षाएं विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं के बढ़ते हुए भार को भी वहन करती हैं। यह एक सामान्य प्रकिया है। ऐसा इसी प्रकार होता है। अतः इस सम्बन्ध में, अतः अर्थ-व्यवस्था के धरातल पर इन सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक समायोजित करना है। इसलिए सर्वतोमुखी स्थिरता बनाए रखने के लिए इनके बीच उचित सन्तुलन को बनाए रखना होगा। जब हम लाभप्रद मूल्यों की बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि लाखों भूखे लोगों, लाखों अभावों की पूर्ति की जानी है। अतः यह विषय शासक दल और विपक्ष, दोनों के नजरिए से इतना सरल नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन हमें सच कहना ही पड़ेगा। जहां कुछ लोग गलती करते हैं, उन्हें भी प्रकाश में लाया जाना चाहिए।

इतना तो कोई भी कह सकता है। यह उत्साहवर्धक बात है कि सभी प्रकार से वर्तमान सरकार मूल्य-रेखा तथा उत्पादकों को दिए जाने वाले लाभप्रद मूल्यों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए यथा-सम्भव प्रयास कर रही है। प्रधान मंत्री से लेकर, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और विभिन्न मंत्रालयों प्रधान व्यक्तियों सभी ने बार-बार स्पष्ट किया है कि किस प्रकार मूल्य-स्तर के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इस संबध में मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि उनकी कार्यवाही देश की आम अर्थ-व्यवस्था के परिचालन के अनुकूल है। मैं आपको आंकड़ें दे सकता हूं। वास्तव में वित्त मंत्री और कृषि मंत्री समर्थन मूल्य के बारे में पहले ही ये आंकड़े दे चुके हैं कि गत सात वर्षों में यह मूल्य कितना-कितना रहा है और अब कितना है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उन्होंने खरीफ और रबी दोनों फसलों के मूल्यों से सम्बन्धित आंकड़े दिए हैं। अतः उनको पुनः प्रस्तुत करने की बजाय, मैं आगे की बात करता हूं।

एक चिन्ता जो बीच में पैदा हो गई थी, वह पिछली सरकार जो अब विपक्ष में बैठे हैं के शासन में आ जाने के कारण लगे धक्के की थी। मैं उनका उल्लेख करने का और उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा।

आपने कहा है कि यह विवादास्पद है, लेकिन हमने इसे वैसा ही देखा है, जैसा यह था। आप इसके किसी पहलू के बारे में बात करते हैं। वास्तव में, मैं खुद यह महसूस करता हूं कि देश के रूप में हमारी उन्नति की इस सम्पूर्ण अवधि में केवल इन तीन वर्षों का समय ऐसा था, जब हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को धक्का पहुंचा और उक्त अवधि में किसानों, खेत-मजदूरों, समाज के कमजोर वर्गों और मोटे तौर-पर पूरी अर्थ-व्यवस्था को सीधा आघात पहुंचा है।

मैं एक-दो उदाहरण पेश करता हूं सम्भावत: इससे मेरे मित्र संतुष्ट हो जाएंगे। हम नहीं भूल सकते कि चीनी को क्या हुआ, जिसके भंडार खुले रूप से मुक्त कर दिए गए। मैं इस बात का पूरा ब्यौरा दे सकता हूं कि वर्ष 1977 में किस प्रकार विभिन्न चीनी मिलें पेराई के मौसम में प्रतीक्षा करती रहीं। आप चकित रह जाएंगे। कुछ मामलों में यह अवधि एक महीना और दस दिनों तक की थी और फिर हड़बड़ी में, चीनी का जितना भंडार था, उसे निकाल दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसान गन्ने को समय पर नहीं ला सके और उस पेराई के मोसम में चीनी-उत्पादन में भारी कमी हो गई थी।

सभी को मालूम है कि आंकड़े मौजूद हैं। इतना ही नहीं गन्ना जलाए जाने की बात भी सबको अच्छी तरह मालूम है। नतीजा यह है कि किसान ने यह सोचा कि वह आने वाले मौसम की खरीफ की फसल, जो वार्षिक फसल है, अधिक नहीं बोएगा। वह क्यों बोए ? वह फिर से गेहूं तथा दूसरी फसलें बोने लगा। इससे चीनी में और भी कमी हो गई। खैर यह तो केवल एक साल की फसल थी, लेकिन तीसरे साल के फसल के लिए भी उसे दो बार सोचना पड़ा कि वह क्या करें। गन्ना खेतों में हैं। गन्ने की अब पेराई हो रही है। चीनी मिल गन्ना पेर रहे हैं। प्रतिक्रियावादियों का कहना है कि किसी तरह का आन्दोलन होने वाला है।

एक और बात पर हमें देश के हित को सामने रख कर परस्पर विचार करना होगा और यह नहीं कि हम केवल राजनीतिक मत भेदों और विचार धारा को लेकर ही झगड़ते रहें और लोग कष्ट झेलते रहें।

क्या मुझे यह बताना होगा कि सोचना किस तरह गायब कर दिया गया ? जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। क्या मुझे 24 लाख टन के लगभग सड़े आलुओं के बारे में कुछ और कहना होगा ? मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मुझे संबंधित मंत्री से मिलने और 'नाफेड' के निदेशक तथा अन्य संगठनों से मिलने के लिए यहां आना पड़ा था क्योंकि उस समस्या से निपटने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर था। तीन माह के बाद, फसल इतनी अधिक होने जा रही थी कि उसे उचित रूप से निपटाने के प्रबंध उन्हीं को करने थे। हम यह फसल ब्रिटेन, मध्य पूर्व के देशों और इण्डोनेशिया को भी भेजा करते थे, और इसीलिए इसका निपटान आर्थिक तौर पर इस तरह किया जाना था जिससे कि सारे देश के किसानों को लाभ हो सके। लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने भी कुछ नहीं किया। जैसा कि मै कह चुका हूं, हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल, प्रदेश में लाखों टन आलू खेत में सड़ गया। उन्हें 5 रु० प्रति किलटल में भी कोई नहीं उठाएगा। और दूसरी ओर, हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता। पिछली सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया। इससे किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब हमें संतुलन बनाए रखना है। उस संदर्भ में, हमें यह सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए।

जहां तक किसान की दशा का संबंध है, मुझे आपके और अपने हाई कमान के ध्यान में एक-दो बातें लानी हैं और वह यह कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहां हैं। मेरे अनेक मित्र पहले ही कह चुके हैं। लेकिन मैं वह बात आप से कहे बिना नहीं रह सकता।

हम सबको यह सचाई स्वीकार करनी चाहिए कि भारत की जनसंख्या में 70 प्रतिशत किसान और खेतिहर मजदूर हैं। उनका मूल कार्य खेतों में काम करना है, जो वे करते हैं। जब हम मूल्य निर्धारण और किसी तरह की सहायता के बारे में सोचते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी अनेक वक्ताओं ने बोलना है। मैंने प्रत्येक को दस मिनट का समय दिया है। यदि आप अधिक समय लेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप अपनी पार्टी के सदस्यों का समय ले रहे हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो : महोदय, कृपया मुझे यह बतलाने की अनुमति दें कि पिछली बार यह स्वीकार किया था कि जो सदस्य कोई संकल्प या प्रस्ताव पेश करता है, उसे लगभग आधे घण्टे तक बोलने दिया जाए और, उसके बाद, उस मानदण्ड को लागू किया जाए जो सब के लिए है। मेरा कहना यही है। मैं यहां देखता रहा हूं कि विभिन्न सदस्यों द्वारा कितना समय लिया जाता है। मेरा आप से यह नम्र निवेदन है कि मुझे कुछ समय और दिया जाए। मैं अपनी बात यथा-शीघ्र समाप्त करने का प्रशत्न करूंगा। मैं यह बहुत जल्दी करूंगा।

मैं आपको किसान के बारे में, किसानों की मूल समस्याओं के बारे में बता रहा था। हमें यह मालूम होना चाहिए कि किसान क्या है और वह क्या कर रहा है। यह पहली बात है जो मैंने कही है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, यह है कि आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रगति के साथ-साथ उसकी भी कुछ मांगे होती हैं, अनेक जरूरतें होती हैं वह भी बेहतर ढंग से रहना चाहता है। उसे भी स्कूटर, साईकल, टी० वी० तथा अन्य चीजों की जरूरत होती है जिनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। वह भी चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वह क्यों न चाहे ? अतः उनकी सभी मांगें न्यायोचित हैं।

उस संदर्भ में मैं यह भी बता दूं कि इस बात को समझता है कि वह अपनी जीविका किस तरह अर्जित करता है। उसका कहना है कि कारखाना अधिनियम के अनुसार जहां एक श्रमिक को दिन में 8 या 10 घंटे काम करना होता है, वहीं उसे अपनी पत्नी और संभवतः अपने पुत्र के साथ कम से कम दो पालियों में काम करना पड़ता है। अतः. प्रगति के श्रमिक विकास के रूप में उसकी आवश्यकताओं को भी समझा जाना चाहिए। वह बात हमें ध्यान में रखनी है।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रही है। जो वचन दिए गए हैं उन्हें संभव सीमा तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है मैं इस बात की बारी की में नहीं जाना चाहता कि यह किस तरह किया जाए।

मुझे सभा के विचार के लिए कुछ सिफारिशें करनी है। मुझे इस बारे में पांच सिफारिशें करनी हैं कि हमें अपने समाज को उस वर्ग विशेष के लिए क्या कुछ सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए इस सभा के विचार के लिए जो पहली सिफारिश मैं कहना चाहूंगा वह यह है—

लोग इसे भूल जाते हैं, जो भी सत्ता में आता है इस बारे में भूल जाता है -कि किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिए आसान सुविधायें दी जायें। अभी ऐसा होता है कि गांव में जब किसी किसान को भूमि बंधक बैंक या सहकारी बैंक या ऐसी ही किसी संस्था से ऋण के लिए आवेदन करना होता है, तो उसे बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है और ऋण के लिए आवेदन करना होता है, तो उसे बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है और ऋण मिलने से पहले ही लोग उसमें से कुछ हिस्सा ले जाते हैं। हमें इस पहलू पर ध्यान देना है कि उसे पर्याप्त आसान तरीके से ऋण प्राप्त हो।

मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से जब धान निकल कर विभिन्न बैंकों तक पहुंचता है तो इस पर ब्याज की दर उस समय 5½% से 7½% के बीच होती है, और जब तक यह किसान के हाथों में पहुचता है, उस समय तक ब्याज 15% हो जाता है इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। हमें शीघ्र ही इस अन्तर को कम करना है। उद्योग के मामले में, भले ही कोई बहुत उद्योग हो या लघु उद्योग कभी-कभी वह कह देता है कि उन्हें 3½% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। अतः उस बात पर उसे रोष है। हम लघुउद्योग को मिलने वाली सुविधा में कटौती करना नहीं चाहते। हम यह देखना चाहते हैं कि गांवों में उद्योग फलें-फूलें। लेकिन हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हम ऋण देने संबंधी व्यवस्था में किस तरह ठीक संतुलन रख सकते हैं और उसे कितना ब्याज अदा करना चाहिए।

दूसरी सिफारिश के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि खेत में काम करने से नौकर ऊपर तक की उसकी कार्यपद्धति में जो भी तरीके वह अपनाता है वे सब पुराने हो चुके हैं। बहुत से मामलों में, वे सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। टोडरमल के दिनों से लेकर आज तक, उसकी ऋण लेने संबंधी व्यवस्था में और सहकारी समितियों आदि जैसी अन्य संस्थाओं से उसके लेन-देन संबंधी व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। वह पुलिस स्टेशन या तहसील दार या बैंक या किसी अन्य दरवाजे पर बैठा रहता है। इस तरह उसके खेत में काम करने के समय का एक तिहाई हिस्सा व्यर्थ हो जाता है। वह अकेला आदमी है, वह ठीक समय पर खेत की सिंचाई नहीं कर सकता क्योंकि वह विधायिका के सामने अपनी फरियाद लेकर खड़ा है...।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री एस० आर० स्पैरो : एक व्यावहारिक उपाय के रूप में जो अगली बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वह भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश है मद संख्या 4 जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों के बारे में है। ये केन्द्र ब्लाक आधार पर स्थापित किए जाने चाहिए। कोई कारण नहीं है कि ऐसा न किया जाए। यही जगह है यहां जगह है जहां उसे लाभ होगा और दलाल को दूर रखा जा सकेगा। इसके लिए, मेरे दिमाग में एक पूरी योजना है और मैं इसके बारे में, बजट चर्चा में पहले भी बता चुका हूं। यह चौथी बात है।

वास्तव में अन्य उपायों पर भी गौर करना होगा। अर्थात् आप उसके नजदीक लघु उद्योग लगा सकते हैं आप वहां मुर्गी पालन के लिए और कुटीर उद्योगों के लिए अधिक सुविधाएं

दें, ताकि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सहयोग से इन कामों के जरिए अपनी आय में वृद्धि कर सके। यदि आप सारे भारत में ऐसा नहीं करेंगे तो आप उसे उचित स्तर तक नहीं ला सकेंगे, और वह हमेशा आप से क्रुद्ध रहेगा।

कुछेक ऐसी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना है।

एक बात तो यह है कि दलालों द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। मेरे मित्र उसका उल्लेख कर चुके हैं; मैं उस पर अधिक नहीं बोलूंगा। दलालों को उनके रास्ते से हटाना होगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री इस बारे में विचार कर रहे हैं कि हम इन बुराइयों को किस तरह दूर कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कुछ समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थाजाई ए० करुणानिधि। आपकी पार्टी को सात मिनट का समय दिया गया है।

***श्री थाजाई एम० करुणानिधि (नागपट्टिनम)** : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु, तंजवुर, के उपजाऊ प्रदेश के एक प्रतिनिधि के रूप में, मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्यों के बारे में श्री चित्त बसु के संकल्प पर अपनी पार्टी डी. एम. के. की ओर से कुछ कहूं। संततिरुवल्लुवर द्वारा यह कहा गया है कि कृषक पुरुषों का नेता है और दूसरे सभी उसके अनुयायी हैं। अतः दुर्भाग्यवश, कृषक को हमारे समाज में सबसे निचला स्थान प्राप्त है। उसका स्तर कार्यालय में काम करने वाले एक चपरासी से भी गया—बीता है। जो व्यक्ति अन्य सब लोगों को जीवन का स्रोत प्रदान करता है, वह स्वयं जीवन के सारे स्रोतों से वंचित है। कृषि प्रधान कहलाने वाले देश में ऐसी स्थिति बनती जा रही है।

हमारे देश के कृषकों की इस अस्त-व्यस्त स्थिति का मूल कारण क्या है? जबकि खेती पर व्यय बढ़ता जा रहा है, उन्हें अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। कृषि संबंधी आदानों के मूल्य आकाश को छू रहे हैं, लेकिन कृषि उत्पादों के मूल्य अपने वर्तमान स्तर से बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठे हैं। सुसज्जित कमरों में बैठे अधिकारियों से कैसे यह आशा की जा सकती है कि वे कृषि के अर्थशास्त्र को समझेंगे और उचित मूल्य निर्धारित कर सकेंगे? जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के बारे में निर्णय करने में किताबी ज्ञान कोई काम नहीं देता। व्यावहारिक निर्णय पर पहुंचने के लिए व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। कृषि उत्पादों के मूल्यों के नियतन के लिए, केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में चल रहे कृषि फार्मों में हो रहे व्यय को आधार माना जाय। मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने में अब आगे से यही कदम उठाए।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कृषकों को गेहूं उत्पादक और धान उत्पादक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। मैं यह कहने के लिए विवश हूं क्योंकि गेहूं उत्पादक को दी गई राजसहायता धान उत्पादकों को दी जा रही राजसहायता से बहुत अधिक है। यद्यपि धान की खेती की लागत गेहूं की खेती से काफी अधिक है, फिर भी धान उत्पादकों के साथ इस तरह का भेदभाव पूर्ण बरताव किया जाता है। धान के लिए दी जाने वाली राज सहायता गेहूं को दी जा रही सहायता के 50 प्रतिशत से भी कम है। केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धान और गेहूं के लिए एक समान राज सहायता दी जाए।

दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जहां कृषि वैज्ञानिकों को देश में कृषि के विकास के लिए अनुसंधान करना होता है। ऐसा लगता है कि वे आत्म हत्याओं में अनुसंधान कर रहे हैं। भारत सरकार हर वर्ष इस परिषद पर जो 80 करोड़ रु० व्यय कर रही है वह आत्महत्या में अनुसंधान के लिए नहीं बल्कि कृषि में अनुसंधान के लिए। भारत सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो देश भर में कृषि अनुसंधान के लिए प्रमुख संस्था है, को निराशाजनक स्थिति के कारणों की जांच करनी चाहिए, और कृषि वैज्ञानिकों के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करना चाहिए क्योंकि केवल वही भविष्य में हमारे देश में समृद्धि ला सकते हैं।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। लेकिन आज देश में कृषकों की कुल ऋण ग्रस्तता 6000 करोड़ रु० के लगभग है। इसी बात से आप हमारे किसानों की दुर्दशा का अन्दाजा लगा सकते हैं। हम उनके कष्टों को किस तरह कम करें? मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में राज्य सरकारों की भी बराबर की जिम्मेदारी हैं। मैं तमिलनाडु में अपना निजी अनुभव बतलाता हूं। तमिलनाडु में मुख्य मंत्री श्री एम० जी० आर० की अध्यक्षता में बनी ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार कृषकों की जरूरतों के प्रति कठोर प्रतीत होती है। चुनावों के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार कृषकों के 420 करोड़ रु० के ऋण बट्टे खाते डाल देगी, भले ही केन्द्रीय सरकार इन वित्तीय भार में अपना कोई अंशदान न करे। लेकिन अब राज्य सरकार ने केवल 42 करोड़ रु० के ऋण ही समाप्त किए है। ऐसा नहीं हैं कि किसान अपने ऋण वापस करने के अनिच्छुक हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं बार-बार आने वाले चक्रवात बाढ़ और सूखे के कारण और उन्हें अपने उत्पादों के लिए मिल रहे अलाभकारी मूल्यों की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। जब उनकी आय बराबर कम होती जा रही है तो वे ऋण कैसे वापस कर सकते हैं? महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री अन्तुले और कर्नाटक के मुख्य मंत्री, श्री गुण्डुराव ने कृषि ऋण की बड़ी-बड़ी रकमें बट्टे खाते डाल दी हैं और वे उनके उत्पादों के लिए ऊंचे मूल्य भी दे रहे हैं। जब तमिलनाडु के कृषक यह मांग करते हैं कि जिस एम० जी० आर० ने उनमें जो आशाएं जगाई थीं उन्हें पूरा किया जाए, तो उन्हें यह कहा जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार अधिक ऊंचे मूल्य देने से राज्य सरकार को रोक रही है।

मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि तमिलनाडु में वर्तमान प्रशासकों के मुकाबले तो अंग्रेज लोग ही ज्यादा अच्छे थे। डायर ने भी गोली चलाने का आदेश देने से पहले लोगों के

जमा होने का इन्तजार किया था लेकिन, त्रिचिरापल्ली में जब किसानों ने राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध एक जुलूस निकलना चाहा, तो पुलिस उन पर टूट पड़ी और जो लोग हरा तौलिया लपेटे थे उन्हें बेरहमी से पीटा गया उन्हें जुलूस आरम्भ होने के स्थान पर पहुंचने से पहले ही भगा दिया गया। यदि कृषक बढी हुई दरों पर बिजली का भुगतान करने पर रोष व्यक्त करते हैं, तो उन्हें आपात कानूनों के अन्तर्गत पांच वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता है, यदि वे बिजली लेने से मना करते हैं तो भी उन्हें आपात कानूनों के अंतर्गत पांच वर्ष की कैद दी जाती है। तमिलनाडु राज्य में अन्ना डी० एम० के० की सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। यह बात राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए उस अध्यादेश से साबित हो चुकी है जिसके तहत राज्य भर में 2400 ग्राम अधिकारियों को एक ही रात में हटा दिया गया। आज तमिलनाडु में कोई ग्राम प्रशासन नहीं है और किसान अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए यहां से वहां दौड़- भाग कर रहे हैं। मूल स्तर के प्रशासक न्याय पाने के लिए उच्चतम-न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठे हैं।

जब डा० के० करूणानिधि राज्य के मुख्य मंत्री थे, तब सरकार ने सबसे पहले किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना था। उन्होंने उनके उत्पादों के लिए बोनस मूल्य भी निर्धारित कर दिया था। उन्होंने राज्य भर में वसूली केन्द्र स्थापित किए। राज्य के किसी भी कोने से कृषि ऋण 72 घंटों में मंजूर हो जाते थे। मेरी इच्छा है कि केन्द्रीय सरकार हमारे किसानों की दयनीय स्थिति ठीक करने के लिए सक्रिय कदम उठाए।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री चरण सिंह ने यह आह्वान किया है कि गन्ना उत्पादकों को चाहिए कि वे अपना गन्ना उतरी राज्यों में मिलों को न भेजें। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसान लोग उनकी बात मानते हैं तो देश का क्या होगा। सी० पी० आई० (एम०) सी० पी० आई० जनता पार्टी तथा अन्य राजनीतिक पार्टियां तमिलनाडु को छोड़ कर सभी राज्यों में किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं क्योंकि उनका वहां सत्तारूढ़ आलइण्डिया अन्ना डी० एम० के० से गठबंधन है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उन्हें किसानों की कितनी चिन्ता है। दूसरे शब्दों में, किसानों के प्रति उनकी चिंता राजनीतिक हितलाभ से प्रेरित हैं।

हमने धर्म, जाति और वर्ण के नाम पर हरिजन खेतिहर मजदूरों की हत्या होते देखी है। लेकिन अब हम राजनीतिक संबद्धताओं के कारण उनकी हत्याएं होते देख रहे हैं। मेलाकोरकई, जिल्ला तंजवुर में एक हरिजन खेतिहर मजदूर, गोबिन्दन, उसकी पत्नी नीलाम्बल उसके पुत्र शिवरामन और उसकी पुत्री तमिलारसी को उनके ही मकान में सी० पी० आई० (मार्क्सवादी) समर्थकों द्वारा जला कर मार दिया गया। इस जघन्य हत्या के पीछे केवल यह कारण था कि गोबिन्दन ने डा० कलाईग्नर करूणानिधि के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया था। इस हत्या के प्रति सी० पी० आई० (एम०) के नेताओं में कोई पश्चाताप नहीं है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० के खजाने में वृद्धि करने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। कहा जाता है कि सड़क बनाई जा रही है, तालाब

खोदे जा रहे हैं, नाद निकाली जा रही है आदि। लेकिन इस योजना का लाभ केवल अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० के पार्टी कार्यकर्त्ताओं को मिल रहा है, इस योजना ने कोई नया रोजगार उत्पन्न नहीं किया है। मैं इस विषय में केन्द्र द्वारा उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग करता हूं ताकि इस अच्छी योजना के क्रियान्वयन में दुर्विनियोजन तथा कदाचार को तत्काल समाप्त किया जा सके तथा अपराधियों को दण्ड दिया जा सके।

कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बतूर में दाखिलों के मामले में कदाचारों का बोलबाला है। यहां तक कि अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० के मंत्री भी इसमें शामिल हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति को स्वतन्त्र रूप से और प्रभावी ढंग से काम करने का अधिकार होना चाहिए। कोडाईकोणाल में एक भेढ़-प्रजनन केन्द्र है जिसमें एक भी भेड़ नहीं है। यहां भी इस तरह के कदाचारों को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

तमिलनाडु में हल्दी, कपास, प्याज आदि के लिए कोई स्थायी विपणन व्यवस्था नहीं है। जनता सरकार ने हल्दी पर उत्पादन-शुल्क लगा दिया। लेकिन हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी ने यह महसूस करते हुए कि हल्दी हमारे देश की स्त्रियों के लिए पवित्रता का प्रतीक है, इस लेवी को हटाने का प्रस्ताव किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मांग करता हूं कि इसे तत्काल क्रियान्वित किया जाए। कोयम्बतूर में कपास की वसूली बिचौलियों के जरिए की जाती है। वे लोग कपास उत्पादानों की खाल उतार रहे हैं। महाराष्ट्र में कपास की सीधी खरीद की व्यवस्था है। तमिलनाडु में ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिससे कि कपास उत्पादकों को बिचौलियों के चंगुल से बचाया जा सके। गन्ने का मूल्य देश भर में एक समान होना चाहिए। फिलहाल, गन्ने का मूल्य 180 रु० प्रति टन नियत किया गया है, लेकिन केरल और कर्नाटक में गन्ना उत्पादकों को उससे भी अधिक मूल्य दिया जा रहा है। तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० सरकार की चीनी मिल-मालिकों से सांठ-गांठ है और सरकार गन्ना उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने में असमर्थ है। इसीलिए, मैं मांग करता हूं कि देश भर में गन्ने के लिए एक समान मूल्य-नीति होनी चाहिए।

किसानों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उन्हें उर्वरक, कीट-नाशक तथा अन्य आदान कम मूल्य पर दिए जाएं, और यदि आवश्यक हो तो उन पर से उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इनका उत्पादन केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में होता है। सहकारी ऋण संस्थाओं को दोषरहित बनाया जाए जिससे कि किसानों को ऋण मिलने में आसानी हो। सहकारी विपणन केन्द्रों को पुनर्गठित किया जाए। दलालों को बीच से हटाया जाए। फसल बीमा योजना तत्काल आरम्भ की जाए। यह बीमा योजना कृषकों और खेतिहर मजदूरों के लिए भी हो। श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो लोग कल्याण के प्रति बचनबद्ध हैं, के प्रबल नेतृत्व में बनी केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि उन लोगों को राहत दी जाए जो अपना खून-ससीना एक करके सारे देश का पेट भरते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री उत्तम राठौड़ को बुलाता हूं। अपनी बात जल्दी कहने वाला ही सबसे अच्छा वक्ता कहलाता है। इससे पहले कि वह आरम्भ करें, मैं यह बता दूं कि यह चर्चा 4 घन्टे की है। हमें मंत्री और प्रस्तावकर्त्ता द्वारा उत्तर सहित इस चर्चा को सायं 6 बजे तक पूरा करना होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : यह कैसे संम्भव है ? समय पर्याप्त नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप कहते हैं कि आप हमें बोलने और मंत्री महोदय तथा प्रस्ताव कर्त्ता को उत्तर देने का समय देंगे। यह सब 6 बजे तक कैसे पूरा हो सकेगा? (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि हर वक्ता को कम समय लेना चाहिए। हां यह एक विशेष चर्चा अवश्य है। मैं बहुत कठोर भी नहीं हो सकता। मैं हर माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि कोई भी 7 मिनट से अधिक समय न लें।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने उनको कितना समय दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : डी० एम० के० के लिए 10 मिनट का समय है; मैंने 12 मिनट दिए हैं; मैं निष्पक्ष हूं। मैं हमेशा ही बहुत निष्पक्ष होता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : आप दूसरों को भी समय दें (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है। सायं 5-50 बजे, श्री नरसिन्ह राव उस संयुक्त घोषणा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखेंगे जो सी०पी०एस०यू० के महामन्त्री और यू०एस०एस०आर० की सुप्रीम सोवियत की प्रेसीडियम के चेयरमैन, महामहिम श्री लियोनिद आइ० ब्रेझनेव की भारत की राजकीय यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई थी।

श्री राठौड़, यदि आपके भाषण में कोई पुनर्कथन नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि आप अपना भाषण 5 मिनट में पूरा कर लेंगे। उसमें कोई पुनर्कथन नहीं होना चाहिए।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं चित्त बसु जी का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रस्ताव इस सदन में रखा है और जिस पर दोनों तरफ के लोगों के लिए बोलना अनिवार्य हो गया है। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसा मौका है जबकि दोनों तरफ के लोग एक ही आवाज से

यहां बोल रहे हैं। मुझे एक डर लग रहा है कि जब हम आखिरी निर्णय पर पहुंचेंगे और हमारा निर्णय मन्त्री महोदय मान लेंगे और लोगों को रिम्यूनरेटिव प्राइसिस दे दें तब वहां-(इन्टरप्शंज) कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने का झंडा उठा कर खड़े न हो जाएं। आज तो आप जरूर बोल रहे हैं लेकिन तब बोलिए मत, इतना ही मुझे कहना है।

इस मुल्क का सौभाग्य है कि यहां पर खेती में बसने वाले लोगों की तादाद लगभग सत्तर परसेंट है। परसों हमारे योजना मन्त्री तिवारी जी ने बताया कि देश में बेरोजगार लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन खेती ही एक ऐसा धंधा है जो कम से कम कैपिटल इनवेस्टमेंट पर हम शुरू कर सकते हैं। लिहाजा हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे लोग खेती करने से बाज आ जायें और इस धंधे को छोड़कर दूसरे किसी धंधे में चले जायें। इस वास्ते इस प्रस्ताव पर आपको ठंडे दिमाग से सोचना होगा और सबसे ज्यादा सोचने का जो बोझ है वह हमारे मन्त्री जी पर है। उनको काश्तकारों को ऐसे दाम देने चाहिएं जिससे उनका रहना आसान हो जाए और अपने बच्चों को वह पढ़ा लिखा सकें, अच्छी जिन्दगी बसर कर सकें।

एक वक्त था जब यह कहा जाता था कि किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मरता है। अभी कुछ फर्क पड़ा है। तब वह साहूकार का कर्जदार होता था, आज वह इन्स्टीट्यूशनल कर्जदार है। लेकिन उसकी यह हालत बरकरार है इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि किसान की हालत दुरुस्त हो तो उनको जो इनफ्रा-स्ट्रक्चर चाहिए उसको हमें मुहैया करना चाहिए। जैसा स्पैरो जी ने कहा इरिगेशन की फैसिलिटी बिजली, खाद, पैस्टी-साइड्ज, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउंज, लौन आदि की फैसिलिटीज हमको उनके लिए मुहैया करनी चाहिए। कम इन्टरेस्ट पर लोन उसको हमको देना चाहिए। जब तक यह सब नहीं होगा और बढ़े हुए दाम उसको नहीं दिए जायेंगे तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह घंधा-मुनाफे का घंधा हो सकता है।

हाल ही में हमारी ए०आई०सी०सी० ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें कहा गया है कि आइन्दा खेती में जो फर्टीलाइजर वगैरह लगता है, ट्रैक्टर, डीजल आदि की जरूरत पड़ती है उसकी कीमत और एग्रीकल्चर से जो कुछ मिलता है उसकी कीमत में पैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रस्ताव के लिए मैं कांग्रेस का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस दिशा में जल्दी कदम उठाएं।

1965 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के तहत एग्रीकलचरल प्राइसिस कमीशन की स्थापना की थी। इसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कीमतें फिक्स करने की जिम्मेदारी डाली है। उसमें यह भी लिखा गया है कि वह कंज्यूमर के हितों का भी ध्यान रखे। लेकिन महसूस ऐसा होता है कि यह कमीशन एग्रीकल्चरिस्ट्स के हितों का ख्याल रखने के बजाय कंज्यूमर के हितों का ज्यादा ख्याल रखता है। जिस ढंग से ये लोग कीमतें कैलकुलेट करते हैं उसको देख कर अफसोस और अचम्भा होता है। एक बार इस बात को लेकर महाराष्ट्र असेम्बली में एक एम०एल०ए०

ने कहा था कि जितने दिन तक काश्तकार की बैल की जोड़ी खेत में काम करती है, उतने दिन का पैसा ही उसमें लगाया जाता है। आप सोचें कि यह कोई ट्रैक्टर तो है नहीं कि जब इसकी जरूरत न हो तो इसको गैरेज में बन्द करके रख दिया जाए। रोजाना बैलों की जोड़ी को खली खिलानी पड़ती है, कुछ अच्छा दाना खिलाना पड़ता है। लेकिन उसका खर्चा शामिल नहीं किया जाता है। एग्रीकल्चरल प्राइसिस कमीशन का जो काम करने का ढंग है वह हमारे सामने आना चाहिए और उस पर डिसकशन करने का हमको मौका दिया जाना चाहिए। और इसी के लिए श्री विखे पाटिल का बिल है कि इस जोड़ी को स्टेट्यूटरी जोड़ी घोषित किया जाए ताकि उसकी रिपोर्टस पर हम विचार कर सकें और निर्णय कर सकें। ए०पी०सी० के बारे में मन्त्री जी कहते हैं कि इनके फैसले बहुत अच्छे हैं। होते होंगे, पता नहीं, लेकिन चार सदस्यों में से एक भी सदस्य नर्मदा के दक्षिण से नहीं है। क्या उधर अच्छे काश्कार या इकोनामिस्ट्स नहीं हैं? इस देश के हर हिस्से से एक-एक आदमी इसमें होता तो मुमकिन है कि ठीक पिक्चर हमारे सामने आती।

महाराष्ट्र में काश्तकारों का बड़ा भारी आन्दोलन चल रहा है वह आज कपास की कीमतें बढ़ी मांग रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ए०पी०सी० से भी ज्यादा कपास के दाम दिए हैं, 130 रु० का ऐलान किया है। अगर इतना न देती तो न जाने आज का आन्दोलन क्या रूप धारण करता। जब हम पूछते है कि आप कीमते क्यों नहीं बढ़ाते हैं तो यह कह कर छूट जाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने मोनोपली परचेज किया है, कीमतें उन्होंने बढ़ाई है, वह और दे सकते हैं। हम क्या करें। ऐसे काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र ने कपास में मोनोपली परचेज किया इसलिए उनके पास थोड़ा पैसा बचा है और इसी में से ज्यादा कीमत दे रहे हैं किसानों को। यह जो उनका नुकसान हो रहा है इसको भरने के लिए आप लांग स्टेपिल काटन की कुछ वेल्स बाहर भेजें तो मुमकिन है कि वह अपना नुकसान पूरा कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया तो मोनोपली परचेज खत्म हो जाएगी, और यहां के काश्तकारों को अपना माल उन्हीं लोगों को बेचना पड़ेगा जो माल आने के बाद कीमतें घटा देते है और कीमतों का स्वरूप बदल कर ज्यादा कीमत लेते हैं। मन्त्री जी इस पर विचार करें और काश्तकारों को न्याय दें।

मुझे एक ही चेतावनी देनी है कि ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे 70 फीसदी लोग आज देहातों को छोड़ कर शहरों में बस जाएं और आपके ऊपर बोझ बढ़ जाये। इतना ही मुझे कहना है।

श्री रीहलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मान्यवर, मैं माननीय चित्त बसु के प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज देश में किसानों की जो समस्या विकट होती जा रही है यह पिछले 33 सालों की अदूरदर्शिता के कारण हो रही है। हमारे देश में देश की राष्ट्रीय आय का मूल आधार कृषि है जिसमें से 51 प्रतिशत पूरी राष्ट्रीय आय का केवल कृषि से आता है और वहां पर 70 फीसदी लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन आज उनकी हालत बहुत खराब है। 75 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन गुजार रहे हैं, तो इसके पीछे जो औद्योगिक शक्ति का केन्द्र शहर हैं वे भारत के कृषकों का

शोषण कर रहे हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक परम्परा के साथ शोषण हो रहा था उसी तरह से अंग्रेजों के जाने के बाद, जो बड़े-बड़े औद्योगिक शहर हैं, जैसे मद्रास, पूना, बम्बई, दिल्ली, रांची, बोकारो इत्यादि, वहां पर बैठे हुए बड़े-बड़े पूंजीपति व्यापारी तथा कुछ सरकार के संस्थान भी भारत के किसानों का शोषण कर रहे हैं। वे किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य बांध देते हैं जो कि उचित नहीं होता है। उस मूल्य को तय करते समय किसान की लागत, उसके पारिश्रमिक पर उचित विचार नहीं किया जाता है। 1965 में ए०पी०सी० की स्थापना हुई थी ताकि किसानों को उनकी वस्तुओं का उचित मूल्य दिया जा सके लेकिन वह ए० पी०सी० किसानों के लिए बिलकुल हेडेक साबित हुआ। ए०पी०सी० में कुछ आई०ए०एस० आफिसर्स और कुछ चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि किसानों के दुःख दर्द को नहीं समझते, आपस में बातचीत करके कोई एक दाम बांध देते हैं। किसानों को उचित मूल्य देने के बारे में वहां विचार नहीं किया जाता।

ऐसी दशा में आप जानते हैं आज सारे देश में किसान आन्दोलन और क्रान्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में कुछ वर्ष पहले इस प्रकार का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। रास्ता रोको, काम रोको, बंध, सत्याग्रह आदि कार्यक्रम चलाकर किसानों ने दाम फिक्स करवाए थे और आज कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा अन्य प्रान्तों में इस प्रकार के आन्दोलन चल रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि केवल भाषण दे देने से हरित क्रांति नहीं आ सकती है। जो कार्यक्रम आपके भाषणों में आते हैं उनको जब तक आप वास्तविक रूप से जमीन पर नहीं उतारेंगे तब तक किसानों की समस्यायें दूर नहीं हो सकती हैं। ए. पी. सी. किसानों के दर्द की दवा नहीं बन सकी है, वह तो किसानों को गुमराह कर रही है। आज महाराष्ट्र में किसान जो आन्दोलन कर रहे हैं कि गन्ने की प्राइस 130 रुपए प्रति टन की जगह पर 300 रुपए प्रति टन की जाए और प्याज का मूल्य 100 रुपये क्वींटल किया जाए उसका कारण यह है कि देश के 50 फीसदी प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और कुल गन्ने का एक तिहाई वहां पैदा होता है लेकिन अगर सिंचाई की व्यवस्था देखी जाए तो 9.2 प्रतिशत जमीन की सिंचाई वहां पर उपलब्ध है। किसान परिश्रम करके अपना पसीना बहाकर इन चीजों को पैदा करता है लेकिन उसको उसका उचित दाम नहीं मिलता है। आप फर्टिलाइजर भी सस्ता नहीं देते, आज उर्वरक के दाम कितने बढ़ गए हैं और ट्रैक्टर के दाम कहां पहुंच गये हैं? एक किसान जो ट्रैक्टर लेता है उसको उसके लिए वित्तीय संस्थाओं का ऋण 7-8 किस्तों में चुकाते-चुकाते एक लाख से ऊपर भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार से किसान समाप्त हो जाता है। कृषि उपकरणों के दाम कभी नहीं घटते, सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाती, बिजली की कोई गारण्टी नहीं रहती, पंपिंग सैट्स का दाम निश्चित नहीं रहता। पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम जीवनोपयोगी वस्तुओं पर से एक्साइज ड्यूटी खत्म कर रहे हैं, तीस लाइफ सेविंग ड्रग्ज के दाम घटाने की बात कही गई थी लेकिन एक के भी दाम नहीं घटे। इसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि स्युइंग मशीन सस्ती मिलेगी लेकिन रीटा स्युइंग मशीन के दाम 435 से बढ़कर 500 रु० हो गए हैं। फिर एक्साइज छोड़ने से क्या लाभ हुआ? साइकिल, बल्ब, टूथ-पेस्ट, प्रेशर कुकर—हर चीज के दाम

पहले से अब ज्यादा हो गए हैं। इससे क्या फायदा हुआ, किसानों की कौन सी प्रगति हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी प्राइस फिक्स करना हो, तो किसान की प्रगति को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन के मूल्य में और कृषि उत्पादन के मूल्य में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रख कर विचार करना होगा। औद्योगिक उत्पादन के लागत मूल्य को और किसान के लागू लागत मूल्य को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए मिल-मालिक और सारी व्यापारिक संस्थायें बाजार में हावी हैं और नियंत्रण रखा हुआ है, इसी वजह से किसानों का शोषण होता है। किसान को जो दाम मिलता है, उससे उसका जीवन स्तर सुधर नहीं सकता है और न ही वह प्रगति कर सकता है, इसलिए इस ओर भी सरकार को बिचार करना होगा।

आज हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, मंहगाई बढ़ती जा रही है। हमारे देश में 70 फीसदी किसानों की आवादी है, इनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनकी प्रगति होनी चाहिए। हमने बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्री लगाई और उन पर काफी पैसा भी इनवैस्ट किया और इसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने अधिक पैसा कृषि पर न लगाकर हैवी इन्डस्ट्री पर लगाया, जिसके कारण से हमको छः हजार करोड़ रु० का अनाज विदेशों से मंगाना पड़ा। अगर इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहा तो हमारे देश के 70 फीसदी किसानों की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए इस संबंध में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके।

आप कहते हैं कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। माननीय मंत्री जी ने राज्यसभा में घोषणा की थी कि हमने लैवी को खत्म कर दिया है, लेकिन बिहार में हमारे मुख्यमंत्री ने प्राइस-पैडी प्रोक्योरमेंट आर्डर, 1980 को परसों साइन किया है और उसके द्वारा जो मिल वाले हैं, वे दो हजार क्विंटल पाउंडिग देते हैं, तो उसको माफी होगी। लेकिन इसी तरह से होल-सेलर्स लेवी में एक हजार क्विंटल देते हैं तो उससे मुक्ति मिलती है और इस प्रकार बड़े-बड़े बीजनेसमैन और मिल वाले 20-25 रु० प्रति क्विंटल कम्ट कर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। इससे किसानों को भारी समस्या होगी। इस प्रकार का आर्डर बिहार में दो दिन पहले ही पेश हुआ है।

श्री बीरेन्द्र राव सिंह : लेवी तो होनी चाहिए।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : मैं दूसरी बात प्राइस फिक्सेशन के बारे में कहता हूं। ए. पी. सी. देश भर के लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सा अनाज जो किसान पैदा करता है, वह हर राज्य में अलग है। कहीं तम्बाकू पैदा होती है, कहीं मुंगफली और कहीं कपास पैदा होती है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक स्थिर प्राइस बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि, खेत मजदूरों के प्रति और जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए और इसके साथ जो आंकड़ों में एक्सपर्ट हों, उन सब के इसमें रिप्रजेंटेटिव होने चाहिए, जो की दाम को ठीक

से बांधे, जिससे किसान और देश दोनों की प्रगति हो सके और विकास हो सके। इस तरह की व्यवस्था जैसे कि दिल्ली पचास मील तक फैल जाए, चारों तरफ जगमगाहट हो, लक्जरी रूप बनाया जाए इस तरह की व्यवस्था से देश की प्रगति नहीं हो सकती है। किसानों की प्रगति तभी होगी, जब हम झोंपड़ियों में रहने वाले जो किसान हैं, उनको डीजल, पैट्रोल, सीमेंट, लोहा, और कोयला और जो उसके काम आने वाली चीजें हैं, वे आसानी से मिल सके और इसके साथ-साथ कपड़ा, रहने के लिए मकान की ओर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी किसानों का भला हो सकता है, जोकि गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल जैसे महान नेताओं ने भी कहा था कि यदि देश की प्रगति करनी है, तो हमें किसानों की प्रगति की ओर देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज खेत की पैदावार के लाभकर दामों के सिलसिले में यह माननीय सदन विचार कर रहा है और आज की सबसे खास बात यह है कि यह प्रस्ताव लेफटिस्ट कही जाने वाली पार्टी की तरफ से आया है और लेफटिस्ट नेताओं ने किसानों को अधिक दाम दिये जाने की बड़ी जोरदार वकालत की है। मैं कम्यूनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों को अच्छा समझूं या खराब, लेकिन मैं एक बात मानता था कि वे सिद्धांत के पक्के होते हैं, लेकिन आज के उनके भाषण को सुनकर मुझे अपनी यह राय भी बदलनी पड़ेगी। आज से 6 महीने पहले अगर कोई आदमी किसानों की पैदावार का लाभकारी मूल्य देने की बात कहता था तो ये लेफटिस्ट कहे जाने वाले लोग उसको "कुलक" कहते थे।

आज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के खिलाफ हमारे बहुत से विद्वान सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, जैसे यह कमीशन कोई चीज है जो बहुत घृणित है, जिसने बहुत बुरा काम किया है। उपाध्यक्ष जी, मुझे दुख इस बात का है कि आज किसानों के इतने बड़े मामले में विरोधी दलों के बड़े-बड़े नेताओं ने भाग नहीं लिया। आज चरण सिंह यहां होते, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां होते, दूसरे बड़े नेता यहां बैठे होते तो मुझे कहने में कुछ अच्छा लगता, फिर भी मैं कह सकता हूं—1977 के पहले जब जनता पार्टी नहीं थी, अलग-अलग पार्टियां थीं, उन्होंने गेहूं का 125 रुपये क्विंटल का भाव मांगा था और गन्ने का भाव 20 रुपये से 25 रुपये का मांगा था। जब इन पार्टियों की जनता पार्टी बनी और वे सरकार में आये तो ए०पी०सी० ने उनको भी प्रभावित कर दिया और कमीशन के तर्क को उन को भी मानना पड़ा—वे 105 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव और 13 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव देकर हट गये। इसका मतलब है.....।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

श्री लियोनिद आई. ब्रेजनेव की भारत की राजकीय यात्रा की समाप्ति पर संयुक्त घोषणा

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी०नरसिंह राव) : मैं सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत की प्रिजिडियम के चेयरमैन महामहिम श्री लियोनिड आई ब्रेजनेव की भारत की राजकीय यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय से रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1549/80)

कृषि उत्पादों के लिए किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के बारे में प्रस्ताव—जारी

श्री जैनुल बशर : मैं निवेदन कर रहा था कि ए०पी०सी० के जो आग्यूमेंटस थे, उनसे जनता पार्टी के नेता भी प्रभावित हो गये और उन्होंने भी किसानों के दाम नहीं बढ़ाये। मेरे पास अधिक समय नहीं है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने इन साथियों से पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो 70-75 फीसदी किसानों की बात की जाती है उनमें कितने फीसदी किसान स्माल-फार्मर्स हैं, कितने फीसदी किसान मार्जिनल-फार्मर्स हैं और कितने फी-सदी लैण्ड-लैस फार्मर्स हैं - खुद डा० लोहिया ने, जो इन बहुत सारे लोगों के पैगम्बर थे, कहा था—सवा-छः एकड़ से कम की जोत अलाभकर है, उसका लगान माफ होना चाहिए। तो कितने फीसदी किसान सवा 6 एकड़ से कम के किसान हैं ? केवल 25-30 फीसदी किसान ऐसे होंगे जो कि अपने अनाज को, अपने गल्ले को या और चीजों को बाजार में बेचते होंगे। आप देखिए कि आज किस चीज का टकराव है। आज बड़ा किसान यह सोचता है कि उद्योगपति को और व्यापारी को लाभ हो रहा है, वह कमा रहा है और बड़े किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, इसमें दो राय नहीं हैं उपाध्यक्ष जी कि आज उद्योगपति और व्यापारी पैसा कमा रहे हैं, उन पर काबू पाया जाना चाहिए, लेकिन सरमाएदारों का एक और क्लास हम पैदा नहीं कर सकते। गांव में रहने वाले पूंजीपतियों का एक और क्लास पैदा नहीं कर सकते जो बिना पूंजी के, बिना सरमाए के लोगों का शोषण कर रहा है, अगर उसके पास पूंजी दे दी जाए तो फिर इस देश में समाजवाद की बात आप नहीं कर सकते। इस देश में आप लोगों को न्याय दिलाने की बात नहीं कर सकते, इस देश में आप कमजोर और पिछड़े लोगों को और हरिजनों को ऊपर उठाने की बात नहीं कर सकते। आपको पूरे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इस समस्या को

समझना होगा। बढ़ा दीजिए दाम। अभी एक सवाल के जवाब में कहा गया है इस पार्लियामेंट में कि 48.13 प्रतिशत लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उपाध्यक्ष जी, कल्पना कीजिए कि जितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के जस्ट अबव हैं, गरीबी की रेखा के थोड़ा ऊपर हैं क्या वे सब अपनी पैदाबार बेचते हैं ? कितने किसान हैं जिनके पास 6 महीने खाने के लिए गल्ला होता है, 3 महीने खाने के लिए गल्ला होता है, 9 महीने खाने के लिए गल्ला होता है ? क्या आपने कभी अंदाज लगाया उपाध्यक्ष जी कि यह जो फौज खड़ी हुई है लैण्ड लैस फार्मर्स की, भूमिहीन किसानों की जो बहुत बड़ी फौज हमारे देश में बनी हुई हैं वह कहां अपना गल्ला बेचता है, उसको जो मजदूरी देना है, उसके बारे में कभी आपने सोचा ? कुछ कम्युनिस्ट दोस्तों ने 70 फीसदी में उनको भी मिला लिया, छोटे किसानों को भी मिला लिया, ये तो सिर्फ इसलिए बात करते हैं कि आंदोलन चल रहा है, इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहिए। आप राजनीतिक लाभ नहीं उठा सकते। कांग्रेस किसानों की पार्टी है, किसानों की समस्या को वह समझती है। किसान समझते हैं, कि आप किसानों की बात कहकर उनके मित्र नहीं हो सकते। आज प्राइस बढ़ा दीजिए 60 से 70 प्रतिशत, उससे उपभोक्ता हिट होगा, किसानों के पास पैसा जाएगा, वह पैसा लेकर बाजार में जाएगा, उतना प्रोडक्शन आपके पास है नहीं, उससे प्राइस बढ़ेंगे, प्राइज इंडेक्स बढ़ेगा, मजदूर वेतन बढ़ाने की बात करेंगे, मंहगाई भत्ते की मांग करेंगे, तब आप कहां जाएंगे। तो सोच समझ कर सरकार को कदम उठाना चाहिए। बहुत सोच समझकर सरकार को कदम उठाना होगा। ऐसे उपाय अवश्य निकाले जाने चाहिए जिससे छोटे किसान, मार्जिनल फार्मर्स को फायदा हो। सवा छः या सात एकड़ जितनी आप सीमा निर्धारित कर दें उससे नीचे के किसानों को किस तरह से फायदा हो सकता है यह आपको सोचना पड़ेगा। उनको आपको सबसिडी देनी पड़ेगी, उनके लिए सिंचाई की दर कम रखनी होगी और उनकी जो पैदावार है उसके आपको अधिक दाम उनको देने पड़ेंगे।

श्री चित्त बसु : अब लगभग छह बजने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चार घंटे का समय निर्धारित किया था। लेकिन दोनों ओर से कुछ और कहना है। सभा क्या चाहती है ?

श्री रामावतार शास्त्री : आप इसके लिए कल दो घंटे तक समय बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, हमें इस पर चर्चा आज ही पूरी करनी है। सभा क्या चाहती है।

प्रो० मधु दंडवते : सभा यह चाहती है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिये जाने चाहिये।

श्री यशवंतराव चव्हाण : दो घंटे तक समय बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः सभा यह चाहती है कि दो घंटे तक समय बढ़ा दिया जाये। दो घंटे तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री जैनुल बशर ; मैं यह कह रहा था कि जो छोटे किसान हैं और उनके लिए आप कोई सीमा निर्धारित कर सकते हैं उनके लिए आपको सबसिडी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हर चीज उनके लिए आपको सबसिडाइज्ड रेट्स पर देनी होगी। ऐसा आपने किया तब जाकर बड़ी संख्या में जो किसान हैं, सत्तर फीसदी जो ये किसान हैं, इनको लाभ होगा। थोड़े से बड़े-बड़े किसानों की बात नहीं होनी चाहिए और इन थोड़े से किसानों को पूंजीपति बना देने की बात करना देशहित की बात नहीं है। हमारे मन्त्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से समझ लें और इस सम्बन्ध में जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है, करें।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : जो प्रस्ताव रखा गया है यह सीमित उद्देश्य को लेकर रखा गया है। इसमें कहा गया है कि किसान से जिन चीजों को पैदा करवाया जाता है उनके दाम आज की देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए और दूसरी चीजों के बढ़े हुए दामों को देखते हुए तय किए जाने चाहिए। उनके मुकाबले में आज इनको कम दाम मिल रहे हैं।

मैं समझता हूं कि छोटे किसान और बड़े किसान का जो विवाद खड़ा किया जाता है यह उचित नहीं है। छोटा और बड़ा किसान जो कुछ भी पैदा करता है उसको वह बेचता है। गांव में हम भी रहते हैं और हम भी इस चीज को जानते हैं। जब उसकी पैदावार सामने आती है उस समय उसको पैसे की जरूरत होती है। थोड़े पैसों की जरूरत होती है तो थोड़ा बेचता है और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो ज्यादा बेचता है। फिर बाद में उसको स्वयं चाहे उसको उस चीज को बाजार से खरीदना ही क्यों न पड़ता हो। कीमतों के मामले में छोटे-बड़े का भेद जो कि आजकल ज्यादातर हो रहा है इसको ज्यादा न करें तो अच्छा होगा।

कीमतों का सवाल एक बड़ा मोटा सवाल है। इन्होंने प्रस्ताव के अन्त में कहा है कि एक कमीशन और बिठाया जाना चाहिए। आज इन चीजों की जांच पड़ताल करे कि हमारी अर्थ व्यवस्था में एग्रीकल्चर की चीजों की क्या कीमत हो।

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : स्टेट्यूटरी कमीशन बनवाना चाहते हैं जो सरकार का अख्तियार ही न रहे।

श्री नाथूराम मिर्धा : पता नहीं इनका क्या इरादा था। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1971 में बना था जो 1975 तक चला था, जितने भी खेती के विशेष मुद्दे हैं खास तौर से जो जमीन से उत्पादित होने वाली चीजें हैं, जानवरों और जंगल से उत्पादित होने वाली चीजें हैं उन सब पर उसने काफी विचार-विमर्श किया है। उसमें किसी प्रकार की कमी की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। ऐसे अहम मसले पर जहां 38 वौल्यूम्स लिखी गई हों, कम से कम उन वौल्यूम्स को माननीय सदस्य पढ़ें और आगे के लिए दिशा दें जो किसानों के बारे में इतने चिन्तित हैं। कृषि के किसी भी आस्पेक्ट को नहीं छोड़ा, आज तक ऐसा विवेचन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। कितने लोगों ने उन रिपोर्ट्स को पढ़ा है? सरकार के सामने मैंने इस सवाल को उठाया था कि इसकी जो मुख्य सिफारिशें हैं विशेष तौर से उन पर आप गौर करें।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : बहुत सी मानी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मेन सिफारिशें हैं हाट बाजारी के बारे में वह क्या आपने मानी हैं ? आप 5, 6 करोड़ रु० भी हाट बाजारी व्यवस्था पर खर्च नहीं करते। बाजारी की व्यवस्था को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे जो हमारे लोकतन्त्र के अनुकूल हो तब तक काम नहीं चलेगा। किसान कोई चीज पैदा करे, अंडा हो, दूध हो, कीमत तय करने वालों का जो पैटर्न बना हुआ है, जंगल में पैदा होने वाली चीजों का जो पैटर्न बना हुआ है कहां उसमें सारी बातों का ध्यान होता है ? कितना मार्जिन किसान को मिल रहा है, कितना कंज्यूमर को मिल रहा है इस सारी व्यवस्था को चलाने के लिए तरीका बताया हुआ है लोकतन्त्र के अनुसार। उसको आपको मानना चाहिए। रिपोर्ट में खास तौर से कोआपरेटिव मारकेटिंग पर बड़ा जोर दिया गया है। हमारी मंडियां बनी हुई हैं कोआपरेटिव मारकेटिंग की। लेकिन उनमें से 99 प्रतिशत डिफेक्ट हैं। इसी तरह से स्टेट्स और सेन्टर के वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन्स बने हुए हैं, लेकिन उनमें माल दिन का स्टोर किया जाता है, बड़े-बड़े व्यापारियों का। किसानों का माल एक-दो परसेंट भी नहीं है। अगर किसानों का माल वेयर हाउसेज में रहने लगे और उसकी रिसीट के आधार पर उनको एडवांस दे दें और फिर उनका माल विकवा दें तो किसान को बहुत लाभ हो। आखिर यह मारकेटिंग संस्थायें किसके लिए बनी हैं ? जिस परपज के लिए बनी हैं क्या वह काम हो रहा है ? हमने लिखा है कि जो आलरेडी इन्स्टीट्यूशन्स बने हुए हैं उनका काम वह नहीं है जो होना चाहिए। और जो दूसरी तरह से एक्सप्लायटेशन होता है वह जारी है। मंडियों को रैगूलेट करने के बारे में काम हुआ। पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। आज गांवों के अन्दर कोई चीज खरीदने वाला नहीं है। गांव में टमाटर चार आना किलो मिलता है लेकिन वही चीज शहर में 4 रु० किलो मिलेगी।

इतना फर्क कैसे हो गया ? मैं एक चीज की मिसाल दे रहा हूं। ये सारी चीजें दूध पर लागू हैं, अंडे पर लागू हैं, और दूसरी चीजों पर लागू हैं। गेहूं की आज क्या पोजीशन हो रही है ? गेहूं के दाम ए० पी० सी० ने कहा 117 से 127 करने के लिए, आप कितना करेंगे मुझे पता नहीं। लेकिन आज गेहूं का हाल क्या हो रहा है ? आपके गोडाउन्स में गेहूं नहीं है। आगे स्टोर कैसे करेंगे ? स्टोर नहीं करेंगे तो आगे गेहूं का हाल क्या होगा ? गेहूं की हालत जैसी बाजार में चल रही है और जैसा आप कल यू० पी० वालों को जवाब दे रहे थे, मैंने अखबारों में पढ़ा, आप कह रहे थे कि आप ने पहले परचेज नहीं किया, प्रोक्योर नहीं किया अब हमारे पास गेंहूं नहीं है। दिल्ली वालों को आटा दे रहे हैं तो वह नाराज हो रहे हैं। यह गेहूं की पोजीशन क्या होने जा रही है ? चावल की पोजीशन जरूर ठीक है। इसी तरह कभी आप गेहूं में फंसते हैं कभी गन्ने में फंसते हैं, कभी किसी और चीज में फंसते हैं, कभी आलू कभी प्रोनियन ग्लट होता है। इन सारी चीजों के बारे में मार्केटिंग की व्यवस्था करने की बात कमीशन ने कही है। देश की और कुछ नहीं बढ़े तो पापुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है और पापुलेशन बढ़ती ही जाएगी। कब कितनी बढ़ेगी इसके आंकड़े भी हैं, इसका भी एस्टीमेट आप के लोगों ने लगा रखा है। उसी के हिसाब से कितनी चीजें कैसे पैदा करेंगे उसका रास्ता बताया है। आज आपकी तरफ से एक-एक कमोडिटी बोर्ड बना

कर इन सारी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है कि इन-इन चीजों को पैदा करने की जरूरत है और आपके इस विंग में यह काम होगा, यह तय करना पड़ेगा। उत्पादन बोर्ड बनाने पड़ेंगे। एरिया डाइवर्शन करना पड़ेगा। जिन क्राप्स की जरूरत है उसको अगर नहीं पैदा करेंगे और शुरू से, प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक उसकी सिस्टेमेटिक व्यवस्था अपने तरीके से नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर डीटेल में यहां डिस्कस करने का टाईम नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को कौन देख रहा है ? यह जो एग्रीकल्चर का विषय है यह सारा का सारा स्टेट्स के पास है। कितनी स्टेट्स मनमाने ढंग से चल रही है ? अभी कह रहे थे महाराष्ट्र वाले कि बाहर भेजने की इजाजत दे दो। हर स्टेट मनमानी कर रही है। सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन हो, उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक क्या व्यवस्था हो यह कौन सोचेगा ? आज अगर आपकी सरकार यह नहीं सोच सकती तो मेरे ख्याल से आगे कोई सोचने वाला नहीं होगा क्योंकि आज हालत यह खड़ी हो रही है— कभी किसान को आप ने देखा बाजार में खड़े होते हुए और सड़कें रोकते हुए ? कभी आज तक नहीं ऐसा सुना और आज आप सोचिए किसान बाजारों में आकर खड़े हो रहे हैं जबकि उनको अपने खेत के काम से मरने के लिए फुर्सत नहीं। कारण यह है कि आज गले तक यह मर गया। आज किसानों की हालत क्या हो गई है यह तो देखिए। जिन्हें आप बड़े किसान कहते हैं वह बड़े किसान लाखों के कर्जे में पड़े घूम रहे हैं। आप खुद खेती करते हैं जानते होंगे। मैं भी ऐसी खेती करता हूं, माननीय सुखाड़िया साहब को पता होगा, आज हमारी क्या हालत हो रही है। जिनको आप बड़े-बड़े किसान कहते हैं वह लाखों के कर्जे में हैं, ट्रैक्टर की किस्त देने के लिए उसके पास पैसा नहीं हैं। ट्रैक्टर के दाम आप देखिए कितने बढ़ गए। आज से छः सात साल पहले जो ट्रैक्टर 20 हजार रुपये का था वह आज 80 हजार का हो गया। तो कहां दाम पहुंच गए ट्रैक्टरों के, कहां दाम पहुंच गए दवाओं के, फर्टिलाइजर के ? फसलों में रोग लग रहे हैं। पानी की कमी थी तो लोगों ने सरसों बोयी, उसमें रोग आ गया। उसकी दवाई नहीं मिल रही है और अगर मिल रही है तो उसमें मिक्सचर मिल रही है, दवाई एफेक्टिव नहीं साबित हो रही है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई प्राबलम्स हैं। इन प्राबलम्स को अगर आपकी सरकार नहीं सोचेगी, पानी नाक से ऊपर बह जाएगा तो देश के अंदर जबर्दस्त बगावत होगी और किसान अगर गलियों के अंदर आ गया तो मारे जायेंगे। यह किसी के हित में नहीं है आपके हित में है न हमारे हित में है। इन सारी चीजों के बारे में आप गहराई से सोचें। मंत्री महोदय स्वयं किसान हैं, किसानों की क्या-क्या कठिनाइयां हैं वह स्वयं जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आयोग की रिपोर्ट के ऊपर कम से कम चार पांच दिन डिस्कशन हो··· (व्यवधान)·· मैं उनसे क्या मांगू, आप जोर देंगे तो वह भी मानेंगे, मेरे कहने से कौन करता है ? आप कहिए कि यह हाऊस चार-पांच दिन नेशनल कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए बैठे और उसको डिस्कस करें। यह बड़ा अहम सवाल है क्यों कि और दूसरी चीजों में मजदूर आन्दोलन करेंगे तो कुछ ले देकर आप उनको मना लेंगे। राज कर्मचारी मांग करेंगे, सूचकांक बढ़ेगा तो उनका भत्ता आप बढ़ा देंगे। बाकी दूसरे ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, या कुछ भी करके पैसे कमायेंगे। जो रात-दिन काम करता है, हड्डी तोड़ता है, उसके पानी नाक तक आ जाए और फिर यह कहा जाय कि आन्दोलन कर रहे हैं, ठोको इनको लाठियों से, यह चीज नहीं चलने

वाली है। देश बर्बाद हो जायेगा, इसलिए मैं विशेष तौर से आपकी सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके पास थोड़ा सा कन्ट्रोल है, आप कोई फैसला कर लीजिए तो दूसरे भी उसमें हां कर देंगे। हमारे करने से यह नहीं होगा। आप सारे मामले पर सोच विचार कीजिए। डूबने की स्थिति आ रही है। अगर सारा देश खराब हो गया तो बड़ा नुकसान हो जायेगा। मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता। आप जरा चेत जायें और जरा ठीक ढंग से काम करें। अभी काम करने का वक्त है। ए० पी० सी० के क्या फंक्शंस हैं, यह भी उस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सारी बातें आपके सामने हैं जिन पर आपको गहराई से विचार करना है। वह कोई पोलिटिकल कमीशन नहीं था, वह एक बड़ा भारी टेक्निकल कमीशन था।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : आपकी ए० पी० सी० की रेकमेंडेशन तो मान ली है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं राष्ट्रीय कृषि आयोग की बात कर रहा हूं जिसने 2333 बातें बतलाई हैं। सारी बातें बड़ी गहराई के साथ दी गई है आप पढ़ेंगे तो 6 महीने लगेंगे और इतना टाइम है नहीं। दूसरे मंत्रियों के पास तो होने का सवाल ही नहीं है कोई टेलीफोन में तो कोई नाटक में, रंगीन दूर दर्शन में लगा हुआ है। अच्छा है, अपनी-अपनी मिनिस्ट्री के लिए वे नोचा-चोथी करते रहें लेकिन अगर आपकी मिनिस्ट्री की जड़ कहीं उखड़ गई तो उनका पता ही नहीं लगेगा क्योंकि पहला काम रोजी-रोटी का है। आज किसान की कमर टूट रही है वरना वह कभी आन्दोलन पर उतारू नहीं होता। इसमें 5-10 रुपए बढ़ाने से उसकी समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। आप मेहरबानी करके चार-पांच दिन लगातार बैठ कर राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पहले मेम्बरों को उसकी प्रतियां बांटी गई थीं, अब दूसरों को भी आप उसकी प्रतियां बांट दें।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : जो मांगेंगे उनके पास भेज दी जाएगी।

श्री नाथराम मिर्धा : उसके बाद गहराई के साथ अध्ययन करके इस पर चर्चा हो और आप किसी निर्णय पर पहुंचे।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : डिप्टी स्पीकर साहब, देश में नेशनैलिटी नहीं है, इंडिवीजुअलिटी है। जो मर्जी आप करलें, काम होने वाला नहीं क्योंकि लोगों में नेशनैलिटी नहीं है, उनमें इंडिवीजुअलिटी है अगर लोगों में नेशनैलिटी हो तो हड़तालें कभी नहीं होंगी। विलायत में मैंने लोगों को काली पट्टियां बांधे हुए देखा, मैंने उनसे कहा कि आप हड़ताल क्यों नहीं करते तो उन्होंने कहा कि नेशन का नुकसान हमें नहीं करना है। तो यह फर्क है हममें और उन लोगों में जिनसे कि हम मुकाबला किया करते हैं। जो हमारे किसान हैं जो कि चीजें पैदा करते हैं वे तो एजिटेशन कर नहीं सकते, यह एजिटेशन तो लैण्डलार्ड कर रहे हैं और वही लोगों को उकसाते

हैं। देश में अभी लैण्ड रिफार्म हो नहीं रहा है। जो जमीनें थीं उनको बड़े-बड़े लैण्डलार्ड्स ने अपने बच्चों, लड़के लड़वियों के नाम कर रखा है। यही वजह है कि आज बड़े-बड़े लैण्डलार्ड्स के पास ट्रैक्टर्स हैं। जिसके पास ट्रैक्टर होगा वह किसान कैसे हुआ? जो ट्रैक्टर का 73 हजार रुपया दे सकता है, वह किसान है। किसानों का नाम लिया जाता है, लेकिन लैंडलार्ड्स किसानों की परवाह नहीं करते।

अभी यहां पर बड़े-बड़े शानदार तरीके से सदस्य बोल रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हल कौन चलाता है—हल चलाता है हरिजन—जिसका कि नाम नहीं लिया जाता है। एक दफा पंडित जवाहर लाल नेहरु डलहौजी 1954 में गए थे। मैंने उनसे कहा कि यहाँ बुरी हालत है, लोगों को जमीन से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में खुरपा है, जमीन उस के पास जाएगी। मैं पूछता हूं कि जमीन जिसके हाथ में खुरपा है, उसके हाथ में है या जो कारों में चलते हैं, उनके पास है। जब तक लैंड रिफार्म नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। देश में आबादी बढ़ रही है। 33 हजार बच्चा नया रोज जन्म लेता है, इसका क्या आप इन्तजाम करोगे।

मैं आपको पंजाब और हरियाणा की बात बताता हूं। वहां जमीदार मौज करते हैं ऐश करते हैं। अभी लैंडलैस के बारे में कुछ नहीं किया गया, अगर किया गया होता तो चौ० चरणसिंह लोगों को मार नहीं सकता था। हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया। देवी लाल ने वोट नहीं डालने दिया। यह किसका कसूर था, क्या हमारा कसूर है। चरण सिंह की सात एकड़ जमीन होती, जिसको वोट नहीं दिया था उसकी भी सात एकड़ जमीन होती, उसके पास भी लाठी होती, उसके पास भी लाठी होती। लेकिन आज जिसके पास जमीन है, उसके पास लाठी है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसके पास लाठी नहीं है। इसलिए यह जो आन्दोलन हो रहे हैं, ये बिग फार्मर्स करा रहे हैं। वे भी जो हरिजन गरीब होते हैं, उनको आगे कर देते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं। कारें रखी हुई हैं, बच्चों के लिए कारें हैं, स्कूल जायेंगे तो कार में जायेंगे मैं कहना चाहता हूं यदि सारी जमीनें बांट दी जाए तो न तो ट्रैक्टर की जरूरत है। और नहीं डीजल की जरूरत है। इससे डीजल का मसला भी हल हो जाएगा। इसलिए मेरी पहली तजवीज यह है कि आप पहले लैंड रिफार्म को देखें जिसे डीजल का मसला भी हल हो जाए। आपको चाहिए प्राइस मुकर्रर कर दें, उसको इधर-उधर न होने दें। अगर कीमत बढ़ जाए, तो सब्सिडाइज कर दो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो भी कानून बनाए गए हैं, उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है। जिसका यह नतीजा हो रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है।

मैं बड़ा हैरान हूं आप कहते हैं कि पंजाब में गन्ना जमींदार नहीं लाता है। सारी मिलें चल रही हैं। हर एक आदमी लाता है। महाराज यह जो कोआपरेशन है, यह तो करप्शन है। आप कहते हैं कि हमारा सिस्टम खराब है, कुछ नहीं हुआ है हिन्दुस्तान में।

श्री रामावतार शास्त्री : कौन कहते हैं?

श्री सुन्दर सिंह : आप कहते हैं। चीन मानता है कि डेवलपमेंट हुआ है। रूस मानता है। आपके गुरू मानते हैं। पता नहीं आप गुरू को मानते है या नहीं मानते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन शास्त्री जी नहीं मानते हैं। तुम अपने गुरू के रास्ते पर ही चलो..।

उपाध्यक्ष महोदय : वह गुरू कौन था ?

श्री सुन्दर सिंह : पता नही इनका रूस गुरू है अब चीन गुरू है, लेकिन वे उनकी बात को भी नहीं मानते। हम तो डेबलपमेंट चाहते हैं, डेबलपमेंट करते हैं, लेकिन तुम बच्चे पैदा करते हो। यह सारा सिलसिला आबादी का है, इसको नही घटाया गया, तो गड़बड़ हो जाएगी।

आप क्या प्रार्थना करते हैं—अपने परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि सारे दुनिया के अस्तियारात हमको मिल जाय, सारी दुनिया की जमीन हमें मिल जाय, हम चाहे किसी को दे या न दें। यह आपकी प्रार्थना। लेकिन यह नेशनेलिटी की बात नहीं है। आप चाहे जो बात कर लीजिए, लेकिन इस तरह से यह सिलसिला चलने वाला नहीं है। आप मशीन की बात करते हैं-महात्मा गांधी जी कहते थे—आप डेड— मशीन को तरजीह देते हैं, लिविंग—मशीन को नहीं देते हैं। हमारे पास इन्सानों की बहुत बड़ी फौज है।

आज क्या हो रहा है—जो एजीटेशन हो रहा है उसको बड़े किसान चला रहे हैं, अपने लिए चला रहे हैं, जगो का नारा लगा रहे हैं। जैसे हमारे यहां पंजाब में नारा लगाते हैं— सिख धर्म खतरे में है। कहीं सिख धर्म खतरे में नहीं है, जमीदार लोग खतरे में हैं। इसलिए आज छोटे जमीदार और किसान मिल जांय और उनके साथ हरिजन मिल जांय तो हमारी आबादी 85 फीसदी हो जायगी। ये जो एक्सप्लायटर्स हैं ये कारों में चलते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हिसाब-किताब रखते हैं, बड़ा शानदार फीसदी का हिसाब बनाते हैं—यह फीसदी ठीक नहीं है। इस लिए मैं कहता हूं—अगर आप चाहते हैं कि सिलसिला ठीक हो जाय, तो इकट्ठे हो जाओ। क्यों नहीं हो रहा है ? इसलिए कि अपोजीशन निकम्मी है। वह ठीक हो तो हम भी ठीक हो जांय। इसलिए सीधी बात यह है कि ठीक हो जाना चाहिए, फिर दूसरे पर असर होगा। सब गरीब आदमियों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। बिग—जमीदारों से, इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स से होर्डर्स से, बचना चाहिए। होर्डर्ज तो आज बिग—जमीदार हो रहे हैं, सब देहातों की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि लेंड रिफार्म किया जाय। लैण्ड रिफार्म के वगैर काम नहीं चलेगा।

यह भी देखना चाहिए कि कौन आदमी नेशनेलिटी के लिए लड़ता रहा है—उसका पता लगाना चाहिए। वे कौन आदमी हैं जो आज कांग्रेस में आ गये हैं, उनकी जायदाद का पता लगाना चाहिए। ये वे लोग हैं जो किसी वक्त अंग्रेजों के हक में थे और आज चौधरी बने हुए हैं।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : देश के एक बड़े हिस्से के लिए, जो देश की आबादी का 70 प्रतिशत है उसकी छोटी से छोटी मांगों के लिये, उचित मांगों के लिये, हमारे

माननीय सदस्य श्री चित्त वसु यह प्रस्ताव सदन में लाये हैं, [illegible] सिर्फ 4 घन्टे का समय निकाला गया है, यानी देश की 70 फीसदी आवादी के लिए सिर्फ 4 घन्टे का समय''''।

श्री रामावतार शास्त्री : 6 घन्टे हो गये हैं।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या हो गया। यह 70 फीसदी आवादी का मसला है। आज जब किसान जागा है उसके बाद ऐसा प्रस्ताव लाया गया है और राजकीय पार्टी वाले भी उसमें शामिल हो गये हैं।

आज तक इस देश में खेत की पैदावार के बारे में सरकार का क्या रवैया रहा है ? हमेशा देश में पैदा होने वाली खेत पैदाइश वस्तुओं के भाव कम रख कर और बाहर से ऊंचे मूल्य पर उस चीज को मंगा कर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की गई है। एक तरफ खेती के नीचे दाम दूसरी तरफ किसानों के इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं, जैसे खेती में काम आने वाले इनपुट्स हैं उनके दाम ज्यादा रहे हैं, उनकी पैदाइश की जो भी प्राइस निश्चित होती रही है, उसका अलग तरीका चलता रहा है।

(सभापति महोदय (श्री एच० एन० मिश्रा) पीठासीन हुए)

किसानों के प्राइज के लिए दूसरा तराजू चल रहा है देश में। [illegible] सभापति जी, उद्योगपति द्वारा जो माल पैदा किया जाता है उसका प्राइस कैसे तय किया जाता है, उसमें हर प्रकार की लागत का खर्च शामिल होता हैं, उद्योगपति के बादशाही खर्चे भी उसमें शामिल होते हैं, उसके डेप्रीसिएशन इन्वेस्टमेंट रिवेट, डेवलपमेंट की दर आदि निकाल दिया जाता है, इसके बाद ऊंचा मुनाफा जोड़ा जाता है, बाद में प्राइस निश्चित होता है और किसान की पैदावार का भाव किस तरीके से तय होता है, उसका पैदाइश के पीछे जितना खर्च होता है वह भी उसको नहीं मिलता है और हम 30 साल से देख रहे हैं किसान कहां है। किसान आज जागा है, आंदोलन कर रहा है, कभी-कभी हिंसक आंदोलन भी हो जाता रहा है, जो कुछ चल रहा है उसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं ऐसा कहा जाता है कि शांति से आंदोलन करने चाहिए लेकिन शांति आंदोलन की बात तो कोई नहीं सुनता, फिर इच्छा न होते हुए भी आंदोलन हिंसक हो जाता है फिर दोष दिया जाता है हिंसक आंदोलन को। किसान के आंदोलन के बारे में भी यह हालत है अपनी चीज के जितने दाम वह मांग रहा है, उचित दाम मांग रहा है अधिक दाम नहीं वह भी हम देने को तैयार नहीं हैं।

आज आप देखिए कि किसान को आप क्या दे रहे हैं। किसान भी एक श्रमिक है जो कि 15-15 घंटे तक काम करता है। रात-दिन, सर्दी में, धूप में काम करता है, लेकिन उसको क्या मिलता है। रात के 12 बजे भी अगर गाय व्याह रही है तो उसको जागना पड़ेगा। रात को ही बिजली मिलती है, तो खेती ज्यादातर रात को ही करनी पड़ती है। सर्दी हो चाहे कुछ हो, कई कई दिन अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाता, लगातार काम करता है, तब भी उसको दाम उचित नहीं मिलता उसके लिए बोनस की कोई

परवाह नहीं करता है, उसके लिए प्रावीडेंट फण्ड का कोई प्रावधान नहीं है। आर्गेनाइज्ड सेक्टर में हाउस रैन्ट भी है, मेडीकल अलाउन्स है, ओवर टाइम है, कृषि के लिए क्या है। दूसरों को महंगाई का अंक बढ़ेगा तो महंगाई मिलेगी, लेकिन कृषक जो खर्च करता है वह भी आप देने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर कहते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन न करें तो क्या करें। यह देश बौद्ध, गांधी का अहिंसावादी देश है, इसलिए अभी तक वे बैठे रहे, अब जब देखा कि उसकी मांग पूरी करने का इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहा तब आंदोलन किया है। इनकी मांग उचित है। जो पैदावार में खर्च होता है वह भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी फसल की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है? अकाल होता है, सूखा होता है, बाढ़ आती है, उसकी पूरी फसल साफ हो जाती है, उसकी फसल के बीमे का प्रावधान नहीं है, हैं, क्या आपने उसकी सुरक्षा निर्धारित की है?

कृषि की पैदावार में दूध है जोकि 5 घंटे से ऊपर नहीं रख सकते, स्टोर करने की बात तो दूर रही, इसको कोआपरेटिव के माध्यम से वितरित करते हैं तो उपभोक्ता को भी अच्छी चीज मिलती है और उसका मूल्य भी अच्छा मिल जाता है। आज जब चारे का दाम बढ़ गया, फिर भी फ्रेट रेट बढ़ाया गया खलिहान का दाम बढ़ गया, गाय भैंस का दाम बढ़ गया, डीजल पैट्रोल का दाम बढ़ गया, फर्नेसआइल का दाम बढ़ गया तब हमारे कृषक ने मांग की कि दूध का दाम बढ़ा दिया जाए तो गुजरात में क्या हुआ, फौरन आवश्यक धारा के अन्तर्गत दूध को लाया गया। और किसानों की दूध उत्पादक कोओप्रेटिव सोसाइटी पर कब्जा करने की उनकी कोआपरेटिव डेरी पर कब्जा करने की तैयारी की गई और दूसरी तरफ डीजल की कमी का जो सामना देश को करना पड़ता है उस समय आयल रीफाइनरी के मजदूरों ने जब आंदोलन किया तो मंत्री लोग दौड़े-दौड़े उनके पास पहुंच गए और उनकी सब मांगें स्वीकार कर ली। लेकिन किसान जब दूध के उचित दामों की मांग करता है तो आवश्यक धारा निकाल कर उसको दबाया जाता है, उनको डांटा जाता है, पीटा जाता है। आज किसान जाग उठा है। वह मरने के लिए भी तैयार है। किसान अहिंसा में विश्वास करता है हिंसा में नहीं। लेकिन किसान देख रहा है कि औद्योगिक मजदूरों को क्या मिल रहा है, औद्योगिक पैदावार के दाम क्या हैं। फिर क्यों नहीं उसके पैदावार के दाम के साथ भी न्याय होता? आज वह न्याय की मांग कर रहा है। लाखों की संख्या में किसान एकत्र होते हैं और शांति से आंदोलन करते हैं। लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। शान्त प्रतिकार करने वालों के साथ क्या हुआ है इसका उदाहरण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिल गया था। महसाना में इन शान्त प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और बेरहमी से उनको मारा, टीयर गैस के गोले छोड़े, गोली बार किया। जिस तरह से डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अन्धाधुन्ध गोलीबार किया था, लोगों का कहना है उसी तरह के मैदान को चारों ओर से घेर कर किसानों पर गोलीबार किया गया है। ऐसा वहां के लोगों का कहना है। जब किसानों को पकड़ कर बसों में बिठाया जा रहा था तब यह सब कुछ किया गया। शान्त प्रदर्शनकारियों को इस तरह से पीटा जाएगा और उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाने से तो यह मसला हल नहीं होगा।

कोओपेटिव ढंग से पैदावार को बेचने की कोशिश की जाती है तो मार्किट नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसान को आलू और प्याज आदि का दो रुपया मन के हिसाब से मूल्य मिल पाता है जबकि उपभोक्ता को दो रुपये प्रति किलो के भाव पर प्याज और आलू को खरीदना पड़ता है। ऐसी बात न हो इसके वास्ते यह जरूरी है कि कोओप्रेटिव्ज को आप प्रोत्साहन दें, उनकी आर्थिक मदद करें। डा० कुरियन जैसे लोगों का आपको इसमें सहयोग लेना चाहिए।

जनता पार्टी के राज में सभी चीजों की क्या कीमतें थीं इनको भी आप देखें। तब क्या स्पोर्ट प्राइस थी इसकी बराबरी करके आप देखें। गन्ने का भाव साढ़े बारह रुपये था और चीनी ढाई पौने तीन रुपये किलो बिकती थी। अब गन्ने का भाव तेरह रुपये है जबकि चीनी का भाव 12, 15, 17, 18 और 20 रुपये तक पहुंच चुका है। मूंगफली का भाव तब 200 रुपये प्रति क्विंटल था और सात आठ रुपये किलो तेल मिलता था। आज तेल का क्या भाव है, काटन का क्या है इसको आप देख सकते हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आप कई प्रकार की रियायतें देते हैं। वही रियायतें यहां भी कृषकों को मिलनी चाहिए, उनकी सहकारी समितियों को मिलनी चाहिए। जहां पर कोआप्रेटिव्ज न हों वहां आपको मार्किटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। किसान की पैदा की हुई वस्तु का पूरा भाव उसके सब खर्चों को देख कर उसको मिलना चाहिए। यह चीज सारे देश में और हर वस्तु पर लागू होनी चाहिए। किसान कोओप्रेटिव के माध्यम से अगर कोई काम करें तो उनकी आपको मदद करनी चाहिए।

हर चीज का दाम बढ़ा है। कृषि के दामों में जो लोग संलग्न हैं उनको पता होगा कि बैलों से खेती करने में ट्रैक्टर्ज के मुकाबले में ज्यादा खर्च होता है। बैलों को बारहों महीने किसान को खिलाना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था हर जगह पर नहीं है। उससे कृषि का काम साल में कितने दिन होता है इसको आप देखें। जबकि उसको साल भर बैलों को खिलाना पड़ता है। इसलिए छोटे-छोटे लोग मिलकर ट्रैक्टर और इलैक्ट्रिक मोटर रखते हैं। जो रख भी सकते हैं उन पर कितना बोझ बढ़ गया है इसको भी आप देखें। डीजल के भाव बहुत ज्याद हो गए हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रख कर खेती की उपज के भाव तय होने चाहिएं और किसानों को मिलने चाहियें। इतनी ही उनकी मांग है।

काटन कारपोरेशन काटन की खरीद के लिए बना है। अब वह कहता है कि पंद्रह लाख बेल्ज एक साल में खरीदी जाएंगी। लेकिन उस साल में पांच सात लाख भी नहीं खरीदी जाती हैं। जब काटन बाजार में आने लगती है तब तो वह खरीद ही नहीं करता है। बीच में या जब किसान बेच चुकता है तब वह मार्किट में आता है और व्यापारियों से भी माल खरीदता है। काटन की खरीद का महाराष्ट्र ने जो किया है इसको आपको देखना चाहिए। इसी तरह से गुजरात में दूध के बारे से क्या हो रहा है, यह भी आपको देखना चाहिए। इन सब से सबक सीखने के बाद किसान की हर पैदावार के लिए ऐसा कुछ रवैया निकालना चाहिए जिससे खाने वालों को भी मंहगा न मिले और किसान को भी कुछ लाभ हो। किसान उत्पादक ही नहीं, बल्कि वह उपभोक्ता भी है।

छोटे-बड़े [illegible] बात कह के इस आन्दोलन से आपको आंख नहीं मूंदनी चाहिए। इस देश में अगर लैंड रिफार्म नहीं हुआ तो उसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं। इस देश में बहुत बड़ा हिस्सा तो छोटे किसानों का ही है। तो किसानों को उचित दाम मिले इसके लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सब कुछ बताया है इसको सरकार को मानना चाहिये। आज किसान जागा है। वह तीस साल तक बैठा रहा। इसलिए उसकी मांग को नजरंदाज नहीं करना चाहिए।

बिहार की पुलिस ने कैदियों की आंखें फोड़ी/लेकिन हम तो किसान को उचित दाम मिले इस बारे में आप ही आप अन्धे बन चुके हैं किसानों की मांगों के बारे में। जैसे पांडवों ने मांग की थी कौरवों से कि सिर्फ पांच गांव हमें दे दीजिए जो उन्होंने नहीं दिये, ऐसे ही किसानों की यह छोटी सी मांग है उचित दाम की, उस मांग के प्रति भी अगर आप आंख मूंदें और धृतराष्ट्र बन जायें तो इस देश में महाभारत होगा। ऐसी स्थिति न हो, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि शासन पक्ष को परमात्मा ऐसी बुद्धि न दे जिससे हालत और बिगड़े।

सभापति महोदय : महाभारत का श्री गणेश यहां से न हो।

श्री भेरावदन के० गधावी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, आज हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, जो भारत की लगभग 70 प्रतिशत ऐसी जनसंख्या से संबंधित है जो कृषि कार्यों तथा खेती में लगे हुए हैं। एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं ...।

सभापति महोदय : मेरा केवल यह अनुरोध है कि यह प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से नया दिखाई दे।

श्री भेरावदन के० गधावी : एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं वह है कि कृषक की परिभाषा क्या है ? वर्तमान में इस सभा में दिये गये भाषणों से पता चलता है कि वह ऐसा प्राणी है जिसके पास वास्तव में भूमि है, वही कृषक है। लेकिन यदि आप भारत के ग्रामीण गांवों में जायें और स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि जमीन के मालिकों के अतिरिक्त 60 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे हैं जो कृषि के कार्य में सहायता दे रहे हैं। लेकिन जब गुजरात में भुगतान का मामला आता है तो सरकार ने वहां पर कृषि श्रमिक के लिए 5.50 रुपये प्रतिदिन की मजूरी निर्धारित की थी तो श्री मोतीभाई चौधरी जैसे हमारे मित्र, जो अब किसानों के हित का प्रचार कर रहे हैं, गांवों में गये थे और कहा था "देखिए, यह एक ऐसी सरकार है जो कृषि श्रमिक को 5.50 रुपये प्रति दिन का भुगतान करने के लिए आपको बाध्य कर रही है ; यह उचित नहीं है।" अतः वे दो तरह की बातें करते हैं। ऐसी "दो प्रकार की बातें करने" की प्रवृत्ति का आज सामना करना होगा। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि श्री मिर्धा ने यह स्वीकार करने का साहस दिखाया था कि केवल वसूली मूल्य की अधिकतम सीमा में वृद्धि करके इस मामले का हल नहीं किया जा सकेगा। पूरे मामले पर इसकी समग्रता में विचार किया जाना है। क्योंकि अन्ततः जो आवश्यकता है वह यह है। क्या हम चाहते हैं कि किसानों की बढ़ी हुई आय हो अथवा क्या हम चाहते हैं कि किसानों की वास्तविक आय हो ? यदि हम चाहते हैं कि किसानों की वास्तविक आय होनी चाहिए तो पूरी अर्थ-व्यवस्था की जांच करनी पड़ेगी। हम लोगों को

किसानों के ऋणों का परिसमापन करने के बारे में सस्ते ढंग से बातें करते हुए देखते हैं। हम लोगों को बहुत सी सुविधाएं देने के बारे में सस्ते ढंग से बाते करते हुए देखते हैं। लेकिन परिणाम क्या है ? परिणाम मुद्रा-स्फीति है। एक वर्ष पूर्व मैं दिल्ली आया था। मैने विभिन्न लाबियां समर्थक गुट देखी थीं। एक लाबी उद्योग के लिए है। एक लाबी व्यापारियों के लिए है; एक लाबी औद्योगिक श्रमिकों के लिए है। लेकिन उन असहायों के लिए, जो इस भीषण सर्दी में खेतों में काम करने जाते हैं ; और ऐसे खेतों में काम करने वाले तथा फार्म श्रमिकों के लिए कोई भी लाबी नहीं है। ऐसे लोग जो जमीन जोतते हैं उनके लिए कोई लाबी नहीं है। लेकिन यह वे लोग हैं जो हमारे गांवों में जनसंख्या का 60 प्रतिशत हैं। शहरों में तथा हमारे शहरी क्षेत्रों में भी कुछ प्रतिशतता हो सकती है। श्रमिक जमीन जोतने में मेहनत कर रहा है और वह अपने पसीने द्वारा आजीविका कमाता है। उसे पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हम इस तथ्य को भुला नहीं सकते हैं कि अत्यन्त जरूरतमंद लोगों को कभी भी भुला नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे माननीय मित्र श्री नाथूराम मिर्धा बिलकुल ठीक थे जब उन्होंने इस बारे में कहा था हमें पूरी पद्धति को इसकी समग्रता के रूप में देखना है और पूरी पद्धति पर नये सिरे से विचार करना होगा।

माननीय कृषि मन्त्री एक ऐसे राज्य से हैं जहां सिंचाई की अच्छी सुविधायें मिली हुई हैं जबकि मेरे राज्य गुजरात में सिंचाई की इतनी सुविधायें नहीं हैं। हमें गुजरात में केवल 7 प्रतिशत सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं। मेरे मित्र श्री डोगरा ने कश्मीर के बारे में बताया था। ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक सड़क द्वारा जोड़े नहीं गये हैं। राजस्थान, उत्तर गुजरात और कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र का हम उदाहरण लें। हम बंगाल और पूर्वी भागों के जंगलों की ओर देखें और दक्षिण की ओर देखें। हम देखें कि किस प्रकार हम देश के विभिन्न स्थलाकृतियों का सक्षम हल कर सकते हैं। अतः इस मामले में देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा। और हम कृषि मन्त्री से आशा करते हैं कि वह इस समस्या के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनायें। हम कृषि मूल्य आयोग ए०पी०सी० के बारे में बहुत सी बातें सुनते हैं। किसी समय एक औषधि थी जो सिर के दर्द को कम किया करती थी। अब एक अन्य है जो ए०पी०सी० कहलाती है जो हमारे लिये अधिक सरदर्द पैदा करती है। कृषि मूल्य आयोग को कई बातों पर विचार करना पड़ता है, यह सच है। लेकिन देश के सामने उपस्थित समग्र समस्या पर व्यावहारिक दृष्टिकोण की जरूरत है। कृषि मूल्य आयोग में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कृषि भूमि नहीं देखी है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जमीन की किस प्रकार जुताई की जाती है। मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि हमें विकसित तथा विकासशील देशों के बारे में आर्थिक सिद्धान्त की एक अलग संकल्पना बनानी चाहिए। यह ठीक है, लेकिन जहां तक भारत का सम्बन्ध है, जरूरत इस बात की है कि देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो व्यावहारिक हों, जिनका दृष्टिकोण व्यावहारिक हो। यदि किसी व्यक्ति को हमारी भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सीमित ज्ञान है तो मुझे विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति वांछित परिणामों को नहीं दे सकता है। यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : दूसरे शब्दों में आप विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं।

श्री भेरावदन के० गधावी : मेरा निवेदन है जैसा कि किसी सदस्य ने कहा था और मेरा भी विचार है कि हमारे देश में किसानों की अलग-अलग श्रेणियां हैं, उनकी समस्याएं भिन्न-भिन्न हैं, उनके भूमि को जोतने और बुवाई के तरीके अलग-अलग हैं। अतः सीमित ज्ञान होने पर एक छोटा आयोग समस्या को हल नहीं कर सकेगा और यह गांव की विशाल समस्या को नहीं समझ सकेगा। आजकल हम आन्दोलनों को देख रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : आप कितना बड़ा एक आयोग चाहते हैं ?

श्री भेरावदन के० माधवी : हर जगह हम देखते हैं कि किसान आन्दोलन कर रहे हैं और शायद कुछ उग्र आन्दोलन हो सकते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि ये सभी आन्दोलन किसानों की समस्याओं को हल नहीं करेंगे। ये आन्दोलन केवल धमकियों के रूप में कार्य करेंगे और इससे किसानों की प्रगति रुक जायेगी और किसानों की मुसीबतें और बढ़ जायेंगी तथा उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये आन्दोलनात्मक प्रयास केवल और समस्याओं, कठिनाइयों तथा मुसीबतों को बढ़ायेंगे। माननीय सदस्य ने मेहसाना की घटना के बारे में उल्लेख किया था। अब इस घटना के पीछे कौन लोग थे ? वे गरीब कृषक नहीं है अपितु कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके पनपना चाह रहे हैं। अब समय आ गया है जब ऐसे व्यक्तियों को जो गरीब किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके पनप रहे हैं, इस देश के बाहर निकाल दिया जाए। अतः मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यद्यपि श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पढ़ने में अच्छा लगता है तथापि मैं इस प्रस्ताव के पीछे वास्तविक प्रयोजनों को अवश्य जानना चाहता हूं।

वे व्यक्ति, जो अपनी प्रगतिशीलता के बारे में बढ़-चढ़ कर बोल रहे हैं, जो आमूल-चूल परिवर्तन की वकालत करते हैं, जो समाजवाद का समर्थन करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो छोटे किसानों के पक्ष में सदैव बोलते हैं, वे सभी आग भड़काने, न कि इसे बुझाने, के लिए मिल गए हैं। अतः मैं विश्वास करता हूं कि किसानों की वास्तविक आय में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। इस देश में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियां, हड़तालें और ऐसी सभी बातें, जो अनुत्पादक हैं, तत्काल खत्म की जानी चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं आपका इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि कृषि मन्त्री, जो इस सभा में मौजूद हैं विभिन्न सदस्यों की भावनाओं का उचित नोटिस लेंगे और इस मामले में कुछ कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जो सवाल माननीय चित्त बसु ने सदन में उठाया है, मैं उसके संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो माननीय सदस्य कांग्रेस (आई) की ओर से बोलते थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से खेत मजदूरों और किसानों की विभिन्न श्रेणियों

के विषय में ऐसा काउन्टर-पोज किया है, जिससे लगा कि यह सैक्शनल मांग है, कुछ लोगों की मांग है, राष्ट्रीय मांग नहीं है। सही बात यह है कि आज किसानों को उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले, यह राष्ट्रीय मांग हो गई है। राष्ट्रीय इस सैंस में कि इसके जरिए आप देश के घरेलू बाजार को विकसित कर सकते हैं। इसके जरिए आप फौरन एक्सचेंज को बचा सकते हैं, इसके जरिए आप को देश में औद्योगिक विकास में सहायता मिल सकती है, इसके जरिए आपको देश में अन-एम्पलायमेंट की प्राब्लम को कुछ हल करने में सहायता मिल सकती है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जनता राज में गन्ने का मूल्य गिरा दिया गया, नतीजा क्या हुआ कि किसानों ने गन्ना बोना कम कर दिया और आपको बाहर से चीनी मंगानी पड़ी तथा यह लास-आफ-फौरन एक्सचेंज है। कृषि मूल्य की समस्या को जिन लोगों ने खेत मजदूरों की समस्याओं के साथ काउन्टर पोज किया है, उन्होंने ही इस प्रकार की देश में भ्रान्तियां पैदा की हैं। बिहार में खेत मजदूरों को तीन किलो मनिहारी मिलती है और पंजाब में खेत मजदूरों को कम से कम 10 रुपये मनिहारी मिलती है। तो आप ही बताइए कि पंजाब के किसानों की अपेक्षा बिहार के किसानों की हालत कैसे अच्छी हो सकती है। वहां जब वे हड़ताल करते हैं, तो किसान कहते हैं कि हमारा मूल्य बढ़ाइए, तो हम ज्यादा मजदूरी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह खेत मजदूरों के साथ समझौता हुआ है। इसलिए माननीय मंत्री जी इसको कोई सैक्शनल मांग न समझकर, एक राष्ट्रीय मांग समझें और इसको एक सीमित दायरे की मांग न समझें। चाहे आपकी सरकार हो और चाहे जनता पार्टी की सरकार, इन 33 वर्षों में उनकी भयंकर उपेक्षा हुई है। नतीजा यह हुआ कि करीब 5000 करोड़ रुपया किसानों की पाकेट से चला गया है, वह उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है, ब्लैक मार्केटियर्स के हाथ में चला गया है, मोनोपोलिस्ट्स के हाथ में चला गया है। क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि 33 वर्षों में किसानों की अपेक्षा नहीं हुई है। खाली जनता पार्टी, जनता—पार्टी रटने से समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। आपने चुनाव के वक्त में जो दीवारों पर लिखा था, उसको नहीं पहचानते हैं, जनता—पार्टी, जनता पार्टी करके किसानों के बढ़ते हुए ऊफान को आप रोक सकने में असमर्थ पायेंगे। किसान का आन्दोलन शुरू हो गया है। उसने एक नया आयाम दायर कर लिया है। उनके साथ खेत मजदूर भी है, इन्डस्ट्रियल वर्कर्स भी हैं। मुझे खबर मिली है कि बिहार के चंपारन जिले की हरिनगर चीनी मिल बन्द है वहां की जनता और वहां का किसान साथ दे रहा है, यह केवल बड़े किसानों की ही मांग नहीं है। आप जान लीजिए कि आन्दोलन बढ़ने जा रहा है। यह घटेगा नहीं। अगर समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया गया तो और कठिनाइयां बढ़ेंगी। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा है कि तूफान आने वाला है, उस तूफान को आप रोक नहीं पायेंगे। वह तूफान आपके सिर पर मंडराने वाला है और मंडरा रहा है। आपका रुख बातचीत करके समस्याओं को हल करने का नहीं है। आपका रुख दमन का है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में क्या हुआ है—वहां पर किसानों की जानें गई हैं उचित मांगों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है? आज कृषि मूल्य की समस्या क्यों उभर कर आ रही है? उसके उभर कर आने का एक ही कारण है और वह यह है कि इस देश की अर्थ-

व्यवस्था पूंजिपतियों की अर्थ-व्यवस्था है। अगर यही स्थिति रही तो उनकी समस्याओं का हल संभव नहीं है।

माननीय सभापति जी, आप को मालूम होगा—लेनिन ने इस समस्या का हल किया था। उन्होंने बतलाया था कि जो अविकसित देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, नये देश हैं, उनमें किसानों की समस्या को हल किये बगैर देश की तरक्की की सम्भावना का द्वार नहीं खुलने वाला है। उन्होंने इस समस्या को हल किया और हमने देखा है, वहां किसानों की समस्या हल हो गई है, लेकिन आपके यहां यह उभर कर आगे आ गई है, क्योंकि आपके देश को इन्टरनेशनल मोनोपोली कैपिटल ने लूटा है और आज भी लूट रहे है। आज भी जो नवोदित आजाद मुल्क हैं उनमें अन-ईक्वल ट्रेड के चलते लूट होती है, कच्चे माल की लूट होती है, यह चीज नये आर्थिक आर्डर के साथ जुड़ी हुई है। हिन्दुस्तान के किसानों को भी इन मोनोपोलिस्ट्स ने लूटा है, सरकार ने टैक्सों की भरमार कर के लूटा है, होर्डर्ज ने लूटा है, ब्लैक मार्केटियर्स ने लूटा है जब ऐसी लूट जारी रहे तो क्या पैच-अप वर्क करके समस्या हल होगी? समस्या का हल इस तरह से नहीं होगा, इस की व्यवस्था के लिए आप को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

अब मैं अपने कुछ सुझावों पर आता हूं, किन को माने बगैर आप किसानों का भला नहीं कर पायेंगे और कठिनाई में पड़ जायेंगे।

सभापति महोदय : अब आप गागर में सागर भर दीजिए और सुझावों तक ही सीमित रखिए।

श्री कमल मिश्र मधुकर : सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसानों की तमाम फसलों का लाभकारी मूल्य तय कीजिये और एनश्योर कराइये कि उसको वह मूल्य मिल सके। जैसे आप ने सपोर्ट प्राइस दी—काटन में दी, जूट में दी, गेहूं में दी, लेकिन वह किसानों को नहीं मिल सकी।

दूसरी बात तमाम कृषि पैदावार की होल-सेल ट्रेड सरकार अपने हाथ में ले, लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के बल पर काम चल रहा है, उस तरह से नहीं, इफेक्टिव ढंग से यह काम होना चाहिए। साथ ही कृषि मूल्यों को तय करने के लिए तीन-चार बातों को ध्यान में रखिए—

1. कृषि पैदावार की लाभकारी कीमतों और औद्योगिक पैदावार की कीमतों में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

2. मूल्य ऐसा तय होना चाहिए कि असली उत्पादक को मिल सके, बिचौलिए बीच में न खा जांय। इसके साथ ही असली उपभोक्ता को भी लाभ हो सके। बीच की जो खाई है, उसको कम किया जाय।

3. उन नीतियों के आधार पर जनवितरण प्रणाली को और ज्यादा मजबूत किया जाय।

तीसरी बात —शुगर इण्डस्ट्री को नेशनलाइज किए बगैर काम नहीं चलेगा। तमाम चीनी उद्योगों को जो प्राइवेट हाथों में हैं, उनको नेशनलाइज किया जाय।

चौथी बात —बिहार तथा अन्य जगहों पर किसानों के ऊपर कर्ज का बोझा बहुत बढ़ गया है और वे कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। उस कर्ज को माफ किया जाय। इसी सवाल पर बिहार में ता० 27 को बन्द हुआ। हम चाहते हैं कि उनके इस बोझे को कम किया जाय।

किसानों को फर्टिलाइजर, डीजल कीट-नाशक दवायें दीजिए, जिनके लिए इस समय लूट मची हुई है। इस लूट को रोकने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही कीजिए।

लैंड रिफार्म किये बगैर यदि आप चाहेंगे कि समस्या का हल हो जाय, तो वह नहीं होगा। लैंड रिफार्म को जल्द से जल्द पूरा कराने की व्यवस्था कीजिए।

अन्तिम सुझाव यह है कि किसानों का मूल्य तय करने के समय खेत मजदूरों की समस्याओं का भी ध्यान रखना होगा, उनकी उपेक्षा करके हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो बुनियादी बातें हैं जब तक उनमें परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, तब तक किसान और पूंजीपति के बीच की दीवार को कम नहीं किया जा सकता। आप किसानों के संकट को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं, यही मेरी अपील है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूं, काफी इन्तजार के बाद मेरा नाम लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर प्राइस के बारे में आज हाउस में चर्चा चल रही है। हमारे देश में उपाध्यक्ष महोदय खेती योग्य भूमि है 13 करोड़ 90 लाख हैक्टर और हमारा किसान उसमें अनाज पैदा करता है 13 करोड़ टन। उपाध्यक्ष महोदय, साथ-साथ मैं दूसरे कंट्री के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, चीन में खेती योग्य भूमि है 13 करोड़ हैक्टर और 33 करोड़ 30 लाख टन वे अनाज पैदा करते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद हमारे जो 70 प्रतिशत किसान गांवों में रहते हैं, उनमें से 60 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन किसानों की उपज के मूल्य तय करता है। किसान चाहता है कि हमारी एग्रीकल्चर प्राइस तो कम फिक्स होती है लेकिन एग्रीकल्चर में काम में आने वाली जो चीजें हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आइल इन्जिन जो कि 10 साल पहले 3 हजार-साढ़े तीन हजार का आता था आज 6-7 हजार का आता है। इसी प्रकार बिजली है। मोटा कपड़ा जो पहले 2 रुपए मीटर किसान को मिल जाता था आज 5-7 रुपए मीटर मिलता है। तो किसान यह चाहता है कि उसकी जो लगने वाली चीजें हैं वे तो महंगी मिलें और वह जो पैदा करता है उसको सस्ते दाम पर खरीदा जाए, यह ठीक नहीं है। इसीलिए उसमें आक्रोश है।

मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का किसान बहुत मेहनती है। वह अपने पसीने से देश को आगे बढ़ाना चाहता है और इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में देश को उन्नत बनाना चाहता है परन्तु जो प्राइस फिक्स की जाती हैं वे बहुत ही कम हैं। मध्य प्रदेश में गन्ने का प्राइस 13 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स किया गया है जबकि मध्य प्रदेश सरकार 22.50 रुपए प्रति क्विंटल तक दे रही है तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में कहीं न कहीं उपाध्यक्ष महोदय गलती होती है। शासन ने किसान की भलाई के लिए कमीशन बनाया है लेकिन किसानों का शोषण हो रहा है, इसलिए किसानों में आक्रोश है। आज जो आंदोलन हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, वह गलत है, इनसे कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमने आसाम में देख लिया है, अगर किसान ऐसा करेगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। किसान भी नहीं चाहता कि वह आंदोलन करे, लेकिन जनता पार्टी के राज में किसान टूट गया था। उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में कांग्रेस सरकार 200 करोड़ टन अनाज गोदामों में छोड़कर गई थी, लेकिन जनता सरकार की गलत पालिसी के कारण किसान इतना टूट गया है, वह आज परेशान है इसलिए उसमें आक्रोश है और वह आन्दोलन करने पर बाध्य हैं। इसलिए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा।

दूसरा सवाल मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान के ऊपर ही हिन्दुस्तान की इकनामी डिपेंड है। इंडीस्ट्रीज के लिए आपने तरह-तरह की सुविधाएं दे रखी हैं। अगर कोई इंडस्ट्री फैल हो जाती है तो उसका बैंक-लोन माफ कर दिया जाता है। पावर रेट में, वाटर रेट में तथा दूसरी तरह से उनके लिए आपने सबसिडी का प्रावधान कर रखा है। लेकिन किसान को आपने ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा है। क्लाइमेट के भरोसे उसको आपने छोड़ रखा है। वह देश के लोगों को खिलाता है। उसकी खेती बरबाद हो जाती है, तो उसकी किसी तरह से सहायता नहीं होती। कोई इंडस्ट्री फेल हो जाती है तो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उसको टेक ओवर कर लेती है लेकिन खेती बरबाद हो जाए तो कुछ नहीं किया जाता है। एग्रीकलचर को भी आप इंडस्ट्री की तरह से ही लें। उसके लिए भी इन सभी सबसिडीज की व्यवस्था करें। कुएं के लिए अगर काश्तकार ने लोन लिया होता है और वह कुआं खोदता है लेकिन पानी नहीं निकलता है तो पंद्रह हजार या दस हजार का जो उसने लोन लिया होता है, बैंक उसको माफ नहीं करता है और उसकी भूमि नीलाम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि उस अवस्था में सारे का सारा खर्चा उसका सरकार को वहन करना चाहिये। ऐसी नीतियां आपने अपनाई तो किसान में विश्वास की भावना पैदा होगी और वह और भी ज्यादा मेहनत से काम करेगा और आपको धन्यवाद देगा।

किसान का पूरा परिवार खेती के काम में लगता है। तीन साल का बच्चा, उसकी पत्नी, भाई बंद, माता पिता तमाम लोग खेती के अन्दर काम करते हैं। बरसात गर्मी ठंड में वे लोग काम करते हैं। हमारे देश के साठ प्रतिशत किसान गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी जो नीति है उसमें कहीं न कहीं कोई गलती है। आपने लैंड सीलिंग दिया है। बहुत से राज्यों ने इसको लागू किया। इसके बारे में कानून भी पास किए। किसान की जमीन का तो सीलिंग हो गया लेकिन शहरी भूमि का सीलिंग नहीं हुआ। आजादी के वक्त हमने नारा लगाया था

धन और धरती को हम बांट कर रहेंगे। लैंड सीलिंग के साथ-साथ आपको शहरों में जो धन है उसका भी बटवारा करना चाहिये। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आदि हमारे महान नेताओं ने समाजवाद लाने का नारा दिया था, गरीब और अमीर को बराबर लाएंगे इसका वादा किया था, इसको आप पूरा करें। ऐसा आपने किया इस दिशा में आपने पग उठाए तो किसानों में विश्वास की भावना पैदा होगी और वे कहेंगे कि जो हम कहते हैं करते भी हैं। अगर आपने लैंड सीलिंग कर दी और शहरों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यह ठीक नहीं होगा।

पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में रास्ते नहीं होते हैं उन लोगों के पास बैलगाड़ियां नहीं होती है और बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस किमी मीटर गट्ठे सिर पर लाद कर बाजार में बेचने के लिए लाते हैं। वह जंगली इलाका होता है। उन लोगों ने कभी ट्रेन नहीं देखी, बस नहीं देखी। उनके लिए आपको मार्किटिंग की व्यवस्था करनी चाहिये। उनकी पैदावार का जो दाम सेठ दे देता है उसको वे ले लेते है। कपास, गेहूं, मक्का का जो भाव वह दे देता है, वे ले लेते हैं। इस वास्ते वहां विशेष रूप में आपको मंडियों की व्यवस्था करनी होगी। तब जा कर हमारे किसानों और खास कर आदिवासियों को लाभ हो सकेगा।

यहां बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमारे विरोधी दलों के लिए ही किसानों के, आदिवासियों के, हरिजनों के हितैषी हैं लेकिन किसान, आदिवासी हरिजन जानते है कि कौन उनका हितैषी है और किस के हाथों में उनके हित सुरक्षित हैं। उनका कांग्रेस और श्रीमती इन्दिरा गांधी में अटूट विश्वास है और वे उनके साथ हैं। वे समझते हैं कि कोई दूसरा उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी जो भाव दे रही है इसको भी वे जानते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। 1979 में इनके द्वारा मूंगफली का भाव 250 रुपये दिया जा रहा था। आज वह मार्किट में 350 रुपये के भाव पर बिक रही हैं। ये कपास को 300 रुपये में लेने के लिए तैयार नहीं थे, आज यह 450 रुपये में बिक रही हैं। गन्ने का भाव जहां तेरह रुपये तय किया गया है वहां मध्य प्रदेश की सरकार साढ़े बाईस रुपये दे रही है। किसान, आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग, हरिजन लोग कांग्रेस और श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं, उनके नेतृत्व में उनका पूरा विश्वास है और वे जानते हैं कि वह ही देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकती हैं, उनकी भलाई के काम कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० टी० पाटिल (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा। क्या आप जल्दी में हैं? क्या आप जा रहे हैं?

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने की समस्या आज से ही नहीं अपितु पिछले कुछ समय से पूरे देश में कृषकों, राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं तथा अर्थ-शास्त्रियों सहित संबंधित व्यक्तियों के मस्तिष्कों को उद्वेलित कर रही है। इसका कारण भिन्न-भिन्न राज्यों में किसानों द्वारा चलाया जा रहा आन्दोलन नहीं है। चाहे आन्दोलन हो अथवा आन्दोलन न हो, किसान अथवा किसी मजदूर

अथवा किसी श्रमिक को अपनी देय राशि मिलनी चाहिए। अतः इस मामले की महत्ता हो जाती है। अब शायद यह हो सकता है कि लाभप्रद मूल्य अथवा लाभप्रद मूल्यों के भुगतान के लिए हमें फिलहाल व्यावहारिक दृटिकोण अपनाना है। लेकिन यह अन्तिम समाधान नहीं है अन्तिम समाधान हमारी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने में निहित है। वर्ष 1970-71 में कृषि तथा सम्बद्ध व्यवसायों से जो आय हुई, वह हमारे देश के सभी स्रोतों से हुई कुल आय का 56 प्रतिशत थी। (व्यवधान)।

श्री ए० टी० पाटिल : 1970-71 में—मै 1979-80 के 'इकोनामिक सर्वे' में संलग्न तालिका का हवाला दे सकता हूं। 1978-79 में यह घट कर 44.9 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत हो गया है। एक ओर कृषि उत्पादों और दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन के तुलनात्मक मूल्यों पर विचार करते हुए यह अनुपात दिखाया गया है विद्यमान अर्थ-व्यवस्था ऐसी है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादित फालतू धन वर्तमान मूल्य-ढांचे के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को अन्तरित हो जाता है। मूल्य को अदल-बदल कर आप कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त आदानों के मूल्य में वृद्धि करते हैं और कृषि आय को कम करके इसे औद्योगिक क्षेत्र में दर्शाते हैं। इस प्रकार कृषि क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था उसी स्तर पर है जो कुछ समय पूर्व थी जबकि औद्योगिक क्षेत्र में अर्थ-व्यवस्था भिन्न-भिन्न दिशा में पहुंच गई है। अतः मेरा निवेदन है कि केवल लाभप्रद मूल्यों के निर्धारित करने से ही प्रयोजन पूरा नहीं हो जायेगा। निःसन्देह कुछ समय के लिए यह आजकल महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अन्तिम समाधान के लिए आपको तलाश करनी पड़ेगी और पूरी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा और इसलिए हल ढूंढने के लिए आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी ताकि उत्पादन लागत के मूल्यों तथा औद्योगिक उत्पाद और कृषि उत्पाद की बिक्री की लागत के बीच युक्ति संगत संबंध हो। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, चाहे ऐसे संकल्प पर प्रत्येक सप्ताह अथवा प्रत्येक सत्र में चर्चा की जाये तो इससे कोई प्रयोजन हल नहीं होगा तथा इससे अर्थ-व्यवस्था को सही दिशा नहीं मिलेगी।

शायद इस मूल्य गड़बड़ का यह कारण हो सकता है कि कुछ गलत धारणायें अथवा मुझे कहना चाहिए अपुष्ट धारणायें, परम्परागत अपुष्ट धारणायें हैं जो संबंधित लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। पहली धारणा कृषि के बारे में है। जब लोग कृषि के बारे में बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह कुलकों का क्षेत्र है। सौभाग्यवश यह ऐसा नहीं है। यदि आप आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि किसान अथवा कृषक दो हैक्टर की होल्डिंग रख रहे हैं अर्थात् कुल भूमि धारकों का 57 से 60 प्रतिशत तक के पास पांच एकड़ अथवा इससे कम की भूमि है। यदि हम तीन हैक्टर की होल्डिंग के स्तर पर विचार करें तो यह लगभग 75 प्रतिशत तक हो जायेगा। यह आजकल के आंकड़ों में नहीं है अपितु छह अथवा सात वर्ष पूर्व के आंकड़ों में है। यह आंकड़े कृषि सांख्यिकीय के कृषि विभाग में सरकार द्वारा दिये गए हैं। अतः यह आवश्यक है कि किसान के प्रति देखने के दृष्टिकोण को बदलें और यह देखें कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में खेती करता है और वह एक कृषक अथवा बेरोजगार श्रमिक के समान ही है और तब आपको पता चलेगा कि आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे और तब आप निश्चित

रूप से इस समस्या पर एक अलग दृष्टिकोण से विचार करेंगे। दूसरी धारणा यह है कि कृषि एक व्यापार अथवा धंधा अथवा व्यवसाय है। दुर्भाग्यबश यह न तो व्यापार है और न ही व्यवसाय है। यह आजीविका का साधन है। व्यापार में यदि कोई लाभ न हो तो आप व्यापार छोड़ सकते हैं और कोई अन्य धंधा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास क्षमता और ऐसा करने की गुंजाइश है। व्यवसाय के मामले में धन संबंधी मुनाफे अथवा घाटे के संदर्भ के बिना आप इसे अपने जीवन के तरीके के रूप में स्वीकार करते हैं तो अपकी वित्तीय स्थिति जीवन अथवा व्यवसाय के उस रूप में स्वीकार करने के लिए अनुमति दे सकती है। लेकिन कृषि ऐसे गरीब लोगों के लिए आजीविका का साधन है जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है अथवा नहीं हो सकता है। अतः वे इसे छोड़ नहीं सकते हैं हांलाकि घाटा है। अतः कृपया इसको व्यापार, व्यवसाय अथवा धंधे की दृष्टि से न देखें अपितु इस दृष्टि से देखे कि यह ऐसे गरीब लोगों के लिए आजीविका का साधन है जो जीवन में अपनी गतिविधियों को बदल नहीं सकते हैं अथवा बदलने की कोई क्षमता नहीं रखते हैं।

तीसरे एक प्रश्न यह उठाया गया है कि इन मूल्यों के निर्धारण से संबंधित प्राधिकरण नर्मदा के दक्षिण से किसी व्यक्ति से परामर्श नहीं करता है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस प्रश्न पर एक अलग दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा अर्थात उत्तर में स्थित अधिकांश भूमि सिंचित है जबकि दक्षिण में ऐसा नहीं है। मैं आंकड़े दे सकता हूं। यह सच है कि आंध्र प्रदेश में जमीन सिंचित है जहां तक धान की फसल का संबंध है। उत्तर में अधिकांश राज्यों में धान उगाने के लिए सिंचित भूमि है और इसलिए एक वर्ष में दो फसलें उगाना संभव है। दक्षिण में कम से कम मेरे राज्य में सिंचाई की सुविधा बहुत कम स्तर पर है और इसलिए वहां पर केवल एक फसल होती है जिस पर किसान को पूरे वर्ष के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। कृषि मूल्य आयोग उसे क्या मूल्य देता है? धान को लीजिए। धान के उत्पादन की लागत में जो मदें आती हैं वे किराये पर लिए श्रमिक, बीज, कच्चा माल, उर्वरक पौधों का संरक्षण, भू-राजस्व और अन्य उपकर, उपकरणों तथा मशीनरी आदि पर अवमूल्यन है। यदि आप पारिवारिक श्रम को लें तो पुरुष श्रमिक 5.86 रुपये प्रतिदिन की दर से 38.25 दिन के लिए कार्य करता है और स्त्री श्रमिक 4.68 रुपए की दर से 48.45 दिन कार्य करती हैं। पुरुष श्रमिक को 224.15 रुपये मिलते हैं और स्त्री श्रमिक को 226.75 रुपये मिलते हैं। अतः पति और पत्नी को एक हैक्टर के लिए 450.90 रुपए मिलते हैं। मान लो उनके पास दो हैक्टर भूमि हैं तो उन्हें एक वर्ष में अधिक से अधिक 900 रुपए मिलेंगे। उन्हें 900 रुपए की इस राशि पर पूरे वर्ष के लिए खुद का तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करना है। क्या यह एक युक्तिसंगत गणना और एक युक्तिसंगत दृष्टिकोण है?

उपाध्यक्ष महोदय: अब वह अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ए० टी० पाटिल: अब केवल मैं अपने प्रस्ताव ही दूंगा औद्योगिक उत्पादों तथा कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत के बीच युक्तिसंगत सह-सम्बन्ध के लिए उपाय किए जाने हैं।

औद्योगिक उत्पादों अथवा कृषि निवेशों के मूल्य उचित अनुपात में कम किए जाने चाहिए। धान के मामले में कृषक, जो वर्ष में केवल एक फसल प्राप्त करते हैं, फार्म पर कम से कम 4 से 5 महीने तक के लिए कार्य करता है। अतः कम से कम उसे 4 से 5 महीने तक के लिए पूरी मजूरी दी जानी चाहिए जो 4.50 की दर से न होकर अपितु 10 अथवा 15 रुपये की न्यूनतम दर से होनी चाहिए क्योंकि उसे हर रोज खेत पर जाना पड़ेगा और फसल को देखना पड़ेगा।

प्रकृति के प्रकोपों के कारण क्षति होती है। मान लीजिये आप कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करते हैं और रात को वर्षा हो जाती है तो कीटनाशी दवाइयां बेकार चली जाती हैं और अगले दिन आपको दोबारा कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा। अतः उसे कीटनाशी दवाइयों तथा इसके लिए श्रमिकों की अतिरिक्त लागत खर्च करनी पड़ती है। मूल्य निर्धारित करते समय कृषि मूल्य आयोग द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया जाता है। इसी प्रकार प्रकृति के प्रकोप के कारण बीजों, उर्वरकों आदि की क्षति होती है। उस पर विचार किया जाना होगा।

सुझावों के बारे में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निर्धारित की जा रही विशेष फसलों के उत्पादन के लिए जोनों की संभावना पर विचार करे। यदि एक विशेष क्षेत्र में विशेष अच्छी फसलें होती हैं तो हम विचार कर सकते हैं कि क्या उस क्षेत्र को उस फसल के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और अन्य फसलों के उत्पादन से रोका जा सकता है। उस स्थिति में देश भर में प्रत्येक विशेष फसल के लिए एक समान मूल्य हो सकता है, जो सरकार द्वारा गारंटीकृत है और सरकार उस मूल्य पर इसको खरीदेगी।

यदि यह संभव नहीं है तो आप ऐसी जोनों को बना सकते हैं जिनमें पर्याप्त रूप से समान उत्पादन की लागत हो। उदाहरणार्थ कृषि-जलवायु जोनों का एक समान मूल्य होना चाहिए। उस स्थिति में सभी उत्पाद सरकार द्वारा खरीदे जाने चाहियें। उपभोक्ता को उस जोन में अपेक्षाकृत उचित दर पर वस्तु मिल सकती है। ये मूल्य प्रत्येक जोन में अलग-अलग हो सकते हैं। उत्पाद का शेष हिस्सा राष्ट्रीय पूल में जा सकता है। यदि कोई घाटा हो तो वह राष्ट्रीय पूल से आ सकता है। राष्ट्रीय पूल का सभी उत्पाद समान मूल्य पर वितरित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर।

एक माननीय सदस्य : हम कितनी देर तक बैठ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने रात के आठ बजे तक बैठने का निर्णय किया है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : श्रीमान्, नाम पुकारते समय ऐसे सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने संशोधन पेश किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी हम संशोधनों तक नहीं पहुंचे हैं।

श्री ए०के०राय (धनबाद) : यह वाद-विवाद अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथापि इस वाद-विवाद का कोई लाभ नहीं हो रहा है। अब कोई भी सदस्य ध्यान से नहीं सुन रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि इसे कल तक जारी रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह संभव नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, कृषि और किसान हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारे देश के किसान तमाम कष्ट उठाकर इस देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन आज की परिस्थिति में उनका शोषण हो रहा है। इसी शोषण के कारण उनको आज आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है लेकिन अन्त में उनको मिलता क्या है ? लाठी और गोली।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : अगर ऐसी बात है तो आपको इससे खुश होना चाहिए, आपका काम बन रहा है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं लाठी और गोली चलाने वाली सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी अगर आपने यही जारी रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के किसान भी आधुनिक जीवन की मान्यताओं से अपने आपको अलग नहीं रख सकते हैं। वह भी दूसरों की तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहता है। आज किसान बाजार में औद्योगिक उत्पादन की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की अत्यधिक कीमतें होने के कारण उनको खरीद नहीं सकता है। किसान को भी कपड़ा, साइकल, जूता, बिजली का सामान, दवाई इत्यादि बहुत सारी चीजें उसी तरह से चाहिए जैसे कि सरकारी पक्ष में बैठे हुए सदस्यों को चाहिए लेकिन उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और किसान द्वारा उत्पादित चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं जिससे किसान को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। जो समर्थन मूल्य आप निश्चित करते हैं उसमें आप 15 प्रतिशत लाभ जोड़ते हैं लेकिन जो उत्पादन मूल्य आप कैलकुलेट करते हैं वह दो वर्ष पुराने मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

आज आपने डीजल और खाद के दाम बढ़ा दिए। अगर डीजल का दाम दो साल पुराना देखा जाए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका कि कृषि में उपयोग होता है, तो उससे किसान को कभी लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। 1971 से 1980 तक जो गेहूं के मूल्य में वृद्धि हुई है, वह केवल 75 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि औद्योगिक उत्पादन की बहुत सी वस्तुओं में 100 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से यह वृद्धि होती जाती है। जो दूसरी वस्तुएं हैं जिनको किसान भी खरीदता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन उसकी वस्तुओं

के दाम में जो वृद्धि होती है, वह इतनी कम होती है, जिसकी वजह से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। यदि कृषक अपना उत्पादन बढ़ा दे तो उनकी सारी चीजों के दाम घट जाते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। विदर्भ में किसानों ने कहा कि धान का उत्पादन चूंकि नई पद्धति से करते हैं, इस लिए बहुत अधिक उत्पादन होता है, लेकिन अब हम छिटकवा पद्धति से धान की बुआई करेंगे तो उसका उत्पादन कम होगा और जब उत्पादन कम होगा तो उनका दाम बढ़ेगा। अगर यह स्थिति देश के अन्दर होती है तो इससे राष्ट्र का उत्पादन कितना घटता है, राष्ट्र का कितना नुकसान होता है, इसको सोचने की आवश्यकता है। यदि इस सरकार ने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए यह सरकार ही जिम्मेदार होगी। उधर उद्योगपति अपने उद्योग में अगर कोई अधिक उत्पादन करता है, तो मुनाफा भी अधिक कमाता है और उसकी चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। इस तरीके से यह एक शोषण की व्यवस्था जो देश के अन्दर कायम है, उसे रोकने की दिशा में सरकार को कोशिश करनी चाहिए।

किसान के द्वारा उत्पाद की गई वस्तुओं के दाम बढ़ाने चाहिए और जो वह इन्पूट्स इस्तेमाल करता है, जैसे डीजल है, खाद्य, कृषि के औजार, इन्सैक्टिसाइडस वगैरह—इन सब की कीमतें घटानी चाहिए। क्योंकि इन सब की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी नया मुद्दा नहीं उठाया गया है। इस पर मैंने गौर किया है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं दो मिनट से अधिक का समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नये विचार चाहता हूं। आप एक युवा सदस्य हैं। आपको एक नया विचार व्यक्त करना चाहिए। यह एक नया विचार है।

श्री हरिकेश बहादुर : अब मैं आपको एक नया आइडिया देता हूं। कम से कम 160 रु. प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत आप किसानों को दीजिए। गन्ने के मूल्य के लिए रफी साहब का एक फार्मूला था कि "जितने रुपए मन चीनी, उतने आने मन गन्ना"। आज कल जो आप 3.50 पै. प्रति किलो के हिसाब से जो फेयर-प्राइस शॉप्स पर चीनी दे रहे हैं, अगर उस हिसाब से चला जाए, तो यह फार्मूला लागू कीजिए तो करीब 23 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम आता है और आज आप 20 रु० दे रहे हैं, उनकी 30 रु० की मांग है। आपको कम से कम 25 रु० प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत देनी चाहिए। आसान शर्तों पर किसानों को कर्ज दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, यह जो ए. पी. सी. का फंगशनिंग है। वह जैसे ए. पी. सी. की दर्द की टिकिया होती है, उसका फंगशनिंग जैसे होती है वैसे ही है यह अच्छा फंगशनिंग नहीं है। दर्द होता है, लेकिन ए. पी. सी. की गोली दे देने से थोड़ी देर के लिए महसूस नहीं होता है। वास्तव में

उसका दर्द होता है, और वह बराबर चलता रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए दर्द महसूस नहीं होता है। इसलिए ए. पी. सी. का जो फंगशनिंग है, वह किसानों की पीड़ा को थोड़ी देर के लिए रोक जाता है, लेकिन किसानों की जो मुख्य पीड़ा है, दर्द होता है, वह दूर नहीं हो पाता है। इसलिए ए. पी. सी. द्वारा जो कीमतों को तय करने का तरीका है, उसको बदलने की आवश्यकता है। अगर आप इस काम को नहीं करेंगे, तो किसान आपको माफ नहीं करेंगे, इससे देश खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि देश की तमाम अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महात्मा गांधी ने कहा था :

"ब्रिटिश लोगों ने नगरों के माध्यम से भारत का शोषण किया था। नगरों ने गांवों का शोषण किया है। गांवों का खून वह सीमेंट है जिसके साथ नगरों की इमारत का निर्माण होता है। मैं चाहता हूं कि जो खून आज नगरों की धमनियों को प्रफुल्लित कर रहा है वह एक बार फिर गांवों की रक्त वाहिनियों में बहे।"

यह चित्त बसु साहब ने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं—यहां मुख्य मंत्रियों की एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें आपके वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर भी आये थे। उसमें राज्यों ने गेहूं के दामों की मांग की थी। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 150 रु० मांगे थे, पंजाब के मुख्य मन्त्री ने 142 रुपये मांगे थे, कर्नाटक ने 142 रुपये मांगे थे, मध्य प्रदेश ने 140 रुपये मांगे थे, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार ने 117 रुपये मांगे थे। चित्त बसु जी, पहले अपने घर में दीपक जलाइये, फिर बाहर आइये। यह कांफ्रेंस 24 अक्तूबर, 1980 को हुई थी।

इस बात को भी जाने दीजिए—मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की बात पर आता हूं। क्या मिनिस्टर साहब जवाब देंगे—काश्तकार का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, क्या आप वह रुपया उस को देते हैं ? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने अभी तक इस खर्चे को कन्सीडर नहीं किया है। जापान जो किसी वक्त पैडी को इम्पोर्ट करता था, आज उस की हालत क्या है, वह हर तरह से सेल्फ-सफिशियेन्ट है। इसलिए कि वहां के काश्तकार को हर तरह का इन्सेन्टिव मिलता है, लेकिन यहां का काश्तकार जिन्दगी भर कर्जे में दबा रहेगा, भगवान के भरोसे जिन्दा रहेगा, इन्द्र भगवान ही उसका मालिक होगा। आप हिन्दुस्तान की इकानामी को उठाकर देखिए, जितना पैसा हिन्दुस्तान को काश्तकार ने दिया है, उसके बदले हमने उसको क्या दिया ? गरीबी दी। आप फिगर्स को उठाकर देखिए, हिन्दुस्तान में जितनी बिजली पैदा होती है उसका 85 फीसदी हम शहरों को देते हैं, सिर्फ 10 परसेन्ट किसान को देते हैं। उसमें भी आपने 5 हार्सपावर और 10 हार्सपावर की सीमा बांध कर उसके लिए फलैट-रेट मुकर्रर कर दिया है। उसको आपकी तरफ से बिजली मिले या न मिले, लेकिन उसको पैसा देना पड़ता है, क्या आप द्वारा उसको बिजली न दिए जाने पर उसको कम्पेन्सेशन का अधिकार नहीं है ?

आपके यहां एक अजीब हालत यह है कि फसल बोने के पहले किसान को पता ही नहीं होता कि उसको उसकी फसल के क्या दाम मिलेंगे । आप के यहां ऐसी पालिसी नहीं है कि फसल बोने के कुछ महीने पहले यह तय हो जाए कि हम क्या भाव देंगे । आप क्या करते हैं, वक्त पर भाव निकालते हैं । आप देखिये—आज शक्कर की कमी क्यों है ? 1978 में 31.5 लाख हैक्टेअर्स में गन्ने की खेती हुई थी, लेकिन किसान को दाम नहीं मिला, उसको नुकसान उठाना पड़ा, नतीजा यह हुआ कि 1979 में सिर्फ 13.9 लाख हैक्टेअर्स में गन्ने की खेती हुई और 1980 में 26.7 लाख हैक्टेअर्स में हुई है । चीनी ही नहीं, दूसरी चीजों की भी यही हालत है । अगर हम 1971 में एग्रीकल्चर कमाडिटीज की बेस प्राइस 100 रुपये मान लें तो आप देखिये—एग्रीकल्चर वाले को 109 रुपये मिलते हैं, जब कि नान-एग्रीकल्चर वाले को 274 रुपये मिलते हैं । फूड आर्टीकल्ज को लें तो 196.4 रुपये मिलते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर की कीमत 237 रुपये हो गई है । आयल सीड्स को लीजिए—213.5 रुपये है, तो कैरोसीन के दाम 272.8 हो गए हैं । दूध को लीजिए-172 रुपये में मिलता है लेकिन यूटेन्सिल्ज 248.3 रुपये में मिलते हैं । रा-जूट का आप 132 रुपया देते हैं, रा-टबैको का 156 रुपया मिलता है लेकिन एग्रीकल्चर में जो फावड़े इस्तेमाल होते हैं उनके दाम 296 रु० बढ़ गये हैं । अगर कोई बराबर हिसाब लगा लें, मैंने यह आकड़े दिए हैं । एक एग्रीकल्चरल कमोडिटीज और एक नान एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का क्या रेशो है ।

एक बात बड़ी अच्छी है कि जो एक्सपोर्टस होते हैं, हम एक्सपोर्टस सब्सिडी देते हैं, एक बहुत बड़े दुःख की बात है अगर एग्रीकल्चरल वाले सोचें—

गैर कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात राज सहायता के रूप में करोड़ों रु० दिए जाते हैं । कृषकों को विदेशी मण्डियों का लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है । हमारी कोई सब्सिडी नहीं । अगर कोई आदमी एक्सपोर्ट करता है, हीगेट्स करोर्स आफ रुपीज । हम लोगों को आप किस बात पर ले जाना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और एग्रीकल्चर पर आपका खर्चा कितना हुआ है, कोई देखे प्लान में, टोटल प्लान एक्सपेंडीचर, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि हमने एग्रीकल्चर में 27 प्रतिशत से ज्यादा खर्च किया है, हमारा सारा खर्चा इंडस्ट्रीज पर, माइन्स पर, नान प्रोडक्टिव मशीनरी पर बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरल पर आपने सारी योजनाओं में कितना खर्चा किया है । आज आप कहेंगे कि 500 करोड़ रुपए आपको फैमिन का दे दिया है, फूड फार वर्क का दे दिया, 20 करोड़ रुपया दे दिया, मैं मानता हूं, लेकिन काश्तकार की हालत क्या है । काश्तकार बढ़ गया है, यह कहा जाता है, कुछ काश्तकार अगर बढ़ गए तो उससे यह अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन गांवों के अन्दर काश्तकार गरीब है, वह भगवान-भरोसे जीता है, उसका सारा घर लगता है लेबर में, लेकिन उसके बारे में विचार नहीं किया जाता । वह लगता है, उसका बच्चा लगता है, बच्चा बैलों के लिए घास काटता है, लड़की भी काम करती है, बेटे की बहू भी काम करती है, सारा घर काम करता है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया जाता, दैट हैज नाट बीन कंसीडर्ड ।

ए०पी०सी०, सोचती है कि यह विशेष सर्कल चलेगा, विशेष सर्कल तो हम मान गए, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता का जो 99 प्रतिशत (व्यवधान)

आपने जो यह मोशन किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, परन्तु एक बात कहता हूं कि सड़क की राजनीति को अगर आप पार्लियामेंट में लाएंगे तो सड़क की राजनीति कोई काम नहीं देगी और अगर किसान सड़कों पर आ गया तो खेतों में धान पैदा नहीं होगा, देश की हालत शोचनीय हो जाएगी।...(व्यवधान)

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझिए और यह जो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारी आर्थिक समस्याओं को यही हल कर सकता है, इस बात को सोचते हुए हम सब लोगों को मिलकर इस ओर प्रयत्न करना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से भी कहूंगा कि जब तक मण्डियों में मार्केटिंग सही नहीं होगा, जब तक प्राइस कमीशन पहले प्राइस तय नहीं करेगा तब तक छोटे किसान की हालत सुधरने वाली नहीं है। ए०पी०सी० पहले प्राइस तय करे, इससे ज्यादा इंसेंटिव होगा, ज्यादा बातें कहने का समय नहीं है, इसलिए समाप्त करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : माननीय सदस्यों किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाए जाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं इस समस्या का एक दूसरे तरीके से निराकरण चाहता हूं। हमारे देश के दूसरे लोग तो आजाद हो गए हैं लेकिन असल में किसान जो लोग कहलाते हैं वे अभी तक भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि उद्योगपति अपने उत्पादन का दाम स्वयं निर्धारित करते हैं और सरकार का भी उसमें बहुत कम हाथ होता है। कारखानों में जो उत्पादन होता है उसके दाम भी कारखानेदार निर्धारित करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि किसान अपनी उपज के दाम निर्धारित नहीं कर सकता है और यह काम मंत्री जी को करना पड़ता है, पार्लिमेंट में इस पर बहस होती है। मेरा सुझाव है कि उसको अपनी उपज का धान का, गेहूं का, कपास का तथा दूसरे उत्पादनों का क्या उचित मूल्य मिलना चाहिए यह अधिकार उसके पास रहना चाहिए और उनको ही यह हक हासिल होना चाहिए कि वे अपनी उपज का मूल्य निर्धारित कर सकें।

देश में आन्तरिक खपत के लिए विभिन्न प्रकार की जिंसों की कितनी जरूरत है और बाहर भेजने के लिए कितनी जरूरत है, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, बाजरा आदि जितने भी अनाज हैं, उनकी कितनी जरूरत है इसका भी ठीक-ठीक मूल्यांकन होना चाहिए, इसका सही-सही आंकड़ा सरकार के पास होना चाहिए। उसी के अनुसार यहां उनका उत्पादन भी होना चाहिए। आज ऐसा होता है कि हम नहीं जानते हैं कि किस साल में किस उत्पादन की हमें कितनी जरूरत होगी, चावल, गेहूं, कपास, आलू गन्ने की कितनी जरूरत होगी और इसका नतीजा यह होता है कि उत्पादन अगर अधिक हो जाता है तो भाव बहुत ही नीचे गिर जाते हैं और अगर उत्पादन कम रहता है तो कीमतें बहुत ऊंची चली जाती हैं और वह चीज मिलती भी नहीं है। दोनों की अवस्थाओं में सौदागर लोग इसका लाभ उठाते हैं। मंत्री जी अपने को किसान कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। जो किसान आन्दोलन चल रहा है इस पर उनको गर्व होना चाहिए और किसान जो अपने परिश्रम की कीमत पाने के लिए एकत्र हुए हैं, संगठित हुए हैं और आगे आए हैं उस पर उनको

खुशी होनी चाहिए और उनको भी इस आन्दोलन में शामिल हो जाना चाहिए। मुझे सन्तोष एक बात का है और उसकी खुशी भी है। सरकार इसको कम्युनल रायट नहीं कह सकी है, कम्युनल रायट की वह इस आन्दोलन को संज्ञा नहीं दे सकती है और न हिन्दू मुस्लिम रायट इसको कह सकी है। भाषा का भी विवाद इसको लेकर खड़ा नहीं कर सकी है। इसमें जाति का भी कोई भेदभाव नहीं है और न प्रान्त का है। पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों के किसान, आदिवासी, शैड्युल्ड कास्ट्स, ब्राह्मण सब एक जुट हो गए हैं और हम कह सकते हैं कि यह आजादी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विभेद की नीति को अपना-कर इस सरकार ने तीस वर्ष तक राज्य किया है। हर प्रकार के बंधन किसानों ने तोड़ डाले हैं और हम समझते हैं कि सही अर्थों में अब किसान राज स्थापित होगा।

इसके लिए हमारे किसान मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। उनको और दाम बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिले।

सरकार किस तरह से दमन करना चाहती है। वह चाहती है कि लाठी और गोली से दमन किया जाए और कानून बनाया जाए। लेकिन मंत्री जी को समझना चाहिए कि किसानों की जड़ दिल्ली तक है। बहुत से छोटे-छोटे कर्मचारी जो पुलिस में हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वह किसान के बच्चे ही हैं और उसको अपना पैसा देते हैं, इसलिए उनको गोली, लाठी से उनके आन्दोलन को रोकने की चेष्टा न कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इस आरोप पर मुझे गंभीर आपत्ति है। हम ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे आरोप लगा रहे है। वे उसी ढंग से सेना तथा पुलिस को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा उन्होंने पहले किया था जब आपात स्थिति घोषित करनी पड़ी थी। यह झूठा आरोप है। हम किसानों का दमन नहीं चाहते। जब तक आन्दोलन शांतिपूर्ण हैं। वे अपनी उचित मांगे उठाने के हकदार हैं।

अपने हथकण्डे पर आ गये; फिर पुलिस, फौज का नाम लेने लगे जैसे 1975 में किया।

श्री पीयूष तिरकी : जिन किसानों को तंग किया जा रहा है उन्हीं के बच्चे शहरों में बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं जिनके द्वारा आप उनको दबाना चाहते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, उनको आप अकेला न समझो, समूचा हिन्दुस्तान किसानों का है और किसी न किसी रूप में वह सब जगह व्याप्त हैं। इसलिए उनकी मांग को रोकने की चेष्टा करना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर बाघ को कहा जाए कि बकरी की रक्षा करे तो आप क्या विश्वास करेंगे। यह समाज तो ऐक्सप्लायटर्स का है, मुनाफाखोर समाज व्यवस्था है, और जो कृषक हैं इनको निरा गंवार बोला जाता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में है कि हम लोग सोचते हैं कि गरीब भगवान की देन है, लोग कहते हैं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने पाप किया होगा इसलिए तुम

किसान बने। ऐसी हमारी विचारधारा है। लेकिन वह समय अब नहीं रहा। आज किसान स्वयं अपनी रक्षा करेंगे और जो उनकी शक्ति है उसकी आजमाइश के लिए वह बाहर आ चुके है हम उनकी लड़ाई के साथ में हैं, समूचा देश उनके साथ है, और हमारे मन्त्री जी को भी उनके साथ होना चाहिए। जो उनका हक है वह उनको मिलना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इस सरकार की हमदर्दी है किसान के साथ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है इस सम्बन्ध में मुझे अर्थ-शास्त्र का वह सिद्धान्त याद आता है कि फूड इज दी करंसी आफ आल करंसीज। और यह इकोनामिक का सिद्धांत भारतीय अर्थ-व्यवस्था में पूर्णतः लागू होता है। आज देश की अर्थ-व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था का आधारभूत अगर कोई ढांचा है तो कृषि उपज है और इसके बगैर इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि किसान को जो मूल्य मिलता है उसमें कुछ विसंगतियां हैं। मैं यह मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। सबसे पहला इनका प्रशंसनीय कदम यह है कि पहले एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन प्राइस तय करता था जबकि बाजार में जिन्स आ जाती थी। उस समय उसका मूल्य निर्धारण होता था। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह पहल की है कि इन्होंने जब से कृषि मंत्रालय का चार्ज लिया है तब से फसल आने से छः महीने पहले भाव निर्धारण होता है। अभी आपने गेहूं की आगे आने वाली फसल का भाव तय किया है और इसी तरह बाजरे और पैडी का भाव भी पहले ही तय कर दिया था। यह इनका प्रशंसनीय कदम है जो आज से पहले किसी भी कृषि मंत्री ने नहीं किया था और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मंत्री महोदय इसी तरह से किसानों के हित का ध्यान रखेंगे।

इसके साथ ही दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में आज जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन मूल्य निर्धारण करता है, उसके बारे में मुझे कुछ एतराज है और असंतोष है। उसका कोई मार्ग या बेस साइंटिफिक नहीं है, उसके अंदर कोई रैशनलिटी नहीं है। वह किसी तर्क पर आधारित नहीं है। मैंने इस रिपोर्ट को देखा, इसमें बार्ले (जौ) के भाव जो तय किए गए हैं उसमें कमीशन के एक माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह ने 110 रुपए उसका भाव रखने की मांग की है लेकिन दूसरे सदस्यों ने यह तय किया कि नहीं इसका भाव कम रखा जाय और 85 रुपए का भाव रखा है। मैंने इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी देखा कि इसी के अन्दर यह भी मांग की गई है कि चूंकि इस देश के अंदर माल्ट के लिए बार्ले (जौ) नहीं मिलता है इसलिए आस्ट्रेलिया से उसको इम्पोर्ट किया जाए। इसी रिपोर्ट के अंदर एक तरफ तो प्राइस कमीशन यह कहता है कि जौ का भाव 85 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो दूसरे मेम्बर रणधीर सिंह जी कह रहे थे कि 110 रुपये भाव होना चाहिए, उसको उन्होंने कहा कि गलत है, 85 रुपए का भाव होना चाहिए और उसी के साथ साथ वह यह कहते हैं कि चूंकि यह जिन्स इस मुल्क में कम पैदा हो रही है इसलिए इस जिन्स को आस्ट्रेलिया से मंगाया जाए। आप यह जानते है कि यह भाव किसानों के लिए न केवल लाभकारी नहीं है बल्कि प्रेरणादायक भी नहीं है। किसान की पैदावार तब बढ़ सकती है जब कि उसकी पैदावार का भाव लाभदायक ही नहीं प्रेरणा-

देखिये हो। इस रिपोर्ट के अन्दर प्राइस कमीशन खुद यह मानता है कि चार्ले की पैदावार इस देश में कम है, इसको इम्पोर्ट किया जाए और उसके लिए फारेन एक्सचेंज देने के लिए तैयार हैं लेकिन किसान की कीमत बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कौन सा अर्थ-शास्त्र है, कौन सा एक्सपर्टाइजेशन है, कौन सा इसमें औचित्य है ? मैं इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन नहीं बल्कि ऐंटी प्राइस कमीशन है और यह किसान के हित में नहीं सोचता है, उसके खिलाफ सोचता है मैंने इसकी और दूसरी रिपोर्टस को भी देखा और उसको देखकर मुझे शौक हुआ—यह रिपोर्ट उन लोगों ने दी है जिनको यह मालूम नहीं है कि गेहूं का पौधा कौन सा है और जौ का पौधा कौन सा है ? और बाजरे का पौधा कौन सा है बार्ले की कीमत के बारे में हमें राजस्थान से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक रु० 104.23 प्रति क्विंटल उसका भाव होना चाहिए। इतना खर्चा उसमें होता है। यह राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं। लेकिन उसमें उन्होंने यह कहा कि गेहूं में ज्यादा खर्चा होता है और इसमें चूंकि कम खर्चा होता है इसलिए राजस्थान के आंकड़े गलत हैं। लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि गेहूं तो डबल क्रोपिंग की फसली जमीन में भी हो सकता है लेकिन जौ जो बोता है वह बारानी में बोता है, वह पहले से उसमें आठ दस जोत लगाता है और इतना उसमें खर्चा करता है कि वह गेहूं से ज्यादा पड़ता है। जौ डबल क्रोपिंग की फसल नहीं है क्योंकि अगर उसको इरीगेशन की फैसीलिटी मिलती है, डबल क्रोपिंग की जमीन मिलती है तो वह उसमें गेहूं बोयेगा, जौ क्यों बोयेगा ? जौ तो किसान वहां बोता है जो बारानी जमीन है, जहां पानी का साधन नहीं है, ऐसी जमीन जिसमें केवल एक फसल पैदा की जाती है, ऐसी जमीन जिसको जुलाई से लेकर नवम्बर तक वह काश्त करता है, उसमें टिलिंग करता है उसके लिए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कहता है कि उसकी कीमत कम होनी चाहिए और उस पर गेहूं के मुकाबिले में कम खर्चा आता है।

यही नहीं आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन केवल मूल्य निर्धारण ही नहीं करता बल्कि वह ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी तय करता है, भण्डारण के बारे में भी तय करता है और किसान को प्लेज किस तरह से मिले उसकी कमोडिटी के लिए वह भी निर्धारण करता है। आज इस देश के अन्दर तीन एजेंसीज हैं जो किसान का माल खरीदती हैं। एक आपका फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया है, दूसरा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है और तीसरी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस देश के अन्दर जितनी भी फसलें आती हैं उनके बाजार में आने का एक ही समय है, अगर बंगाल में जौ एक दिन आएगा तो उसी महीने के अन्दर राजस्थान में भी गेहूं और जौ बाजार में आएगा, तो जब बाजार के अन्दर किसान की जिन्स आती है ? उस समय इतना फ्लड होता है, इतनी अधिक जिन्स होती है कि उसको खरीदने के लिए न तो भण्डारण की व्यवस्था की गई है न उसके लिए प्लेज की व्यवस्था है।

मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मार्केटिंग सोसायटीज के पास भण्डारों की व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ मार्केटिंग सोसायटीज के लिए प्लेज्ड लोन की व्यवस्था की

जाए। आज उनके पास पैसा नहीं है। मई या जून के महीने में जब किसान अपनी फसल लेकर चलता है तो मण्डी में मिडिलमैन और एजेन्ट उसकी फसल को जिस भाव पर खरीदना चाहते हैं, उसी भाव पर किसान को बेचना पड़ता है क्योंकि उसको उस समय पैसे की जरूरत होती है। उसको बिजली का बिल चुकाना होता है, अपने बच्चों की शादी करनी होती है, सरकार का लगान देना होता है, कोआपरेटिव का कर्जा चुकाना होता है इसलिए जून के महीने में किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे किसान को आप तभी बचा सकते हैं जबकि उसके लिए प्लेज्ड लोन की व्यवस्था की जाए। वह भी आप तब कर सकते हैं जबकि मार्केटिंग सोसायटीज के पास या जो और एजेंसीज आप ऐसी बनायें उनके पास किसान को देने के लिए पैसा हो और किसान जब चाहे तभी अपनी फसल बेचे। इस बात की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।

जहां तक इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स या स्टेट लोन्स की बात है, हमारे राजस्थान में विभिन्न स्टेट्स हुआ करती थीं और उनमें कृषक वही होता था जोकि काश्त करता था तथा उसकी जमीन को महाजन कभी भी कर्जे में नीलाम नहीं करा सकता था परन्तु मैं वहां सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा मण्डी समिति का चैयरमैन रहा और दूसरी संस्थाओं का चेयरमैन रहा, उसके नाते मुझे इस बात का पता है और अभी मैंने राजस्थान में कलक्टर और दूसरे लोगों से कहा था कि अब शेड्यूल्ड कास्ट्रल और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की जमीनें इसलिए नीलाम हो जाती हैं कि उनके ऊपर कोआपरेटिव का कर्जा था, लैण्ड डेवलपमेंट बैंक का कर्जा था या दूसरी इंस्टीट्यूशनल एजेन्सीज का कर्जा था। इस सम्बन्ध में मुझे एक उदाहरण मालूम है, एक शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति था जिसने कुयें के लिए लोन ले रखा था, उसका कुंआ बना नहीं, उसने आखिरी किस्त भी नहीं ली लेकिन उसकी जमीन नीलाम हो गई। अगर कृषि मंत्री जी चाहें तो मैं उनको पूरा विवरण दे सकता हूं। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसीज के द्वारा किसानों को जो लोन दिया जाता है उसके लिए उनकी जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जमीन ही उनकी रोजी रोटी का आधार होती है। आप चाहे किसानों के लोन रिकवरी इंस्टालमेंट्स को बढ़ा लें या उसको लांग टर्म लोन में बदल दें लेकिन किसी भी सूरत में उसकी जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में जो जमीनें नीलाम की जाती हैं वह गलत है। यह बात किसानों की रोजी-रोटी खत्म करने वाली है। किसी प्रकार से यह नीति उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में बिड़ला, टाटा या जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वे जब इण्डस्ट्री लगाते हैं तो उनके लिए आप बिजली की दर तय कर देते हैं कि 5 पैसा यूनिट चार्ज किया जायेगा लेकिन जब किसान आपसे बिजली लेता है, वह एग्रीमेंट भी लिखकर देता है, जो चार्जेज आप लगाते हैं वह भी देता है फिर भी आप उनको दिन में बिजली नहीं देते हैं, रात में बिजली देते हैं। कृषि मंत्री जी हरयाणा के हैं, उनको मालूम होगा कि हरयाणा और राजस्थान के किसान रात भर खेतों में खड़े रहते हैं। मैं ऐसे इंस्टांसेज दे सकता हूं जब रात

में बहुत से किसानों को सांप ने काट लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए किसानों को दिन में बिजली की सप्लाई होनी चाहिए।

किसी भी कृषि प्रधान देश में, आस्ट्रेलिया, कैनेडा, यू० एस० ए० में तीन सिद्धान्त रखे गए हैं—मेकेनाईजेशन, फर्टिलाईजेशन एण्ड केमिकलाईजेशन—लेकिन इस देश में इन तीनों बातों की पूर्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि मेकेनाईजेशन हो सके, इंप्लीमेंट्स मिल सकें, पेरिटराइड्स मिल सकें और फर्टिलाईजेशन हो सकें। किसानों की फसल के बीमे की ओर भी ध्यान नहीं दिया जता है। मेरे इन सभी सुझावों पर, मैं आशा करता हूं, मंत्री जी ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आठ बज गये है। हम आठ बजे तक समय पहले ही बढ़ा चुके हैं। मंत्री महोदय ने उत्तर देना है और एक-दो सदस्यों को भी अभी बोलना है। मैंने बता कर दिया है कि मंत्री महोदय लगभग 45 मिनट का समय लेंगे तथा प्रस्ताव पेश करने वाला सदस्य लगभग 10 मिनट का समय लेगा। इसको आज पूरा किया जाना है। अतः क्या सभा एक घंटा और समय बढाने के लिऐ तत्पर है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मुल्तान सिंह बोल सकते हैं।

चौधरी मुलतान सिंह (जलेसर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी पैदावार के उचित मूल्य के लिए आन्दोलन किया। यह बात सही है कि किसानों के आन्दोलन, जैसे हड़ताल और स्ट्राइक होती, इस प्रकार यदि किसान भी करता तो किसान को पूरा दाम मिलता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि किसान भूखा नंगा रहा और जिसके पास 100 बीघा जमीन है, उसको दो आने भी नहीं मिला।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खेत को उद्योग में ले लीजिए और आप फिर जो हमें दें। जो हमारी लागत है, उसको लगाकर कीमत दीजिए। क्या कारण है कि 15 फीसदी लोग जो इस देश के अन्दर बिजनेस करते हैं, उनकी लागत लगाकर किसानों की चीजों का मूल्य तय किया जाता है, लेकिन किसान की पैदावार का मूल्य चार आदमी या तीन आदमी वे भी आई. सी. एस., जिनके बाप-दादा ने कभी खेती नहीं की, वे किसान की पैदावार का मूल्य तय करते हैं। चाहे हमारी पैदावार पर 500 रु० खर्च आता हो और वे कहते हैं कि 100 रु० आता है। आपने 105 रु० गेहू का दाम दिया था, आज 200 रु० क्यों बिक रहा है। यह कौन खा रहा है ? आपकी सरकार के दलालों की मारफत ब्लैक हो रहा है या आपकी सरकार की नालायकी है या कमजोरी—क्या कारण है ?

एक बात इस सदन में और कही जाती है, मुझे चार साल हो गए सुनते-सुनते कि बड़ा-किसान, बड़ा-किसान। मंत्री जी मेरी बात को सुन लीजिए। आप क्यों नहीं जवाब देते हैं कि बड़ा किसान

किसको कहते हैं। आपके बाप-दादा के पास भी तो चार लाख बीघा जमीन थी, लेकिन अब आप 18 एकड़ के काश्तकार हो गए। देश में दो दफा सीलिंग हो गई, तो फिर बड़े किसानों को क्यों कोसा जाता है और क्यों रोया जाता है। आप को जो कुछ करना है, कर लीजिए। एक न एक दिन तो नंगा होना ही है। आपको बड़ी तकलीफ हुई, जब एक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि फौज भी है और पुलिस भी है। यह बात ठीक है कि आज 33 साल हो गए किसानों को आपके मुंह की तरफ देखते-देखते। जैसे पांडव 12 साल दुर्योधन के मुंह की तरफ देखते रहे, लेकिन फिर भी बनवास दे दिया। कृष्ण फैसला करने के लिए गए, जब पांच गांव मांगे, तो सुई भर जमीन भी नहीं मिली। सारे देश और कुल का नाश करना पड़ा, वही हालत आप की भी होने वाली है।

जय-जवान और जय-किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था, लेकिन वह किसान और उसका जवान बेटा वही भूखे मर रहे हैं, इस देश में। कब तक आप यह लाठी और गोली की सरकार चलायेंगे। सही मायनें में यह ढकोंसला हैं गोली और एम्यूनीशियन्स सारे का सारा उन्हीं किसानों के लड़कों के पास है, जो कि फौज में भी हैं और यहां भी है। आज नहीं तो कल इस देश में 15 साल के अन्दर चाइना वार जैसी होगी।

श्री ए० के० राय : चाइना जैसी—सिविल वार।

चौधरी मुलतान सिंह : सिविल वार—जी हां! 80 फीसदी आदमी देश का भूखा मर रहा है।

श्री ए० के० राय : यह तो बहुत अच्छा है।

चौधरी मुलतान सिंह : अच्छा हो या बुरा हो—लेकिन वह भी अच्छा नहीं होगा। देश के लिए अच्छा नही होगा। हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं हैं। सुरक्षा सारी शहरों में है। सारी सड़के शहरों में बन रही है और वहीं पर बिजली भी खर्च हो रही है। शहरों में बिजली सस्ती है। हिण्डाल्को फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हैं, उस को आप 11 पैसे यूनिट में बिजली देते है, लेकिन कलवाछितरिया के लौंडे को 27 पैसे यूनिट में दे रहे हैं—यह अन्याय क्यों हो रहा है?

मैं यह बात साफ तौर से कहना चाहता हूं—धान की कीमत 175 रुपये क्विंटल रखिये, गेहूं की कीमत 200 रुपये रखिये, गन्ने की कीमत 130 रुपये रखिये। तेल और दालों की कीमत 500 रुपये से कम नहीं होनीं चाहिए। यदि कम रखी गई तो देश में न दालें मिलेंगी और न तेल मिलेगा। जौ की कीमत आप 85 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आस्ट्रेलिया का 200 रुपये पड़ेगा—मैं पूछता हूं आप देश के रक्षक हैं या भक्षक हैं?

जो यह कहते हैं कि हमने 4-5 रुपये गन्ना बिकवा दिया, यह बात ठीक है। हमारे नेता भी नालायक थे, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन हमने प्रथा चलाई थी कि कृषक का लड़का

ही कृषि मंत्री बने। यूं तो चपरासी से लेकर मंत्री तक किसान का लड़का हो, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हमने बरनाला जी को बैठा दिया था और आप ने राव साहब को बैठा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी किसान के पुत्र हैं।

श्री मुलतान सिंह : मैं आप को आंकड़े दे कर बतलाता हूं—आप ने किसान को क्या दिया ? लोहे का भाव 1970 में 1200 रुपये टन था, लेकिन आज 2700 रुपये से लेकर 4400 रुपये तक है। ईंट का भाव उस वक्त 65 रुपये था, लेकिन आज 270 रुपये है।

एक माननीय सदस्य : ईंट का जवाब पत्थर से दें।

श्री मुलतान सिंह : पत्थर से नहीं गोली से देंगे और गोलियां हमारे पास हैं। सीमेन्ट 12 रुपये थी, लेकिन आज 40 रुपये है।

एक माननीय सदस्य : आप के नेताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर कसम खाई थी।

चौधरी मुलतान सिंह : हां, उस वक्त हमारे नेताओं ने कसम खाई थी, लेकिन अब हमने उनको निकाल दिया।

मैं कह रहा था कि ट्रैक्टर की कीमत—मेरा मतलब है जेटर ट्रैक्टर की कीमत-उस वक्त 14000 रुपये थी जब वह चेकोस्लोवेकिया से आता था, लेकिन आज एच०एम०टी० जो ट्रैक्टर बन रहा है, उसकी कीमत 54000 रुपए है। जब गेहूं की कीमत 75 रुपए थी, लेकिन आज आप 105 रुपए दे रहे हैं...।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : ये दाम कब बढ़े ?

चौधरी मुलतान सिंह : हम कितने दिन यहां रहे ? फिर भी हमने कहा है कि हम ने भी किसानों को कुछ नहीं दिया, किसान की तरफ नहीं देखा, इसीलिए हम आज इधर अकेले बैठे हैं। हमने उनको हटा दिया है...।

श्री दौलत राम सारन : जिन्होंने किसानों की नहीं सुनी, उनको कान पकड़ कर बाहर निकाल दिया, आपकी भी वही गति होने वाली है।

चौधरी मुलतान सिंह : एक बात आप मुझे बतला दीजिए कि बड़ा किसान किसे कहते हैं और छोटा किसान किसको कहते हैं ? छोटा किसान जो 20 मन पैदा करता है, वह अनाज को घर में रखता है या बेचता है—बतलाइए। आपके गांव में भी बहुत से ऐसे हैं। ..

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : हम तो उन सब को किसान मानते हैं जो खेती का काम करते हैं।

चौधरी सुलतान सिंह : यदि आप को मानते हैं तो फिर उसकी लागत को जोड़ कर उसे उचित मूल्य दीजिए या खेती को उद्योग मान लीजिए और जैसे उद्योगों में खर्चा जोड़ते हैं, उसी तरह से उसकी लागत को जोड़कर दाम दीजिए । आज तक जो हालत रही है, मैं तो यह कहूंगा कि 33 सालों में देश आजाद तो जरूर हुआ, लेकिन गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आकर बैठ गए । जैसे वे देखते थे, उसी नजर से आप देख रहे हैं । वरना आप बतला दीजिए—आपके पास भी खेती है—क्या 200 रुपया देकर भी आपके फार्म में "दो-आना" बच सकता है ? आप यहां खड़े होकर कह दीजिए । हम तो 200 रुपए मांग रहे हैं जिसमें दो आने भी नहीं बचते हैं, लेकिन आप तो लाखों बीघे जमीन बेच-बेच कर खा गए । दस लाख या 20 लाख आपके बाप दादा के पास जमीन थी, 18 एकड़ भी आपके पास है तो आप भी जमीदार हैं । एक दिन तो आप कह दें कि बड़े और छोटे जमींदार की डेफीनेशन क्या है । फसल का बीमा करना चाहिए ।

बिजली की क्या हालत है ? 13 रुपए 15 रुपए प्रति हार्सपावर लेते हैं लेकिन कोई टाइम बिजली का फिक्स नहीं है । आप टाइम फिक्स करा दीजिए और बता दीजिए कि हम इतने घंटे बिजली देंगे । मैं कृषक होने के नाते आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृषक को कृपया दिन में बिजली दें । कारखाने तो रात में भी चल सकते हैं, वहां बल्ब लगा रहता है लेकिन किसान के खेत में बल्ब नहीं होता, कारखाने वालों को सांप भी नहीं खाता । किसान की फसल मारी जाती है, किसान को नुकसान होता है । मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैबीनेट में यह फैसला करेंगे कि किसान को रात में बिजली न दी जाए । इसी प्रकार ट्यूबवैलों का हाल है, कहीं सड़कें नहीं हैं, कहीं पानी नहीं है, किसानों को केवल 7-8 प्रतिशत बिजली दी जाती, इसका क्या कारण है ? ...(व्यवधान)... ।

*श्री एन० सुन्दर राजन (शिवकाशी) : तमिलनाडु के कविसन्त, थिरुवाल्लुकर ने कहा है कि किसान, जो जमीन जोतता है केवल वही वास्तव में जीवन जीता है शेष सभी उसके अधीन जिन्दा रहते हैं । परन्तु आज कृषक समाज के निम्नतम स्तर पर है । उसकी निर्धनता चिरस्थायी हो गई है । खेती के खर्चों में वृद्धि हो रही है परन्तु उत्पाद की बिक्री से उसकी आय में कमी हो रही है । कृषि आदानों की कीमतों में दिन के हर घंटे में वृद्धि हो रही है परन्तु उसको अपने उत्पादों का मूल्य इतना कम प्राप्त होता है कि उसके लिए निर्वाह चलाना मुश्किल है ।

तमिलनाडु में मेरे दल, अन्नाद्रमुक के शासन ग्रहण करने से पूर्व कृषकों के लिए बिजली की दर 16 पैसे प्रति यूनिट थी । सत्ता में आने के बाद अन्नाद्रमुक दल द्वारा छोटे किसानों को 12 पैसे तथा बड़े किसानों को 14 पैसे यूनिट की दर से बिजली की सप्लाई की जा रही है । इस कारण राज्य को 70 करोड़ रु० की वार्षिक हानि हो रही है । मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु को इस घाटे की प्रतिपूर्ति करे ।

देश भर के कृषक आन्दोलनों के रास्ते पर चल रहे हैं । यह नहीं कि वे केवल तमिलनाडु में आन्दोलन कर रहे हैं । उनका आंदोलन तथा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक उनको

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूकान्तर ।

अपने उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य नहीं मिलते। अतः केन्द्र सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देश भर में कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य नियत करने चाहिए अथवा केन्द्र किसानों को कीटनाशियों तथा उर्वरकों की सप्लाई राज सहायता प्राप्त दरों पर करे।

केन्द्र द्वारा धान का वसूली मूल्य 105 रु० प्रति क्विंटल नियत किया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा किसानों को इसके ऊपर 10 रुपए की राशि दी जा रही है। फिर भी वह पर्याप्त नहीं है अतः केन्द्र सरकार धान का वसूली मूल्य प्रति क्विंटल 135 रु० नियत करना चाहिये। इसी प्रकार केन्द्र ने गन्ने का मूल्य 135 रु० नियत किया है। तमिलनाडु सरकार ने गन्ने के लिए 45 रुपये की अतिरिक्त राशि नियत की है। गन्ना उत्पादकों के लिए यह राशि भी पर्याप्त नहीं है। अतः केन्द्र सरकार को गन्ने के लिए कम से कम 250 रु० नियत करना चाहिए जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने अनुरोध किया है।

माननीय सदस्य थाझाई करूणानिधि ने जो मेरे से पूर्व बोले थे। बताया था कि राज्य सरकार ने केवल 42 करोड़ के कृपि ऋण बट्टे खाते डाले हैं। उनको शायद ठीक आंकड़े नहीं पता। सत्ता में आने के बाद अन्नाद्रमुक सरकार ने 102 करोड़ रु० के कृषि ऋण बट्टे खाते डाले हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भू-राजस्व बोर्ड क्षेत्र के पुनर्गठन के प्रयोजन से राजस्व बोर्ड को समाप्त कर दिया है। तमिलनाडु सरकार अंशकालिक ग्रामीण अधिकारियों को हटाना चाहता है और पूर्णकालिक ग्राम प्रशासक नियुक्त करना चाहती है जिससे कि कृपकों की समुचित सहायता हो सके। यह नहीं है कि हमने बदले की भावना से अथवा राजनैतिक दृष्टिकोण से 24,000 अंश कालिक ग्राम अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने उन उचित प्रशासकीय निर्णयों को, जिनसे ग्राम प्रशासन में सुधार होगा, राजनैतिक उद्देश्यों से पूर्ण कहा है।

अंत में अपने क्षेत्र के बारे में एक प्रासंगिक बात का उल्लेख करूंगा। पिछले वर्ष 1.5 एकड़ कृषि भूमि पर मैंने मिर्च लगाई। 1.5 एकड़ भूमि पर पैदा की गई 6 क्विंटल मिर्चों को मैं 380 रु० प्रति क्विंटल की दर पर केवल 2240 रुपये पर बेचा। परन्तु मुझे 6 क्विंटल मिर्च पैदा करने पर 3000 रुपये व्यय करने पड़े। मुझे इस सौदे पर 760 रु० का घाटा हुआ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मिर्च की खेती एक प्राथमिक कृषि गतिबिधि है। यदि काश्तकारों को मिर्च की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता हो वे अपनी जीविका खो बैठेंगे। देश भी मिर्चों के निर्यात से मिलने वाली बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खो देगा। मेरी मांग हैं। कि केन्द्र सरकार मिर्च का प्रति क्विंटल मूल्य 750 रु० तत्काल नियत करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : अंत में मुझे अवसर मिल ही गया है।

मैं श्री चित्त बसु का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह मामला सदन में उठाया है। आज देश में यह एक ज्वलंत मसला है—किसानों के लिए मूल्यों का प्रश्न। इसके लिए आन्दोलन भी हुए हैं जो देश के कुछ भागों में अभी भी चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक है प्रधान मंत्री से लेकर किसी को भी जिसको पार्टी में कोई स्थान प्राप्त है अथवा जो इस सदन में हमारी पार्टी का सदस्य है, उनकी उचित मांगों के प्रति सहानुभूति है।

मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने भी आज किसानों का पक्ष उठाया है। हालांकि मुझे यह विश्वास नहीं है, जैसा कि कुछ सदस्य कह चुके हैं, यदि सरकार किसानों को उनके उत्पादों के लिए कुछ अधिक कीमत अदा करने की कोशिश करें तो वे कीमतों में वृद्धि का राजनैतिक लाभ नहीं उठायेंगे।

दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा दिये गये कुछ सुझाव बहुत ही मूल्यवान हैं। मैं वास्तव में उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उन गलतफहमियों, आशंकाओं तथा भ्रांतियों को दूर करने का अवसर दिया है--हालांकि मुझे पूरा विश्वास नहीं कि मैं इतने कम समय में उन सब बातों का, जो माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई हैं, उत्तर दे सकूंगा। मेरी कठिनाई यह है कि कृषि मन्त्री के रूप में मैं समझता हूं कि सदस्यों ने किसानों के पक्ष के लिए जो समर्थन दिया है उससे मुझे किसानों का पूरी तरह से पक्ष लेने में सहायता मिलेगी। मैं इस समय खाद्य मंत्री भी हूं। इस देश में आज तक खाद्य तथा कृषि का एक ही मन्त्रालय रहा है। अतः मुझे समस्या पर दो दृष्टि कोणों से विचार करना है—किसानों के दृष्टि कोण से तथा उपभोक्ताओं के दृष्टि कोण से।

श्री वसन्त दादा पाटिल : एक ही खाता रखिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आप फूड मिनिस्टर हो जाइये दादा, मेरी दिक्कत हल हो जाएगी। मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा आप बांटियेगा।

श्री नाथू राम मिर्धा : आप बैठ कर के बात करेंगे तभी कोई रास्ता निकलेगा।

एक माननीय सदय : जो आपने देखा है वह बता दीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : वह बाहर बता देंगे, यहां क्यों बक्त खराब करते हैं।

मैं पहले माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ खास टिप्पणियों का उत्तर दूंगा तब मैं मित्रों द्वारा उठाए गए विशेष पहलू उठाऊंगा, यदि उसके लिए समय मिला। आज यह धारणा बन गई है कि सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से अथवा जब से हमारे दल ने देश के लिये आजादी प्राप्त की है शासन संभाला तब से ग्रामीण क्षेत्र के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। मैं अपने मित्रों की याद इस बारे में ताजा कराना चाहता हूं कि सरकार द्वारा किसानों की अर्थात देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली भारी जनसंख्या, विशेष रूप से कमजोर वर्गों, कृषि मजदूरों और छोटे एवं सीमान्त किसानों की सहायता के लिए और वास्तव में सभी लोगों की सहायता के लिए क्या किया जाता

रहा है । जो भी योजनाए सरकार द्वारा बनाई गई मैं उन सब की सूची नहीं बताना चाहता । परन्तु आप जानते हैं कि हाल में हमने सूखे का एक बहुत बड़ा वर्ष देखा, शायद इस शताब्दि का सब से कड़ा । सरकार ने ग्रामीण लोगों की देखभाल के लिए भारी धन राशि व्यय की ।

गरीबी समाप्त करने की हमारी नियमित योजनाओं तथा आयोजनाओं के अतिरिक्त, पिछली सरकार ने सूखे के वर्ष में सूखा राहत के लिए 156 करोड़ रु० की राशि व्यय की । हमारे सत्तारूढ़ होने के तत्काल बाद हमने राज्यों को एक केन्द्रीय दल भेजा जिसका काम यह पता लगाना था कि क्या लोगों को पर्याप्त राहत दी गई है । इस वर्ष जानवरी के बाद राहत के रूप में 194 करोड़ रु० की एक और भारी राशि का उपबंध किया गया । इसके अतिरिक्त, हमने गांवों में पेय जल की समस्या को हल करने के प्रयास किए हैं, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है ।

केवल इस वर्ष के दौरान, सूखा की स्थिति का सामना करते समय, 22,000 गांवों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई । इस वर्ष के दौरान 32,000 अन्य गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी योजना है । हमने समस्या मूलक गांवों का पता लगा लिया है और जिन 2 लाख समस्या मूलक गांवों का पता लग गया है उनमें वर्ष 1985 तक की इस योजनावधि के दौरान पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है । इतने बड़े देश में इस गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए यह छोटी कोशिश नहीं है ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, किसानों को उर्वरकों, बीजों तथा पौध संरक्षण आदि के लिए राज सहायता प्रदान की जा रही है । सिंचाई के लिए पानी और बिजली भी राज सहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई की जा रही है । हम सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयास कर रहे हैं । उसके लिए भारी निवेश अपेक्षित है । मैं जलाशयों, नहर प्रणाली, मुख्य सिंचाई परियोजनाओं, मध्यम सिंचाई कार्यों तथा लघु सिंचाई कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उसके लिए भी भारी निवेश की आवश्यकता है ।

हाल ही में हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार यह निर्णय किया कि सारे देश को सामूहिक ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लिया जाएगा और 2 अक्तूबर को देश के सभी 5011 खण्डों को इसके अन्तर्गत लिया गया । इससे पूर्व केवल 2600 खंड इस योजना के अधीन थे और सभी गांवों तथा खण्डों को इस योजना के अन्तर्गत लाने में 10 वर्ष का और समय लगता । परन्तु हमने छठी योजनावधि में इसके लिए धनराशि उपलब्ध की है । हम इस प्रयोजन के लिए 1500 करोड़ का उपबन्ध कर रहे हैं । यह कोई छोटी बात नहीं है । हम 150 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना चाहते हैं । यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । हम इसे प्राप्त करने की आशा करते हैं । इसी कारण मैं केवल यह उल्लेख कर रहा हूं कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, सरकार इस ओर कितना ध्यान देती रही है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना ध्यान दिया जाएगा । इस योजना को अब छठी योजना में इस योजना अवधि के लिए स्वीकार कर लिया गया है । केवल

इसी वर्ष, 22 लाख टन खाद्यान्न राज्यों को आवंटित किए जा चुके हैं और इसका अधिकतर भाग वितरित भी किया जा चुका है। यह ग्रामीण लोगों को और विशेष रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार देने के लिए हैं।

ऐसी और भी बहुत सी अनेक बातें हैं जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है किसानों की न्यायोचित मांग, यदि स्वयं किसानों द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और इस सरकार द्वारा उस पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा, जैसा कि यह सरकार करती रही है। परन्तु मेरे कुछ मित्र जब किसानों को चीनी मिलों को गन्ना न देने, सड़कें तथा पुलिया तोड़ने तथा धान को बाजार में न लाने की बातें कहते हैं तो वे किसानों के मित्र नहीं हैं। एक ओर वे, विपक्ष के कुछ सदस्य शिकायत करते हैं कि किसानों के उत्पादों के लिए समुचित बाजार नहीं और दूसरी ओर जहां पर हम बाजार सुविधायें उपलब्ध करते हैं, जहां पर हम वसूली की व्यवस्था करते हैं, वे किसानों को कहते हैं कि उनका लाभ न उठायें अथवा उनको कहते हैं कि मण्डियों में माल न लायें। यह गत तीन वर्षों की अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए किया जाता है, जब कि उनको देश का शासन चलाने का अवसर मिला था। वे अब इस सरकार पर दोषारोपण करना चाहते हैं। यह सरकार बहुत ही तेज गति से अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण करने की कोशिश कर रही है। मैं अपने सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि यदि वे किसानों के कल्याण में वास्तविक रूप से पक्ष में हैं तो उनको गलत तरीकें न बतायें। चूंकि मैं किसान के रूप में जानता हूं और आप भी उस व्यक्ति के रूप में, जिसके किसानों के साथ निकट सम्बन्ध हैं, यह जानते हैं कि किसान लम्बे समय तक अपना गन्ना चीनी मिलों को देने से रह नहीं सकते। उनको इससे भारी हानि होगी। वे अपना धान बेचने से इन्कार नहीं कर सकते चूंकि इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा मण्डियों में अपनी गतिविधियां आरम्भ करने से पूर्व केवल कुछ दिनों में ही धान का मूल्य 90-95 रु० हो गया था और किसानों द्वारा शोर आरम्भ कर दिया गया कि सरकार धान की खरीदारी अथवा वसूली तत्काल आरम्भ करे। गन्ने के सम्बन्ध में भी यही बात 2 वर्ष पूर्व हुई भी। मेरे दल के सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि किस प्रकार गन्ने के खेतों को आग लगानी पड़ी थी, किस प्रकार से धान खेतों में तथा मण्डियों में सड़ गया, किस प्रकार गेहूं की वसूली कीमत 115 रु० नियत करने के बावजूद पिछली सरकार द्वारा गेहूं की लेवी खरीदारी नहीं की गई तथा किसानों को 90-95 रु० भी नहीं मिल सके। इस सरकार के शासन में आने के बाद किसानों को 117 रु० का भाव दिया गया। किसानों को अब धान के लिए नियत वसूली मूल्य अदा किया जा रहा है। किसी ओर से कोई शिकायत नहीं है। कुछ राज्यों द्वारा स्वयं अपने आप धान का मूल्य बढ़ा दिया गया है। यदि राज्यों के संसाधन अनुमति दें···। (व्यवधान)।

श्री चित्त बसु : इसका कोई श्रेय आपको नहीं जाता·····।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : परन्तु जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, 105 रु० का यह मूल्य भी पूरी तरह से विचार करने के बाद नियत किया गया था और इसे लाभप्रद मूल्य माना गया

तथा वसूली किया जा रहा अधिकतर धान पंजाब तथा हरियाणा से है और किसान इसे 105 रु० पर बेच कर खुश हैं। अतः यदि मैं यह कहता हूं कि देश के कुछ भागों में किसानों को कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा गलत रास्ता दिखाया जाता है तो मैं गलत नहीं कह रहा।

श्री चित्त बसु : आपके दल सहित। आपका दल भी उसमें है। (व्यवधान)।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कुछ बातें गन्ने के बारे में भी कहना चाहता हूं। गन्ने के बारे में भी उनमें से कुछ सदस्यों ने शायद यह आशंका व्यक्त की है कि चीनी मिलें बन्द हो जायेंगी, उनमें से कुछ कार्य नहीं कर रहीं, चीनी का उत्पादन गिर जाएगा, परन्तु तथ्य इससे विपरीत हैं। महोदय, चीनी के इस वर्ष के दौरान (30 नवम्बर तक) 1978-79 वर्ष में चीनी का उत्पादन 3.95 लाख टन था। पिछले वर्ष 1979-80 के दौरान 2.95 लाख टन का उत्पादन हुआ।

इस वर्ष, 30 नवम्बर तक की अवधि के दौरान, हमें पहले ही इस आशय के समाचार मिल चुके हैं कि (4.41) लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। पिछले से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इससे यही सिद्ध होता है कि किसान आपके पंजे में नहीं फंसे हैं। उन्हें अच्छे मूल्य मिल रहे है, और वे मिलों को गन्ना सप्लाई कर रहे हैं। गत वर्ष 30 नवम्बर को कार्यरत 209 कारखानों में से, इस समय 213 कारखाने तो अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। अतः इस बात का कोई खतरा नहीं होना चाहिए किसानों को सरकार के प्रयासों का पता नहीं है जैसा कि यहां के अथवा बाहर के कुछ लोग राजनैतिक प्रयोजनों को लेकर तथा किसानों को भड़काने के उद्देश्य से कहते हैं; और कि किसानों को यह मालूम नहीं है कि कुछ राजनैतिक दल वस्तुतः क्या खेल खेल रहे हैं।

इस तरह की चर्चा रही है कि अपर्याप्त मूल्यों के कारण फार्म-उत्पादन को हानि पहुंची है। यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। यह बात तो प्रायः सभी को मालूम है कि हमने अपना गेहूं का उत्पादन बढ़ाया है। यदि मेरे कुछ मित्र इसे नहीं मानते तो यह एक अलग बात है। वर्ष 1970 के आरम्भ में चावल 4 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष हमें 5.6 करोड़ टन चावल का उत्पादन होने की आशा है। विगत 10 वर्षों के भीतर हमने अपने चावल के उत्पादन में 1.6 करोड़ टन की वृद्धि की है।

एक माननीय सदस्य : आप अधिक उत्पादन कर सकते थे।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हम अधिक उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 1967-68 में, गेहूं का हमारा कुल उत्पादन 1.65 करोड़ टन था। इस वर्ष, भगवान की दया से, हमें 3.4 करोड़ से 3.5 करोड़ टन तक उत्पादन होने की आशा है। उक्त लक्ष्य तो पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार होने के कारण तथा अन्य लोगों की सरकार होने के कारण नहीं जिनको बीच में मौका मिला था— उत्पादन में 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। फार्म-क्षेत्र में वह अर्थव्यवस्था तथा वृद्धि निरन्तर है। यदि आप अन्य चीजों के बारे में जानना चाहें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं। रूई का उत्पादन 80 लाख गांठें हुआ है जो कि काफी

वृद्धि का द्योतक है। आलू के मामले में एक करोड़ टन के उत्पादन तक पहुंच गये हैं। यह वृद्धि भी काफी है। उत्पादन में उक्त वृद्धि कैसे हो सकती है यदि उनके मूल्य लाभप्रद न होते ? यह तो आधारभूत बात है, बड़ी सरल सी बात है जो समझ में आनी चाहिए। मैं सदस्यों की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि किसानों का जीवन-स्तर ऊपर उठना चाहिए। जहां तक संभव हो उन्हें अच्छे मूल्य मिलने चाहिए। परन्तु हम अन्य विकसित देशों की परिस्थितियों के साथ अपने यहां की परिस्थितियों की तुलना नहीं कर सकते। हमारी भारतीय परिस्थितियां भिन्न हैं। कुछ विकसित देशों में सरकार फार्म -क्षेत्र को अधिक राज सहायता दे सकती है क्योंकि वे अन्य क्षेत्रों में समृद्ध हैं। उन देशों की खाद्य आवश्यकतायें भी अधिक नहीं हैं। भारत की तुलना में उनका खाद्य संबंधी बजट छोटा होता है जबकि भारत एक निर्धन देश है। यहां हम अपनी आय का लगभग दो-तिहाई खाद्य पर खर्च करते हैं। परन्तु विकसित देशों में यह एक तिहाई से अधिक नहीं है, वहां अधिकाधिक 30 प्रतिशत है जिनके साथ शायद आप हमारे देश की परिस्थितियों की तुलना कर रहे हैं।

उन देशों की राष्ट्रीय आय में फार्म-अंशदान बहुत कम होता है, जापान तथा अमरीका लगभग 6-7 प्रतिशत ही होता है जबकि भारत में यह 50 प्रतिशत है।

एक माननीय सदस्य : 53 प्रतिशत है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : गत कुछ वर्षों के दौरान यह घटकर 51 प्रतिशत हो गया है। इससे पहले यह इससे भी अधिक था यदि। यह घटकर अब 50 प्रतिशत रह गया है तो मैं श्री चित्त बसु से कहूंगा कि वह यह समझें कि भारत उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। जब मूल राष्ट्रीय आय में अन्य क्षेत्रों का अंश बढ़ता है तो फार्म-आय का अंश घटता जाता है। जापान और अमरीका समृद्ध देश होने के कारण, उनकी मूल राष्ट्रीय आय में फार्म-क्षेत्र का अंशदान केवल छः या 7 प्रतिशत है। उनका कृषि-क्षेत्र लाभकर न होने का कारण यह नहीं है कि वे देश अल्प-विकसित हैं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि वे देश अपने फार्म-उत्पादन को बनाये रखने के लिए भारी राशि की राजसहायता दे सकते हैं। क्यों ? यह इसलिए है क्योंकि उनकी जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग कृषि-क्षेत्र में कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए, जापान में, कृषि शौकिया तौर पर किया जाता है और सरकार उसके लिए भारी राशि की राजसहायता देती है। उदाहरणतया खाद्यान्न, प्राप्त करने के लिए वे चावल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कई गुना मूल्य दे देते हैं। परन्तु क्या हम भारत में ऐसा कर सकते हैं। यदि हम भी वसूली के इस स्तर पर पहुंच जायें विक्रय मूल्य बढ़ाए बिना ही वसूली मूल्य बढ़ा दें, तो मेरे मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार हमें प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपये की राजसहायता देनी पड़ेगी। क्या हम उतना भार वहन कर सकते हैं ? क्या आप चाहते हैं कि यह देश हर क्षेत्र में उन्नति करे अथवा यह देश अपने सभी संसाधन सिर्फ कृषि-कार्य पर ही खर्च कर दे और इस प्रकार देश हमेशा ही गरीब बना रहे ? इन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने भूमि सुधारों का जिक्र किया है। क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं इसकी बात पहले करूंगा। इस दल ने, वर्ष 1947-48 से ही जब भी यह शासन में आई, भूमि सुधार के लिए उपाय करने आरम्भ कर दिए थे।

श्री चित्त बसु : परन्तु आप असफल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : हम असफल नहीं रहे हैं। शायद पश्चिम बंगाल सरकार असफल रही है।

श्री चित्त बसु : आपको तो उनसे कोई चिढ़ सी हो गई है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : कोई चिढ़ नहीं है। हमने जागीरदारी समाप्त की है, हमने इजारेदारों को भूमि के मालिकाना अधिकार दिलवाये हैं, समय-समय पर हमने भूमि की अधिकतम सीमा को कम भी किया है जिनके फलस्वरूप फालतू भूमि घोषित हुई है। अधिकतम सीमा कानून के अधीन, हमने अब तक 37.85 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की है और उसमें से 24-88 लाख एकड़ भूमि के कब्जे ले लिए हैं। और 17½ लाख एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है।

श्री चित्त बसु : कुल 17 लाख एकड़ में से सिर्फ पश्चिम बंगाल ने ही अकेले 9 लाख एकड़ भूमि वितरित की है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : पश्चिम बंगाल में बड़े-बड़े जमींदार रहे होंगे। इसलिए, क्षेत्रफल अधिक रहा होगा (व्यवधान) देश भर में अधिकांशतः छोटे किसान हैं। श्रीमन् इन उपायों से 12.07 लाख लोगों को लाभ पहुंचा। और इसमें से, लगभग 6.47 लाख अथवा 53.7 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हैं अर्थात कमजोर वर्गों के हैं जिसका ख्याल हम कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : उन्हें और अधिक दीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : हम और अधिक देंगे। यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री चित्त बसु : परन्तु यह आपको मिलेगी कहां से अभी भूतपूर्व राजे और महाराजे बैठे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आबंटियों के पुनर्वास में लिये भी हमारे पास राजसहायता देने की योजनायें हैं। हम उन्हें कुछ तो केन्द्र सरकार की ओर से देते हैं और कुछ राज्य सरकारों की ओर से ; और उन्हें उनकी थोड़ी सी भूमि में स्थापित करने के लिए उनका ख्याल रखे हुए हैं।

श्रीमन्, इस उपयोगी चर्चा से उठे अधिकांश मुद्दों को मैं बारी-बारी से लूंगा।

माननीय सदस्यों ने एक लचीली मूल्य नीति के बारे में कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कृषि मूल्य आयोग उत्पादन-लागत का सही-सही मूल्यांकन नहीं कर रहा है। उन्होंने किसान द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों तथा उसके अपने उत्पाद के मूल्यों के बीच असमानता का प्रश्न भी उठाया है। कृषि मूल्य आयोग की भी आलोचना होती रही है। फसल बीमा योजना की बात भी कही गई है ताकि प्राकृतिक प्रकोपों से किसानों को होने वाली क्षति से बचाया जा सके। मेरे कुछ साथियों ने तो कृषि मूल्य आयोग की सर्वाधिक आलोचना की है।

श्री चित्त बसु : आपके दल के साथियों ने भी।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : नहीं। में उसकी हिमायत करूंगा क्योंकि जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कृषि मूल्य आयोग की आलोचना का अर्थ सरकार की आलोचना करना है जैसा कि सभा में कई बार बताया जा चुका है। कृषि मूल्य आयोग मात्र सिफारिसें करने वाला एक निकाय है। अपने कुछ मित्रों से इस सुझाव पर मुझे आश्चर्य होता है कि कृषि उत्पादकों के लिए मूल्य निर्धारण करने हेतु एक सांविधिक आयोग होना चाहिए इससे अधिक किसानों के लिए खतरनाक बात क्या होगी। यदि कोई सांविधिक आयोग होगा तो सरकार हमेशा ही उसको आगे कर देगी और खुद बच निकलेगी। सरकार उसकी सिफारशों को बदल नहीं सकेगी। अब हमने सारा दायित्व अपने ऊपर लिया है सरकार ही मूल्यों की घोषणा करती है। सरकार को कृषि मूल्य आयोग की सिफारशों पर विचार करने का अधिकार है और वह उन्हें बदल भी सकती है। सरकार कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्यों को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है ऐसा कई बार हुआ भी है आपकी स्मृति शायद बहुत ही कम है आयोग ने तो धान के मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया था परन्तु सरकार ने बढ़ाकर 105 रुपये कर दिया आयोग ने गन्ने के लिये भी फिर मूल्य 13 रुपये रखने की सिफारश की परन्तु प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को सलाह दी और हमारा श्रेय कांग्रेस (आई) दल के मुख्य मंत्रियों को भी जाता है, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कि किसानों से उनके गन्ने के मूल्य 20 रुपये प्रति क्विंटल से कम न मिलें। पंजाब जैसे कुछ राज्य तो 25 रुपये तक दे रहे है। धान के मूल्य भी बढ़ाने का श्रेय कांग्रेस (आई) शासित राज्यों को जाता है।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आंध्र प्रदेश में हमें 22 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य मिल रहा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : हम तो अपनी ओर से लाभकारी मूल्य निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि राज्य अपने संसाधनों द्वारा वहन कर सके तो वे अधिक भी दे सकते हैं, हमें कोई उज्र नहीं है, परन्तु इससे उन अन्य राज्यों को कठिनाईया हो सकती हैं जो इतने मूल्य नहीं दे सकते। इसके साथ ही, इससे हमारी वसूली पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि जिन राज्यों ने प्रति क्विंटल 10 या 15 रुपये अधिक निश्चित किये हैं उनसे वसूली बहुत कम होती है, नगण्य होती है। अधिकांश वसूली हरियाणा तथा पंजाब से होती है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि इतने शोर-शराबे के बावजूद भी जो कि हमारे कुछ मित्र किसानों में लाभ-

कारी मूल्य देने का मचा रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में गत वर्ष से अधिक वसूली हुई है। यदि आप चाहें तो मैं आंकड़े दे सकता हूं परन्तु इस समय तो मैं सामान्य रूप से बता रहा हूं।

जहां तक कृषि मूल्य आयोग के ढांचे का प्रश्न है इसमें तीन सदस्य होते हैं। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि उनमें से कोई किसानों का प्रतिनिधि हो परन्तु राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की थी कि कृषि मूल्य आयोग में चार सदस्य होने चाहियें और उनमें से एक सदस्य किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिए। मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि आयोग में किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं हैं। श्री लकप्पा यहां बैठे हैं और शायद उन्होंने ही यह बात उठाई थी, कुछ अन्य मित्रों ने भी यह बात कही थी। मैं श्री लकप्पा से अपने मित्र श्री रणवीर सिंह से परिचित कराना चाहूंगा जो कि खुद उसी प्रकार किसान हैं जैसे कि श्री लकप्पा हैं। वह श्री रणधीर सिंह से मिलकर खुश होंगे।

श्री राठौर तथा श्री पाटिल जैसे कुछ सदस्यों ने कहा है कि आयोग दक्षिण भारत के कोई सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय आयोग ने जिसके अध्यक्ष मेरे माननीय मित्र की मिरधा हैं; ये सिफारिश की थी कि आयोग के चार सदस्य होने चाहिये। अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की तो नियुक्ति हो चुकी है एक सदस्य कृषि-अर्थविज्ञ है जो कि अध्यक्ष हैं तथा लुधियाना विश्व विद्यालय से हैं डा० केहलों एक अन्य सदस्य हैं जो कि कृषि-अर्थ विज्ञ हैं और वह सदस्य-सचिव हैं। इसके अतिरिक्त किसानों के प्रतिनिध है चौधरी रणधीर सिंह [illegible] एक स्थान अभी भी रिक्त है। मैंने अपने माननीय मित्रों द्वारा दिये गये इस सुझाव को नोट कर लिया है कि यह चौथा सदस्य दक्षिण भारत से होना चाहिए। हम दक्षिणी क्षेत्र से कोई उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने का प्रयास करेंगे परन्तु उसे कृषि विशेषज्ञ तथा अर्थ-शास्त्री होना चाहिए। हमें आशा है कि हमें ऐसा एक व्यक्ति मिल जाएगा और माननीय सदस्य भी हमें किसी के नाम का सुझाव दे सकते हैं जो उनकी दृष्टि में हो। अतः, उक्त कमी को पूरा कर दिया जायेगा।

कृषि संबंधी नीतियों तथा कृषि उत्पादन से बनाये रखने के लिए मूल्य निर्धारण नीति का निश्चय ही बड़ा महत्व है। लोगों ने कहा है कि हमारी दोषपूर्ण नीतियों के कारण चीनी का उत्पादन घटा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उस सरकार का दोषपूर्ण नीतियां।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अच्छा है कि उस सरकार का जिक्र न करे क्योंकि वह समाप्त हो चुकी है, जा चुकी है।

जैसाकि मैंने पहले कहा है, चीनी के मामले में अब हम बेहतर काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि उत्पादन बढ़ता ही जायेगा।

श्री चित्त बसु : मूल्य भी बढ़ते ही जायेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आप चाहते हैं कि मूल्य बढ़ें। हम तो यह कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक वितरण हेतु मूल्य उचित रूप से कम रहें और खुले बाजार की चीनी के लिए हमें कोई निश्चित फार्मूला निर्धारित करना होगा। ऐसा किसी तदर्थ आधार पर नहीं किया जा सकता। औद्योगिक लागत ब्यूरों से भी सलाह ली जाती है। विशेषज्ञ द्वारा निर्णय करते हैं। सरकार सिफारिश को स्वीकार कर लेती है। सभी पहलुओं का हिसाब-किताब लगाकर इसका निश्चय किया जाता है।

ऐसी धारणा बनी प्रतीत होती है कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों में एक प्रकार का तदर्थवाद रहता है। और एक उत्पादन-लागत की गणना हेतु आवश्यक सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता है। मैं उक्त सन्देह से दूर करना चाहता हूं। लगभग 18 बातें ऐसी हैं जिन्हें कृषि मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें करते समय अपने ध्यान में रखता है। सभी प्रकार के श्रम को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वह किराये पर लिया गया श्रम हो, सभी प्रकार शक्ति का प्रयोग विचार में रखा जाता है चाहे वह पशु-बल हो अथवा मशीनी बल हो जिसका उपयोग काश्त, कटाई तथा ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। इन सभी बातों को विचार में लिया जाता है। कृषि के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं यथा बीज, उर्वरक, डीजल, कीटनाशक दवाएं इन बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। फिर किराये की दृष्टि से भूमि का मूल्य भूमि के लिए वास्तव में अदा किया गया किराया— अपनी ही भूमि के लिए भी—; उक्त सिफारिशें करते समय तत्कालीन किराया मूल्य भी विचार में रखा जाता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : पट्टा-मूल्य।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : भूमि का पट्टा मूल्य अथवा किराया-मूल्य दोनों एक ही बात है। इन सभी बातों को विचार में लिया जाता है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : व्यवधान के लिए मुझे क्षमा करें। उदाहरण के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिंचाई के लिए दी गई प्रणाली—रैंडम प्रणाली इतना प्रतिशत बताती है जिसे वस्तुतः केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं किया जाता है। अतः यह प्रणाली ही स्वयं में दोष पूर्ण है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं उसकी बात भी करूंगा। पट्टा भूमि पर दिया गया किराया अपनी ही भूमि का किराया-मूल्य परिवार के श्रम, कृषि के लिए आवश्यक आदानों तथा उपकरण, कर आदि सभी को विचार में रखा जाता है।

श्री चितु बसु : आदानों (इन्पुट्स) के चालू मूल्य?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : नहीं-नहीं। वे मूल्य जो सिफारिशें करते समय विद्यमान हों। उनका समय-समय पर पुनरीक्षण होता रहता है। (व्यवधान)। यह एक अत्यन्त व्यापक प्रणाली

है चाहे वह इस समय बहुत फैली नहीं हैं, परन्तु लागत का हिसाब लगाने के लिए, नमूना प्रणाली न्यूनाधिक दोष रहित है।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने के लिए 10 फसलें कृषि मूल्य आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मुझे आशा है, मुझे सभा को फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं अनेक बार कह चुका हूं कि उक्त न्यूनतम मूल्यों का चालू वास्तविक मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता है। यह तो किसानों के लिए एक प्रकार ऐसा बीमा है कि कतिपय फसलों के लिए सरकार यह गारन्टी देती है कि जो कुछ भी उत्पादन होगा तथा मण्डी में लाया जायेगा उसे सरकार उस मूल्य पर खरीद लेगी ताकि किसान दीवालिया न हो जाए और उसे हानि न पहुंचे। इस प्रणाली का यही कार्य है।

श्री उत्तम राठौर : यह आपके मतानुसार कृषि मूल्य आयोग ठीक कर रहा है तो क्या यह सच नहीं है कि आयोग के एक सदस्य चौधरी रणबीरसिंह ने सरकार से अनुरोध किया है कि मूल्य बढ़ाये जायें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इससे यही सिद्ध होता है कि कृषि मूल्य आयोग में किसानों को कितना सुदृढ़ प्रतिनिधित्व है। आयोग के एक सदस्य ने जो कुछ भी कहा है—किसी सदस्य की विमति अथवा सदस्यों का बहुमत—सब कुछ सरकार के सामने है। हम उन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। यदि चौधरी रणधीर सिंह ने कोई ठोस कारण सामने रखा है और वह सरकार को आश्वस्त कर सकते हैं कि वह जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं तथा जो कुछ अन्य सदस्य कहते हैं वह सही नहीं है, उचित गणना पर आधारित नहीं है, तब हम निश्चय ही इस पर भी स्वीकार करेंगे।

श्री बसन्त राव पाटिल (सांवली) : आपने ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जिन चीजों को कंसिडरेशन में लेना है इसके बारे में बताया। लेकिन उसके अन्दर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वह नहीं लेता है, मार्केटिंग का खर्चा नहीं लेता है। गेहूं किसान खेत के अन्दर तैयार करता है, उसे उठा कर ले जाने का खर्चा कहीं भी ध्यान में नहीं लिया गया है और मार्केटिंग का खर्चा नहीं लिया गया है। कौन करेगा वह खर्चा ? कपास के लिए वही बात है, गन्ने के लिए वही बात है। खाली माल खड़ा होने से काम नहीं चलता है, जहां माल बेचता है वहां तक उसे पकड़ना चाहिए।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : मैं उसे स्पष्ट करूंगा।

देश भर में लगभग 6000 जोतें हैं जिनसे आंकड़े मिलते हैं। देश के विभिन्न भागों में ऐसे 13 कृषि विश्वविद्यालय तथा 3 कृषि कालेज जोकि आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों के अधीन कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने आंध्र प्रदेश में धान की उत्पादन लागत 124 रुपये या इसके लगभग बताई है।

श्री चित्त बसु : यह प्राक्कलन आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : वे कोई भी प्राक्कलन कर सकते हैं। राज्यों के मुख्यमन्त्री, कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों से कम मूल्य मांग रहे हैं और वे भी 150 रुपए की मांग कर रहे हैं। हमें राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए अथवा कि इसका निश्चय किसी ठोस वैज्ञानिक आधार पर करें। यह बात तो सरकार ने निश्चय करनी है।

श्री चित्त बसु : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि राज्य सरकारें किसी ठोस आधार पर कार्य नहीं कर रही हैं ? क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस (आई) सरकार ठोस नीति के अधार पर कार्य नहीं कर रही है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : माननीय सदस्य दो चीजों को मिला रहे हैं। सरकार का कार्यकरण किसानों के लिए मूल्यों की सिफारिश करने से भिन्न है (व्यवधान) लागत-विवरण आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आधारित था, और इस वर्ष है, जिसका श्री बसु ने जिक्र किया है, राज्य सरकार ने कहा था कि लागत-मूल्य 124 रुपए प्रति क्विंटल अथवा इसके लगभग हैं। विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार धान का मूल्य 88.67 रुपए प्रति क्विंटल था। मै नहीं जानता क्यों...।

श्री चित्त बसु : वे राज्य सरकार द्वारा किए गए प्राक्कलन को स्वीकार नहीं करते। राज्य सरकार का एक कृषि विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार किसी कृषि विश्वविद्यालय से कम तो नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मुझे बड़ी खुशी होगी अगर पश्चिम बगाल सरकार इसे स्वीकार करे और वह भी अपने द्वारा वसूल किये जा रहे धान का वही मूल्य अदा करे।

श्री चित्त बसु : हम अवश्य देते हैं। पश्चिम बंगाल ने सिफारिश की थी कि पटसन का समर्थन मूल्य 300 रुपए देना चाहिए। आपने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया ? वह मुझे उत्तेजित कर रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं उत्तेजित नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इनका उत्तर नोट करते जाइए। आपको मौका है। आपको उत्तर देने का अधिकार है (व्यवधान)।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : श्री वसन्त दादा पाटिल ने कारखानों को सप्लाई किए जा रहे गन्ने की परिवहन लागत के बारे में बात उठाई है। (व्यवधान) कपास के मामले में इसके चुने जाने के चरण तक गणना की जाती है। गन्ना खरीदने के मामले में कारखानों की भिन्न-भिन्न प्रणालियां हैं। कुछ कारखाने तो उसे कारखाने के गेट पर खरीदते हैं। कुछ कारखाने गन्ने के निर्धारित मूल्य के इलावा परिवहन अधिभार भी अदा करते हैं। कुछ कारखानों ने अपने क्षेत्र के

भारों और किसानों के खेतों को ही क्रय-केन्द्र बना रखा है। परिवहन लागत के बारे में कोई समरूप नीति बनाना बड़ा कठिन है। साथ ही, किसी राज्य विशेष में, गन्ने के लिए घोषित न्यूनत्तम समर्थन मूल्यों में-सांविधिक मूल्य में-परिवहन लागत जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि उसे लेवी चीनी के लिए अदा किए जाने वाले मूल्य बहुत बढ़ जायेंगे। यदि हम सांविधिक मूल्य 13 रुपए में एक रुपया और जोड़ दें तो लेवी चीनी के लिए कारखानों को 45 करोड़ रुपये अधिक-65 प्रतिशत अदा करने पड़ेंगे। यदि हम इसमें 10 रुपए की वृद्धि करदें तो यदि राशि 450 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। कारखानों ने परिवहन लागत अर्थात 35 प्रतिशत लागत को खुले बाजार की चीनी के कोटे की वसूली कीमत में खपानी होती है। परन्तु इस मांग में निश्चय ही कुछ दम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय परिवहन लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पहलू से अब तक पूरी तरह विचार में रखना संभव नहीं हो सका है। परन्तु माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद, और विभिन्न नेताओं, राज्यों तथा अपने मुख्य मन्त्रियों एवम् अपने ही संसद सदस्यों की इस मांग पर विचार करने के बाद, मुझे सब कहते हुए हर्ष होता है कि हमने कृषि मूल्य आयोग को कहा है कि वह इस पहलू को भी विचार में लें, परिवहन लागत को भी यदि उसकी पूरी तरह क्षतिपूर्ति नहीं हो तो, पूरी तरह अपनी गणना में शामिल करें।

मुझे आशा है कि कुछ न कुछ तो दिया ही जाएगा और हम माननीय सदस्यों को स्वयं को तथा किसानों को यह सन्तोष दे सकेंगे कि हम इस बारे में सजग है तथा चाहते हैं कि किसान जो भी खर्च करने को बाध्य है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए।

श्रीमन्, जोखिम या मामला इसका एक अन्य पहलू है। मैंने स्वयं इस बात को बहुत बार कहा है की कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय जोखिम बात को हिसाब में नहीं लिया जाता है। वर्ष प्रति वर्ष, प्राकृतिक, विपदाओं के कारण कुछ फसलें पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है। मुझे नहीं पता कि उक्त जोखिम का बीमा कैसे किया जाना संभव है। एक तरीका तो यह है, जिसका सुझाव माननीय सदस्यों ने दिया है कि फसल बीमा की एक अच्छी सी व्यवहार्य योजना बनाई जाए। विश्व के किसी भी देश ने अब तक फसल बीमा की कोई योजना नहीं बनाई है। भारत में तीन राज्यों ने कुछ फसलों के लिए कुछ योजनायें बनाई हैं। इसी आधार पर, गुजरात, तमिलनाडु और शायद कर्नाटक या गुजरात और कई अन्य राज्यों ने भी इन योजनाओं के द्वारा प्रयास करने की इच्छा पहले ही व्यक्त की है। यह केवल इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए है कि जो ऋण किसानों को दिए जा रहे हैं वे वापस मिल सकें। परन्तु अब तक हम फसलों का बीमा करने की कोई योजना तैयार नहीं कर सके हैं। जब तक वह नहीं होता, जोखिम के मामले से नहीं निपटा जा सकता। परन्तु, मूल्य की सिफारिश करते समय हम कृषि मूल्य आयोग को यह भी देखने को कहेंगे कि संभव हो तो वे इस पहलू को भी विचार में रखें; यदि कृषि मूल्य आयोग ऐसा नहीं करता है तो सरकार स्वयं करती है ऐसा कोई जोखिम नहीं है जिस की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। शायद यह भी एक पहलू था जिससे प्रेरित होकर सरकार को धान के मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गए मूल्य से अधिक निर्धारित करने पड़े। समय समय पर ऐसा ही होता रहा है। सरकार इन कठिनाईयों से पूरी तरह अवगत है।

अब बात समानता की की जाती है। मैं नहीं जानता कि सदस्य यह चाहते हैं कि मैं बोलता रहूं या कि अपना भाषण समाप्त कर दूं। यह तो सभा की इच्छा पर है। मैं उन्हें थका देना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वे यहां सभा में प्रातः 9 या 9-30 बजे से आए हुए हैं। यदि वे इसमें रूचि नहीं रखते हैं तो मेरे बोलते रहने का कोई लाभ नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे तो बड़ी शांति के साथ आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरे विचार से वे संतुष्ट हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। क्या हमें सरकार का दृष्टिकोण नहीं सुनना चाहिए ?

एक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमन्, समानता तो कई प्रकार की हो सकती है, कृषि क्षेत्र में फसलों के क्षेत्र में समानता हो सकती है। कोई फसल निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक सकती है जैसे चना तथा अन्य चीजें, इस समय तो रूई को भी देख सकते हैं कि वह किस मूल्य पर बिक रही है।

हम कृषि मूल्य आयोग से भी यह कहेंगे कि वह इस मुद्दे पर विचार करें, यदि कृषि मूल्य आयोग विचार नहीं करता तो सरकार स्वयं इस पर विचार करेगी। इस बात का कोई खतरा नहीं है कि इसकी उपेक्षा हो जाए। उस समय संभवतः यह भी एक कारण था जिससे सरकार ने धान के अधिक मूल्य निर्धारित किए थे अर्थात् कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी। ऐसा समय समय पर हो रहा है। सरकार को इन कठिनाइयों का पता हैं।

समता के बारे में कुछ बात कही गई है। ज्ञात नहीं माननीय सदस्य मुझे सुनना चाहेंगे अथवा वह चाहेंगे मैं इसे समाप्त कर दूं। यह सदन के ऊपर निर्भर करता है। मैं उनको थकाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि वे यहां 9 बजे या 9-30 बजे से हैं। यदि वे सुनना न चाहें तो मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरे विचार से वे संतुष्ट हैं।

उपाध्याक्ष महोदया : मैंने आपके विचार सुने हैं क्या अब हम सरकार के विचार न सुनें ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : महोदय समानता कई प्रकार की हो सकती है। कृषि क्षेत्र में फसल-फसल में समानता हो सकती है। एक फसल का मूल्य अधिक मिल सकता है जबकि दूसरी

को, जिसका निम्नतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, इससे कम हो सकता है जैसे कि चना, और अन्य फसलें। कपास को भी ले सकते हैं उसका वर्तमान विक्रय मूल्य देखिए।

क्या उन वस्तुओं की समानता के बारे में भी बात चीत कर सकते हैं जो किसान कृषि के लिए उत्पन्न करते हैं। जैसा कि श्री चित्त बसु ने कहा है—कृषि आदानों और कृषि उत्पादों में समता भी अन्य एक मुद्दा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के आंकड़ों में समता का भी प्रश्न हो सकता है। कृषि उत्पाद मूल्य और गैर कृषि-उत्पाद मूल्य में समता का भी प्रश्न हो सकता है जिसमें सभी कुछ सम्मिलित है वह उत्पादित वस्तुओं के श्रेणी में नहीं आती। अतः मैं यह नहीं जानना चाहता कि माननीय सदस्य वास्तव में क्या चाहते हैं। कृषि वस्तुओं—तैयारमाल—और उत्पादों में समता का मामला मेरे लिए अत्यधिक संगत मामला है।

श्री चित्त बसु : मैंने दो पृथक क्षेत्रों का मामला उठाया है उत्पादित वस्तुओं और कृषि उत्पादों में समता के क्षेत्र। मैंने किसी अन्य क्षेत्र का मामला नहीं उठाया।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : महोदय जहां तक कृषि आदानों और कृषि उत्पादों में समता का प्रश्न है इनमें अधिक अन्तर नहीं है। **(व्यवधान)**।

किसानों द्वारा खरीदी जानी वाली वस्तुओं के मूल्यों, जिसमें वे सभी वस्तुयें सम्मिलित हैं जिन्हें वे अपने उपयोग के लिए खरीदता है, आदान ही नहीं—और किसानों को प्राप्त अपने उत्पादों के मूल्यों में लगभग 13 प्रतिशत अन्तर है। आदानों के लिए तथा अपनी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए किसान जो मूल्य अदा करता है उसके प्रति 100 रुपयों के लिए उसे 87 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार यह 87 प्रतिशत हुआ। यह मुझे प्राप्त आंकडों के अनुसार है।

यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं अन्य वस्तुओं के मूल्यों के बारे में भी आंकडे प्रस्तुत कर सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा है व्यापार में दिए जाने वाले और प्राप्त होने वाले मूल्यों का वर्तमान सूचकांक 1979-80 के अन्त में 216.2 है जिनका आधार वर्ष 1970 है तथा कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक 188.9 है। हमें आशा है इस बर्ष इस विषमता में कमी आएगी क्योंकि हम किसानों को अधिक मूल्य देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : विषमता विद्यमान है तथा यह बहुत अधिक है।

श्री वसन्तराव पाटिल : किसान जो माल कम पैदा करता है उसका भाव ऊपर जाता है। जैसे चने का भाव आपने 160 रुपया माना है, लेकिन 400 रु० से 500 में बेचा जाता है। क्या किसान ऐसा करे कि ज्यादा माल न पैदा करे ताकि उसको ज्यादा भाव मिले ? क्या किसान ने ज्यादा प्रोडक्टशन करके गलती की है, कम से कम यह तो देखना चाहिए ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जरूर देखना चाहिए। जहां तक उत्पादित वस्तुओं की तुलना में खाद्यान्न के थोक मूल्य सूचक अंकों का सम्बन्ध है, वास्तव में 1975 तक व्यापार की स्थिति किसानों के पक्ष में थी। 1975 में केवल खाद्यानों का मूल्य सूचकांक 187 था तथा उत्पादित

वस्तुओं का मूल्य सूचकांक 173 था जबकि गैर-कृषि वस्तुओं का 184 था। उस समय यही सरकार थी, कांग्रेस (आई) पार्टी की सरकार थी तथा श्रीमती इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी जिन्होंने उत्पादित वस्तुओं और गैर-कृषि वस्तुओं के मूल्यों से कृषि उत्पादों को अधिक मूल्य दिलाए थे।

महोदय, उसके पश्चात विश्वव्यापी मुद्रास्फीति के कारण खाद्यानों का मूल्य कुछ कम होने आरम्भ हो गए किन्तु 1978 तक बहुत अधिक खराब नहीं थे। खाद्यानों का थोक मूल्य सूचकांक 173 था। निर्मित उत्पादों का मूल्य-सूचकांक 178 था। यह इस पार्टी द्वारा आपके लोगों को सरकार सौंपने के तुरन्त पश्चात हुआ। किन्तु अन्तर 1979 में मुख्यतः हुआ। अर्थात् यह विषमता उस समय की देन है जबकि ट्रैक्टर के मूल्यों में वृद्धि हुई, मशीनों के मूल्यों में वृद्धि हुई। 1979 में खाद्यानों का मूल्य सूचकांक 180 हो गया तथा निर्मित वस्तुओं का 204 हो गया। यह 1979 में हुआ। अतः आप यह नहीं कह सकते कि यह विषमता इस सरकार ने उत्पन्न की थी। यह सरकार व्यापार में समता बनाए रखने का प्रयत्न करती रही है तथा कर रही है। आपको ज्ञात होगा कि इस पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात ए०पी०सी० के निदेश पदों में मौलिक परिवर्तन किया गया। कृषि मूल्य आयोग को यह निदेश दिया गया कि वह व्यापार-शर्तों को ध्यान में रखे। इस सरकार ने किसानों के पक्ष में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्वीकार किया है। आप उन अच्छी बातों की चर्चा क्यों नहीं करते जो हमने की हैं। आप इधर-उधर लोगों को बहकाने का प्रयत्न करते हैं। महोदय, मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता जो हम भण्डारण क्षमता बनाने के लिए कर रहे हैं। हम इस योजना अवधि में ग्रामीण गोदामों की क्षमता 90 लाख टन करना चाहते हैं। हमारे कोल्ड स्टोर आदि बड़ी तेजी से निर्मित हो रहे हैं। किन्तु मैं इस एक बात से सहमत नहीं हूं कि कृषि उत्पादों के लिए पर्याप्त क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा। हमारे पास भारतीय खाद्य निगम अथवा केन्द्रीय भाण्डागार निगम अथवा राज्य भण्डागार निगम के अधीन जितनी भी क्षमता है उसका उपयोग अधिकांशतः उर्वरक, कीटनाशी औषधियां जैसे आदानों तथा अन्य ऐसी खाद्यान्न रक्षित भण्डारों को रखने के लिए की जा रही है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी समितियों के माध्यम से भण्डार क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियां अधिकाधिक भूमिका अदा कर रही हैं। इस तथ्य को आप सहकारी डेरी फार्मों की बढ़ती हुई संख्या से भलीभांति समझ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में विभिन्न उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। विपणन सुविधा का विकास किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। महोदय, विपणन का भी उल्लेख कर दिया गया है। किसानों को उसकी मेहनत और पूंजी को पूरा लाभ दिलाने के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राज्यों में इस दिशा में बहुत प्रगति की है तथा अन्यों ने नहीं। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हम तो ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं तथा कुछ सहायता दे सकते हैं। क्या श्री चित बसु यह बतायेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या विपणन सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

श्री चित्त बसु : बहुत.....।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जहां तक विपणन सुविधाओं का सम्बन्ध है यह देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है.....।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने मुख्यमन्त्री से परामर्श कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आप अपने पटसन उत्पादकों का शोषण कराते हैं और इसके लिए हमें दोष देते हैं। मैं मानता हूं पटसन उगाने वालों की स्थिति खराब है। पटसन उत्पादक बहुत परेशान हैं। इसका कारण यह है कि नियमित मण्डियों को अपना माल नहीं दे सकते हैं। वहां क्रय-विक्रय का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है। पटसन निगम अधिक से अधिक खरीदने का प्रयत्न करता है यद्यपि यह पर्याप्त नहीं होता। मैं यह मानता हूं। आशा है हम पटसन उत्पादकों की सहायता के लिए कुछ अधिक करने में समर्थ होंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : पटसन निगम किसानों से सीधी खरीद नहीं करता, यह बिचौलियों के माध्यम से खरीद करता है। वास्तविक समस्या यही है। अतः किसानों से खरीदी जाने वाली मात्रा की प्रतिशतता बहुत कम है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : हम इस प्रथा को समाप्त करेंगे। हम आपकी तथा जनता की सहायता से बिचौलिया प्रथा को समाप्त करेंगे।

श्री चित्त बसु : कच्चे पटसन की खरीद के मामले में भारतीय पटसन निगम का एकाधिकार होने के मामले में समर्थन नहीं मिला। आपने इसका विरोध किया।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उस मूल्य में जो पटसन उत्पादकों को मिलता है तथा जो पटसन की निर्मित वस्तुओं को मिलता है, बहुत अन्तर है तथा इस अन्तर को तभी कम किया जा सकता है जब पटसन उत्पादकों को विपणन की अच्छी सुविधायें दी जाएं तथा इसके लिए मैं अपने मित्र श्री बसु से अनुरोध करूंगा कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ कदम उठाने के लिए सहमत करें।

रूई की वसूली के बारे में महाराष्ट्र का उल्लेख किया गया था। रूई की वसूली के मामले में महाराष्ट्र को एकाधिकार प्राप्त है। जहां तक मुझे ज्ञात है रूई के मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित निम्नतम मूल्यों से अधिक मिल रहे हैं तथा इसका श्रेय महाराष्ट्र सरकार तथा भारतीय रूई निगम को जाता है जो काफी संख्या में रूई की गांठें खरीदता है तथा किसानों के मामले में कपास उत्पादक राज्य इससे बहुत संतुष्ट हैं।

मैंने अधिकांश बातों का उल्लेख कर दिया है। माननीय सदस्यों ने गेहूं के मूल्यों का मुद्दा भी उठाया है। गेहूं का अभी तक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। इस पर सरकार अभी विचार कर रही है और हमें आशा है कि इस मामले में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा। कृषि मूल्य आयोग की सिफारशों की माननीय सदस्यों को जानकारी है और उनके विचारों को भी ध्यान में रखा जायेगा। मुख्य मंत्रियों के साथ की गई बातचीत कोई नाटक नहीं है जैसा कि एक

माननीय सदस्य ने कहा है। हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। हम मुख्य मंत्रियों तथा राज्य प्रतिनिधियों को पूरा अवसर देते हैं तथा निर्णय करने से पूर्व हम तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय भी हम उनके विचारों को, राज्य सरकारों तथा किसानों की एसोसियेशनों, सहकारी चीनी कारखानों की फैडरेशनों, और चीनी मिलों की एसोसियेशनों के विचारों को भी ध्यान में रखते हैं। अब कुछ चीनी कारखानों, कुछ किसानों ने यह माँग करनी आरम्भ करदी है। कि लेवी चीनी का मूल्य अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए अथवा गन्ने का मूल्य अधिक निर्धारित किया जाना चाहिये। जहां तक मुझे ज्ञात है कोआपरेटिव फैडरेशन ने—वर्शेत दादा पाटिल जी भी संभवत: इससे सम्बद्ध हैं—इस वर्ष जनवरी में जब उनके साथ विचार-विमर्श किया गया था, 8.5 रिकवरी वाले गन्ने का मूल्य 13.50 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की थी। आई० एम० एम० ए० ने 12.15 रुपये की सिफारिश की थी। गन्ने के 30 रुपये प्रति क्विंटल और 300 रुपये प्रति टन मूल्य मांगना तथा यह कहना कि किसान इससे कम मूल्य पर गन्ना सप्लाई नहीं करेंगे राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था अथवा किसानों के प्रतिकूल होगा।

महोदय, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ब्याज के मूल्य के बारे में आन्दोलन हुए हैं। मैं उस बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। पिछली बार जब प्याज का उत्पादन बहुत हुआ था तब सरकार का पहली बार प्याज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया था। एन०ई०एफ०ई०डी० से प्याज के निर्यात के लिए कहा गया था। प्याज का मूल्य लगभग 25 रुपये या इसके आस-पास था। हमने "नेफेड" से 45 और 60 रुपये प्रति क्विंटल के बीच खरीद करने के लिए कहा। महाराष्ट्र में, अधिकांशत: नासिक क्षेत्र से लगभग दो लाख टन प्याज खरीदी गई, जहां कि यह आन्दोलन किया जा रहा है, तथा भारत सरकार ने 'नाफेड' को प्याज के इस समर्थन मूल्य के लिए 6 करोड़ रुपयों से अधिक राशि का भुगतान किया। इस बार फसल बहुत कम हुई है। महाराष्ट्र में इस सरदी की फसल में केवल 2 लाख या ढ़ाई लाख टन प्याज पैदा हुई। हमने महाराष्ट्र सरकार से बात करली हैं। हमने यह निर्णय किया है कि महाराष्ट्र सरकार 55 रुपये से 70 रुपये प्रति क्विंटल के बीच मूल्य की 25,000 टन प्याज की खरीद करेगी जो कि बहुत अच्छा मूल्य है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं। "नाफेड" से 25,000 टन प्याज उसी मूल्य पर खरीदने के लिए भी कहा गया है। यदि मूल्यों में और भी कमी होती है तथा वे मूल्य किसानों के लिए लाभप्रद नहीं रहते ही हमने प्याज उत्पादकों की सहायता के लिए अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी है।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यदि प्याज के मूल्य एक विशेष स्तर से नीचे गिरते हैं तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। यह बात नहीं है कि यदि राजस्थान या देश का अन्य कोई भाग आन्दोलन नहीं करता तो हम उसका ध्यान नहीं रखते। राजस्थान को ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। हमने सुना कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अदरक बहुत सस्ती बिक रही थी तो "नाफेड" को यह आदेश दिये गये कि वह मनीपुर और अन्य क्षेत्रों से अदरक खरीदना आरम्भ करदे यद्यपि उन

अच्छे किसानों ने इस बारे में कोई हंगामा नहीं मचाया था। आप चाहे किसानों को उकसाने का प्रयत्न करें अथवा चाहे किसान आपकी बात सुने या न सुने भारत सरकार को किसान अत्यधिक प्रिय हैं।

अन्य कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर विस्तार में मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। श्री चित्त बसु, श्री लकप्पा, श्री रणधीर सिंह, श्री मण्डल, श्री शिव कुमार, श्री डोगरा जैसे मित्रों ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाये हैं। मैं श्री डोगरा के इस कथन से सहमत हूं कि हमें राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में समग्र मूल्य ढांचे पर विचार करना चाहिये। हम केवल एक क्षेत्र के बारे में ही नहीं सोच सकते। उस दिशा में यह सरकार बढ़ रही है कार्यरित है और विचार शील है।

सभा में पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात् मुझे आशा है मेरे मित्र उन सारी बातों पर विवेक पूर्ण विचार करेंगे तथा किसानों की मेरे बन्धुओं की ना समझी और निरक्षरता का दुरुपयोग न करेंगे तथा उन्हें हिंसा का पाठ नहीं पढ़ायेंगे। इसे वह अपने अनुयाइयों तक ही सीमित रखें किसानों को इसमें सम्मिलित न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु एक ट्रेड यूनियन लीडर है किसानों के नेता नहीं है।

श्री वीरेन्दर सिंह राव : आशा है सभी सदस्य जिनमें श्री चित्त बसु भी सम्मिलित हैं इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रस्ताव पर अब अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है तथा मैंने जो स्पष्ट किया है उसे तथा सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए सभा इस बात का विश्वास रखेगी कि किसानों के हित इस सरकार के हाथों में पूर्णत: सुरक्षित हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं उन सदस्यों का वास्तव में आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है तथा मैं इस कारण से भी उनका अधिक आभारी हूं कि इस बात पर प्राय: एक मत होकर विचार व्यक्त किए गए हैं कि हमारे देश के किसानों को लाभप्रद न्यायोचित और सही मूल्य प्राप्त नहीं होते तथा यह विचार दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर व्यक्त किया गया है। इस ओर बैठे हुए तथा उस ओर बैठे हुए सदस्यों ने भी यही विचार व्यक्त किया है। किन्तु मुझे खेद पूर्वक यह कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री इसका अनुकूल उत्तर नहीं दे पायें। इसकी बजाय उन्होंने अपने दल के चुनाव घोषणापत्र की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक तरीका अपनाया है। अर्थात् उन्होंने एक व्यक्ति के नेतृत्व में जो किया है तथा जो किया जाना है। इस मंच का लाभ उठाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है महोदय यह आश्चर्य जनक है कि उस स्थिति में जब बाहर किसान दु:खी है एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा इस सभा का लाभ उठाकर इस प्रकार का प्रचार किया जाये। क्यों ? आशा यह की जाती थी। कि मंत्री महोदय कुछ घोषणा करेंगे जिससे कि बाहर किसान आन्दोलन को शांत किया जा सके तथा कुछ समाधान निकल आयें। ऐसा करने के बजाये उन्होंने एक चुनौती दे दी है। उन्होंने यह चुनौती दी कि सरकार आन्दोलन का मुकाबला करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने कोई चुनौती नही दी है। उन्होंने आपसे अनुरोध किया है।

श्री चित्त बसु : उन्होंने यही कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुनता रहा हूं।

श्री चित्त बसु : महोदय उन्होंने यही विचार व्यक्त किया है। यदि उन्होंने अपनी भूल मान ली है तो मैं उनका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ उपयुक्त व्यवहार करना चाहिये। उन्होंने कोई चुनौती नहीं दी।

श्री चित्त बसु : आपने उनकी बात सुनी है।

श्री ए० के० राय : उन्होंने किसानों को भड़काने की हमारी क्षमता को चुनौती दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक संशोधन है।

श्री चित्त बसु : महोदय, उन्होंने कहा है तथा मेरे विचार से आपने सुना है कि आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। यह एक चुनौती है। मैंने उस आन्दोलन के औचित्य की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस आन्दोलन का औचित्य यह है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य नही मिल रहे है और अब भी उनका दावा हैं कि धान का 100-105 रुपये मूल्य लाभप्रद मूल्य है। है। यह उस तथ्य के बावजूद है तथा आप इसे लाभप्रद बताते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिह राव : मेरे विचार से यह समर्थन मूल्य है (**व्यवधान**)।

श्री चित्त बसु : ठीक है यह आपका कथन है। मेरे अपना विचार है। महोदय क्या आप इस बारे में मुझ से सहमत है कि मूल्य स्तर में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथा धान का मूल्य 100 रुपयों से बढ़ाकर 105 रुपये किया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : 95 रुपये से 105 रुपये।

श्री चित्त बसु : कृषि मूल्य आयोग द्वारा 100 रुपये की सिफारिश की गई थी। आप अपने वायदे से पीछे मत हटिये। महोदय उन्होंने कहा था कि ए० पी० सी० ने 100 रुपये की सिफारिश की थी। सरकार ने यह कहा था मूल्य वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखकर आपने 105 रुपये निर्धारित किया था। मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आपने 5 प्रतिशत देकर उसको बराबर कर दिया तथा उसके बाद भी वह कहते हैं कि किसानों के हितों का उन्हे पूरा-पूरा ध्यान है। आपको किसान अत्यधिक प्रिय इसलिए हैं क्योंकि आप उनसे मत खरीदना चाहते हैं तथा उनकी अशोषता का लाभ उठाना चाहते हैं। उनके हितों को पकड़े-रहने का मूल्य उद्देश्य ही यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं।

श्री चित्त बसु : जी नहीं, महोदय आपने हमें उनके साथ जोड़ दिया है यह खेद की बात है। इस स्थिति में सरकार का यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमने कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिए हैं। वास्तव में मैंने यह कहा था कि यह कोई सरल तरीका नहीं है। मैंने कहा था कि यह बड़ा जटिल कार्य था तथा आज इस बात की आवश्यकता है कि कृषि उत्पादों के लिए समेकित, व्यापक मूल्य नीति बनाई जाये तथा उसके लिए कृषि लागत, सरकार का वसूली मूल्य, कृषि मजदूरों की मजदूरी आदि को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ये सभी बातें राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित हैं। सरकार की ओर से इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि वह कृषि उत्पादों के लिए एक व्यापक तथा समेकित मूल्य नीति बनाने का विचार कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जी हां, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : उन्होंने जो रवैया अपनाया है उनको देखते हुए मैं समझता हूं कि सरकार इस आन्दोलन को कुचलने के लिए कटिबद्ध है।

वीरेन्द्र सिंह राव : नहीं, हम किसानों के मित्र हैं।

श्री चित्त बसु : यह रिकार्ड पर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में गया उत्पादकों के आन्दोलन को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : कभी नहीं।

श्री चित्त बसु : क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का यह उद्देश्य है ? उन्हें ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। वह यह कहें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का यही उद्देश्य है कि जनता के प्रजातांत्रिक आन्दोलनों तथा श्रमिकों के आन्दोलनों को कुचला जाये। किसानों के आन्दोलनों को कुचला जाये। उनमें ऐसा कहने का साहस नहीं है। हम में यह कहने का साहस है कि ग्रामीणों का आन्दोलन न्यायोचित है तथा कानूनी है तथा हम उसके कारण कष्ट उठाने को तैयार हैं। सरकार को कम से कम इस समय ज्ञान होना चाहिए। सरकार को ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारे देश का सम्पूर्ण किसान समुदाय उनके विरुद्ध विरोध कर बैठे। यह किसान नहीं है जैसाकि श्री तिरकी ने ठीक ही कहा है। यह सेना है, यह पुलिस है यह प्रशासनिक अधिकारी हैं जो देश की ग्रामीण जनता के साथ सीधे सम्बद्ध हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग उन्हीं ग्रामीण लोगों से आते हैं। आशा है सरकार आग से नहीं खेलेगी। यदि वे आग से खेलना चाहते हैं तो उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं पुनः कहता हूं कि सरकार चाहे तो इसका परिणाम भुगते हम उसके लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा यहां नहीं हैं। अब मैं संशोधन संख्या 1 जिसे श्री डागा ने प्रस्तुत किया था, सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बी० के० नायर ।

श्री बी० के० नायर : मैं इस बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री बी० के० नायर : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री बी० के० नायर को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री ए० के० राय : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बी० के० नायर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

श्री रामसिंह यादव : मैं भी अपना संशोधन संख्या 3 वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री रामसिंह यादव को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं बशर्ते कि वह इसे वापस न लेना चाहें ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : वह इस पर बल नहीं दे रहे हैं ।

श्री चित्त बसु : मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा की राय है कि गन्ना, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्य

उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण उचित और लाभप्रद नहीं हैं और सरकार से आग्रह करती है कि वह कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को अस्वीकृत करते हुए किसानों को उनकी उपज के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अविलम्ब आवश्यक उपाय करे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

(इसके पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 1980/21 अग्रहायण 1902 (शक) के 11 बजे म० पू० के लिए स्थगित हुई।)